हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

31 अगस्त, 2016

खण्ड 2, अंक 4

अधिकृत विवरण

विषय सूची

बुधवार, 31 अगस्त, 2016

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	4
हरियाणा के भूतपूर्व एम.एल.एज. तथा भूतपूर्व मंत्री का अभिनन्दन	9
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	9
सार्थक विद्यालय, पंचकुला के अध्यापकों व छात्रों का अभिनन्दन	9
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	10
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	38
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	46
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	66
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	66
विभिन्न मामले उठाना	67
रौनक पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल, गन्नौर, सोनीपत	76

के शिक्षकों तथा विद्यार्थियों का अभिनन्दन

विभिन्न मामले उठाना (पुनरारम्भ) 76

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव– 77

(i) हरियाणा में बिगड़ रही कानून व्यवस्था से संबंधित

वक्तव्य– 92

मुख्यमंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

भूतपूर्व एम.एल.ए. का अभिनन्दन 219

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भ) 219

(ii) भगत फूल सिंह महिला मेडीकल कालेज, खानपुर कलां 227
की दयनीय स्थिति बारे

वक्तव्य– 229

स्वास्थ्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

सदन की मेज पर रखे गए कागज पत्र 238

विधान कार्य– 239

(i) दि हरियाणा मोटर व्हीकल्ज टैक्सेशन बिल, 2016

(ii) दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैमबली (सैलरी,अलाउंसिज एण्ड पेंशन ऑफ मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल, 2016

(iii) दि हरियाणा डिवैल्पमैंट एण्ड रैगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज (सैकेंड अमैंडमैंट) बिल, 2016

(iv) यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ साईंसिज, करनाल बिल, 2016

(v) दि हरियाणा टैक्स ऑन लग्जरीज (अमैंडमैंट) बिल, 2016

सरदार जसविन्द्र सिंधू, विधायक, संसदीय कार्य मंत्री और अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद देना 257

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 31 अगस्त, 2016

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में हुई । अध्यक्ष (श्री कंवर पाल) ने अध्यक्षता की ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल शुरू होता है ।

Construction of Roads

***1620.Sh. Ram Chand Kamboj :** Will the PW (B&R) Minister be pleased to state the time by which the construction work on the following roads is likely to be started -

(i) Kharian to Khaisher Garh, Bhagsar upto Mota, Panni Wala;

(ii) Punjuana to Shakhupuria, Fatehpuria, Jodhpuria upto Kharian; and

(iii) Nezadela to Mallewala, Budhabhana upto Kirarkot ?

लोक निर्माण विभाग मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : श्री मान जी, प्रश्न में पूछी गई सड़को का निर्माण पहले हो चुका है । फिर भी इन सड़को की मरम्मत का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

क्रमांक	सड़क का नाम	सड़क भाग लम्बाई	विभाग	सड़क की स्थिति	कार्य का प्रारम्भ
1.	खारियां से खाई शेरगढ़, भागसर से मोटा पन्नीवाला तक (लम्बाई 12.41 किलोमीटर)	(क) खारियां से खाई शेरगढ़ (लम्बाई 6.10 किलोमीटर)	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड	संतोषजनक नहीं है	निविदाएं प्राप्त हो चुकी है । 31.03.2017 तक कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा ।
		(ख) खाई शेरगढ से भागसर (लम्बाई 4.50 किलोमीटर)	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं मार्ग शाखा	संतोषजनक नहीं है	विशेष मरम्मत का कार्य 15.09.2016 तक आरम्भ होने की संभावना है ।
		(ग) भागसर से पन्नीवाला मोटा (लम्बाई 1.81 किलोमीटर)	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड	संतोषजनक है	वर्षा के मौसम में बने पैचो को 15.09.2016 तक ठीक करवा दिया जाएगा।
2.	पंजूआना से शेखपुरिया फतेहपुरिया, जोधपुरिया से	..	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं मार्ग	संतोषजनक नहीं है	विशेष मरम्मत का कार्य 15 नवम्बर 2016 तक शुरू होने की संभावना है। जैसे कि

	खारियां तक (लम्बाई 15.50 किलोमीटर)		शाखा		कार्य की निविदाएं आमंत्रित हो चुकी है ।
3.	नेजाड़ेला से मल्लेवाला, बुढाभाना से किराडकोट तक (लम्बाई 9.00 किलोमीटर)	..	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं मार्ग शाखा	अच्छी	

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री राम चन्द कम्बोज ने अपने तीन प्रश्न पूछे हैं । इनका पहला सवाल गांव खारियां से खाई शेरगढ़ की सड़क से संबंधित है । यह सड़क खराब है और इसकी लम्बाई 6.10 किलोमीटर है । यह सड़क हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के अंतर्गत आती है । हम इस सड़क का कार्य इसी वित्त वर्ष में शुरू कर देंगे और 31 मार्च, 2017 तक पूरा करवा देंगे । इनका दूसरा सवाल गांव खाई शेरगढ़ से भागसर तक की सड़क से संबंधित है । इस सड़क की लम्बाई 4.5 किलोमीटर है । यह सड़क पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) की है । इस सड़क के निर्माण हेतु टैण्डर अप्रूव किया जा चुका है और इसका निर्माण 30 अप्रैल, 2017 तक पूरा हो जाएगा । इनका अगला सवाल गांव भागसर से मोटा पन्नी वाला गांव की सड़क से संबंधित है । इस सड़क की लम्बाई लगभग पौने दो किलोमीटर है । यह सड़क मार्केटिंग बोर्ड की है । यह सड़क तकरीबन ठीक है लेकिन बरसात के पानी की वजह से कुछ जगहों पर गड्डे हो गए हैं । इन गड्डों को भर दिया जाएगा । इनका अगला सवाल गांव पंजूआना से शेखपुरिया फतेहपुरिया, जोधपुरिया से खारिया की सड़क से संबंधित है । इस सड़क की लम्बाई लगभग 15.50 किलोमीटर है और यह सड़क पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) की है । इस सड़क का टैण्डर हो चुका है और इसे जून, 2017 तक पूरा कर दिया जाएगा । इनका तीसरा सवाल गांव नेजाडेला से मल्लेवाला, बुढ़ाभाना से किराडकोट की सड़क से संबंधित है । इस सड़क की लम्बाई 9 किलोमीटर है और यह सड़क पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) की है । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इस सड़क की हालत अच्छी है और इसका पिछले वर्ष 11वें महीने में ही सुधार किया गया था लेकिन अगर कोई खराबी है तो हम इसकी भी रिपेयर कर देंगे ।

श्री राम चन्द कम्बोज : अध्यक्ष जी, गांव खारिया से खाई शेरगढ़, गांव भागसर से मोटा पन्नीवाला तक की सड़क की हालत तो फिर भी ठीक है लेकिन गांव भागसर

से खाई शेरगढ़ तक की सड़क की हालत बहुत खराब है । यदि एक भी बारिश हो जाए तो सड़क पर पानी जमा हो जाता है और वहां से गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता है । इस सड़क की दोनों साइड ऊंची हैं और सड़क नीची है । गांव पंजुआना से शेखपुरिया, फतेहपुरिया, जोधपुरिया से खारियां की सड़क भी नीची है और इसकी साइड्स ऊंची हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस सड़क को थोड़ा ऊपर उठाकर बनवाया जाए । माननीय मंत्री जी ने जो जून, 2017 तक इसे बनवाने की बात कही है यह बहुत ज्यादा समय हो जाएगा । इस सड़क का काम इतना लम्बा–चौड़ा नहीं है । (विघ्न)

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष जी, गांव खाई शेरगढ़ से भागसर तक की सड़क को इसी वित्त वर्ष में बनवा दिया जाएगा ।

श्री राम चन्द कम्बोज : अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में घग्गर नदी की एन.जी.सी. नहर की बुर्जी नंबर 24 पर जो पुल है वह डैमेज हो चुका है । किसान उसे मिट्टी डालकर चला रहे हैं । इस बार कनक की कटाई के समय वहां पर कई हादसे भी हुए हैं । इस पुल से संबंधित प्रश्न भी मैंने दिया था परंतु उसे स्वीकार नहीं किया गया ।

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष जी, यह मामला मेरी नॉलेज में नहीं है । यदि ऐसी कोई बात होगी तो इसको भी बनवा देंगे ।

श्री ललित नागरः अध्यक्ष महोदय, तिगांव विधानसभा क्षेत्र की सड़कों में तीन तीन फुट के गड्डे पड़े हुए हैं और मैंने हर सत्र में अपने विधानसभा क्षेत्र की सड़कों की बात उठाई है । सदन के नेता बैठे हुए हैं मैंने पिछले सत्र में भी अपने हल्के की सड़कों की बात उठाई थी और मुझे आश्वासन दिया था कि सड़कें जल्दी ही ठीक कर दी जायेंगी । मेरे हल्के की सड़के ही नहीं टूटी पड़ी हैं बल्कि जो कालोनियां हैं उन कालोनियों की सड़कों का भी बुरा हाल है । वहां पर एक समस्या यह है कि वहां दिल्ली का पानी आता है और 5–5 फुट पानी भर जाता है। मैंने इस बारे में पिछले सत्र में एक प्रश्न लगाया था, उस समय मुझे आश्वासन दिया गया था कि यह एन.सी.आर. बोर्ड से पास हो गया है और जल्दी ही 5 करोड़ रूपये की ग्रान्ट दे दी जायेगी। उन बातों को लगभग दो महीने हो गये हैं लेकिन आज तक एक रूपया भी नहीं मिला है । मैं माननीय सदन के नेता से आग्रह करूंगा कि मेरे हल्के

तिगांव की तरफ भी ध्यान दिया जाए क्योंकि आपकी सरकार ''सबका साथ सबका विकास'' का नारा देकर चल रही है ।

श्री टेक चन्द शर्माः अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के गाँव समयपुर से सरमुथला तक की सड़क टूटी पड़ी है। इस सड़क को नाबार्ड से बनवाने की बात कही गई थी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस सड़क को बनाने का कोई विचार है या नहीं अगर है तो कब तक बना दिया जायेगा ?

श्री नरबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, नाबार्ड से इस बारे में मीटिंग हो चुकी है और इस सड़क को बनाने का काम एक महीने के अन्दर शुरू हो जायेगा । (विघ्न)

श्री सुभाष बरालाः अध्यक्ष महोदय, कल भी कम ही प्रश्न लग पाये थे इसलिए खासकर प्रश्नकाल पर ही ध्यान दिया जाना चाहिए ।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि मैं तो टू दि प्वायंट बात करती हूं । इस विषय के प्रश्न मैंने काफी दिये हुए हैं लेकिन आप उन प्रश्नों को लगाते नहीं हैं और सप्लीमैंट्री प्रश्न मुझे आप पूछने नहीं देते । अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र तोशाम की एक डेढ़ किलोमीटर की सड़क बनाई गई थी जो छः महीने के अन्दर अन्दर ही पूरी तरह से तहस नहस और खराब हो चुकी है। उस सड़क को बनाने पर लगभग एक करोड़ रूपया खर्च किया गया था। इस सड़क के बाई पास पर भी गड्डे पड़े हुए हैं। पूर्व मंत्री श्री घनश्याम सर्राफ भी उस सड़क के बारे में जानते हैं । उस सड़क के बारे में मैंने मंत्री जी को जुलाई महीने में एक चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में यह आग्रह किया था कि जो कान्ट्रैक्टर है उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए और जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाये । मंत्री जी बताये कि इस बारे में उन्होने क्या कार्रवाई की है ?

श्री नरबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, बहन किरण चौधरी जी की सरकार दस साल तक रही थी उन दस सालों में इनके हल्के की सड़कें नहीं बनी। हम तो पहले उनके गड्डे भरने का काम करेंगे । अध्यक्ष महोदय, बहन किरण चौधरी ने मुझे अपने हल्के की 38 सड़कों की लिस्ट दी थी और मैंने इनको बताया था कि हम जल्दी ही आपकी इन सड़कों की रिपेयर कर देंगे बाकी नई सड़कों को हम इस साल बनाना शुरू करेंगे। जो भी इस मामले में दोषी होगा उसके बारे में जांच की जायेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी । हम तोशाम हल्के की सड़कों को कांग्रेस पार्टी की बजाए भारतीय जनता पार्टी की सड़कें समझकर रिपेयर करवायेंगे ।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, भगवान की कृपा है, वे सड़कें तो कांग्रेस पार्टी की ही रहेंगी ।

हरियाणा के भूतपूर्व एम.एल.एज. तथा भूतपूर्व मंत्री का अभिनन्दन

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा): स्पीकर सर, श्री रामकुमार गौतम, श्री नफे सिंह राठी तथा श्री रमेश खटक, पूर्व एम.एल.एज. और श्री रणसिंह मान, पूर्व मंत्री, हरियाणा वी.आई.पीज. गैलरी में उपस्थित हैं । मैं उनका पूरे सदन की तरफ से अभिनन्दन करता हूँ।.

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

श्री परमिन्द्र सिंह ढुलः अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के की फतेहगढ़ से रामकली तक की सड़क पिछले सत्र में बनाने के लिए मन्जूर की गई थी और कहा गया था कि जल्दी ही बना दी जायेगी लेकिन उस सड़क पर आज तक काम शुरू नहीं हो पाया है ।

श्री नरबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैंने उस समय यह कहा था कि जो सड़कें कांग्रेस पार्टी के शासन काल में बनाई गई थी उनके गड्डे भरने का काम करेंगे । अब इस साल 2017–18 में हम नई सड़कों को बनायेंगे ।

सार्थक विद्यालय, पंचकूला के अध्यापकों व छात्रों का अभिनन्दन

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा की क्वालिटी एजूकेशन के लिए प्रसिद्ध सार्थक विद्यालय, पंचकूला के बच्चे और उनके अध्यापक दर्शक दीर्घा में सदन की कार्यवाही देखने के लिए आए हैं । हम सदन की तरफ से उनका अभिनन्दन करते हैं ।

तरांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

To Lay Down Water Supply Pipe Line

***1457. Shri Hari Chand Midha :** Will the Minister of State for Public Health Engineering be pleased to state--

(a) whether it is a fact that the pipe line for supplying the water up to water works in village Dariyawala is lying completely damaged; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to lay down new pipe line for supplying the water to above said water works togetherwith the time by which the above said pipe line is likely to be laid down?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री, (डा0 बनवारी लाल)

(क) जी नहीं श्रीमान्।

(ख) इसलिए, प्रश्न के इस भाग का सवाल ही नहीं उठता।

श्री हरि चंद मिड्ढाः अध्यक्ष महोदय, मैं जब भी कोई सवाल देता हूं मुझे उसका जवाब 'नो सर' में दिया जाता है इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि हमारे सवालों का जवाब नो में दिया जाना है तो फिर हम यहां आकर क्या करें? हम यहां पर पुण्य के काम के लिए आए हैं और यदि इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो फिर किसके काम आएगा? अध्यक्ष महोदय, मैं आज झोली खाली करके आया हूं और अपनी झोली यहां से भरकर जाऊंगा । यहां मुख्यमंत्री महोदय जैसे देवता स्वरूप आदमी बैठे हैं और अध्यक्ष महोदय, आप भी यहां बैठे हैं, इसलिए हम आपके सामने अपनी बात नहीं रखेंगे तो और कहां जाएंगे? हम अपने इलाके के लोगों को जाकर क्या मुंह दिखाएंगे? कल रात को भी मेरे इलाके के 60–70 लोग मुझसे मिले हैं । मैंने उनके खाने और रहने का इंतजाम करवाया है और आज वे मुझसे मिलने के लिए खड़े हैं, इसलिए कुछ तो हमारे यहां का काम करवाया जाए । अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यहां बैठे सभी सदस्य अच्छे हैं लेकिन मेरे जैसा कोई शरीफ आदमी नहीं होगा । मैं फौज से रिटायर्ड आदमी हूं और फौज में तो कहा जाता है कि दुश्मन को मार गिराओ, मरो नहीं ।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, ललित नागर जी का सवाल टूटी हुई सड़कों का था और मंत्री नरबीर जी ने उसका अच्छा जवाब दिया है । हरिचंद मिड्ढा जी दवाइयां तो टूटे दिल की देते हैं लेकिन मैं उनको कहना चाहूंगा कि यह सवाल टूटी सड़क का था न कि टूटे दिल का ।

श्री हरि चंद मिड्ढा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि मैं दवाइयां तो देता हूं लेकिन साथ ही साथ मैं समाज की सेवा भी करता हूं जिसका फल भी मुझे मिला है कि मैं यहां दूसरी बार चुनकर आया हूं । मुझे उम्मीद है कि मैं तीसरी बार भी आऊंगा ।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): अध्यक्ष महोदय, हरि चंद मिढ्डा जी पूर्व सैनिक हैं इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मुझे भी इनके सवाल के साथ जोड़ते हुए जींद में पाइप लाइन बिछाने का काम करवाया जाए ।

डॉ.बनवारी लाल: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जींद हल्के की जिस समस्या की चिंता जताई है, हमने उसको वैरीफाई करके दूर कर दिया है। लेकिन यदि फिर भी समस्या एग्जस्टि करती है तो हम उसको दूर करवा देंगे ।

श्री उदय भान: अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के 5 गांव डकोरा, मरौली, माफी जलालपुर, गढ़ोता और पिंगलतु हैं, उनके लिए कलस्टर मंजूर किया गया था । डकोरा गांव में लगभग 2000 की आबादी है और वहां पानी बिल्कुल खारा है । पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है और बाहर से पानी लाया जाता है । 5 गांवों के कलस्टर के लिए दो ट्यूबवैल लगाने के लिए 10 जून, 2014 को 8 करोड़ 27 लाख रूपये मंजूर हुए थे । दो टयूबवैल लगाने के लिए सरकार ने अब तक 8 करोड़ 27 लाख रूपये में से 58 लाख रूपये ही भेजे हैं लेकिन पाइप और सीवरेज के लिए कोई पैसा नहीं भेजा गया और कहा गया है कि बजट आएगा तो इसके लिए पैसा दिया जाएगा । यह पैसा आलरेडी मंजूर हुआ हुआ है इसलिए मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि बाकी का पैसा कब तक दिया जाएगा ताकि यह काम पूरा हो सके।

डॉ.बनवारी लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को आश्वासन देता हूं कि जल्दी ही इस सम्बन्ध में कार्रवाई की जाएगी ।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि जांच करवा ली है। मैं कहना चाहता हूं कि इस बारे में विधान सभा की कमेटी बनाई जाये । मैं दावे के साथ कहता हूं कि दरियावाला, बरसोला, ढांडाखेड़ा, संगतपुरा और जाजवन गांवों में पीने का पानी बिल्कुल भी नहीं है फिर मंत्री जी कैसे कह रहे हैं कि वहां पीने के पानी की कोई समस्या नहीं है । इन गांवों में न तो नहर का पानी जा रहा है और नीचे का पानी भी नहीं है । मिढ्डा साहब ने जो सवाल उठाया है वह बिल्कुल सही है ।

डॉ. बनवारी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने जवाब में यही कहा है कि यदि वहां पीने के पानी की कोई समस्या है तो हम दोबारा से चैक करवाकर ठीक करवा देंगे। मेरे पास जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि वह पाईप ठीक कर दिया गया है।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि यह कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा?

श्री सुभाष बराला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बड़ी अच्छी बात करते हैं और अच्छे सवाल भी उठाते हैं, लेकिन मंत्री जी का पूरा जवाब सुने बगैर ही इस तरह की बात करें यह ठीक नहीं है । मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि इसको दोबारा चैक करवा लेंगे और ऐसी कोई बात हुई तो उसको ठीक करवा देंगे ।

Inauguration of ITI

***1513 Sh. Om Parkash Barwa:** Will the Industrial Training Minister be pleased to state whether it is a fact that new building of Industrial Training Institute in village Khera in Siwani block of Loharu Constituency has been constructed ; if so the time by which the classes are likely to be started therein ?

उद्योग मंत्री (श्री विपुल गोयल): हां श्रीमान जी, कक्षाएं सत्र् 2016–17 से आरम्भ हो रही हैं।

श्री ओम प्रकाश बरवा : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूॅ।

श्री मूल चंद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, बल्लभगढ़ के उंचा गांव में कौशल विकास उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लड़कियों की आई.टी.आई. खोलने के लिए जगह चिन्हित की गई थी । विभाग के डायरैक्टर भी उस जगह को देख आये थे और शहर के बीच में वह जगह है । इसकी बिल्डिंग भी तैयार है लेकिन इस आई. टी.आई. को वहां से उठाकर उंचा माजरा गांव में शिफ्ट कर दिया गया । मंत्री जी कृपा बतायें कि आई.टी.आई. को उंचा माजरा गांव में क्यों शिफ्ट किया गया । जबकि बल्लभगढ में बिल्डिंग भी बनी हुई है, वहां पुलिस चौकी भी है तथा पूरा कैम्पस भी है ।

श्री विपुल गोयल : अध्यक्ष महोदय, जब भी इस तरह का कोई इन्स्टीच्यूट शुरू किया जाता है तो कई तरह के सर्वे होते हैं और जहां बैटर सुविधा होती है वहां पर इन्स्टीच्यूट खोला जाता है । दोनों जगहों की इंसपैक्शन हुई थी, जहां ठीक लगा वहां आई.टी.आई. खोल दी गई । विधायक जी ने जो जिक्र किया है उसके लिए यदि कुछ और करने की जरूरत होगी तो विभाग अवश्य विचार करेगा ।

श्री मूल चंद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, वह जगह बिल्कुल शहर के बीच में है । जो डायरैक्टर उस जगह को देखकर आया था उसने कहा था कि यह जगह लड़कियों की आई.टी.आई. के लिए उपयुक्त है । सबसे पहले वही जगह चिन्हित की गई थी। बाद में जगह चेंज की गई है । वहां की पापूलेशन 22 लाख है । वहां दो आई.टी.आई. हैं । एक सैक्टर–18 में है और दूसरी बल्लबगढ़ में है । दोनो जगह चिन्हित थी तो मेरा कहना यह है कि जब वहां की 22 लाख पापूलेशन है और पूरे भारत के लोग वहां रहते हैं । आई.टी.आई. में 300 लड़कियों को शिक्षा देनी है इसलिए बल्लबगढ़ में लड़कियों की आई.टी.आई. देनी चाहिए ।

श्री विपुल गोयल : अध्यक्ष महोदय, इसका विभाग दोबारा से सर्वे करेगा और वहां पर क्या शुरू किया जा सकता है उस पर विचार किया जायेगा ।

श्री उदय भान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी आई.टी.आई. नहीं है । होडल के अंदर आई.टी. आई. की बिल्डिंग भी बनी हुई है जो खराब होने लग रही है । वहां सरकार का कोई पैसा नहीं लगना केवल स्टाफ की नियुक्ति करनी है । इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि क्या होडल में आई.टी.आई. शुरू की जायेगी ?

श्री विपुल गोयल : अध्यक्ष महोदय, ऐसी डिमांड पहले हमारी जानकारी में नहीं आई थी । इसका हम सर्वे करवा लेंगे यदि पोसीबल होगा तो वहां आई.टी.आई. शुरू कर दी जायेगी । (विघ्न) इसका हम जल्दी ही इंसपैक्शन करवा लेंगे ।

To Take Over the Control of Tubewells

***1482.Shri Balwant Singh:** Will the Minister of State for Public Health Engineering be pleased to state whether it is a fact that the Government provides Rs.11000/- per month to the Panchayats for the payment to tubewell operators and other maintenance works of Government water supply tubewells in villages of Haryana State; if so, whether there is any proposal

under consideration of the Government to take over the control of all the abovesaid tubewells?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री (डॉ. बनवारी लाल) : श्रीमान् जी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ग्राम पंचायतों को संयुक्त 11000/– रुपये, 15000/– रुपये, 20000/– रुपये, 24000/– रुपये, 29000/– रुपये तथा 33000/– रुपये की राशि प्रतिमास क्रमशः एकल गांव की एक नलकूल से एकल गांव की छह नलकूपों वाली योजनाओं के संचालन तथा रखरखाव के लिए जिसमें नलकूप संचालक का वेतन शामिल होता है प्रदान कर रहा है।

पहले से सौंपी गई नलकूपों पर आधारित एकल गांव योजनाओं का नियंत्रण वापिस लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री बलवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सढ़ौरा ऐसा हल्का है जिसमें 250 से ज्यादा ट्यूबवैल्ज हैं और जिनमें से 100 से ज्यादा ट्यूबवैल्ज का कंट्रोल पंचायतों को दिया हुआ है। यदि उन ट्यूबवैल्ज में कुछ कमी आ जाती है और पंचायतों से बात करते हैं तो कहा जाता है कि उनके पास ठीक करवाने के पैसे नहीं हैं । जो पंचायत को 11 हजार रुपये दिए जाते हैं पता नहीं पंचायत उनको कहां खर्च करती है? उसके बाद एक्सियन और एस.डी.ओ. को कहना पड़ता है । अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इन ट्यूबवैल्ज का कंट्रोल विभाग अपने पास ले ले क्योंकि पंचायतें उन ट्यूबवैल्ज का रख रखाव प्रॉपर नहीं करती । इसके अतिरिक्त गांवों में इन ट्यूबवैल्ज को लेकर गुटबाजी बनी रहती है और झगड़े भी बहुत होते हैं। ऐसा करने से उनसे भी निजात मिलेगी ।

डॉ. बनवारी लाल : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार पंचायतों को शक्ति और जिम्मेवारी देने के लिए ऐसा किया गया है । इसमें पंचायत द्वारा केवल छोटी–मोटी रिपेयर का काम ही करवाना होता है । बिजली का बिल विभाग द्वारा भरा जाता है । ऑपरेटर और छोटी–मोटी रिपेयर के लिए जो पैसे दिए जा रहे हैं वे उपयुक्त हैं ।

श्री बलवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, इससे गांव में बहुत तनाव रहता है । अध्यक्ष महोदय, आपका हल्का भी मेरे हल्के के साथ जुड़ा हुआ है । हमारा सारा एरिया

ट्यूबवैल बेस्ड है । हर गांव में एक या दो–दो ट्यूबवैल हैं । हर गांव में इसी बात का विवाद रहता है कि सरपंच एक ऑपरेटर को हटाकर दूसरे को लगा रहा है और रिपेयर का काम भी ठीक से नहीं करवा रहा । मेरा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इन ट्यूबवैल्ज का कंट्रोल सरकार अपने हाथ में ले ले ताकि गांवों में पीने के पानी की सुचारू रूप से व्यवस्था हो सके ।

डॉ. बनवारी लाल : अध्यक्ष महोदय, यह कार्य भारत सरकार की पॉलिसी के मुताबिक किया गया है । इस बारे में मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा यदि कुछ हो सकता है तो अवश्य करेंगे ।

Construction of Bye-Pass in Pinjore

***1491. Smt. Latika Sharma :** Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct bye-pass of Pinjore; if so, the time by which its construction work is likely to be started togetherwith the details thereof?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : हाँ, श्रीमान् जी। अपेक्षित अनुमान सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के पास प्रक्रिया में है। इस समय कोई समय सीमा प्रतिबद्ध नहीं की जा सकती।

श्रीमती लतिका शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगी कि जो पिंजौर बद्दी सड़क है वह हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को जोड़ती है । लेकिन वहां एक परपोज्ड बाई–पास बनना है जो पिंजौर की लाइफ लाइन है। यह बाई–पास न बनने के कारण वहां पर हर रोज कोई न कोई एक्सीडैंट होता है। इस बाई–पास के लिए हुडा द्वारा जमीन न देने का ईशू सबसे बड़ा था लेकिन अब तो हुडा ने भी जमीन दे दी है । मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि इस पिंजौर बद्दी बाई–पास का कार्य कब तक शुरू किया जायेगा ?

श्री राव नरबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, पिंजौर बाई–पास 7.7 कि.मी. का है । इसका 147 करोड़ रुपये का एस्टीमेटस बनाकर हमने भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ रोड़ एण्ड ट्रांसपोर्ट को भेज दिया है और मुझे उम्मीद है कि सितम्बर महीने में यह

एस्टीमेटस मंजूर हो जायेगा । उसके बाद अगले दो महीने में इसका काम शुरू हो जायेगा ।

श्रीमती लतिका शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री और मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि पिंजौर में बाई–पास बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे रायपुर रानी में भी चार पुल बनाये गये हैं और दून एरिया में भी एक पुल का निर्माण करवाया है । इसके अतिरिक्त मेरे हल्के में पुरानी सड़कों की रिपेयर का कार्य भी करवाया गया है । इसके साथ–साथ मैं यह भी बताना चाहूंगी कि कालका क्षेत्र एक पहाड़ी क्षेत्र है और वहां बिना सड़कों के आना जाना बहुत मुश्किल है । आज के समय में भी पिंजौर के साथ जो रायतन एरिया लगता है उसमें मंगनीवाला पंचायत है जहां पर सड़क ही नहीं है । प्रधान मंत्री सड़क योजना में वह गांव दिया भी हुआ है लेकिन आज तक वह गांव सड़क से नहीं जुड़ा है । इसी तरह से मोरनी एक मात्र पहाड़ी एरिया है जहां पर लोग बहुत परेशानी का जीवन जी रहे हैं। वहां पर सड़क बनाने के लिए फॉरेस्ट विभाग से परमिशन लेनी पड़ती है । फॉरेस्ट मिनिस्टर भी हमारे पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर ही हैं । 80 प्रतिशत फॉरेस्ट का एरिया कालका विधान सभा क्षेत्र में ही आता है । वहां पर बाबा रामदेव जी ने अनिल विज जी के माध्यम से वर्ल्ड लैवल का हरबल फॉरेस्ट बनावाने की घोषणा भी की हुई है ।

श्री अध्यक्ष : लतिका जी, जो आपका सवाल था उसका जवाब मंत्री जी ने कंपलीट दे दिया है । अब आप अलग प्रश्न पूछ रही हैं ।

श्री राव नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को जानकारी देना चाहूंगा कि इनके हल्के में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार के समय में प्रति वर्ष 4.54 करोड़ रुपये सड़कों पर खर्च किए गए । इसी तरह से कांग्रेस के शासनकाल में 9.33 करोड़ रुपये प्रति वर्ष खर्च किए गए। हमारी सरकार ने 22 महीने में 27 करोड़ रुपये इनके हल्के में खर्च किए गए हैं जो औसतन 15.65 करोड़ रुपये प्रति वर्ष बनते हैं । अध्यक्ष महोदय, लतिका जी ने मुझे जिन भी सड़कों के बारे में कहा है वे मैंने बनवाई हैं ।

श्रीमती लतिका शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैंने मंत्री जी का धन्यवाद भी किया है ।

श्री अध्यक्ष : लतिका जी, अब तो मंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट जवाब दे दिया है अब और क्या रह गया है?

श्रीमती लतिका शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारा विधान सभा क्षेत्र कालका अब तक उपेक्षित रहा है और यहां पर कोई काम नहीं हुआ है । हमारे पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग और बी. एण्ड आर. विभाग के कार्यों के लिए वन विभाग से एन.ओ.सी. लेनी पड़ती है जिसमें देरी लगती है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही कहना चाहती हूं कि मंत्री जी आप वन विभाग और बी. एण्ड आर. विभाग में तालमेल बैठायें जिससे दोनों विभागों के कार्य शीघ्र हो सकें ।

श्री भगवान दास कबीरपंथी : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र नीलोखड़ी में करनाल–कैथल रोड पर नीसिंग नाम का कस्बा है । वहां पर ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण बहुत जाम लगता है । मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि जनता को जाम से निजात दिलवाने के लिए वहां पर बाईपास बनवाया जाये ।

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम नीसिंग का सर्वे करवा लेते हैं अगर वहां पर बाईपास वायबल होगा तो हम बनवा देंगे ।

श्री जसबीर देसवाल : अध्यक्ष महादय, मई, 2015 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे विधान सभा क्षेत्र की सड़कों को बनाने की घोषणा की थी जिनमें से एक सड़क जिसको राजा का रोड कहते हैं, वह हाट गांव से जुलाना तक जाती है जो कि कच्ची है। वह सड़क मंजूर हो चुकी है लेकिन अभी तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ है । अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस सड़क पर यथाशीघ्र काम शुरू किया जाये ।

श्री सुभाष सुधा : अध्यक्ष महोदय, कुरूक्षेत्र को पर्यटन में बढ़ावा दे कर हम विश्व के मानचित्र पर लाना चाहते हैं लेकिन वहां पर भारी ट्रैफिक की वजह से जाम लग जाता है । वहां पर एक बाईपास की जरूरत है । मैंने संबंधित ग्राम पंचायतों से जमीन देने बारे प्रस्ताव पारित करवा कर भेज दिये हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बाईपास को जल्दी से जल्दी बनवाया जाये ताकि जनता को जाम से निजात मिल सके।

श्री असीम गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री को बताना चाहूंगा कि एन.एच.ए.आई. और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के 0–5 किलोमीटर तथा 5–11 किलोमीटर तक के दो स्ट्रैच हैं जिनका 34 करोड़ रूपये का बजट बना हुआ है तथा उसको विभाग के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को 3 बार भेजा जा चुका है । इस बारे में मैं स्वयं भी वहां पर मिल चुका हूं । जब बी. एण्ड आर. विभाग में पूछते हैं तो कह दिया जाता है कि फाईल दिल्ली भेजी हुई है तथा हम उसका रख–रखाव करवायेंगे । यह मेरे विधान सभा क्षेत्र की सबसे मुख्य सड़क है जो हिसार हाईवे से गुजरती है । सभी चौंक टूटे पड़े हैं । बी. एण्ड आर. विभाग से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि यह नैशनल हाईवे की है और जब नैशनल हाईवे वालों से पूछते हैं तो वे कहते हैं कि यह सड़क बी. एण्ड आर. विभाग की है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस समस्या का जरूर कोई समाधान किया जाये । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं कुलदीप शर्मा जी को बताना चाहता हूं कि अम्बाला का बुरा हाल भी इनके समधी ने ही किया है । माननीय विनोद शर्मा जी अम्बाला से 10 साल सुपर सी.एम रहे हैं। मुझे कुलदीप शर्मा जी की सहानुभूति की जरूरत नहीं है । मेरे प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिये इनका धन्यवाद । मेरा दूसरा सवाल है कि वहां पर लखनौर साहब है जो गुरू गोबिन्द सिंह जी का ननीहाल है । वह हरियाणा और पंजाब में दसवें गुरू जी से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण स्थान है । सरकार से हमने वहां की सड़कों के लिए 22 करोड़ रूपये की अलग से मांग की है। जब अम्बाला में रैली थी तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहां गये थे जिसमें वे अम्बाला को एक गवर्नमैंट कॉलेज देकर आए थे। सर, हम लखनौर साहब को भी वर्ल्ड टयूरिज्म के नोटिस में लाना चाहते हैं क्योंकि वह गुरू गोबिन्द सिंह जी का ननीहाल है । जिसकी सड़कों के लिये 22 करोड़ रूपये के एस्टीमेटस मंत्री जी के कार्यालय में पड़े हैं । इसलिए अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि आप उनकी ओर भी ध्यान दें । धन्यवाद ।

प्रो. रविन्द्र बलियाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने रतिया में बाई–पास बनानेका प्रश्न लगाया हुआ था, लेकिन मेरे उस प्रश्न को लगाया नहीं गया । मैं बताना चाहता हूं कि मेरा जो प्रश्न है वह रतिया से टोहाना रोड़ पर बाई–पास बनाने का है जिसकी विभाग से रिपोर्ट भी आ गई है । उसके लिये विभाग ने कहा कि हमारे

पास जमीन नहीं है । मैंने विभाग को एक सुझाव दिया था कि वहां पर एक नहर बनी हुई है । उस नहर की एक पटरी को बाई–पास बना दिया जाये।

श्री राव नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, पहला सवाल भाई जसवीर देसवाल जी ने किया जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी लेकिन अभी तक उस पर काम नहीं हुआ । लेकिन मैं उनकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की हैं उन सब पर हमने काम शुरू कर दिया है । अगर फिर भी किसी कारण वश कोई सड़क रह गई हो तो हम उस पर भी जल्दी ही काम शुरू करवा देंगे । सुभाष सुधा जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में बाईपास बनाने की जो मांग की है हम उस पर ध्यान देंगे । जैसा भाई असीम गोयल जी ने कहा है, उसके लिये मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि उनकी जितनी भी सड़कें हैं और जो जायज हैं । जिन सड़कों का ऐस्टीमेट बन गया है हम उन सड़कों का काम तकरीबन तकरीबन इसी फाईनैंशियल ईयर में शुरू करने की कोशिश करेंगे । इधर से भाई नसीम अहमद जी भी बैठे–बैठे कुछ बोल रहे थे । मैं उनसे पूरे सदन के अन्दर एक बात कहना चाहता हूं कि अगर सड़क के मामले में उनको कोई तकलीफ है तो मैं जिम्मेवार हूं क्योंकि मैंने उनके सड़कों से संबंधित सारे कार्य किये हैं ।

श्री अध्यक्ष : नसीम जी, आप मंत्री जी का धन्यवाद कीजिये ।

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो पहले भी इनका धन्यवाद किया है । माननीय मंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन मैं मंत्री जी को कहना चाहूँगा कि वे अपने साथियों को समझाएं। (विघ्न)

Construction of 100% Toilets

*__1622. Sh. Subhash Barala:__ Will the Development & Panchayats Minister be pleased to state “the number of villages in which 100% toilets have been constructed under the Swachh Bharat Yojna togetherwith the amount of grant thereof”?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड): श्रीमान् जी, विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के एकीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (आई0एम0आई0एस0) की रिपोर्ट अनुसार, स्वच्छ भारत योजना के अर्न्तगत हरियाणा राज्य के 21 जिलो की 1368 ग्राम पंचायतों मे 100 प्रतिशत शौचालयों का निर्माण किया गया है। वर्ष 2002–03 से समपूर्ण स्वच्छता अभियान/ निर्मल भारत अभियान/ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अर्न्तगत इन पंचायतों के 83598 लाभार्थीयों को घरेलू शौचालय निर्माण हेतू कुल 37.86 करोड़ रूपये की दी गई है। जिलावार जिन पंचायतों मे शौचालयों का 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है उनका जिलावार विवरण राशि सहित निम्न प्रकार है –

क्रमांक संख्या	जिला	ग्राम पंचायतों की संख्या जिनमें 100 लक्ष्य प्राप्त किया है	इन ग्राम पंचायतों मे शौचालय निर्माण हेतु प्रदान की गई कुल प्रोत्साहन राशि (रूपये लाख मे)
1	अम्बाला	43	45.96
2	भिवानी	67	312.33
3	फरीदाबाद	17	29.71
4	फतेहाबाद	76	130.69
5	गुड़गांव	113	312.87
6	हिसार	31	137.07
7	झज्जर	2	7.88
8	जीन्द	19	60.34
9	कैथल	50	129.02
10	करनाल	67	137.99
11	कुरूक्षेत्र	197	283.13
12	महेन्द्रगढ़	48	158.52
13	मेवात	22	100.28
14	पलवल	8	65.36
15	पंचकुला	6	11.91
16	पानीपत	59	103.55
17	रेवाड़ी	94	304.09
18	रोहतक	6	48.68
19	सिरसा	222	503.32
20	सोनीपत	32	64.99
21	यमुनानगर	189	838.42

कुल	**1368**	**3786.11**

श्री सुभाष बराला : अध्यक्ष महोदय, सदन के पटल पर जो रिपोर्ट रखी गई है उसमें दर्शाया गया है कि वर्ष 2002–03 से स्वास्थ्य अभियान शुरू हुआ था । उसको लगभग 14 साल हो गये हैं । लेकिन 14 साल में अभी केवल 1368 गांव ही स्वच्छता की सूची में आए हैं जिनमें 100 प्रतिशत शौचालयों का निर्माण हुआ है । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आपके नेतृत्व में जो विभाग चल रहा है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षित पंचायतों का क्रान्तिकारी कदम उठाया था जिससे आज शिक्षित पंचायतें आ गई । इन लोगों में काम करने की बड़ी कैपेसिटी है, काम करने का बड़ा जजबा है और काम करने का अपना कोई तरीका भी होता है इसलिए इतने काबिल लोगों के आने के बाद मैं जानना चाहता हूं कि विभाग के पास क्या ऐसी कोई योजना है जिसके माध्यम से इनको प्रोत्साहन देकर जल्दी से जल्दी 100 प्रतिशत गांवों को हरियाणा की स्वच्छता सूची में लेकर आया जा सके ।

श्री ओम प्रकाश धनखड : माननीय अध्यक्ष जी, आज हमारे पूरे देश और प्रदेश के सामने बहुत ही महत्व का बिन्दु है कि हम तेजी के साथ पूरे हरियाणा को स्वच्छ भी करें और बाहर शौच जाने की जो आदत है उससे भी मुक्त कराएं । पूरी दुनिया में यह चिन्ता है और अपने यहां हरियाणा में भी यह चिन्ता है कि कोई भी शौच के लिये बाहर न जाए क्योंकि बाहर शौच जाना सेहत के लिये अच्छा नहीं है । गांव में अगर कुछ लोग भी बाहर शौच के लिये जाते हैं तो वह सारे गांव के लिये बीमारी का कारण बन सकते हैं । इसलिये बहुत लग्न के साथ भारत के प्रधानमंत्री ने वर्ष 2019 तक संपूर्ण भारत वर्ष को स्वच्छ भारत बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है जबकि हरियाणा प्रदेश ने वर्ष 2017 तक इस लक्ष्य में अपने संपूर्ण सहयोग के साथ भागीदार होकर प्रधानमंत्री जी के इस सपने का साकार करने का लक्ष्य रखा है। बावजूद थोड़ी धीमी गति के हम इस लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर प्रगतिशील हैं और हमारी यह भरपूर कोशिश है कि जितने भी हमारे गांव, पंचायतें, जिले या ब्लॉक हैं वे जल्द से जल्द ओपन डिफिकेशन फ्री अर्थात् ओ.डी.एफ. हो जायें अर्थात पूरी तरह से घर से बाहर शौच करने जाने वाली आदत से मुक्त हो जायें। अध्यक्ष महोदय, हमने इस कार्य में बहुत बड़ी सफलता हासिल भी की है। यह ठीक है कि यदि एक भी घर या भवन शौचालय रहित होगा तब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा लेकिन यह बात भी सच है कि अब स्वच्छ भारत योजना के तहत बहुत से इलाकों में शौचालय सुविधा के क्षेत्र में 99 प्रतिशत तक सफलता प्राप्त की जा चुकी

है और यहां के निवासियों ने बाहर शौच करने की आदत को त्याग दिया है। वर्तमान में 2362 गांव तथा 2071 पंचायतें ऐसी हैं जहां के निवासियों ने बाहर शौच करने की आदत को बिल्कुल त्याग दिया है। इसके अतिरिक्त दूसरी जगहों पर भी शौचालय सुविधा सर्वजन को उपलब्ध करवाने के क्षेत्र में भी प्रशासन निरंतर गतिमान है। हमारे पास उपलब्ध आंकड़ों व सूचनाओं के हिसाब से हम बहुत जल्द दो जिलों नामतः जिला सिरसा तथा जिला पंचकुला को ऐसे जिले घोषित करने जा रहे हैं जहां पर कोई भी व्यक्ति शौच के लिए बाहर नहीं जाता है। इसके अतिरिक्त आज प्रदेश में 13 ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर लोगों ने बाहर शौच जाने की आदत को छोड़ दिया है और इस प्रकार शौचालय से संबंधित पूरी संख्यावली के मद्देनज़र मुझे सदन में यह बात बताने पर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इस सुविधा के लिए जो लक्ष्य हमने रखा था उस लक्ष्य के हिसाब से सपूर्ण हरियाणा के लगभग एक तिहाई हिस्से में हम शौचालय की सुविधा प्रदान कराने के निर्धारित लक्ष्य के नज़दीक पहुच गए हैं और जो दो तिहाई हरियाणा प्रदेश इस सुविधा से वंचित है वहां पर भी यह सुविधा जल्द से जल्द लोगों को सुलभ हो सकेगी क्योंकि जब विषय अभियान के रूप में चला करता है तो आगे चलकर वह एक मिशन का रूप ले लेता है और लोग जागरूकता के साथ स्वयसेवी भाव से उस मिशन रूपी अभियान के साथ संलग्न हो जाते है और इस प्रकार का जो कार्य या अभियान होता है उसके परिणाम बहुत तेजी के साथ निकलकर लोगों के सामने आते हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार की प्राथमिकता भी इस कार्य को द्रुत गति के साथ करते हुए लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करने की रही है। अध्यक्ष महोदय, शौचालय बनाना और उसका प्रयोग करना दो अलग–अलग विषय है। शौचालय बनाने का अभियान बहुत पहले का चला हुआ है लेकिन सफल नहीं हो सका क्योंकि कहीं न कहीं लोगों में शौचालय प्रयोग करने की आदत को नहीं लगाया जा सका था। लोग शौचालय का निर्माण करने के बावजूद उसमें बकरियां बांध लेते थे, तुड़ा या चारा डाल देते थे क्योंकि लोग शौचालय प्रयोग करने के अभ्यास से रहित हुआ करते थे। लेकिन अब शौचालय अभ्यास ने शनैः शनैः आदत का रूप धारण कर लिया है। वर्तमान में शौचालय महिलाओं के लिए आदर का विषय बन गया है और इसका साक्षात उदाहरण बहुत सारे टी.वी. पर दिखाये जाने वाले वें विज्ञापन भी है जिनमें पत्नी को सिर्फ इसलिए रूठ कर पीहर जाते हुए दिखाया जाता है क्योंकि उसके पति ने घर में शौचालय नहीं बनवाया होता है और पत्नी द्वारा अपने पति को

यह बात भी साफतौर से कहते हुए दिखाया जाता है कि आप मेरे मान सम्मान के लिए इतना कुछ कर रहे हैं लेकिन आपने शौचालय नहीं बनवाया है? आप शौचालय जरूर बनवाईये। इसी परिपेक्ष्य में आगे बढ़ते हुए मैं एक बात सदन को बताना चाहूँगा कि अभी पिछले दिनों छत्तीसगढ़ राज्य में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री जी ने एक बुजुर्ग महिला के केवल इसलिए चरण छुए थे क्योंकि उसने अपनी बकरियां बेचकर शौचालय बनवाया था और केवल अपना शौचालय बनवाया ऐसी बात भी नहीं थी उस बुजुर्ग महिला ने ऐसा करके पूरे गांव को एक तरह से मोटिवेट किया था कि आप सभी लोग भी घर में शौचालय जरूर बनवाईये। अध्यक्ष महोदय, हर घर शौचालय सहित की अवधारणा पर चलते हुए हरियाणा प्रदेश को स्वच्छ वातावरण प्रदान करना हमारी सरकार का लक्ष्य है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला खटकः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी अच्छी बात कह रहे हैं लेकिन विडम्बना तो यह देखिये कि राजीव गांधी स्टेडियम, रोहतक में जहां पर हम घूमने जाते हैं, हम ही नहीं काफी बड़ी तादाद में लोग इस स्टेडियम में घूमने जाते हैं लेकिन यहां का जो सार्वजनिक शौचालय हैं उसको सरकार/प्रशासन की तरफ से ताला लगवा दिया गया है। एक तरफ सरकार ढ़ोल पीट रही है कि शौचालय का प्रयोग करो दूसरी तरफ सार्वजनिक शौचालय में ताला तक लगवा दिया जाता है। यह दोहरा मापदंड किसी भी सूरत में मान्य नहीं होगा। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप किसी भी विश्वसनीय सूत्र से इस बात का पता लगवा सकते हैं। अगर मेरी बात झूठी हुई तो जो सजा आप मुकर्रर करोगे मैं उसके लिए तैयार रहूंगी।

श्री अध्यक्षः शकुंतला जी, सार्वजनिक शौचालय पर ताला लगाया गया है?

श्रीमती शकुंतला खटकः अध्यक्ष महोदय, मैं सार्वजनिक शौचालय की ही बात कर रही हूँ। (विघ्न)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, सदन में हमारी बहन श्रीमती शकुन्तला खटक बलिष्ठ एवं दमदार विधायिका है। मैं माननीय विधायिका को कहना चाहता हूँ कि ये सर्वदलीय शौचालय नहीं है बल्कि ये सार्वजनिक शौचालय हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला खटकः अध्यक्ष महोदय, मैंने सार्वजनिक शौचालय की बात कही है, सर्वदलीय शौचालय की नहीं।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इस तरह से महिलाओं का मज़ाक नहीं उड़ा सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला खटकः अध्यक्ष महोदय, इस तरह से बिना बात के दलित महिला का मज़ाक उड़ाया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः राम बिलास शर्मा जी, हाउस में जो शौचालय हैं, वे सर्वदलीय शौचालय हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला खटकः अध्यक्ष महोदय, राम बिलास शर्मा जी, इस तरह से मजाक करेंगे मुझे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं बहन शकुन्तला खटक का बहुत आदर करता हूँ। अन्य माननीय सदस्य तो मेरी बहन शकुन्तला खटक को भड़का रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः बहन शकुन्तला जी, ऐसी कोई बात नहीं है, कृपया करके आप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला खटकः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा से कहना चाहती हूँ कि जब राम बिलास शर्मा जी पहली बार सदन में आए थे तो उस समय बड़ी जोर–शोर से बोलते थे, लेकिन अब उनकी आवाज मंदी हो गई है। सारे सदस्यगण राम बिलास शर्मा जी की वही आवाज सदन में सुनना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुभाष बरालाः अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैंने सदन में यह सवाल किया था कि सार्वजनिक शौचालयों को प्रोत्साहन देने के लिए किस प्रकार की योजनाएं शुरू की गई है। अध्यक्ष महोदय, लगभग 2362 ग्राम पंचायतों समेत पंचकुला और सिरसा जिले को सम्पूर्ण ओ.डी.एफ. बनाने की घोषणा के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं समस्त मंत्रीगण को साधुवाद। अध्यक्ष महोदय, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का एक लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी देश को स्वच्छ भारत घोषित किया जाए। इसमें हरियाणा प्रदेश तेज गति से बढ़ रहा है, इसके लिए सरकार को पुनः धन्यवाद। लेकिन अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण समस्या यह है कि बहुत सारे गांवों में जोहड़ों की जमीनें होती थी और उसमें गंदे पानी की निकासी होती थी। अध्यक्ष महोदय, जनस्वास्थ्य विभाग भी अच्छी मात्रा में पानी उपलब्ध करवाता है। पानी को

रोकने के लिए लोगों में जागरूकता नहीं बन पाई है, जिसके कारण पानी वेस्ट चला जाता है। इस तरह से बहुत से गांवों में वेस्ट पानी फैला रहता है और सबसे बड़ी समस्या यह है कि निकासी के लिए बहुत से गांवों में कोई स्थान नहीं है जिसको वहाँ इक्ट्ठा या स्टोर किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के दो गांव ललौदा और जाखल मण्डी ऐसे हैं जिनमें पानी की निकासी के लिए कोई जगह नहीं हैं। ललौदा गांव में एक बस्ती ऐसी है जहां बाजीगर समुदाय के लोग रहते हैं। बस्ती चारों साईड से बिल्कुल ब्लॉक्ड है। बस्ती के दूसरी तरफ सड़क से बाहर पानी की निकासी के लिए एक फीट भी कोई जमीन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सरकार की महत्वपूर्ण योजना के कारण अब पढ़े–लिखे सरपंच चुनकर आए हैं और उनमें एक अच्छा काम करने का जज्बा है कि गांव में जो पंचायत की जमीन है उसको पानी की निकासी के लिए इस्तेमाल करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जो इस प्रकार के गांव हैं उनमें पानी की निकासी के लिए अगर ग्राम पंचायत दूसरी जगह जमीन देती है तो उसमें स्वच्छ भारत अभियान को बड़ी सफलता मिलेगी इसलिए इस प्रकार गांवों को चिन्हित करके पानी की निकासी का प्रबंध किया जाये। एक चीज इसमें यह है कि प्रोत्साहन के लिए आप इसमें क्या–क्या योजना लेकर आए हैं।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष जी, कुरूक्षेत्र में पुलिस भर्ती के फिजिकल टेस्ट के लिए सुबह 5 बजे का टाइम रखा हुआ था । इसलिए बहुत से बच्चे पुलिस भर्ती के लिए ... (विघ्न)

श्री सुभाष बराला : अध्यक्ष जी, इसमें पुलिस भर्ती की बात कहां से आ गई ? हमारा आपसे निवेदन है कि आप हर सदस्य के लिए समय का बराबर बंटवारा कीजिए ।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष जी, वहां सुलभ शौचालय बने हुए थे मगर उनको ताला लगा दिया गया । वह गलत बात थी । संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए । (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष जी, बहन शकुंतला खटक और संधू साहब ने सदन में बहुत अच्छी बात उठाई है । हम टोटल ओ.डी.एफ. की तरफ जा रहे हैं । हमारे सभी विभागों को अपने शौचालय खुले रखने चाहिएं । इस बारे में मैं सभी विभागों को पत्र लिखूंगा कि उन्हें शौचालयों को खुला रखना चाहिए क्योंकि शौचालय पर ताला लगा होने से लोग उसके बराबर में ही शौच करना शुरू कर

देते हैं । हम चाहते हैं कि लोगों को खुले में शौच करने की आदत से छुटकारा मिले और शौचालय की अवेलेबिलिटी भी सर्वसुलभ हो । दूसरा भाई सुभाष बराला के सवालों के जवाब में मैं बताना चाहूंगा कि जो गांव पूरी तरह से खुले में शौच करने से मुक्त हो चुका है उसे हम एक लाख रूपये ईनाम देंगे और जो ब्लॉक खुले में शौच करने से मुक्त हो चुका है उसे हम 5 लाख रूपये ईनाम देंगे । (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल : आप हमें बताइये कि आपने इस योजना के लिए कितने पैसे खर्च किये हैं ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्रीमती गीता भुक्कल को इस तरह से मंत्री जी के जबाव के बीच में उठकर नहीं बोलना चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष जी, यह सदन में गलत परम्परा पड़ रही है । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष जी, मैं सदन की कार्यवाही के बीच में खड़ी नहीं हो रही हूं । (शोर एवं व्यवधान) आप महिला सदस्यों का माइक ओन ही नहीं करवाना चाहते । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बहन जी, आपको अभी बोलने की परमिशन नहीं दी गई थी । इसलिए आपका माइक नहीं चल रहा है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष जी, इसी तरह से हमने अगर कोई पूरा जिला ओ. डी.एफ. होता है तो उसके लिए 20 लाख रूपये की राशि रखी है । हमने 15 अगस्त से एक योजना शुरू की है जिसके तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार देने का काम शुरू किया है । माननीय प्रधान मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री स्वच्छता अभियान को प्रोत्साहन देने के लिए काफी प्रयास कर रहे हैं । सदन में बैठे हुए हम सभी सदस्य अपने–अपने क्षेत्र में समाज को लीड करते हैं । इसलिए हम सबको इस मिशन का एक हिस्सा बनना चाहिए । माननीय सदस्य श्री सुभाष बराला और श्री जय प्रकाश ने लिक्विड वेस्ट मैनेजमैंट की बात उठाई है कि पहले गांवों के बीच में जोहड़ बने हुए थे । इनमें गांव का थोड़ा–बहुत पानी आकर इकट्ठा हो जाता था । अब गांवों में निकलने

वाले पानी की मात्रा पहले से काफी बढ़ चुकी है । जो जोहड़ बीच में थे वे गांव के चारों तरफ फैल चुके हैं । हम सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के तहत उन जोहड़ों को भर नहीं सकते बल्कि इन्हें किसी दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया जा सकता है । अतः सरकार ऐसे जोहड़ों को दूसरे स्थान पर भेजने के लिए प्रयास कर रही है । हम लिक्विड वेस्ट मैनेजमैंट के तहत 3 पौंड और 5 पौंड सिस्टम को अपनाकर आगे बढ़ रहे हैं । हम इस योजना को हर गांव तक ले जाना चाहते हैं । हम पहले चरण में कुछ गांवों में इस योजना के तहत काम करके प्रयोग करना चाहते हैं कि यह योजना कितनी सफल हो सकती है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना में आगे एक और बात जोड़ी है कि अगर तालाबों से पानी नहीं रूकता है तो उन सभी तालाबों को ड्रेन तक जोड़ने का भी प्रपोजल है । आजकल पानी की मात्रा ज्यादा हो गई है क्योंकि घर घर नल आ गये हैं और ज्यादा समय पानी निकलता है । इस कारण से ग्रामीण क्षेत्र में पहले पानी कम था लेकिन अब बढ़ गया है । इसलिए ज्यादा पानी का ड्रेन तक पहुंचाया जाए और ग्रामीण क्षेत्र को इस समस्या से छुटकारा दिलाया जाए, इस रास्ते पर यह सरकार आगे बढ़ रही है ।

श्री सुभाष बरालाः अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा है कि जिन गाँवो में पानी ड्रेन आऊट करने के लिए या पानी स्टोर करने के लिए जोहड़ों के नजदीक जमीन उपलब्ध नहीं है । क्या उन तालाबों को पंचायत की जमीन जहां दूर पड़ती है उसको वहां ट्रांसफर करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः अध्यक्ष महोदय, बराला साहब ने मेरे बात शायद सुनी नहीं मैंने इसके लिए हां की है । हम ऐसा पहले भी कर चुके हैं । मैंने यह कहा है कि किसी भी जोहड़ की जमीन को दूसरी जगह ट्रांसफर करके हम कोई व्यवस्था कर सकते हैं । यह सरकार बनने के बाद हम कुछ जोहड़ों की जमीन को ट्रांसफर कर चुके हैं और ग्रामीण क्षेत्र से बाहर निकाल चुके हैं ।

श्री सुभाष बरालाः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का इसके लिए धन्यवाद करता हूं।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः स्पीकर सर, श्री सुभाष बराला जी ने जो प्रश्न पूछा है और इनकी सरकार का स्लोगन भी है कि equal and equitable distribution. Regional discrimination के खिलाफ शर्मा जी और इनकी सरकार बहुत कुछ कहती है । Fortunately or unfortunately माननीय मंत्री जी का और मेरा एक ही जिला झज्जर है । लेकिन झज्जर जिले में शौचालयों

के निर्माण पर जो खर्चा है वह 7.88 लाख रूपये है और यमुनानगर में 838.42 लाख़ रूपये है । मेरा यह कहना नहीं है कि यह खर्चा वहां ज्यादा क्यों है । But it is a clear cut regional discrimination while the slogan of the government is equal and equitable distribution. (Interruption)

श्री घनश्याम दासः अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के समय में यमुनानगर जिला उपेक्षित रहा है और वर्तमान सरकार यमुनानगर के विकास के लिए ज्यादा पैसा दे रही है तो माननीय सदस्य को इस ज्यादा विकास के लिए चिन्ता नहीं करनी चाहिए। माननीय सदस्य को सरकार का धन्यवाद करना चाहिए ।

डॉ0 अभय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री कादियान जी को कहना चाहता हूं कि यह बात लम्बी चल जायेगी इसलिए इस विषय पर फिलहाल चर्चा न करें । इस विषय पर कहने के लिए बहुत कुछ है।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः स्पीकर सर, रीजनल डिसक्रिमिनेशन इलाका वाईज क्यों हो रहा है? झज्जर भी बहुत बड़ा जिला है । (शोर एवं व्यवधान)

Shri Ram Bilas Sharma: Speaker Sir, this is Question Hour and there is difference between Question Housr and Zero Hour. There is specific question asked by our Hon'ble Member. He can ask supplementary question. Being an Ex-Speaker सारे क्वैश्चन आवर को घालमेल कर देना ठीक नहीं है।

Dr. Raghuvir Singh Kadian: Speaker Sir, there is a regional discrimination and I want to know from the Hon'ble Minister about this.

श्री केहर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के हथीन ब्लॉक में शौचालयो के निर्माण में बहुत भारी घोटाला हुआ है । मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि इस मामले की जांच कराई जाये । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनने की कोशिश की जाए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चन्द गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य बोलने के लिए हाथ उठाता है उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए । मैं कितनी देर से बोलने का समय

देने के लिए हाथ उठा रहा हूं मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़: अध्यक्ष महोदय, मेरा और कादियान साहब का जिला एक है ।

श्री करण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, जो भी माननीय सदस्य खड़े होकर बोलते हैं वे चेयर को ऐड्रैस करें । हमारी तरफ इशारा करके न बोलें ।

श्रीमती कविता जैन: अध्यक्ष महोदय, आप हमारे और इनके बीच में पर्दा लगवा दो । फिर इनको दिक्कत नहीं आएगी ।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, पर्दा क्यों लगवाओ, वे माननीय सदस्य बुर्का पहन कर आ जायेंगे क्योंकि उनकी नजर हमारे से हटती ही नहीं है ।

श्री ओम प्रकाश धनखड़: अध्यक्ष महादेय, मैं क्या करूं इन माननीय सदस्य का तो यह हाल है कि एक गाना है कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देखें । यह जो प्रोग्राम है यह 100 फीसदी सभी जिलों के लिए है । जहां जहां भी जितने पैसे की जरूरत होगी हम वहां पैसा देंगे । वैसे 87 प्रतिशत शौचालय तो लोगों ने पहले ही बनाये हुए है । हर जिले की सिचुएशन और जरूरत के हिसाब से शौचालय बने और बढ़े हैं लेकिन पंचायत मंत्री होने के नाते मैं इस सदन को आश्वस्त करता हूं कि जिस भी जिले में शौचालय बनाने के लिए जितने भी बजट की आवश्यकता होगी हम उसको 100 परसैंट देंगे । हम पूरे हरियाणा को ओ.डी. एफ. बनाना चाहते हैं इसलिए कहीं भी बजट की कमी हम नहीं रहने देंगे ।

श्री ज्ञान चंद गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मंत्री जी ने कहा कि पंचकुला जल्दी ही ओ.डी.एफ. बनने जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, पंचकुला का ग्रामीण एरिया ओपन शौच मुक्त हो चुका है लेकिन पंचकुला में 50 हजार लोग ऐसे हैं जो प्रवासी हैं । वे मजदूर लोग हैं और लेबर कालोनी में रहते हैं और खुले में शौच जाते हैं क्योंकि उनके लिए कोई शौचालय नहीं हैं । जब तक पंचकुला में सार्वजनिक शौचालय नहीं बनते तब तक पंचकुला ओपन शौच मुक्त नहीं हो सकता। पंचकुला में इस काम के लिए 7 करोड़ रूपये लगे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जैसे गांवों के लिए फण्ड दिए जाते हैं वैसे ही फण्ड पंचकुला में सार्वजनिक शौचालय बनाने के लिए अलग से दिए जाएं ताकि पंचकुला में सार्वजनिक शौचालय बनाए जा सकें ।

श्री ओम प्रकाश धनखड़: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि यह प्रश्न शहरी क्षेत्र का है ।

.....

Construction of New Bus Stand in Kalanwali

***1500. Sh. Balkaur Singh :** Will the Transport Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct New Bus Stand at Kalanwali Town in District Sirsa; if so, the details thereof ?

परिवहन मन्त्री (श्री कृष्ण लाल पंवार): श्रीमान् जी, हाँ।कालांवाली में नये बस स्टैण्ड के निर्माण के लिए सरकार द्वारा 306.68 लाख रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 30.06. 2016 को प्रदान की गई है। निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा शीघ्र शुरू कर दिया जायेगा।

श्री बलकौर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि ठीक है कालांवाली कस्बे में नए बस अड्डे की घोषणा हो चुकी है और इसके लिए पैसा रिलीज हो गया है, लेकिन मैं यह पूछना चाहूंगा कि यह पैसा कब तक रिलीज हो जाएगा ?

श्री कृष्ण लाल पंवार: अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की उदारता है कि कालांवाली में बस अड्डे की अनाउंसमैंट 20.7.2015 को की गई थी । मुख्यमंत्री महोदय ने 25.8.2016 को इसकी आधारशिला रखी थी । इसका निर्माण कार्य अक्टूबर, 2016 से हम शुरू कर देंगे और अक्टूबर, 2017 तक हम इस बस अड्डे को बनवाकर तैयार करवा देंगे ।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, हमारे तोशाम का बस अड्डा बन कर तैयार हो गया है । उसका सारा काम हमने करवा दिया था लेकिन वह ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि इसके उद्घाटन के लिए कब आ रहे हैं ।

Construction of Road

11:00 बजे

***1519. Smt. Naina Singh Chautala** : Will the Agriculture Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to metal the road from village Pipli to village Asir; if so, the details thereof ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड): जी नहीं, श्रीमान; इसलिए प्रश्न के इस भाग का सवाल ही नहीं उठता। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने गांव पिपली से गांव असीर तक पक्की सड़क के निर्माण का निवेदन किया है । माकर्टिंग बोर्ड की सड़के बनाने के लिए कुछ शर्ते तय होती हैं कि मंडी का रास्ता छोटा होता है या नहीं । विभाग ने जो जानकारी मुझे दी है उसके हिसाब से इस सड़क को बनाने से मंडी का कोई रास्ता छोटा नहीं होता इसलिए इस सड़क के निर्माण को मना कर दिया गया है । अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात का उल्लेख जरूर करना चाहूंगा कि जब हम इस प्रश्न को डिसकस कर रहे थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप तो मंडी के रास्ते पर आकर अटक जाते हैं लेकिन राव नरबीर जी बिना अटके ही सड़कें बना देते हैं इसलिए मैं माननीय बहन नैना चौटाला जी को कहना चाहूंगा कि वे इस सड़क के निर्माण का प्रश्न राव नरबीर जी के महकमे की तरफ सरका दे ंतो उनकी यह सड़क बन जाएगी ।

श्रीमती नैना चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि हमारे यहां की पिपली से असीर तक की सड़क के अलावा 15 सड़कें और हैं जो मार्किटिंग बोर्ड के माध्यम से बननी हैं इसलिए क्या उन पर विचार करेंगे कि ये सड़कें बनेंगी या नहीं । इनमें से कोई सड़क दो किलोमीटर की है तो कोई सड़क 5 किलोमीटर की है । ये सड़के हैं पन्नीवाला से ंरूलदू, रूलदू से मिठणी, खोखर से नोरंग, नोरंग से पंजाब बोर्डर, मसीता से सांवतखेड़ा, सांवतखेड़ा से मांगियाना, भूखावाली से शेरगढ़ और नूहियावाली से खाईशेरगढ़ आदि।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या के विधान सभा क्षेत्र में मार्केटिंग बोर्ड द्वारा विकास कार्य किए जा रहे हैं । इनके क्षेत्र में हम दस सड़कें नई बना रहे हैं । वे सड़कें हैं खोखर से असीद, झोटावाली से लोहगढ़, मोनावाली से मोदी, डबवाली से डोमावाली, पुलाव से घूबाना, हमीदपुर से दरियावाली,

मडीयाणा से हबीयाणा, शेरगढ़ से मस्तीन, पिपली से जलालना । इसके अतिरिक्त भठिंडा बाई–पास से जो चौटाला वाला रोड़ है उसको भी बनाया जा रहा है । इतनी नई सड़कें हमने शायद दूसरे किसी विधान सभा क्षेत्र में नहीं बना रहे जितनी इनके यहां बनाई जा रही हैं । इसके अतिरिक्त 13 सड़कों की इनके यहां मरम्मत भी कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त डिवैल्पमैंट ऑफ न्यू वैजीटेबल मार्केट एट डबवाली मण्डी और सर्विस रोड़ तथा टॉयलेट आदि का कार्य ओढां मण्डी में किया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण अब प्रश्न काल समाप्त होता है ।

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Upgradation of School

***1510 Sh. Pirthi Singh**: Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Government Girls High School of village Ujhana up to Government Girls Senior Secondary School togetherwith the time by which the abovesaid School is likely to be upgraded?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): नहीं, श्रीमान् जी। गांव उझाना में पहले से ही राजकीय वरिश्ठ माध्यमिक विद्यालय उपस्थित है।

Construction of Lamba Kheri Minor

***1555. Sh. Jai Parkash:** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the Lamba Kheri minor which is to be emanated from Dhamtan distributory; if so, the time by which it is likely to be constructed?

माननीय मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : नहीं श्रीमान् जी; इसलिए प्रश्न के दूसरे भाग का सवाल ही नहीं उठता।

Confication of Ration Wheat Trucks

*1552.Sh. Mool Chand Sharma: Will the Minister of State for Food & Supply be please to state whether trucks carrying ration wheat have been confiscated in district Palwal and Faridabad during the year 2015-16; if so, the name of the persons and officers against whom the action has been taken togetherwith the detail thereof?

खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री (श्री कर्ण देव कम्बोज) हां श्रीमान् जी, पी0डी0एस0 गेहूँ से लदा हुआ ट्रक न0 एच0आर0–37–1337 दिनांक 27.8.2015 को पलवल पुलिस द्वारा पकडा गया था। इस सम्बन्ध मे एफ0आई0आर0 न0 538 दिनांक 27.8.2015 दर्ज की गई। संबंधित कर्मचारी श्री अभिषेक राणा, उप–निरीक्षक खादय एवं पूर्ति, पलवल को निलंबित करते हुये उसे सख़्त सजा के लिये आरोपित किया गया।

- मुख्य मंत्री उडन दस्ते द्वारा गेहूं से लदे हुए दो ट्रक, ओल्ड फरीदाबाद के पी0आर0 केन्द्र से सम्बन्धित, पकडे गए। एफ0आई0आर0 न0–22 दिनांक 16.1.2016 श्री रमेश कुमार, ट्रक चालक, श्री उदय परिचालक ट्रक न0 एच0आर0 55डबलयू–1718 तथा श्री सुरेश, चालक और श्री विरेन्द्र, परिचालक ट्रक न0 एच0आर0–55 डब्लयू–3706 के विरूद्ध दर्ज की गई। सभी आरोपियों व श्री प्रेम प्रकाश, स्टोर कीपर, कान्फैड को पुलिस द्वारा गिरफतार किया गया। चूंकि उसे सेवानिवृति उपरांत अनुबन्ध आधार पर नियुक्त किया था, इसलिये उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया।

Denotification of Villages

***1558. Shri Jai Tirath:** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether it is a fact that two villages i.e. Rai and Asawarpur had been adopted by the HUDA department in Rai Constituency; if so, whether both the said

villages have been denotified before including in Municipal Corporation?

शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री (कविता जैन): नहीं, श्रीमान् जी।

.....

To Develop a Park in Place of Pond

***1604. Shri Anoop Dhanak :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to develop a park in place of pond in Ward No. 12 of Uklana; if so, the details thereof togetherwith the time by which the said park is likely to be developed ?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन): नहीं, श्रीमान् जी; इसलिए प्रश्न के इस हिस्से का सवाल उत्पन्न नहीं होता।

.....

To Metal the Crop Purchase Center

***1576. Shri Balwan Singh Daulatpuria**: Will the Agriculture Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to metal the crop purchase center in village Dhand of Market Committee Bhattu Kalan in Fatehabad; if so, the time by which it is likely to be metalled togetherwith the details thereof ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड): जी हां, श्रीमान्, फसल खरीद केन्द्र ढ़ाण्ड को सितम्बर, 2017 तक विकसित किये जाने की संभावना है ।

.....

To constitute a Trader Welfare Board

***1581. Sh. Umesh Aggarwal:** Will the Industries and Commerce Minister be pleased to state -

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to constitute Traders Welfare Board in Haryana; if so, the time by which it is likely to be constituted together with the details of facilities to be provided to the traders by the said Board; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government for providing insurance and pension to the traders through the said Board?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) श्री मान। व्यापारी कल्याण न्यास गठित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

Shortage of Teachers

***1589 Sh. Ranbir Singh Gangwa :** Will the Education Minister be pleased to state whether there is shortage of teachers in schools of Haryana; if so, the subjectwise details thereof alongwith the steps taken by the Government to meet out the shortage of teachers?

शिक्षा मन्त्री (श्री राम बिलास शर्मा) : हां, श्रीमान। शिक्षकों के विभिन्न वर्ग के पद खाली हैं। वर्गवार पदों का विवरण पटल पर प्रस्तुत किया जाता है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के विभिन्न पदों पर चयन हेतु प्रार्थना हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजी है जोकि विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियारत है। इस सम्बन्धी विवरण पटल पर प्रस्तुत है।

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकूला ने 12731 प्राथमिक शिक्षकों की चयन सूची भी भेजी थी जिनकी नियुक्ति न्यायालय में मामला विचाराधीन होने और पहचान की जांच के दृष्टिगत अभी लम्बित है।

विवरण

राज्य में शिक्षकों के विभिन्न वर्गो के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रमांक	पद का नाम	विषय	स्वीकृत	रिक्ति
1.	प्राचार्या		1763	508
2.	मुख्याध्यापक		1518	799
3.	प्रवक्ता		34056	12269
		अग्रेंजी	4867	1341
		हिन्दी	4340	1087
		गणित	3983	2062
		इतिहास	2076	227
		राजनैतिक शास्त्र	2188	245
		भूगोल	971	222
		अर्थशास्त्र	1874	407
		समाजशास्त्र	330	87
		मनोविज्ञान	256	46
		भौतिकी	2021	1104
		रसायन विज्ञान	2018	674
		जीव विज्ञान	1402	235
		वाणिज्य	1103	275
		संस्कृत	2876	1267
		पंजाबी	809	386
		कला	1116	1099
		शारीरिक शिक्षा	193	60
		संगीत	135	103

		उर्दू	54	47
		ग्रह विज्ञान	471	338
		कम्पयूटर विज्ञान	452	451
		विषय विशेषज्ञ मुख्यालय में	15	0
		आरक्षित पूल	506	506
		विषय विशेषज्ञ	35	4
		जिला विज्ञान विशेषज्ञ	20	7
		जिला गणित विशेषज्ञ	20	10
4.	टी0जी0टी0 / अध्यापक		18625	9299
		अग्रेंजी	5815	5815
		गणित	2144	0
		समाजिक अध्ध्यन	2196	0
		विज्ञान	5874	2108
		वाणिज्य	0	0
		डी0पी0ई0	2093	1115
		कला	2	0
		संगीत	113	70
		उर्दू	48	47
		गृह विज्ञान	322	131
		खेती बाडी	12	8
		कनिष्ठ विशेषज्ञ	6	5

		(SCERT)		
5.	सहायक शिक्षा अधिकारी		20	6
6.	सी0 एण्ड वी0 अध्यापक		18944	5263
		हिन्दी	2122	0
		कला	4597	1619
		संस्कृत	5896	1556
		पंजाबी	1182	329
		पी0टी0आई0	5112	1738
		दर्जी और	35	21
7.	मुख्य शिक्षक मौलिक विद्यालय		5548	2013
8.	प्राथमिक अध्यापक		38789	8379
	कुल योग		124778	41501

शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के विभिन्न वर्गो (स्नातकोतर शिक्षकों के 8145 पद और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टी0जी0टी0) के 1919 पद) के पदों पर चयन हेतु हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पंचकुला को प्रार्थना भेजी हुई है जोकि निम्नानुसार भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर है –

क्रमांक	पद का नाम	विज्ञापन संख्या/ कैटेगरी	पदों की संख्या	लिखित परीक्षा की तिथि	आपत्ति आंमत्रित करने के लिए उत्तर कुंजी अपलोड की जा रही है	लिखित परीक्षा का परिणाम/ साक्षात्कार

1.	प्रवक्ता संगीत (जिला मेवात को छोड कर अन्य हरियाणा)	5/2015 3	85	29.11.2015 प्रातःकालीन	13.02.2016	
2.	प्रवक्ता संगीत (मेवात संवर्ग)	5/2015 6	3	29.11.2015 सांयःकालीन	08.02.2016	18.04.2016 28.04.2016
3.	प्रवक्ता भूगोल (जिला मेवात को छोड़ कर अन्य हरियाणा)	4/2015 1	101	06.12.2015 प्रातःकालीन	18.03.2016	
4.	प्रवक्ता हिन्दी (जिला मेवात को छोड़ कर अन्य हरियाणा)	4/2015 7	367	27.03.2016 प्रातःकालीन	21.05.2016	
5.	प्रवक्ता अग्रेंजी	4/2015 5	649	27.03.2016 सांयःकालीन	21.05.2016	

	(जिला मेवात को छोड़ कर अन्य हरियाणा)					
6.	प्रवक्ता पंजाबी (जिला मेवात को छोड़ कर अन्य हरियाणा)	4/2015 15	179	03.03.2016 सांयःकालीन	01.04.2016	
7.	प्रवक्ता शारिरिक शिक्षा (जिला मेवात को छोड़ कर अन्य हरियाणा)	4/2015 11	18	04.03.2016 सांयःकालीन	01.04.2016	29.06.2016 साक्षातकार स्थगित
8.	प्रवक्ता समाजशास्त्र (जिला मेवात को छोड़ कर अन्य हरियाणा)	4/2015 17	157	05.03.2016 सांयःकालीन	01.04.2016	
9.	प्रवक्ता	5/2015	446	06.03.2016	21.05.2016	

	कम्प्यूटर विज्ञान (जिला मेवात को छोड़ कर अन्य हरियाणा)	**1**		प्रातःकालीन		
10.	प्रवक्ता गणित (जिला मेवात को छोड़ कर अन्य हरियाणा)	**4/2015 10**	1427	**06.03.2016** सांयःकालीन	**21.05.2016**	
11.	प्रवक्ता अग्रेंजी (मेवात संवर्ग)	**4/2015 22**	8	**08.03.2016** सांयःकालीन	**21.05.2016**	
12.	प्रवक्ता मनोविज्ञान (जिला मेवात को छोड़ कर अन्य हरियाणा)	**4/2015 14**	49	**09.03.2016** सांयःकालीन	**21.05.2016**	
13.	प्रवक्ता गणित	**4/2015 26**	54	**10.03.2016** सांयःकालीन	**21.05.2016**	

	(मेवात संवर्ग)					
14.	प्रवक्ता कला (जिला मेवात को छोड़ कर अन्य हरियाणा)	**5/2015 2**	715	**11.03.2016** सांयःकालीन	**21.05.2016**	
15.	प्रवक्ता राजनैतिक शास्त्र (मेवात संवर्ग)	**4/2015 29**	10	**12.03.2016** सांयःकालीन	**21.05.2016**	
16.	प्रवक्ता वाणिज्य (जिला मेवात को छोड़ कर अन्य हरियाणा)	**4/2015 3**	337	**13.03.2016** सांयःकालीन	**21.05.2016**	
17.	प्रवक्ता इतिहास (जिला मेवात को छोड़ कर अन्य हरियाणा)	**4/2015 8**	398	**13.03.2016** सांयःकालीन	**21.05.2016**	

18.	प्रवक्ता रसायन शास्त्र (मेवात संवर्ग)	**4/2015 19**	24	**14.03.2016** सांयःकालीन	**21.05.2016**	
19.	प्रवक्ता गृह विज्ञान (जिला मेवात को छोड़ कर अन्य हरियाणा)	**4/2015 9**	193	**15.03.2016** सांयःकालीन	**21.05.2016**	
20.	प्रवक्ता भौतिकी (मेवात संवर्ग)	**4/2015 28**	20	**16.03.2016** सांयःकालीन	**21.05.2016**	
21.	प्रवक्ता भूगोल (मेवात संवर्ग)	**4/2015 23**	11	**16.03.2016** सांयःकालीन	**21.05.2016**	
22.	प्रवक्ता उर्दू(मेवात संवर्ग)	**4/2015 34**	15	**16.03.2016** सांयःकालीन	**21.05.2016**	
23.	प्रवक्ता कला (मेवात संवर्ग)	**5/2015 5**	17	**16.03.2016** सांयःकालीन	**21.05.2016**	
24.	प्रवक्ता	**4/2015**	424	**20.03.2016**	**21.05.2016**	

	राजनैतिक शास्त्र (जिला मेवात को छोड़ कर अन्य हरियाणा)	**13**		प्रातःकालीन		
25.	प्रवक्ता अर्थशास्त्र (जिला मेवात को छोड़ कर अन्य हरियाणा)	**4/2015 4**	366	**20.03.2016** सांयःकालीन	**21.05.2016**	
26.	प्रवक्ता वाणिज्य (मेवात संवर्ग)	**4/2015 20**	6	**23.05.2016** सांयःकालीन	**13.06.2016**	
27.	प्रवक्ता इतिहास (मेवात संवर्ग)	**4/2015 24**	2	**23.05.2016** सांयःकालीन	**13.06.2016**	
28.	प्रवक्ता उर्दू (जिला मेवात को छोड़ कर अन्य	**4/2015 18**	8	**23.05.2016** सांयःकालीन	**13.06.2016**	

	हरियाणा)					
29.	प्रवक्ता गृह विज्ञान (मेवात संवर्ग)	**4/2015 25**	**5**	**23.05.2016 सांयःकालीन**	**13.06.2016**	
30.	प्रवक्ता शारिरिक शिक्षा (मेवात संवर्ग)	**4/2015 27**	**2**	**23.05.2015 सांयःकालीन**	**13.06.2016**	
31.	प्रवक्ता पंजाबी(मेवात संवर्ग)	**4/2015 31**	**1**	**23.05.2016 सांयःकालीन**	**13.06.2016**	
32.	प्रवक्ता समाजशास्त्र (मेवात संवर्ग)	**4/2015 33**	**3**	**23.05.2016 सांयःकालीन**	**13.06.2016**	
33.	प्रवक्ता अर्थषास्त्र (मेवात संवर्ग)	**4/2015 21**	**5**	**24.05.2016 सांयःकालीन**	**13.06.2016**	
34.	प्रवक्ता मनोविज्ञान (मेवात संवर्ग)	**4/2015 30**	**2**	**24.05.2016 सांयःकालीन**	**13.06.2016**	
35.	प्रवक्ता संस्कृत (मेवात	**4/2015 32**	**6**	**25.05.2016 सांयःकालीन**	**13.06.2016**	

	संवर्ग)					
36.	प्रवक्ता कम्पयूटर विज्ञान (मेवात संवर्ग)	**5/2015 4**	**5**	**25.05.2016** सांयःकालीन	**13.06.2016**	
37.	प्रवक्ता संस्कृत (जिला मेवात को छोड़ कर अन्य हरियाणा)	**4/2015 16**	626	**15.06.2016** प्रातःकालीन		
38.	प्रवक्ता भूगोल (जिला मेवात को छोड़ कर अन्य हरियाणा)	**4/2015 6**	272	**15.06.2016** सांयःकालीन		
39.	प्रवक्ता संगीत (जिला मेवात को छोड़ कर अन्य हरियाणा)	**5/2015 3**	85	**29.11.2015** प्रातःकालीन	**13.02.2016**	

40.	प्रवक्ता संगीत (मेवात संवर्ग)	**5/2015 6**	**3**	**29.11.2015** सांयःकालीन	**08.02.2016**	**18.04.2016 28.04.2016**

To Hand Over the Inderprasth Colony

*1591. Shri Lalit Nagar: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to hand-over the Inderprasth Colony to the Municipal Corporation Faridabad in Tigaon Assembly Constituency; if so, the details thereof ?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन) श्रीमान् जी, ऐसा एक प्रस्ताव नगर निगम, फरीदाबाद के विचाराधीन है।

To Check Illigal Prenatal Determination Test

*1563. Sh. Jasbir Singh: Will the Health Minister be pleased to state the concrete steps being taken by the Government to check illegal prenatal determination tests in some private hospitals of State?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, बयान सदन के पटल पर रखा गया है ।

वक्तव्य

सरकार द्वारा अवैध प्रसवपूर्व निधार्रण टैस्टों की जॉच को रोकने के लिए उठाए गए ठोस कदम इस प्रकार हैं:–

हरियाणा में रेजिडैंस पहचान पत्र अल्ट्रासांउड करवाने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए आपातकालीन परिस्थिति को छोडकर जरूरी है ।

पी0एन0डी0टी0 और एम0टी0पी0 अधिनियम के तहत मामलों की जॉच करने के लिए मानक परिचालन प्रक्रियाओं का विकास और क्रियान्वयन हरियाणा के स्वास्थ्य, पुलिस और महाधिवक्ता विभागों द्वारा विकसित किए गए मानक परिचालन प्रक्रियाओं का पी0एन0डी0टी0 और एम0टी0पी0 अधिनियम के तहत मामलों की

जॉच करने के लिए कार्यान्यवन किया गया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मत्रांलय, भारत सरकार द्वारा पी0सी0 पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत जिला समुचित प्राधिकारियों के लिए मानक संचालन दिशानिर्देश विकसित किए गए हैं।

5.3.2015 को पी0एन0डी0टी0 के तहत मुखबिर को प्रोत्साहन योजना की राशि को 50,000/– रुपये से बढ़ा कर 1,00,000/–रुपये किया गया है।

पिछले दो वर्षों में मुखबिरों और शिकायतों से प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर अर्न्तराज्य, अन्तर्जिला और जिलों में बार–बार डिकॉय कार्यावाही की गई । जिला समुचित प्राधिकारियां द्वारा 2015–16 में 85 और 2016–17 में जुलाई 2016 तक 73

छापें मारे गए।

जिला टास्क फोर्स की स्थापना उपायुक्त की अध्यक्षता में पी0सी0 एण्ड पी0एन0डी0टी0 अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वयन की समीक्षा और शुरू किए गए मुकद्दमो की प्रगति करने के लिए की गई हैं।

लिंग निर्धारित गर्भपात के लिए एम0टी0पी0 गोलियां और उनके दुरूप्रयोग की बिक्री पर निगरानी रखी जा रही है।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा हरियाणा के पानीपत से राष्ट्रीय कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जोरदार कार्यान्वयन किया गया।

हरियाणा में अल्ट्रासांउण्ड मशीनों के निर्माताओं, खुदरा विक्रेताओं/विक्रेता/अल्ट्रासांउण्ड मशीनों के मिस्त्री/इमेजींग मशीन और दूसरे अन्य उपकरण जा`लिंग चयन करने मे ंसक्षम हैं, का पंजीकरण किया जा रहा है।

सीमा पर लिंग चयन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पड़ोसीराज्यो ंराजस्थान, पंजाब, चडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के साथ नियमित अन्तरार्ज्य समन्वय बैठकें की गईं।

इलेक्ट्रोनिक, प्रिंटमीडिया, संवदेनशील कार्याशालाए ंऔर उनके विभागीय बैठकों के माध्यम से केन्द्रित आईईसी गतिविधयां और जागरूकता अभियान चल रहा।

उपराक्त सभी प्रयासों के कारण हरियाणा के सीआरएस लिंग अनुपात में जुलाई 2015 (868) की तुलना में जुलाई 2016 (892) में 24 अंकों से सुधार हुआ है।

Procedure for Recruitment of HCS (Judicial)

***1483.Sh. Karan Singh Dalal:** Will the Chief Minister be pleased to state: -

(a) whether recruitment on the posts of HCS (Judicial) have been made in the State during the last four years;

(b) if so, the procedure for recruitment of HCS (Judicial) posts in the State;

(c) whether any complaint/suggestion has been received by Government to improve the recruitment procedure in the State togetherwith the details thereof?

मुख्य मंत्री (श्री मनोहर लाल) श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा गत चार वर्शो के दौरान हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के पदों के लिए तीन बार परीक्षा आयोजित की है।

(ख) हरियाणा लोक सेवा आयोग हरियाणा राज्य में समय–समय पर हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक षाखा) के पदों को भरने की प्रक्रिया के लिए प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से आवेदन पत्र आमन्त्रित करता है। प्रत्येक परीक्षा की भर्ती अधिसूचित चयन समिति की सिफारिषों के आधार पर हरियाणा सरकार द्वारा की जाती है। प्रत्येक भर्ती/परीक्षा के लिए प्रक्रिया भी उपर्युक्त अधिसूचना में निर्धारित की जाती है। हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक षाखा) की भर्ती से सम्बंधित काम अधिसूचित चयन समिति के निम्नलिखित सदस्यों द्वारा निश्पादित किया जाता है : –

1. मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीत पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीश जिसमें वरिष्ठतम अध्यक्ष होगा

2. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
3. अध्यक्ष, हरियाणा लोक सेवा आयोग तथा
4. महाधिवक्ता, हरियाणा।

प्रतियोगी परीक्षा निम्नलिखित तीन चरणों में संचालित की जाती है :–

1. प्रारम्भिक परीक्षा
2. मुख्य परीक्षा तथा
3. मौखिक परीक्षा।

(ग) सरकार को भर्ती प्रक्रिया को सुधारने के लिए गत चार वर्शो के दौरान कोई शिकायत/सुझाव प्राप्त नहीं हुए है।

Up Gradation of Schools

***1583. Sh. Ravinder Baliala**: Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the schools of village Boswal and Lamba up to 10+2 in Ratia Assembly Constituency; if so, the time by which these schools are likely to be upgraded?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): नहीं श्रीमान् जी, अतः प्रश्न के इस भाग का कोई औचित्य नहीं।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Number of Posts are Lying Vacant

377. Sh. Ravinder Baliala: Will the Education Minister be pleased to state:-

a) the total number of sanctioned posts of Assistant Professors and Principals in the Government Colleges of the state togetherwith the number of posts lying vacant; and

b) the total number of sanctioned posts of class-III and class-IV employees togetherwith the number of posts lying vacant ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): श्रीमान जी, कथन सदन के पटल पर रखा है।

कथन

वर्तमान में हरियाणा राज्य में 110 राजकीय महाविद्यालय, 1 राज्य पुस्तकालय, 19 जिला पुस्तकालय और 7 उप–मण्डल पुस्तकालय, 2 एन0सी0सी0 मुख्यालय और 20 एन0सी0सी0 यूनिट्स चल रहे हैं। हरियाणा में राजकीय महाविद्यालयों, एन. सी.सी एवं पुस्तकालयों में स्वीकृत पदों और रिक्त पदों की वस्तु–स्थिति निम्न प्रकार से है:–

a)

क्रम संख्या	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे हुये पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1.	**प्राचार्य**	**95**	**23**	**72**
2.	**सहायक प्रोफेसर**	**4112**	**2356**	**1756**
b)	**श्रेणी–3 तथा श्रेणी–4**			
1.	**श्रेणी–3 (पुस्तकालय कॉडर)**	**304**	**88**	**216**
2.	**श्रेणी–4 (पुस्तकालय कॉडर)**	**118**	**63**	**55**
3.	**श्रेणी–3 (एन.सी.सी कॉडर)**	**268**	**170**	**98**
4.	**श्रेणी–4 (एन.सी.सी कॉडर)**	**24**	**14**	**10**
5.	**श्रेणी–3 (महाविद्यालय कॉडर)**	**1266**	**570**	**696**
6.	**श्रेणी–4**	**849**	**400**	**449**

	(महाविद्यालय कॉडर)			

To install Power Transformer

393. Shri Rajdeep Phogat: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to install power transformer of 10 K.V.A. for the Crusher Zone in Kheri Batter Sub-Station; if so, the time by which it is likely to be set up**?**

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) हां श्रीमान, कार्य वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान पूरा हो जाने की सम्भावना है।

Terms and Conditions of Old Age Pension Scheme

381. Sh. Parminder Singh Dhull: Will the Social Justice and Empowerment Minister be pleased to state the latest terms and conditions adopted by the state government for inclusion of a new beneficiary under the old age pension scheme?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी): वृद्धावस्था पेंशन योजना के अधीन एक नए लाभानुभोगी को शामिल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में अपनाई गई शर्तों का विवरण इस प्रकार हैः–

(i) व्यक्ति की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो; तथा

(ii) व्यक्ति हरियाणा राज्य का मूल निवासी है और हरियाणा में रह रहा है; तथा

(iii) उसकी, पति/पत्नी सहित सभी साधनों से वार्षिक आय 2,00,000/–रू0 से अधिक न हो।

अपवाद श्रेणी:

उपरोक्त के अलावा यदि कोई व्यक्ति किसी सरकार अथवा स्थानीय/वैधानिक निकाय या किसी सरकार अथवा स्थानीय/वैधानिक निकाय से वित्तीय

सहायता प्राप्त संगठन से पेंशन प्राप्त कर रहा/रही है, तो वह इस योजना के अन्तर्गत भत्ता प्राप्ति का पात्र नहीं होगा/होगी। ''पैंशन'' की परिभाषा है :–

i) सामाजिक सुरक्षा लाभ देने हेतू सरकारी अधिसूचना में ''पैंशन'' से अभिप्राय आय की प्राप्ति अथवा अन्य स्त्रोत से आय व जिसमें योजनाएं शामिल है:–

* प्रोविडैंट फण्ड, अथवा

** किसी भी स्त्रोत से आय में व्यवसायिक बैंक, वितीय संस्थान अथवा बीमा शामिल हैं ।

To Check the Depleting Water Level

350. Shri Ram Chand Kamboj: Will the Agriculture Minister be pleased to state whether it is a fact that ground water level is depleting in State; if so, the policy formulated by the Government to check the depleting water level togetherwith the benefits of the Policy to the farmers?

कृषि मन्त्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़): श्रीमान् जी, एक विवरणी सदन के पटल पर रखी गई है।

विवरणी

जी हां, राज्य के भू–जल स्तर में गिरावट आ रही है। राज्य में भू–जल के अधिक दोहन को रोकने तथा जल सरक्षंण के उपायों को अपनाने व किसानो को लाभ देने के लिए कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:–

1. "हरियाणा राज्य भूमिगत जल संरक्षण अधिनियम, 2009" लागू किया गया है जिसके अन्तर्गत 15 मई से पहले धान की बिजाई व 15 जून से पहले धान की रोपाई को प्रतिबन्धित किया गया है ।
2. विभाग द्वारा वर्ष 2005–06 से राज्य में कम पानी वाले क्षेत्रों में भू–जल पुनर्भरण के लिये ''त्वरित भू–जल पुनर्भरण'' नामक राज्य योजना

आरम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत मार्च, 2016 तक 682 पुनर्भरण ढांचों का निर्माण किया गया है।

3. विभाग द्वारा सिंचाई जल की बचत के लिये किसानों को टपका तथा फव्वारा सिंचाई ढ़ग अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है । राज्य में वर्ष 2015–16 तक 1,65,166 फव्वारा सयंत्र लगाये जा चुके हैं।

4. जल के रिसाव एवं वाष्पीकरण की क्षति से बचाने के लिये विभाग द्वारा वर्ष 2002–03 से भूमिगत पाईप लाईन प्रणाली के लिये अनुदान दिया जा रहा है। वर्ष 2015–16 तक 2,06,223 हैक्टेयर क्षेत्र में भूमिगत पाईप लाईन बिछाने पर 242.645 करोड़ रूपये खर्च किए गए हैं।

5. लेजर लेवलर द्वारा भूमि समतलीकरण की तकनीकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2007–08 से 2015–16 तक कुल 5150 लेजर लेवलर अनुदान पर किसानों को उपलब्ध करवाये जा चुके हैं।

6. जीरो टीलेज तकनीक को प्रदर्शनों के द्वारा एवं सहायता प्रदान करके विभाग द्वारा बढावा दिया जा रहा है। वर्ष 2001–02 से 2015–16 तक कुल 25,581 जीरो–टिल–सीड–कम–फर्टीलाईजर–ड्रील मशीनें किसानों को अनुदान पर प्रदान की गई हैं।

7. राज्य में प्राकृतिक जल संसाधनों के सरंक्षण के लिए धान की सीधी बिजाई एंव फसल विविधिकरण कार्यक्रम को लागू किया गया है। सीधी बिजाई में धान को रोपण के बजाय सीधे ही खेतों में बोया जाता है जिससे पानी, श्रम व उर्जा की 15– 20 प्रतिशत तक बचत होती है और प्राकृतिक संशाधन संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। फसल विविधिकरण कार्यक्रम के तहत वैकल्पिक फसलें जैसे मक्का, सूरजमूखी एवं गर्मियों की मूंग आदि को ज्यादा पानी लेने वाली धान के सीान पर बढावा दिया जा रहा है।

8. जल स्तर की गहराई एवं गुणवत्ता का आंकलन करने के लिए जिला रोहतक, झज्जर, करनाल तथा कुरूक्षेत्र के सभी 23 खण्डों में डिजीटल वाटर डाटा लोगर्स वर्ष 2011–12 में सीापित किए गये थे। शेष 17 जिलों में भी डिजीटल वाटर डाटा लोगर्स वर्ष 2012–13 में सीापित किये जा चुके हैं।

9. किसानों को भू–जल सरंक्षण तथा सिंचाई के पानी के सदुपयोग बारे शिक्षित करने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाये जा रहे हैं ।

.....

Details of Board and Corporations/government Companies

363. Sh. Karan Singh Dalal : Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the details of Boards and Corporations/ Government Companies working in the State togetherwith their names and location;

(b) details of bodies mentioned above causing losses to the State exchequer togetherwith the amount of losses suffered in the last 10 years; and

(c) Whether the Government intends to close such loss causing bodies mentioned above?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) हरियाणा प्रदेश में 50 बोर्ड, एपेक्स सहकारी प्रसंघ, निगम और सरकारी कम्पनियां कार्यरत है। इनमें से कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत 24, सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के तहत 19 इकाइयां पंजीकृत हैं तथा शेष 7 वैधानिक बोर्ड हैं। इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम व स्थान का विवरण अनुलग्नक–। पर प्रस्तुत हैं।

(ख) इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा हुए नुकसान का विवरण अनुलग्नक–।। पर संलग्न है।

(ग) हरियाणा सरकार के द्वारा सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों मे नुकसान की समीक्षा के उपरान्त इन्हें लाभदायक बनाने के लिए ठोस प्रयास किए जाएंगे।

अनुलग्नक–।

बोर्डों/कम्पनियों/सहकारी संस्थानों की सूची

क्रम संख्या	नाम व पता
1	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लि0 बेज न0 15–20 सैक्टर–4 पंचकूला।
2	हरियाणा बीज विकास निगम लि0, बेज न0 3–6, सैक्टर–2 पंचकूला।
3	हरियाणा भूमि सुधार तथा विकास निगम लि0, बेज न0 1–2, सैक्टर–4 पंचकूला।
4	हरियाणा पुलिस आवास निगम लि0, प्लाट न0 सी–10 सैक्टर–6 पंचकूला।
5	हरियाणा राज्य भण्डारण निगम बेज न0 15–18, सैक्टर–2 पंचकूला।
6	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 एससीओ न0 2427–28, सैक्टर–22–सी, चंडीगढ़।
7	हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक कमजोर वर्ग कल्याण निगम लि0 एससीओ न0 813–14, सैक्टर–22–ए चंडीगढ़।
8	हरियाणा महिला विकास निगम लि0 बेज न0 49–52, सैक्टर–2, शुगरैफड बिल्डिंग, पंचकूला।
9	हरियाणा वन विकास निगम लि0 बेज न0 27–28 सैक्टर–4 पंचकूला।
10	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लि0 बेज न0 13–14 सैक्टर–2 पंचकूला।
11	हरियाणा वित्त निगम लि0 बेज न0 17,18 व 19 सैक्टर–17–ए चंडीगढ़।
12	हरियाणा राज्य औद्योगिक तथा आधारभूत संरचना विकास निगम लि0 न0–सी, 13–14, संस्थागत क्षेत्र, सैक्टर–6, पंचकूला।
13	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लि0, सी–7,ऊर्जा भवन, सैक्टर–6, पंचकूला।
14	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लि0, शक्ति भवन, सैक्टर–6, पंचकूला।
15	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लि0 सी–16, विद्युत सदन, सैक्टर–6 पंचकूला।
16	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लि0 विद्युत सदन , विद्युत

	नगर, हिसार।
17	हरियाणा पर्यटन निगम लि0, एससीओ न0 17–18–19 सैक्टर–17–बी चंडीगढ़।
18	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि0 एससीओ 111–113, सैक्टर –17–बी, चंडीगढ़।
19	हरियाणा परिवहन इंजीनिरिंग निगम लि0, 6 माईलस्टोन, गुड़गांव जयपुर हाईवे, बेहरामपुर रोड़, खांडसा, गुड़गांव।
20	हरियाणा सूचना विज्ञान लि0 एससीओ–111–113, सैक्टर–17–बी, चंडीगढ़।
21	हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट निगम, सी–3, हुडा कम्पलैक्स, सैक्टर–6, पंचकूला।
22	हरियाणा राज्य स्वास्थ्य सेवाएं निगम लि0, बेज न0 59–62, सैक्टर–2 पंचकूला।
23	हरियाणा नॉलेज निगम लि0 बेज एचएसआईआईडीसी–आईटी पार्क, चौथी मंजिल, प्लाट न0–1, सैक्टर–22, पंचकूला।
24	गुड़गांव प्रौद्योगिकी पार्क, इन्फोसिटी–1, सैक्टर–34, विपरित, हीरो हाण्डा फैक्टरी, गुड़गांव।
25	हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन प्रसंघ लि0 (हैफेड) कॉरपोरेट आफिस, सैक्टर–5, पंचकूला।
26	पानीपत सहकारी चीनी मिल लि0, पानीपत गोहाना रोड पानीपत।
27	करनाल सहकारी चीनी मिल लि0, करनाल।
28	कैथल सहकारी चीनी मिल लि0,कैथल।
29	सोनीपत सहकारी चीनी मिल लि0, सोनीपत।
30	शाहबाद सहकारी चीनी मिल लि0, शाहबाद (एम) जिला कुरूक्षेत्र।
31	महम सहकारी चीनी मिल लि0,वी.पी.ओ. भैणी महाराजपुर, तहसील महम, जिला रोहतक।
32	जीन्द सहकारी चीनी मिल लि0,जीन्द।
33	पलवल सहकारी चीनी मिल लि0,पलवल।
34	हरियाणा सहकारी चीनी मिल लि0, भाली आनंदपुर, जिला रोहतक।

35	चौ0 देवीलाल सहकारी चीनी मिल लि0,गोहाना, गांव अहुलाना, गोहाना, सोनीपत।
36	हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल प्रसंघ लि0, बेज न0 49–52, सैक्टर–2, पंचकूला।
37	हरियाणा राज्य सहकारी उपभोक्ता थोक भंडार प्रसंघ लि0 (कॉन्फेड) बेज न0–19–20 सैक्टर–2 पंचकूला।
38	हरियाणा राज्य सहकारी अपैक्स बैंक लि0, एसीओ–78–80,सैक्टर–17–बी, चंडीगढ़, (हरको बैंक)
39	हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि0, (एच.एस. सी.ए.आर.डी.बी.) सहकारिता भवन, बेज– 31–34, सैक्टर–2 पंचकूला।
40	हरियाणा राज्य सहकारी विकास प्रसंघ लि0 (हारकोफैड) बेज न0 49–52, सैक्टर–2 पंचकूला।
41	हरियाणा डेरी विकास सहकारी प्रसंघ लि0 बेज न0 21–22, सैक्टर–2 पंचकूला।
42	हरियाणा राज्य सहकारी श्रम एवं निर्माण प्रसंघ लि0 बेज न0 23–24 सैक्टर–2 पंचकूला।
43	हरियाणा राज्य सहकारी आवास प्रसंघ लि0 बेज न0 49–52, सैक्टर–2 पंचकूला।
44	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा),हुडा कॉम्पलेक्स, सैक्टर–6 पंचकूला।
45	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एच.एस.ए.एम.बी.), विपणन भवन, सी–6, सैक्टर–6 पंचकूला।
46	हरियाणा राज्य खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, बेज न0 21–22, सैक्टर–2 पंचकूला।
47	हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड, पंचायत भवन, प्लाट न0–3, मध्य मार्ग, सैक्टर–28–ए, चंडीगढ़ (एचआरडीएफ)
48	हरियाणा आवास बोर्ड, आवास भवन, प्लाट न0 सी–15, सैक्टर–6 पंचकूला।
49	हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सी–11, सैक्टर–6, पंचकूला।

50	हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड, अकादमी भवन, आई.पी.–16, सैक्टर–14, पंचकूला।

अनुलग्नक–।।

हरियाणा मे निगम/कम्पनियां/सहकारी संस्थाओं का प्रदर्शन

(राशि लाख मे)

वर्ष	हरियाणा राज्य औद्योगिक तथा आधारभूत संरचना विकास निगम		हरियाणा वित्तीय निगम लिमिटिड		हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम		हरियाणा बीज विकास निगम		हरियाणा कृषि उद्योग निगम		हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम		हरियाणा महिला विकास निगम		हरियाणा पिछडा वर्ग एवं आर्थिक कमजोर वर्ग कल्याण निगम		हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम		हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम		उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम	
	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	लाभ	हानि	लाभ	हानि	लाभ	हानि	लाभ	हानि	लाभ	हानि	लाभ	हानि	लाभ	हानि	लाभ	हानि	लाभ	हानि	लाभ	हानि	लाभ	हानि
2005-06	749.00		1194.00		39.51		79.04		197.72		35.31		44.88			75.52		80.00		10991.00		28600.00
2006-07	2132.00		637.00			43.76	29.02		797.26		46.21		7.13			63.98		8247.00		1388.00		30200.00
2007-08	3552.00		1561.00			13.60	89.94		196.86		114.63			3.26	115.81		195.00		14313.00			50000.00
2008-09	4377.00		138.00		46.95		31.24		10.82		182.05		3.08			231.33	2823.00		6048.00			121800.00
2009-10	3224.00			861.00		95.30	63.74		514.60		87.67		66.25		195.38		3191.00		10566.00			91200.00
2010-11	6155.00		539.00			384.09	92.66		571.33			53.70		20.92		188.46	459.00		18761.00			12900.00
2011-12	7194.00			2922.00		134.80	113.03		499.15		91.71			50.00		122.28		16049.00	14006.00			860400.00
2012-13	8319.00			31.19	348.40		175.96			4412.97	86.36			95.00	37.26			14811.83		3768.54		229684.95
2013-14	74859.00		296.53		180.54		59.33			4511.56	272.34			150.00		1.07		2631.36		17513.96		146501.22
2014-15	14445.00		5183.19			45.61		107.54		3546.09	67.47			180		69.79	10476.87			842.01		148057.34
Total	12506.00	0.00	9548.72	3814.19	615.40	717.16	733.96	107.54	2787.74	12470.62	983.75	53.70	121.34	499.18	348.45	752.43	17144.87	41819.19	63694.00	34503.51	0.00	1719343.51
P/L	125006.00		5734.53			101.76	626.42			9682.88	930.05			377.84		403.98		24674.32	29190.49			1719343.51

वर्ष	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम		हरियाणा पर्यटन निगम		हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम		हरियाणा वन विकास निगम		हरियाणा पुलिस आवास निगम		हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम		हरियाणा परिवहन इंजीनियरिंग निगम		हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक		हरियाणा राज्य सहकारी अपैक्स बैंक		हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन प्रसंघ लि0 (हैफेड)		हरियाणा राज्य सहकारी उपभोक्ता थोक भंडार प्रसंघ लि0 (कॉन्फेड)	
	12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22	
	लाभ	हानि	लाभ	हानि	लाभ	हानि	लाभ	हानि	लाभ	हानि	लाभ	हानि	लाभ	हानि	लाभ	हानि	लाभ	हानि	लाभ	हानि	लाभ	हानि
2005-06		*4321.00*	290.10		14.77		188.76		0.00			2697.79	42.83			4815	3700.00		5836.00		228.09	
2006-07		11322.00	317.61		341.29		145.75		0.00			2504.09	30.89			3335	2563.00		7571.00		916.72	
2007-08		28137.00	426.38		811.12		255.65		31.00			3188.79	21.52		2766		491.00		5868.00		776.40	
2008-09		26527.00	561.52		916.04		365.60		8.00		537.33		115.19		1307		1061.00		3378.00		260.51	
2009-10		63317.00	418.15		635.37		347.58		7.00		2766.25		369.06		498			1794.00	4345.00		295.21	
2010-11		79194.00	484.48		469.37		422.34		8.00		1195.08		337.22		703		501.00		4080.00		39.81	
2011-12		459944.00	276.12		599.48		422.76		9.00		2826.54		210.35		1576		1869.00		4236.00			
2012-13		135240.50		631.92	624.77		628.00		6.28		0.00	0.00	143.00			698.82	3021.12		4338.69			
2013-14		208865.16	155.08		872.95		580.00		7.69			448.32	232.00		0	3613.37	2197.92		4895.18			
2014-15		63642.22	2.64		584.52		432.00		7.79		6930.50		149.00			4314.60	1622.59		2031.23			
Total	0.00	1080509.88	2932.08	631.92	5869.68	0.00	3788.44	0.00	84.76	0.00	14255.70	8838.99	1651.06	0.00	6850.00	16776.79	17026.63	1794.00	46579.10	0.00	2516.74	
P/L		1080509.88	2300.16		5869.68		3788.44		84.76		5416.71		1651.06			9926.79	15232.63		46579.10			

वर्ष	हरियाणा डेरी विकास सहकारी प्रसंघ		हरियाणा राज्य सहकारी विकास प्रसंघ		हरियाणा राज्य सहकारी श्रम एवं निर्माण प्रसंघ		हरियाणा राज्य सहकारी आवास प्रसंघ		हरियाणा राज्य भण्डारण निगम		हरियाणा आवास बोड		हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोड		हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड	
	23		24		25		26		27		28		29		30	
	लाभ	हानि	लाभ	हानि	लाभ	हानि	लाभ	हानि	लाभ	हानि	लाभ	हानि	लाभ	हानि	लाभ	हानि
2005-06	133.00		9.77		29.47		162.40		3937.78		2210.23		1703.18		5422.00	
2006-07	203.00			45.22	95.60		7.00		3145.09		2573.94		1505.67			3582.00
2007-08	360.00			22.07	264.61		7.02		823.12		3064.48		743.43		6385.00	
2008-09	574.00		2.83		343.73		5.57			1093.73	1639.88		2361.21		2060.00	
2009-10	188.00		3.78		536.25		10.83		2472.41		2215.31		3246.49			83.48
2010-11		374.00	13.15		438.68			174.27	2644.36		3387.38		626.20		108.55	
2011-12	807.00		39.26		251.31			165.18	2034.85		1960.29		875.98		95.32	
2012-13	84.00		9.97		80.96			127.68		13850.93	1719.75		1896.56		294.20	
2013-14	105.00		2.52		90.99			96.02	2847.80		2078.12		1306.98		398.78	
2014-15	336.00		3.25		60.21			0.00	3082.59		1601.93		395.96		18.41	
Total	2790.00	374.00	84.53	67.29	2191.81	0.00	192.82	563.15	20988.00	14944.66	22451.31	0.00	14661.66	0.00	14782.26	3665.48
P/L	2416.00		17.24		2191.81			370.33	6043.34		22451.31		14661.66		11116.78	

Reconstruction of Road

369. Sh. Pirthi Singh: Will the PW (B&R) Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the road from village Kalwan to Bhulan (Punjab) border has been damaged completely; and

(b) If so, whether there has been any proposal under consideration of the Government to reconstruct the said road togetherwith the time by which it is likely to be reconstructed?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह): श्रीमान् जी, यह मार्ग तीन सड़क भागों में निहित है तथा भाग अनुसार विवरण निम्न प्रकार है–

क्रं0 संख्या	सड़क भाग का नाम	सड़क की स्थिति	उत्तर क) और ख)
1.	गांव कालवान से शीतला माता मन्दिर मौड़ (सड़क संख्या–6743)। लोक निर्माण विभाग सड़क। लम्बाई 2.60 कि0मी0	अच्छी	क) नहीं, श्रीमान् जी। ख) समय का प्रष्न ही नहीं उठता ।
2.	शीतला माता मन्दिर मौड़ से महासिंह वाला मौड़ तक। ह0 रा0 कृ0 वि0 मण्डल सड़क लम्बाई 1.04 कि0मी0	अच्छी	क) नहीं, श्रीमान् जी। ख) समय का प्रष्न ही नहीं उठता ।
3.	महासिंह वाला मौड़ से भुलन (पंजाब सीमा) (सड़क संख्या–6745)। लोक निर्माण विभाग सड़क। लम्बाई 1.62 कि0मी0	संतोषजनक नही है।	क) हां, श्रीमान् जी। ख) विषेष मरम्मत का कार्य स्वीकृत हो चूका है; निविदाएं आमंत्रित की गई हैं तथा कार्य के 31.03.2017 तक पूर्ण होने की संभावना है।

To Start the Development Work in the Colonies

387. Sh. Lalit Nagar: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to start the development work in those colonies which have been approved by the Government between the Palla bridge to Basantpur in Tigaon Assembly Constituency; if so, the details thereof ?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : हां, श्रीमान् जी, तिगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पल्ला पुल सेब संत पुर के बीच निम्नलिखित 16 कालोनियों को नागरिक सुविधाओं रहित घोषित किया गया हैः–

क्र0सं0	कालोनी का नाम
1	टनंगपुर डेयरी
2	चाज्जन नगर
3	सरपंच कालोनी
4	शिव एनक्लेव एक्शटैंशन
5	सुभाष नगर
6	सूर्या विहार
7	शिव कालोनी
8	सरस्वती कालोनी
9	पंचशील एनक्लेव
10	ओम एनक्लेव
11	दीपावली एनक्लेव
12	श्याम कालोनी
13	सूर्या कालोनी
14	नम्बरदार कालोनी
15	निखिल एनक्लेव
16	राव सुलतान सिंह कालोनी

उपरोक्त कालोनियों में निम्नलिखित कार्य कराए जा रहे हैं :–

____	कार्य का नाम	अनुमानित	वर्तमान स्थिति

क्र0 सं0		लागत (लाख रू0 में)	
1	फरीदाबाद वार्ड नं0 21की नम्बरदार कालोनी, सूर्या कालोनी और सरस्वती कालोनी के अंशतः भाग में विभिन्न गलियों में एम–35 ग्रेड की 80 एम. एम मोटी इन्टर लोकिंग पेवर टाईलें बिछाना.	200.00	कार्य प्रगति पर है।
2	वार्ड नं0 21 में इस्माईलपुर सेब संतपुर तक आर.एम.सी. एम–40 ग्रेडसीमेंट व कंकरीट की मुख्य सड़क का निर्माण	160.67	अनुमान अनुमोदन की प्रक्रिया में हैं।
3	वार्ड नं0 21 में अनंगपुर से इस्माईलपुर तक आर. एम.सी. एम–40 ग्रेडसीमेंट व कंकरीट की सड़क का निर्माण	180.14	अनुमान अनुमोदन की प्रक्रिया में है।

सम्पूर्ण तिगांव निर्वाचन क्षेत्र में एकीकृत तरीके से सीवरेज बिछाने के लिए वाप्कोस (भारत सरकार का उपक्रम) द्वारा सर्वेक्षण कराया गया है और डी.पी.आर. तैयार की जा रही है।कार्य को धन राशि की उपलब्धता अनुसार चरणबद्ध तरीके से विभिन्न योजनाओं जैसे अमृत, स्मार्ट सिटी प्रोजैक्ट और मुख्यमंत्री घोषणा आदि के अर्न्तगत करवाया जाएगा।

Appointment of Doctors in the Dispensary

394. Sh. Rajdeep Phogat: Will the Health Minister be pleased to state whether it is fact that the building of the dispensary in village Nimli has been completed 10 years ago; if so, the time by which the doctors are likely to be appointed in the said dispensary?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज): नहीं श्रीमान जी, राज्य सरकार द्वारा गांव निमली में अब तक किसी औषद्यालय का निर्माण नहीं किया गया है। उपरोक्त स्थिति के समक्ष अमले का कोई प्रश्न नही बनता।

Total Demand of Electricity

383. Sh. Parminder Singh Dhull: Will the Chief Minister be pleased to state the total demand of electricity per month in the Julana Assembly Constituency togetherwith the average units per month currently being provided in the Julana Constituency?

मुख्य मंत्री (श्री मनोहर लाल): श्रीमान, जुलाना निर्वाचन क्षेत्र में शैड्यूल अनुसार बिजली आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में प्रतिमाह औसतन 110 लाख यूनिट बिजली आपूर्ति की जा रही हैं।

.....

Prohibition of Tobacco and Gutka

351. Sh. Ram Chand Kamboj: Will the Health Minister be pleased to state whether it is fact that the tobacco and gutka have been completely prohibited in Haryana State; if so, the steps taken by the Government to save the Haryana State from intoxication ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज): महोदय, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 उप–धारा (2) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन हरियाणा द्वारा दिनांक 03.09.2015 को एक अधिसूचना/आदेश इस संबंध में पारित किया गया है कि तम्बाकू युक्त खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण या तम्बाकू युक्त खाद्य पदार्थों की बिक्री हरियाणा राज्य में प्रतिबंधित है, जो या तो स्वाद, सुगंधित या अन्य मिश्रण के साथ या किसी अन्य नाम या गुटखा, पान मसाला के नाम से प्रचलित हो, को मिलाया, सुगंधित किया हुआ/सुगंधित तम्बाकू खारा आदि या अन्यथा किसी भी प्रकार के नाम से जाना जाता हो, पैक या बिना पैक (खुला) और/या एक उत्पाद के रूप में बेचा जाता हो, या अलग उत्पादों के रूप में बेचा जाता हो, या इस तरह के एक तरीके से वितरित जो कि आसानी से उपभोक्ता द्वारा मिश्रित किया जाता हो, को आदेश जारी करने के एक वर्ष तक के लिए प्रतिबंधित किया गया है। इस आदेश के विरूद्ध चार सिविल रिट याचिकाएं क्रमांक 19771, 20351, 20396 और 24790

वर्ष 2015 द्वारा माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ में विभिन्न याचिकाकर्त्ताओं की ओर से दायर की गई थी।

माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ ने अंतरिम आदेश दिनांक 14.10.2015 द्वारा बिक्री और च्यूऐबल तम्बाकू (चबाने वाला तम्बाकू) के निमार्ण की बिक्री व आपूर्ति के लिए याचिकाकर्त्ताओं के खिलाफ कोई बलपूर्वक कदम नहीं उठाने के लिए राज्य को निर्देश दिए गए थे। उक्त आदेश के विरूद्ध विशेष अनुमति याचिका, भारत के माननीय उच्चत्तम न्यायालय में विभाग की ओर से दायर की गई थी।

भारत के माननीय उच्चत्तम न्यायालय के आदेश दिनांक 23.02.2016 द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश दिनांक 14.10.2015 को निरस्त कर दिया गया। तदानुसार, हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्तों, सभी पदाभिहित अधिकारियों एवं सिविल सर्जनों, सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को सुझाव दिए गए और चबाने वाले तम्बाकू/सुपारी/गुटका पान मसाला के 74 नमूने हरियाणा राज्य से लिए गए। इन नमूनों के विश्लेषण रिपोर्ट के परिणाम के आधार पर स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्यवाही की जा रही है।

तम्बाकू के बारे में:– सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003, (COTPA) 2003 के संख्या 34 के अंतर्गत राज्य में तम्बाकू के उपयोग की जांच के लिए राज्य में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं, जो कि नीचे अनुबंध–1 में वर्णित हैं:–

अनुबंध–1

तम्बाकू कानून कार्यान्वयन हेतु, सिविल सर्जनों से प्राप्त हुई सूचना जनवरी, 2009 से जुलाई, 2016 तक:–

वर्ष	सार्वजनिक स्थानों पर मारे गए छापो की संख्या	सार्वजनिक सेवाओं के वाहनों पर मारे गए छापो की	सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों के किए गए चलानों की	जुर्माना किए गए विक्रेताओं की संख्या	जुर्माने द्वारा एकत्रित हुई कुल राशि

		संख्या	संख्या		
2009	842	488	5325	84	413045
2010	804	361	1934	45	99838
2011	426	204	1661	18	93220
2012	996	209	1046	4516	90340
2013	429	329	1311	23	949505
2014	452	245	667	325	55104
2015	1193	466	2650	375	193963
जुलाई, 2016 तक	1494	476	5295	5761	365935
कुल	6636	2778	19889	11147	2260950

.....

Distribution of Old Age Pension

401. Sh. Karan Singh Dalal: Will the Social Justice and Empowerment Minister be pleased to state whether the distribution of old age pension is being withdrawn from banks; if so, the reasons thereof?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री कृष्ण कुमार): नहीं, श्रीमान् जी ।

.....

Construction of Roads

370. **Sh. Pirthi Singh Namberdar** : Will the Agriculture Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to constructs the following roads:-

(i) village Kalwan to Kamalwala;

(ii) village Kharal to Dhabi Tek Singh;

(iii) village Kalwan to Tranawali Dhanies; and

(iv) village Kalwan to Baniya Patti Lala Chand Wali Dhanies road;

if so, the time by which the above said roads are likely to be constructed ?

कृषि मंत्री(श्री ओम प्रकाश धनखड):. ब्योरा सदन के पटल पर रख दिया गया है।

ब्योरा

(i) **गांव कालवन से कमालवाला सड़क का निर्माण :–** यह सड़क दो भागों में बनाई जानी है अर्थात् एक गांव कालवन में नरवाना–टोहाना रोड़ से ढांणी कर्मबीर तक और दूसरी कमालवाला से ढाणी चौधरी लाला चन्द तक । गांव कालवन में नरवाना–टोहाना रोड़ से ढांणी कर्मबीर तक की लम्बाई 1.065 कि. मी. है तथा उपलब्ध रास्ता 7 करम है। माननीय मुख्यमंत्री ने 31.05.2016 को कोड न.–10439 के अंतर्गत इस सड़क के निर्माण की घोषणा की है। इसके निर्माण के लिए 30.72 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति 17.08. 2016 को जारी कर दी गई है।

कमालवाला से ढाणी चौधरी लाला चन्द तक दूसरे भाग की लम्बाई 2.32 कि.मी. है । उपलब्ध रास्ता आर. डी. 0 से 805 मीटर में 4 करम तथा बाकी की लम्बाई में 6 करम है । माननीय मुख्यमंत्री ने 31.05.2016 को कोड न.–10440 के अंतर्गत इस सड़क के निर्माण की घोषणा की है। चूंकि इस सड़क का निर्माण बोर्ड की नीति के अन्तर्गत नहीं आता इसलिए मामला माननीय मुख्यमंत्री को यथोचित आदेशों के लिए भेजा गया है ।

(ii) **गांव खरल से ढाबी टेक सिंह तक सड़क निर्माण :–** प्रस्तावित सड़क की लम्बाई 4.80 कि.मी. है । उपलब्ध रास्ता आर.डी. 0 से 465 मीटर में 10 करम, 465 से 900 मीटर में 8 करम तथा 900 मीटर से 4795 मीटर में 11 करम है । प्रस्तावित सड़क बोर्ड़ की पॉलिसी के अन्तर्गत आती है । सड़क की प्राथमिक रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री को अनुमोदन के लिए भेजी गई है ।

(iii) **गांव कालवन से तरानावाली ढाणियों तक सड़क निर्माण :–** इस सड़क के निर्माण का कोई प्रस्ताव हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के विचाराधीन नहीं है । इस सड़क की लम्बाई 1.24 कि.मी. तथा उपलब्ध रास्ते की चौड़ाई 3 करम है । प्रस्तावित सड़क बोर्ड़ की नीति के अन्तर्गत के नहीं आती क्योंकि उपलब्ध रास्ता कम है तथा इस सड़क के निमार्ण से पास की मण्ड़ी की दूरी भी कम नहीं होती ।

(iv) **गांव कालवन से बणिया पत्ती लाला चन्द वाली ढाणियों की सड़क तक निमार्ण :–** प्रस्तावित सड़क 2.68 कि.मी. की लम्बाई में 4 टुकड़ो में बननी है । इनकी विस्तृत जानकारी इस प्रकार है :–

(क) गांव कालवन में नरवाना–टोहाना रोड़ से ढांणी कर्मबीर तक सड़क निमार्ण :– सड़क के इस भाग की लम्बाई 1.065 कि.मी. है (आर.डी. 0 से 1085 मीटर) तथा उपलब्ध रास्ते की चौड़ाई 7 करम है । माननीय मुख्य मंत्री ने 31.05.2016 को कोड न.–10439 के अंतर्गत इस सड़क के निर्माण की घोषणा की है। इसके निर्माण के लिए 30.72 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति 17.08.2016 को जारी कर दी गई है।

(ख) कमालवाला से ढाणी चौधरी लालचन्द तक सड़क निमार्ण :– सड़क के इस भाग की लम्बाई 0.975 कि.मी. है (आर.डी. 1065 से 2040 मीटर) तथा उपलब्ध रास्ते की चौड़ाई 6 करम है । माननीय मुख्य मंत्री ने 31.05.2016 को कोड न.–10440 के अंतर्गत इस सड़क के निर्माण की घोषणा की है। चूंकि इस सड़क का निर्माण बोर्ड की नीति के अन्तर्गत नहीं आता, इसलिए मामला माननीय मुख्यमंत्री को यथोचित आदेशों के लिए भेजा गया है ।

(ग) आर.डी. 2040 से 2430 मीटर में उपलब्ध रास्ते की चौड़ाई 3 करम है । सड़क के निमार्ण के लिए उपलब्ध रास्ता कम से कम 5 करम होना चाहिए ।

(घ) आर. डी. 2430 से 2680 मीटर में कोई राजस्व रास्ता उपलब्ध नहीं है । सड़क के निमार्ण के लिए उपलब्ध रास्ता कम से कम 5 करम होना चाहिए ।

उपरोक्त के अनुसार सड़क का एक भाग गांव कालवन में नरवाना–टोहाना रोड़ से ढांणी कर्मबीर तक जिसकी लम्बाई 1.065 कि.मी. ही बनाया जा सकता है । शेष भाग कम उपलब्ध रास्तो के कारण नहीं बनाए जा सकते, इसके अतिरिक्त ये भाग बोर्ड़ की नीति के अन्तर्गत भी नहीं आते, क्योंकि ये केवल ढ़ाणियों को जोड़ते हैं ।

.....

Construction of Cremation Ground

388. Sh. Lalit Nagar : Will the Development & Panchayat Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of Government to construct a Cremation Ground on the Panchayat land in the village Riwajpur of Tigaon Assembly constituency; if so, the details thereof ?

कृषि मन्त्री (श्री ओम प्रकाश धनखड): श्रीमान जी, हरियाणा ग्रामीण विकास निधि के अर्न्तगत माननीय मुख्य मन्त्री महोदय की घोषणा कोड संख्या 12447 के अनुसार मु0 10.00 लाख रू0 का अनुमान तैयार किया गया है और बहुत जल्द ही राशि जारी कर दी जाएगी ।

Construction of Veterinary Hospital Building

395. Sh. Rajdeep Phogat: Will the Animal Husbandry and Dairying Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the building of Veterinary Hospital in village Dudiwala Kishanpura

in Charkhi Dadri Constituency; if so, the time by which the said building is likely to be constructed ?

कृषि मन्त्री (श्री ओम प्रकाश धनखड): हां, श्रीमान जी, चालू वित्त वर्ष (2016–17) में भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

.....

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री नियम 15 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम सभा की बैठकें के उपबन्धों से मुक्त किया जाये ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम सभा की बैठकें के उपबन्धों से मुक्त किया जाये ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम सभा की बैठकें के उपबन्धों से मुक्त किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री नियम 16 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विभिन्न मामले उठाना

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मेरा बड़ा महत्वूपर्ण विषय है । मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेरे हल्के में लाम्बा खेड़ी माईनर है जिसके बारे में मैंने प्रश्न भी दिया हुआ था और आज वह प्रश्न लगा भी हुआ था लेकिन उसका नम्बर नहीं आया । (विघ्न) मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह माईनर कब तक बना दी जायेगी । इस माईनर को बनवाने के लिए मैं मंत्री जी से मिला भी था । (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, इस माईनर के बारे में मेरी और जय प्रकाश जी की बात सदन से बाहर हो चुकी है । (विघ्न)

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी हमारी तरफ विशेष ध्यान रखें । अध्यक्ष महोदय, मैं 35 साल से लोक सभा और विधान सभा में हूं । यहां पर एक–एक क्वैश्चन पर दस–दस सप्लीमैंटरी पूछी जा रही हैं ऐसा कहीं नहीं होता। मेरा इरीगेशन का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लगा हुआ था ।

श्री कुलदीप शर्मा : स्पीकर सर, रोहतक में हमारी सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की याद में एक रंगशाला का निर्माण किया था जिसको माननीय मुख्यमंत्री ने रैनोवेट करवाया है। हरियाणा प्रदेश के एक राज्य मंत्री ने इस रंगशाला में अपना ऑफिस खोल लिया है। इससे आर्टिस्ट्स में बहुत बड़ा रिसैंटमैंट हुआ है कि हरियाणा सरकार के एक राज्य मंत्री रोहतक में स्वतंत्रता सेनानियों के दफ्तर पर कब्ज़ा जमा कर बैठ गये हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना

चाहता हूं कि वे तत्काल इसको खाली करवाने के आदेश दें । इसके साथ ही साथ यहां पर यह चर्चा भी करवाई जाये कि इस प्रकार से एक राज्य मंत्री द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर जो भवन बने हैं उन पर कब्ज़ा कैसे किया जा सकता है?

Dr. Raghuvir Singh Kadian : Speaker Sir, it is a very serious matter इसलिए इसकी जांच करवाई जाये।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, मंत्री जी इसका जवाब दे रहे हैं।

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री मनीष कुमार ग्रोवर) : स्पीकर सर, इन्होंने जो काम खुद किये हैं शायद ये उसकी याद दिला रहे हैं कि हमने अपने 10 सालों के शासन काल के दौरान इतने कब्ज़े किये हैं। मैं संगठन का समर्पित कार्यकर्ता हूं जिससे मेरे खून में कब्ज़ा करने की प्रवृत्ति नहीं है। इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि जब रोहतक में आगजनी हुई थी उस समय उस भवन के साथ लगते मेरे ऑफिस के

फर्नीचर को भी उपद्रवियों द्वारा जला दिया गया था। इस वजह से मैं वहां पर सिर्फ एक दिन के लिए बैठा था उसके बाद मैंने वहां से अपना सामान उठा लिया है। (शोर एवं व्यवधान) कांग्रेस के मित्रों को डर है कि इन्होंने जो 10 साल हरियाणा प्रदेश में सत्तासीन रहते हुए जो कब्ज़े किए है उसकी पोल न खुल जाये इसीलिए ये अखबार की किसी खबर को ज़रिया बनाकर मुझ पर अनाप–शनाप और बेबुनियाद आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, आपने जो विषय उठाया था उसका पूरा और सही जवाब आपको मंत्री जी ने दे दिया है । इसलिए अब आप कृपया करके बैठ जायें और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दें । ढुल जी, आप बोलिये आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : स्पीकर सर, आपके द्वारा एम.एल.एज़ को फलैट्स भी दे दिए गए हैं लेकिन मुझे एम.एल.ए. होस्टल के एक कमरे में भी रहने नहीं दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : ढुल साहब, ऐसी बात तो नहीं है क्योंकि जहां तक मुझे पता है तो किसी भी एम.एल.ए. को एम.एल.ए. होस्टल में कमरा देने से कभी भी मना नहीं किया जाता।

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल : स्पीकर सर, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैंने आपको एप्लीकेशन भी दी थी कि मेरी विशेष मज़बूरी है क्योंकि मेरे बाई–लैटरल नी ट्रांसप्लांट हुए हैं । मैंने मशीन रखी हुई है। मुझे उसको इस्तेमाल करना होता है। मुझे यह कहा जाता है कि न तो आप कमरे की चाबी साथ लेकर जाओगे और न ही आपका कोई आदमी ही कमरे पर रह सकता है। सर, इससे हमें काफी परेशानी होती है क्योंकि हमें यहां पर तीन–तीन दिन रहना पड़ता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मेरी आप सभी से रिकवैस्ट है कि आप सभी मेरे चैम्बर में आ जायें और हम वहीं पर सभी के साथ बैठकर इस बारे में बातचीत कर लेते हैं। यह बात भी मैं आप सभी को जरूर कहना चाहूंगा कि अगर सभी माननीय सदस्यगण कमरे में ठहरने के बाद कमरे की चाबी नहीं देंगे तो इससे तो हमें बहुत भारी समस्या हो जायेगी क्योंकि अगर कोई एक्स.एम.एल.ए. वहां पर आ जाता है तो हम उसको कमरा कहां से देंगे? (शोर एवं व्यवधान) माननीय सदस्यगण, अगर हम सभी एम.एल.एज़. को कमरा दे देंगे और उससे चाबी नहीं लेंगे तो अगर हमारे पास कोई एक्स.एम.एल.ए. या कोई एक्स मिनिस्टर आ जाता है तो आप ही बताईये कि हम उसको कमरा कहां से देंगे? (शोर एवं व्यवधान) ढुल साहब, एक समय हरियाणा प्रदेश में आपकी पार्टी की भी सरकार रही है । आप हमें यह बतायें कि क्या उस समय एम.एल.एज़. को एम.एल.ए. होस्टल के कमरे की चाबी सदा के लिए रखने के लिए दी जाती थी? जहां तक मेरे नोटिस में है ऐसा कभी भी आपकी पार्टी की सरकार के समय भी नहीं किया गया। हमेशा से यही रूल चला आ रहा है कि जब भी कोई माननीय एम.एल.ए. आता है तो उसको उसी समय कमरा उपलब्ध करवा दिया जाता है। जैसा आप चाह रहे हैं आप बेशक अपनी पार्टी के नेताओं से भी पूछ लें ऐसा कभी भी नहीं रहा। हमेशा से यही होता आया है कि जब भी कोई मैम्बर आया तो उसको उसी समय कमरा उपलब्ध करवाया जाता है। अगर किसी माननीय सदस्य को आने पर कमरा नहीं दिया गया इस बात की तो वह शिकायत कर सकता है । यह शिकायत तो ज़ायज़ है। यह मैं भी मानता हूं लेकिन अगर आप यह चाहें कि जब आप अपने विधान सभा

क्षेत्र में भी जाएंगे तब भी कमरे की चाबी आपके पास रहेगी तो मेरे विचार से यह किसी भी दृष्टि से न्यायोचित बात नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) मुझे यह जानकर बड़ी हैरानी हुई कि जब मुझे यह बताया गया कि एक माननीय सदस्य ने यह कहा है कि उसने इसलिए कमरे का ताला लगाया है क्योंकि वहां पर उसके चप्पल पड़े हैं। मैं यह समझता हूं कि एक माननीय सदस्य से ऐसी उम्मीद कदापि नहीं की जा सकती। ढुल साहब, आपने कमरा ले लिया उसके बाद आप कमरे की चाबी अपनी जेब में डाल कर चले जाते हैं और पीछे से उस कमरे में आपका कौन–कौन आदमी ठहरता है उसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता है । किसी के साथ अगर कोई दुर्घटना हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? यह काम अभी आसान लग रहा है लेकिन बाद में उस दुर्घटना के जिम्मेदार भी आप ही होंगे क्योंकि कमरा आपके नाम चढ़ा हुआ है । अभी 3 महीने की बात है 3 महीने बाद सभी को फ्लैट्स मिल जायेंगे फिर आप अपने फ्लैट में किसी भी तरह रह सकते हैं ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आप सभी विधायकों के कस्टोडियन हैं, अगर उनको कोई परेशानी है तो उसको आपको दूर करना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : मेरी जिम्मेदारी यहां तक है कि आप में से कोई सदस्य यह बताये कि वह आया और विधान सभा ने उसको कमरा उपलब्ध नहीं करवाया हो । आप लोगों को भी सहयोग करना चाहिए । यह जिद नहीं होनी चाहिए कि मैं तो चाबी अपने साथ ही रखूंगा ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, कई बार हमारे लैपटॉप और प्रिंटर कमरे पर रखे रहते हैं । हम उनको उठा कर कहां लेकर जायें? इसलिए अपने विधायकों की सहूलियत तो आपको ही देखनी है ।

श्री अध्यक्ष : अभी यह बात आप लोगों को अच्छी नहीं लगती होगी लेकिन अगर कल को आपका कोई गैस्ट आ जाये और उसके लिए कमरे की व्यवस्था करनी पड़ जाये तो कहां से हो पायेगी क्योंकि कमरे की चाबी तो आपके पास है और कमरे को लॉक किया हुआ है ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हम यहां पर काम के लिए आते हैं तो विधायकों को सुविधाएं तो प्रदान करवानी ही पड़ेंगी ।

श्री अध्यक्ष : इस विषय पर विधान सभा का कार्य बाधित करने की बजाय आप मेरे चैम्बर में बैठ कर बात कर लेना ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जब एम.एल.ए. होस्टल की मेन्टीनेंस हो रही थी उस समय भी तो आपने विधायकों के ठहरने के लिए व्यवस्था की थी । उसी प्रकार से जब तक नये एम.एल.ए. फ्लैट्स नहीं बन जाते तब तक उसी प्रकार की व्यवस्था कर दीजिए । कई बार एक्स एम.एल.ए/एम.पी. के लिए भी आ जाते हैं तो उनको कमरे नहीं मिलते हैं । इसलिए आप कुछ समय के लिए कोई रैस्ट हाउस आदि की व्यवस्था कर दीजिए ताकि सदस्यों को कोई परेशानी न हो ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, बैठ कर बात करेंगे ।

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, मुख्य समस्या यह नहीं है कि विधायक वहां पर अपने मेहमानों को ठहराते हैं बल्कि समस्या यह है कि आपके विधान सभा के अधिकारी/कर्मचारी मिलीभगत करके कमरे किसी और को दे देते हैं ।

श्री अध्यक्ष : नसीम जी, अगर आप कोई स्पेसिफिक शिकायत देना चाहते हैं तो दे दीजिए हम उस पर कार्रवाई करेंगे अन्यथा कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है ।

श्री रणबीर गंगवा : अध्यक्ष महोदय, मेरे कमरा नं. 205 में अलमारी की कुंडी टूटी हुई मिली थी और जब हमने शिकायत की तो जे.ई. ने दो दिन बाद उसको दोबारा से लगवाया है ।

श्री अध्यक्ष : गंगवा जी, मेरे पास उस विषय में कोई शिकायत नहीं है ।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, कल सरदार जसविन्द्र सिंह संधू के डिसएफिलिएशन के प्रश्न के जवाब में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बड़ी फिराखदिली से कहा था कि अभी कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय की कोई डिसएफिलिएशन नहीं करेंगे । इसी प्रकार से मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय जो देश का एक रिनाउंड इंस्टीच्यूट है और ए–क्लास यूनिवर्सिटी है जिसके 327 कॉलेज ऑफ ऐजूकेशन और 80 इंजीनियरिंग कॉलेजिज को डिसएफिलिएट कर दिया गया है । हम सबका आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि इन कॉलेजों ओर इंजीनियरिंग कॉलेजों को डिसएफिलिएट न किया जाये ।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, पीछे चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जीन्द में हमने माननीय हाई कोर्ट के निर्देशानुसार यह व्यवस्था शुरू की थी । उसके बाद कुरूक्षेत्र के एक कार्यक्रम में जहां माननीय सभी कांग्रेस के विधायक और जिला कुरूक्षेत्र के विधायक मौजूद थे । उसमें हमने कहा था कि अभी चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी में युद्ध स्तर पर भवन बन रहे हैं और यह फैसला हमने हाई कोर्ट के निर्देशानुसार किया था, परन्तु चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी में अभी न भवन है, न इन्फ्रास्ट्रैक्चर है और न मेन पावर है । इसलिये हम इस फैसले पर पुनर्विचार करेंगे, और कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के यहां से जैसा कि डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान जी ने कहा है, श्री दांगी जी ने कहा, श्रीमती गीता जी ने कहा और भी सारे सदन के सदस्यों ने कहा है हम इस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे । (विघ्न)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बी.एड. कॉलेज के बारे में भी बतायें ।(विघ्न)

श्री अध्यक्ष : जसविन्द्र जी, प्लीज, आप बैठ जाईये ।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय से कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई भी बी.एड. कॉलेज दूसरी यूनिवर्सिटी में नहीं ले जाए जायेंगे।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मुझे आज एक मैमोरैंडम दिया गया था जोकि रोहतक यूनिवर्सिटी के टीचिंग स्टाफ की यूनियन के लोगों ने दिया था । मैंने वह मैमोरैंडम आपको दिया है । उसमें उनकी जो डिमांड है वह बिल्कुल जायज है । अभी डॉ0 कादियान जी ने जो बात कही है कि रोहतक यूनिवर्सिटी से भी बहुत से कोर्सिज हटाकर दूसरी किसी यूनिवर्सिटी में ले जाए जा रहे हैं । इसलिए आपसे यह निवेदन है कि जिस तरह आपने कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिये निर्णय लिया है कि वहां से कोई भी कॉलेजिज या कोर्सिज किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में नहीं ले जाए जाएंगे । उसी तरह आप रोहतक यूनिवर्सिटी के लिये भी कर दें । अगर कोई नई यूनिवर्सिटी खुलती है तो वह अपने नये कोर्स शुरू करे, यह ज्यादा ठीक रहेगा । अदरवाईज अगर एफिलियेशन किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ होती है तो दिक्कत रहती है । हमारी जो ये दो यूनिवर्सिटी महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी रोहतक और कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरूक्षेत्रा इनका बहुत बड़ा नाम है । ये दोनों

यूनिवर्सिटी विश्व स्तर पर जानी जाती हैं । अगर इनके कोर्सिज किसी नई यूनिवर्सिटी के साथ जाएंगे तो उनकी पहचान कम हो जाएगी । इसलिये उनके कोर्सिज को उन्हीं के साथ ही रखा जाए ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जो विपक्ष के नेता कह रहे हैं यह सत्य है कि पूरे के पूरे कॉलेजिज को ही उठा कर दूसरी यूनिवर्सिटी में ले जाया जा रहा है । अगर यह हो गया तो महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी, रोहतक का तो बिल्कुल ही सत्यानाश हो जाएगा । मंत्री जी, आप यह आश्वासन दीजिए कि कोई भी कॉलेज इन दोनों यूनिवर्सिटियों से दूसरी जगह नहीं जाएगा ।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, माननीय विपक्ष के नेता श्री अभय सिंह चौटाला जी ने और बहन श्रीमती किरण चौधरी जी ने जो बात कही तथा श्री अभय सिंह जी का जो मैमोरैंडम है वह भी मुझे मिला है । यह बात सही है कि कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है । जो ए–कलास का विश्वविद्यालय है । इसी तरह से महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय भी हरियाणा का बहुत विस्तृत विश्वविद्यालय है । पिछले दिनों हमने माननीय हाई कोर्ट के निर्देशानुसार एक कार्रवाई की थी कि जो बी.एड. कॉलेजिज थे वे चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के साथ लगाए थे । क्योंकि अब सदन की भावना भी यही है और जगह–जगह पर हम जाते हैं वहां टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ भी इसके बारे में कहते हैं । हम चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय को युद्ध स्तर पर बनाने पर लगे हुए हैं । परन्तु तब तक हम इन दोनों विश्वविद्यालयों की जो एफिलियेशन हैं उनको हम इधर–उधर नहीं करेंगे ।(विघ्न)

श्री केहर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक जरूरी प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न तो सबका ही जरूरी है । केहर सिंह जी आप बैठ जाइये । जब मैं आपको कहूंगा तब बोलना । ऐसे नहीं चलेगा कि आप अपनी मर्जी से बोलना शुरू हो जाओ । (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आपको मैंने जी.एम. मस्टर्ड क्रोप पर एक कालिंग अटेंशन मोशन दिया था उसको आपने अलाउ नहीं किया । लेकिन आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं अगर जी.एम. मस्टर्ड क्रोप को हरियाणा, पंजाब व हिमाचल में आने की इजाजत मिल जाती है तो जो सरसों है जिसका प्रयोग घरों में हमारे बच्चों द्वारा किया जाता रहा है तथा इससे निकले

तेल का भी बहुत ज्यादा प्रयोग हमारे घरों में हो रहा है, उस सरसों के प्रयोग से जोकि हमारी सभ्यता का मेन खाना है, से हमारे अगली पीढ़ी वंचित रह जायेगी। अभी पिछले दिनों मैंने अखबारों में पढ़ा था कि दिल्ली में जी.एम. मस्टर्ड क्राप का सफल परीक्षण हुआ है। अगर जी.एम. मस्टर्ड क्राप देश में लागू हो जाती है तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आश्वासन चाहता हूँ कि जी.एम. मस्टर्ड क्राप को उत्तर भारत में आने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। हमारे घरों में सरसों का साग खाया जाता है, इसके तेल को विभिन्न प्रकार की बीमारियों तक में प्रयोग किया जाता है और बावजूद इसके यदि सरसों की फसल को हमसे छीना जाता है तो जी.एम. मस्टर्ड क्राप का राज होगा जिसका बहुत ज्यादा नुकसान हमारी आने वाली पीढ़ियों को होगा। अतः एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि जी.एम. मस्टर्ड क्राप को उत्तर भारत में किसी भी कीमत पर आने की इजाजत न दी जाये।

रौनक पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल, गन्नौर, सोनीपत के शिक्षकों तथा विद्यार्थियों का अभिनंदन।

श्री अध्यक्षः मननीय सदस्यगण मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि रौनक पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल, गन्नौर, सोनीपत के विद्यार्थी तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी और से सारे सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ।

विभिन्न मामले उठाना (पुनरारम्भ)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, अभी पिछली बार सदन की कार्यवाही के दौरान यानि 31 मार्च, 2016 को on the floor of the house आपने एक रूलिंग दी थी that signing the attendance register is pre condition for a Member in order to attend the Session and to participate in the proceedings of the House. मैंने यह जो पढ़कर सुनाया है इसकी एक कॉपी सदन के नेता तथा एक कापी संसदीय कार्य मंत्री को उपलब्ध करवाई है ताकि भविष्य में इस प्रकार कार्यवाही को पास्ट प्रैसिडैंट के रूप में प्रयोग करते हुए किसी अन्य माननीय सदस्य के विरूद्ध इसका प्रयोग न किया जाने लग जाये। इस

लिखित दस्तावेज में मैंने उन सभी हालात व कारणों का जिक्र किया है जिसकी वजह से वे सारे हालात उस समय पैदा हुए थे। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सदन के नेता तथा संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध है कि इसको रिकंसीडर किया जाये।

श्री अध्यक्षः ठीक है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

(i) हरियाणा में बिगड़ रही कानून व्यवस्था से संबंधित

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मुझे श्री अभय सिंह चौटाला तथा चार अन्य विधायकों (सर्वश्री जाकिर हुसैन, बलवान सिंह दौलतपुरिया, केहर सिंह तथा परमिन्दर सिंह ढुल) द्वारा हरियाणा में बिगड़ती कानून व्यवस्था से संबंधित स्थगन प्रस्ताव संख्या–4 प्राप्त हुआ है जिसे मैंने ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–22 में परिवर्तित कर दिया है और इसको स्वीकार कर लिया है।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–5 जोकि श्री करण सिंह दलाल, विधायक द्वारा समान विषय पर दी गई है, वह भी सप्लीमैंटरी पूछ सकते हैं।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–18 जोकि श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक द्वारा समान विषय पर दी गई है, वह भी सप्लीमैंटरी पूछ सकते हैं।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–21 जोकि श्रीमती किरण चौधरी, विधायक तथा तीन अन्य विधायकों सर्वश्री (डा. रघुवीर सिंह कादियान, जगबीर सिंह मलिक तथा आनन्द सिंह दांगी) द्वारा समान विषय पर दी गई है, वह भी सप्लीमैंटरी पूछ सकते हैं।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–24 जोकि श्री नसीम अहमद, विधायक द्वारा समान विषय पर दी गई है, वह भी सप्लीमैंटरी पूछ सकते हैं।

अब श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक प्रथम हस्ताक्षरी होने के नाते अपनी सूचना पढ़े। अभय जी आपको इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के लिए एक घंटे का समय दिया जाता है।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री ने कानून एवं व्यवस्था के विषय पर पूरा दिन चर्चा करने की बात कही थी। अतः इतने गम्भीर विषय पर एक घंटे का समय देना इस विषय और मेरे साथ नाइंसाफी होगी?

श्री अध्यक्ष: अभय जी, देखिये कानून एवं व्यवस्था के प्रश्न पर आप द्वारा एक घंटा बोलने के पश्चात ही मुख्यमंत्री जी अपना जवाब देंगे। एक घंटे का मतलब यह है कि इस बीच आपको बोलते समय कोई बाधित नहीं करेगा।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से दोहरता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कानून एवं व्यवस्था के प्रश्न पर सदन में पूरा दिन चर्चा करवाने की बात कही थी और यह भी कहा था कि वर्ष 2000 से लेकर वर्ष 2016 तक के दौरान प्रदेश में जिस–जिस पार्टी का भी शासन काल रहा, उस दौरान जो प्रदेश की कानून एवं व्यवस्था रही, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इस प्रकार 16 साल की कानून व व्यवस्था के मसले पर महज एक घंटे में चर्चा हो जाये, यह तो नामुमकिन वाली बात होगी।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विपक्ष के नेता को एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो यह 16 साल का विभिन्न पार्टियों के शासन काल का अतीत रहा है, इस अतीत में ऐसे कौन से गौरव के क्षण है या ऐसा कौन सा किला फतह कर लिया गया जिसके बारे में चर्चा करके जनता को महान प्रेरणा मिलेगी या वे इस प्रकार के अध्यायों को जीवन प्रयंत याद रखेंगे? ऐसे विषयों पर सदन का बहुमूल्य समय खराब करने की इजाजत कभी नहीं दी जा सकती है? आखिर हमें जनता को भी जवाब देना है? सबसे अहम बात तो यह है कि जो यह 16 वर्षों का अतीत है इस अतीत में हमारी पार्टी का हिस्सा तो महज 22 महीने का है। अतः इस प्रकार की चर्चा करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इसलिए एक सीमित समय में इस विषय पर चर्चा की जाये और चर्चा होने के बाद जब मेरा रिप्लाई होगा तो उसमें इस पुराने अतीत की सभी बातें सामने आ जायेंगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा दिए गए काम रोको प्रस्ताव को आपने ध्यानकर्षण सूचना में बदल दिया है। आज प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। ऐसे हालात में काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा जरूर होनी चाहिए क्योंकि सत्ता व विपक्ष के सभी सदस्यों को कानून व्यवस्था की चरमराते हुए हालात

पर अपने–अपने आंकड़े सदन में प्रस्तुत करने हैं ताकि हरियाणा की जनता को मालूम हो कि हरियाणा में किस प्रकार का भयावह वातावरण पैदा हो चुका है। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सदन में कहा था कि पिछली सरकारों में क्या–क्या हुआ था, उस इशू पर चर्चा करेंगे क्या अब सरकार इन इशूज पर सदन में चर्चा नहीं करना चाहती है?

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकारों में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ उन बातों पर इस समय चर्चा करना ठीक नहीं है।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, जाट आरक्षण मामले में सरकार ने तीन जांच आयोग का गठन किया है । प्रकाश सिंह जांच आयोग की रिपोर्ट आने से पहले ही हमने यह मांग की थी कि इसकी इन्क्वॉयरी उच्च न्यायालय के किसी भी सिटिंग्स जज से करवाई जाये । लेकिन सरकार ने झा आयोग का गठन कर दिया और उसके बाद उसी जांच को सी.बी.आई. को सौंप दी गई। अध्यक्ष महोदय, सी. बी.आई. को जांच सौंपने के बाद जब सरकार से पूछा गया कि यह जांच सी.बी. आई. को क्यों दी गई है, उसके कारण पूछे गए तो आपने यह कहा था कि मैं इसे पूरे विस्तार के साथ सदन में बताऊँगा।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा था कि उसमें हम वक्तव्य देंगे। उस वक्तव्य का तो एक संक्षेप सा उत्तर है। माननीय प्रतिपक्ष नेता ने कहा कि पहले प्रकाश सिंह कमेटी का विषय आया फिर झा आयोग का विषय आया और उसके बाद सी.बी.आई. का विषय आया, इन तीनों का क्रमवार उत्तर देने का विषय है तो उसकी रिपोर्ट मुझे देनी है, इसलिए मुझे इसके लिए कोई समय नहीं चाहिए। अध्यक्ष महोदय, उस वक्तव्य को मैं माननीय प्रतिपक्ष नेता को लिखकर व बोलकर बता दूंगा, क्योंकि वह चर्चा का विषय नहीं है।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, जब हम कानून व्यवस्था पर चर्चा करना चाहते थे तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं सदन में कहा था कि वर्ष 2000 से वर्ष 2016 तक पिछली सरकारों में क्या–क्या हुआ था, उस पर भी खुलकर चर्चा होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमने कहा था कि हमें यह बात स्वीकार है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए इस सत्र की अवधि को एक दिन और बढ़ाया जाये। आज का दिन इसी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए मंजूर हुआ था। अध्यक्ष महोदय, 16 वर्ष के

कार्यकाल की चर्चा करना केवल एक घंटे में मुश्किल है। जनता को यह पता होना चाहिए कि किस–किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था खराब हुई है और उसके पिछे किन–किन लोगों का हाथ रहा है।

श्री अध्यक्षः अभय जी, सरकार तो 22 महीनों का ही कानून व्यवस्था का ब्योरा दे सकती है।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश के पिछले 16 साल की कानून व्यवस्था पर चर्चा करनी है, इसलिए आपने जो उसके लिए एक घंटे का समय निर्धारित किया है, वह बहुत कम है। आज के कानून व्यवस्था के हालातों पर भी चर्चा करनी है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इसके लिए समय की अवधि कम से कम 2 घंटे बढ़ाई जाये।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, बात सही है इस पर कम से कम 2 घंटे चर्चा होनी चाहिए। एक घंटे की समय सीमा में तो कोई भी बात पूरी नहीं हो पायेगी।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, आपने प्रतिपक्ष के नेता की ओर से कानून व्यवस्था का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्वीकृत किया है। सदन में माननीय सदस्यों को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिल रहा है । अध्यक्ष महोदय, यह विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियमानुसार आपने पांच और माननीय सदस्यों को सप्लीमैंट्री पूछने का मौका दिया है। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम–64 के अनुसार सदन में एक स्टेटमैंट देकर भी इस कानून व्यवस्था के ध्यानाकार्षण प्रस्ताव को अस्वीकृत किया जा सकता था। अध्यक्ष महोदय, जो परम्पराएं हमने सुनी है, उसी को मैं सदन में बताना चाहूँगा कि ऐसी प्रथा भी है कि गिरफ्तारी, अधिग्रहण, हड़ताल, कानून व्यवस्था रोजमर्रा के प्रशासनिक मुद्दों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अक्सर मंजूर नहीं होते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह आपकी दरियादिली है कि इस प्रकार का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आपने स्वीकार किया है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन की पटल पर आ चुका है, यदि माननीय सदस्यगण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को पढ़ेंगे तो उसी में से कानून व्यवस्था के बारे में सार निकल कर आयेगा। अध्यक्ष महोदय, यदि हम इस सदन का समय अपने आप को हाई लाइट करने के लिए लेते रहेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के लिए दो घंटे का समय होना चाहिए। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए दो घंटे का समय होता है इस तरह से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव में कोई भी फर्क नहीं रहेगा।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, इसमें अपने आपको हाई लाइट करने वाली कौन–सी बात है ? हमें अपने आपको हाई लाइट करने की कोई आवश्यकता नहीं है । (शोर एवं व्यवधान) मेरे ग्रैंड फादर देश की आजादी से पहले जो पंजाब की असैम्बली बनी थी उसके सदस्य रहे हैं और वे इस देश के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, मुझे तथ्य पेश करने हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, सदन में सदस्यों का बोलने का टाइम निर्धारित करने का अधिकार मेरा है । यह समय मैं निश्चित करूंगा । आप अनलिमिटेड टाइम तक हाउस में नहीं बोल सकते । (शोर एवं व्यवधान) यह कोई तरीका नहीं है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष जी, सदन के नेता बोलने के लिए खड़े हैं । आपने इतनी दरियादिली दिखाई है ... (शोर एवं व्यवधान) यह कोई तरीका नहीं है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, एडजर्नमैंट मोशन के लिए 2 घंटे का टाइम होता है और आप कॉलिंग अटैनशन मोशन के लिए 2 घंटे का टाइम मांग रहे हो । (शोर एवं व्यवधान) मैंने कॉलिंग अटैनशन मोशन के लिए एक घंटे तक बोलने के लिए कहा था ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इससे ज्यादा समय का नहीं होता है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : इसमें हाई लाइट करने वाली कौन–सी बात आ गई ? (शोर एवं व्यवधान) कोई जवाब तो दें । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, सदन के नेता ..... (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, मैंने आपको बोलने के लिए 11:25 पर समय दिया था । अब आपको बोलते हुए 6 मिनट हो चुके हैं परंतु अभी तक आपने अपने विषय पर कोई बात नहीं रखी है । अगर आप वाकई कानून–व्यवस्था के लिए चिंतित हैं तो अपनी सदन में बात रखिये । आपको जिस विषय के लिए समय दिया गया है उसकी बजाय आप दूसरे विषय पर बोल रहे हो । इसलिए आप अपने मुख्य विषय पर अपनी बात रखिये । (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष जी, जब चौधरी अभय सिंह सदन में अपनी बात रखने जा रहे रहे थे तभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने चौधरी अभय सिंह को "अपने आपको हाई लाइट" करने वाली बात कही । मैं कहना चाहता हूं कि जिनके दादा चौ. साहिब राम सन् 1938 में लाहौर असैम्बली के सदस्य रहे हों ... (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : संधू जी, यह बात सारे हरियाणा को पता है ।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष जी, जिस परिवार के सदस्य भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों उनके परिवार को ये कहना कि वे अपने आपको हाइलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, यह कोई अच्छी बात थोड़े–ही है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को हाइलाइट करने वाली बात किसने कही है ? (शोर एवं व्यवधान) मैं समझता हूं कि कॉलिंग अटैनशन मोशन पर चर्चा के लिए एक घंटा सफिशियंट है । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : गुप्ता जी, आप 500–700 वोटों में निपट जाते थे । आज कुदरती आपकी सूत बैठ गई । (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : चौटाला जी, मैं 50 हजार वोटों से जीतकर आया हूं । आप बताइये कि आपने हमें 500–700 वोटों में निपटते हुए कब देखा है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस तरह की बातों से सदन का माहौल ही खराब होगा चूंकि हर सदस्य के पास कहने के लिए ऐसी बातें हैं । अगर वे भी गलत बात कहेंगे तो इससे सदन का माहौल ही खराब होगा । (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञानचंद गुप्ता : अध्यक्ष जी, क्या माननीय सदस्य सदन में अपनी मनमर्जी से बोलते रहेंगे ? ये इस तरह से बात करके किसको दबाने की कोशिश करते हैं ?

अध्यक्ष जी, ये बतायें कि हम 5–7 सौ वोटों के अंदर कब निपटे थे ? (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : स्पीकर सर, माननीय विपक्ष के नेता और आदरणीय सी.एल.पी. लीडर तथा अन्य माननीय सदस्यों ने कॉलिंग अटैशन मोशन दिया था । इस पर दरियादिली दिखाते हुए You have accepted all that. आपने अपने मुखारविन्द से उन सब कॉलिंग अटैंशन मोशंज को क्लब करने की बात कह दी । इस सदन की पुरानी परिपाटी के अनुसार कॉलिंग अटैंशन मोशन पर सिग्नेटरीज़ को प्रश्न पूछने का अधिकार होता है । सदन की नियमावली के अनुसार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्पीकर द्वारा स्वीकार किया जाता है और संबंधित मंत्री उसका जवाब देता है । जिन माननीय विधायकों ने ध्यानाकार्षण प्रस्ताव दिया होता है वे उस पर प्रश्न पूछते हैं । आपने इस परिपाटी से आगे बढ़कर इसके लिए एक घंटा मुकर्रर कर दिया ताकि सदन में इस पर खुलकर चर्चा हो सके । मैं आपके माध्यम से माननीय विपक्ष के नेता से कहना चाहता हूं कि वे इधर–उधर की बातों में उलझने की बजाय अपने विषय को शुरू करें ।

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि हम 500–700 वोटों में कब निपटे थे ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : गुप्ता जी, इस बार आपकी सूत बैठ गई है । (शोर एवं व्यवधान)

(शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : चौटाला जी, हमारी तो सूत बैठ गई है । शायद आपकी भी सूत बैठ गई है । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, प्लीज, आप सदन की बैठक का समय बढ़ाइये । इस विषय पर बहुत–से माननीय सदस्यों को अपनी बात रखनी है ।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आप इस पर अपनी सप्लीमैंट्री पूछ सकते हो ।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, ज्ञान चन्द गुप्ता जी का अब की बार सूत बैठ गया वरना तो इनको कभी 500–700 से ज्यादा वोट नहीं मिलती थी ।

श्री ज्ञान चन्द गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, चौटाला जी ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैं सिर्फ 500–700 वोट से ज्यादा लेकर नहीं आया ।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, सभी विधायकों ने अपनी बात पूछनी है इसलिए आप इस पर चर्चा के लिए थोड़ा समय बढ़ाईये ।

श्री अध्यक्षः चौटाला जी, ज्ञानचन्द गुप्ता जी आप अपनी सीटों पर बैठ जाईये । आप इस बारे में अपनी अपनी सप्लीमैंट्री पूछ सकते हैं ।

श्री अभय सिंह चौटालाः स्पीकर महोदय, अभी संसदीय कार्य मंत्री श्री रामबिलास शर्मा एक बात का हवाला दे रहे हैं कि रूल के मुताबिक हमने काम रोको प्रस्ताव दिया है और उस समय सदन के नेता ने स्वंय यह कहा था कि इस पर सभी विधायक खुलकर डिस्कशन कर लेंगे । मैं अध्यक्ष महोदय से केवल एक ही रिक्वेस्ट कर रहा था कि इसके लिए एक घण्टे की बजाये दो घण्टे का समय चर्चा के लिए रख दें और इस विषय पर खुलकर चर्चा कराएं । हर माननीय सदस्य के अपने अपने जिले में कहीं न कहीं आज कानून व्यवस्था को लेकर कठिनाईयां आती हैं । इस बारे में उनको काफी दिक्कत होती है इसलिए प्रत्येक सदस्य इस बारे में चर्चा कर सकता है । इसलिए चर्चा के लिए एक घण्टा कम है इसको थोड़ा और बढ़ायें।

श्री अध्यक्षः ठीक है चौटाला जी, आप अपना प्रस्ताव पढ़ना शुरू कीजिए । प्रत्येक सदस्य इसके बारे में अपना सवाल पूछ सकता है उसको इसके लिए खुला समय मिल जायेगा ।

श्री अभय सिहं चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं एवं चार अन्य विधायकगण इस महान सदन का ध्यान अत्यावश्यक तथा अति लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि अध्यक्ष महोदय हरियाणा प्रदेश में पिछले लगभग 12 वर्षों से निरंतर बिगडती कानून व्यवस्था के कारण लोगो में असुरक्षा एवं भय का वातावरण बना हुआ है। वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद आम जनता को यह आशा थी कि कांग्रेस के शासनकाल में कानून व्यवस्था बारे जो भयावह स्थिति उसमें सुधार होगा। परंतु सुधार होना तो दूर रहा खेद कि बात है कि हत्या, बलात्कार, लूटपाट, डकैती तथा फिरोती के लिए अपहरण की घटनाओं में निरतंर वृद्धि हो रही है। राज्य में होने वाली चोरी और दबंगई की घटनाओं की कोई सीमा ही नही है। हाल ही में मेवात जिले के डींगरहेडी गांव में पांच बदमाशों द्वारा 24 अगस्त, 2016 की रात को मकान में घुसकर एक दंपति को मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया।

बदमाशों ने एक नाबालिग समेत दो से सामूहिक दुष्कर्म किया। परिवार के 4–5 सदस्यों की डंडे व सरियों से पिटाई की और जाते समय उनको रस्सी से बांधकर घटनास्थल से भाग गए। परिवार के जो सदस्य बुरी तरह से जख्मी हुए थे बाद में उन्हे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मेवात जिले के ही पुन्हाना खंड के गांव नीमखेडा में दबंगों के अत्याचार से पीडित दलित वर्ग के लोग पुलिस द्वारा कोई कार्यावाही न करने पर गांव से पलायन कर गए । जुलाई 2016 को गुडगांव मे बदमाशों ने एक व्यापारी श्री संजीव जिंदल पुत्र श्री आशोक जिंदल को उसके घर के दरवाजे पर गोली मारकर हत्या कर दी। जानमाल की सुरक्षा के लिए नियुक्त सैक्टर 29 के एस. एच. ओ., पुलिस इन्सपैक्टर सुरेन्द्र सिंह फोगाट का 30 जून 2016 की रात बदमाशों द्वारा गाडी समेत अपहरण कर लिया गया। और एस. एच. ओ. को मथुरा के पास कोसी में फैंक कर के चले गए। जनता की सुरक्षा करने वाले ही स्वंय असुरक्षित है तो आम लोग सरकार से सुरक्षा की क्या अपेक्षा कर सकते हैं। इनैलो के पूर्व विधायक श्री सुभाष चौधरी के चचेरे भाई के घर बदमाशों द्वारा इसी माह लूटपाट करके उसकी धर्मपत्नी की हत्या कर दी गई। यमुनानगर से लेकर मेवात क्षेत्र तक आए दिन अपराधी लोगों के घरों में घुसकर हमला कर रहे हैं जो इस बात का प्रमाण है कि अपराधियों के हौंसले बढ़ चुके हैं। जहां तक राह चलते लोगो का प्रश्न है तो वह लगभग हर कस्बे और शहर में छेडखानी ओर चैन स्नैचिंग के शिकार होते हैं। जाहिर है कि इन अपराधियों को किसी शक्तिशाली पक्ष का संरक्षण प्राप्त है जिस कारण पुलिस उनके विरूद्ध कार्यवाई करने में असफल हो जाती है। इस प्रकार कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है और सरकार अपने प्राथमिक कर्तव्य को निभाने में असफल हो गई है।

इस बारे सरकार इस सदम में अपना वक्त्व्य देकर अपनी स्थिति स्पष्ट करे।

Shri Karan Singh Dalal: Speaker Sir, I wants to draw the kind attention of this august House towards a matter of great public importance that law and order situation has gone worse to worst in whole of Haryana and specifically in District Palwal, Faridabad, Mewat a large number of cases of dacoity with murders/rape/theft are taking place and people in these districts are not feeling safe. Police Administration has totally collapsed in these areas and people are living under threat of terror.

I request the Government to make statement in this august House regarding the matter mentioned herein.

Shri Jagbir Singh Malik: I want to draw the kind attention of this august house to words a matter of urgent and great public importance that the crime against women in Haryana is surpassing all record as national crime record is zero. As per a report that Haryana is head of other northern state of India like Punjab, Himachal Pardesh, Jammu etc. in various crime against women. In the year 2014 in Haryana total 8974 matter were registered although the victim women were 9154 in numbers, in Punjab 5425 matter were registered and victim women were 5489, in J&K 3321 matter were registered and in Himachal 1517 matter were registered.

Out of these crime against women the rape cases were 1174 registered in Haryana although victim no. was 1183, in Punjab 981 rape cases were registered and victim women were 983 and in J&K 331 cases were registered victim women were 332, in Himachal 283 rape cases were registered and victim women were 284. In Haryana gang rape cases were 230, in Punjab 24, in Himachal 6. Attempt to rape cases were 136 in Haryana, in Punjab 154, in J&K 20, In Himachal Pradesh 5.

Women Kidnapping case in Haryana 1922, in Punjab 1176, in J&K 813, in Himachal Pradesh 227. Dowry Death cases in Haryana 293, in Punjab 90, in J&K 5, in Himachal Pradesh 1. Kidnapping case for marriage in Haryana 886, in Punjab 806, in J&K 236, in Himachal Pradesh 175.

So, like in other matter crime rate against women is highest in northern state as we daily go through the reports in T.V. and News Paper that the women in Haryana are not safe on road, even women constable are not safe in the police station are not safe in the hospitals

and lady teachers and girl students are not safe in school and women are suffering sexual harassment at the hands of colleagues and officers and opening of women police station in each District would not help as in police academy Madhubhan National throw players Anita and other six other lady constable were the victim at the hands of senior police officer, when the women constables themselves are victim how the justice can be delivered to the other women of the state, this is very serious and grave situation is emerging day by day.

Keeping in view, of this serious problem the state govt. should make a statement on the floor of this House in the year 2015 & up to date nos. of crime committed and cases registered of different categories against women in Haryana comparison with Punjab, Himachal, J&K and what steps taken by the govt. in improving the situation if any enactment or amendent in any act is under consideration of govt. or not.

Smt. Kiran Choudhary, MLA, Dr. Raghubir Singh Kadian, MLA, Shri Jagbir Singh Malik, MLA and Shri Anand Singh Dangi, MLA want to draw the kind attention of this august house to words a matter of urgent and great public importance that the growing incidents of gang-rape, looting, gangsterism, assaults and chain-snaching in the State. The law and order situation has never been as bad as now, and people, especially the women, have begun to feel insecure and unsafe in the state.

Early last week, a couple was murdered and a minor girl and her married cousin were allegedly gang-raped by robbers who went on the rampage in Dingerheri village of Mewat district pastmidnight. About four to five robbers terrorized two families living within 200 metres of each other for three hours on the outskirts of the village. The

20-year-old complainant, a rape victim, had come to visit her uncle in the village.

In Palwal, some goons assaulted the sister-in-law of former MLA, Mr. Subhash Choudhry, who later succumbed to her injuries. None has been apprehended.

In Rewari, some goons indulged in indiscriminate firing at a public place but they are still at large.

In Gurgaon, a week ago, there was an incident of chain-snatching in broad daylight.

They have further stated that the list of such incidents is endless. These prove beyond an iota of doubt that goondaism and gangstersm are having a free play in the State, and the police force has been reduced to mere spectator. The law-and-order situation has gone for a six. We call upon the Hon'ble members of the House to discuss the issue and impress upon the State Government to take immediate and effective steps to check crime, give relief and rehabilitate the rape victims and make people feel safe and secure. There for being an urgent matter, we request the Govt. to make a statement on the floor of the office.

श्री नसीम अहमद, विधायक ने इस महान सदन का ध्यान गम्भीर विषय पर दिलाते हुए कहा है कि अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में पिछले लगभग 12 वर्षों से निरंतर बिगडती कानून व्यवस्था के कारण लोगो में असुरक्षा एवं भय का वातावरण बना हुआ है। वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद आम जनता को यह आशा की थी कि कांग्रेस के शासनकाल में कानून व्यवस्था बारे जो भयावह स्थिति उसमें सुधार होगा। परंतु सुधार होना तो दूर रहा खेद कि बात है कि हत्या, बलात्कार, लूटपाट, डकैती तथा फिरोती के लिए अपहरण की घटनाओं में निरतंर वृद्धि हो रही है। राज्य में होने वाली चोरी ओर दबंगई की घटनाओं की कोई सीमा ही नही है। हाल ही में मेवात जिले के डींगरहेडी गांव में पांच बदमाशों द्वारा 24 अगस्त,

2016 की रात को मकान में घुसकर एक दंपति को मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया। बदमाशों ने एक नाबालिग समेत दो से सामूहिक दुष्कर्म किया। परिवार के 4–5 सदस्यों की डंडे व सरियों से पिटाई की ओर जाते समय उनको रस्सी से बांधकर घटनास्थल से भाग गए। परिवार के जो सदस्य बुरी तरह से जख्मी हुए थे बाद में उन्हे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मेवात जिले के ही पुन्हाना खंड के गांव नीमखेडा में दबंगों के हत्याचार से पीडित दलित वर्ग के लोग पुलिस द्वारा कोई कार्यावाही न करने पर गांव से पलायन कर गए जुलाई 2016 को गुडगांव मे बदमाशों ने एक व्यापारी श्री संजीव जिंदल पुत्र श्री आशोक जिंदल को उसके घर के दरवाजे पर गोली मारकर हत्या कर दी। जानमाल की सुरक्षा के लिए नियुक्त सेक्टर 29 के एसएचओ, पुलिस इन्सपैक्टर सुरेन्द्र सिंह फोगाट का 30 जून 2016 की रात बदमाशों द्वारा गाडी समेत अपहरण कर लिया गया। और एसएचओ को मथुरा के पास कोसी में फैंक कर के चले गए। जनता की सुरक्षा करने वाले ही स्वंय असुरक्षित है तो आम लोग सरकार से सुरक्षा की क्या अपेक्षा कर सकते हैं। इनैलो के पूर्व विधायक श्री सुभाष चौधरी के चचेरे भाई के घर बदमाशों द्वारा इसी माह लूटपाट करके उसकी धर्मपत्नी की हत्या कर दी गई। यमुनानगर से लेकर मेवात क्षेत्र तक आए दिन अपराधी लोगों के घरों में घुसकर हमला कर रहे हैं जो इस बात का प्रमाण है कि अपराधियों के हौंसले बढ़ चुके हैं। जहां तक राह चलते लोगो का प्रश्न है तो वह लगभग हर कस्बे और शहर में छेडखानी ओर चैन स्नैचिंग के शिकार होते हैं। जाहिर है कि इन अपराधियों को किसी शक्तिशाली पक्ष का संरक्षण प्राप्त है जिस कारण पुलिस उनके विरूद्ध कार्यवाई करने में असफल हो जाते हैं। इस प्रकार कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है और सरकार अपने प्राथमिक कर्तव्य को निभाने में असफल हो गई है।

इस बारे सरकार इस सदम में अपना वक्त्व्य देकर अपनी स्थिति स्पष्ट करे।

वक्तव्य–

मुख्यमंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में सन 2005 से 2014 के अंतराल में पिछली सरकार के लगभग 10 वर्षों के शासनकाल में कानून व व्यवस्था की स्थिति निरन्तर खराब हुई थी। अक्टूबर 2014 में जब प्रदेश की जनता ने वर्तमान लोकप्रिय सरकार को चुनकर भेजा तब प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ी हुई थी। जनता अपराधियों तथा शरारती तत्वों से बुरी तरह परेशान

थी। इसीलिए वर्तमान सरकार ने कार्यभार संभालते ही कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने की दिशा में अनेक कदम उठाये। सरकार के लगभग 22 महीने के कार्यकाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति में निरन्तर सुधार आया है और लोगों में सुरक्षा की भावना जागृत हुई है। निम्नलिखित आंकड़े इस बात का प्रमाण हैं–

अपराध	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (31 जुलाई तक)
हत्या	782	873	913	921	950	1005	1062	989	1031	1106	1001	621
सदोष मानव वध	53	57	63	89	75	60	59	68	65	65	60	20
हत्या का प्रयत्न	504	583	590	625	688	835	850	907	825	778	857	528
चोट	4114	4681	4551	4489	3974	3733	3431	3277	3254	3020	2895	1549
डकैती	88	104	137	121	153	146	168	202	159	172	200	119
लूट	391	409	502	555	684	732	636	714	742	803	898	418
घरों में चोरी	3400	3982	4210	4238	4065	4448	4998	5126	6118	6694	6619	3923
चोरी	8649	10489	11003	12666	12834	16234	17256	17563	18515	20271	20557	11943
वाहन चोरी	5039	6343	6506	7644	8432	11306	11919	12973	13356	14634	14330	8638
छीनाझपटी	461	786	752	845	905	1007	1205	1136	1159	1166	1314	925
दहेज हत्या	211	261	269	301	280	284	255	260	265	292	242	154
दहेज प्रताडना	2074	2244	2412	2435	2613	2718	2732	3137	3604	3479	3526	1804
बलात्कार	461	607	485	634	599	717	723	590	927	1088	1038	637
महिला अपहरण	355	442	597	658	457	500	472	521	1468	1592	1530	944
छेड़छाड	399	508	423	451	683	743	760	875	1532	1688	1926	1041
दलित महिलाओं से बलात्कार	18	28	21	49	40	41	48	64	142	110	115	63
दलित महिलाओं से छेडछाड	10	19	19	27	24	37	33	39	119	100	110	71

उपरोक्त आंकडों से स्पष्ट है कि अपराध की वृद्वि दर वर्तमान सरकार के लगभग 22 महीने के कार्यकाल में इससे पहले के लगभग 10 वर्ष की तुलना में बहुत कम रही है। दबंगई की घटनाएं अब प्रदेश में कहीं भी देखने को नहीं मिलती हैं। वर्ष 2005 से 2014 तक कुल अपराधों में औसतन प्रतिवर्ष 11.2 प्रतिशत की दर से वृद्वि हुई जबकि वर्ष 2015 में ये वृद्वि

दर मात्र 0.32 प्रतिशत थी तथा इस वर्ष 31 जुलाई 2016 तक यह दर (–)0.08 प्रतिशत रही है।

- वर्ष 2005 से 2014 तक हत्या के मामलों में औसतन प्रतिवर्ष 4.2 प्रतिशत की दर से वृद्वि हुई जबकि 2015 में यह दर (–)10.59 प्रतिशत रही तथा 31 जुलाई 2016 तक यह दर 7.62 प्रतिशत रही।
- वर्ष 2005 से 2014 तक बलात्कार के मामलों में औसतन प्रतिवर्ष 13.6 प्रतिशत की दर से वृद्वि हुई जबकि 2015 में यह दर (–) 4 प्रतिशत रही तथा 31 जुलाई 2016 तक यह दर 3.14 प्रतिशत रही।
- वर्ष 2005 से 2014 तक लूटपाट के मामलों में औसतन प्रतिवर्ष 10.5 प्रतिशत की दर से वृद्वि हुई जबकि 2015 में यह दर 10.7 प्रतिशत रही तथा 31 जुलाई 2016 तक यह दर (–) 23 प्रतिशत रही।
- वर्ष 2005 से 2014 तक डकैती के मामलों में औसतन प्रतिवर्ष 9.6 प्रतिशत की दर से वृद्वि हुई जबकि 2015 में यह दर 13.5 प्रतिशत रही तथा 31 जुलाई 2016 तक यह दर (–) 11.8 प्रतिशत रही ।
- वर्ष 2005 से 2014 तक चोरी के मामलों में औसतन प्रतिवर्ष 13.4 प्रतिशत की दर से वृद्वि हुई जबकि 2015 में यह दर 1.46 प्रतिशत रही तथा 31 जुलाई 2016 तक यह दर 1 प्रतिशत रही ।
- वर्ष 2005 से 2014 तक छेड़खानी के मामलों में औसतन प्रतिवर्ष 32.3 प्रतिशत की दर से वृद्वि हुई जबकि 2015 में यह दर 12.1 प्रतिशत रही तथा 31 जुलाई 2016 तक यह दर (–) 8.2 प्रतिशत रही ।

मेवात के डिंगरहेडी गांव में 24 अगस्त, 2016 की रात बलात्कार, डकैती और हत्या की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के सम्बन्ध में अभियोग संख्या 247 दिनांक 25.08.2016 धाराधीन 459/460/376 डी. भादसं, 6 पोक्सो एक्ट एवं 25/54/59 शस्त्र अधिनियम, थाना तावडू में दर्ज किया गया। अनुसंधान के दौरान धारा 396/397 तथा 302 भादसं लगाई गई है। पुलिस ने 4 अभियुक्तों को दिनांक 28.08.2016 को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित परिवार के सदस्यों को 3 लाख रूपये की राहत राशि दे दी गई है और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जा चुकी है। घायलों के उपचार की समुचित व्यवस्था की गई है। मुकदमें में एसआईटी का गठन किया गया है जो इसका सघन अनुसंधान कर रही है। अनुसंधान पूर्ण होने के उपरान्त इस मुकदमें को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल कराने के लिए अनुशंसा की जाएगी।

पुन्हाना खंड के गांव नीमखेडा में एक दलित पीड़ित द्वारा अत्याचार से सम्बन्धित मुकदमा नं 440 दिनांक 20.8.2016 धारा 147/149/506 भादस व 3/33/89 एससी/एसटी एक्ट थाना पुन्हाना में दर्ज कराया गया है। घटना के बाद पीड़ित परिवार के

कुछ सदस्य अपने परिवार के कुछ अन्य सदस्यों के पास फिरोजपुर झिरका चले गए थे जो अब वापस आ चुके हैं। कुछ शरारती लोगों ने इनके घर की वाटर सप्लाई लाईन को बाधित कर दिया था जिसे अब जुड़वा दिया गया है। अभियुक्तों के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जा रही है।

जुलाई 2016 में गुडगांव में एक व्यापारी श्री संजीव जिंदल पुत्र श्री अशोक जिंदल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सम्बन्ध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके चार अभियुक्तों को दिनांक 15.8.2016 को तथा एक सह अभियुक्त को 18.8.2016 को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस प्रकार सभी अभियुक्त गिरफतार किए जा चुके हैं।

सैक्टर–29 गुडगांव के थाना प्रबन्धक पुलिस निरीक्षक सुरेन्द्र सिंह फोगाट 30 जून 2016 को अपने निजी वाहन में सादे कपडों में जा रहे थे तो रास्ते में कुछ बदमाशों के साथ उनकी मुठभेड़ हुई थी। अकेला होने के कारण बदमाशों ने उसको काबू कर लिया था। इस सम्बन्ध में पुलिस ने मुकदमा न0 469 दिनांक 30.6.2016 थाना डीएलएफ सैक्टर–29 गुडगांव में दर्ज करके चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है।

इनेलो के पूर्व विधायक श्री सुभाष चौधरी के चचेरे भाई के घर में एक वारदात हुई थी। इस सम्बन्ध में पुलिस ने मुकदमा न0 685 दिनांक 17.08.16 धाराधीन 460/302 आई.पी.सी. दर्ज करके 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे चोरी हुई कुछ सम्पत्ति भी बरामद की है। मुकदमा अनुसंधानाधीन है।

नैशनल थ्रो बाल खिलाड़ी महिला पुलिसकर्मियों द्वारा हरियाणा सशस्त्र पुलिस के कुछ कर्मचारियों/अधिकारी के विरूद्व शिकायत दी गई थी जिस पर विधि अनुसार जांच कराकर विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

रेवाड़ी ज़िले में अपराधियों द्वारा बी0 एम0 जी0 माल रेवाड़ी के सामने गोली चलाई गई थी तथा अजीज़ गारमैन्ट के कर्मचारियों पर भी अपराधियों द्वारा गोलियां चलाई गई थी। दोनो ही मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अपराधियों को गिरफतार कर लिया है। गुड़गांव में 21.8.2016 को चेन स्नैचिंग की घटना घटित हुई थी जो मुकदमा दर्ज किया जा चुका है तथा अपराधियों को गिरफतार करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

यद्यपि उपरोक्त घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं लेकिन पुलिस ने सभी घटनाओं को अति गम्भीरता से लेकर तत्परता के साथ तकरीबन सभी घटनाओं को हल कर लिया है और लगभग सभी में अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आंकडे इस बात का प्रमाण हैं कि कस्बे और शहरों मे छेडछाड और छीनाझपटी की घटनाओं पर नियन्त्रण लगाने में पुलिस सफल हो रही है और अपराधियों को तेजी से गिरफ्तार किया जा रहा है। अपराधियों को किसी शक्तिशाली पक्ष के सरंक्षण के बारे में कोई स्थापित तथ्य मौजूद नहीं है। परन्तु यदि इस प्रकार का कोई तथ्य सामने आया तो शीघ्र अति शीघ्र एवं कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कानून एवं व्यवस्था की स्थिति नियन्त्रण में है और सरकार अपने प्राथमिक कर्तव्य को भलीभांति निभा रही है। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस कालिंग अटैंशन का उत्तर पटल

पर रख दिया गया है । इस कालिंग अटैंशन मोशन में 12 वर्ष के हिसाब किताब के बारे में कहा गया है । मैं अपने साथी अभय सिंह चौटाला को यह कहूंगा कि ये या तो 17 वर्ष के हिसाब किताब की बात कहते अन्यथा 22 महीने की बात करते क्योंकि मैं तो 22 महीने की जिम्मेदारी ले सकता हूं । यदि 17 वर्ष की तुलना करेंगे तो फिर तुलनात्मक चर्चा होगी । तुलनात्मक स्थिति में हम कहां खड़े हैं इसकी जानकारी इन आंकड़ों में स्पष्ट दिखाई देती है । पिछले वर्षों की अपेक्षा वर्ष 2005 से 2014 तक अपराधों के बढ़ने की जो दर है वह इन आंकड़ों में दी गई है । चाहे हत्या का मामला हो और चाहे बलात्कार, डकैती या लूट का मामला हो हर तरह के अपराधों के आंकड़े इस रिप्लाई में दिए गए हैं । इन सब अपराधों के आंकड़ों में पिछले 10 वर्षों की अपेक्षा जो वृद्धि है वह बहुत कम है । मैं यह नहीं कहता कि वृद्धि नहीं हुई होगी, वृद्धि भी हुई होगी । अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहकर अपने आप को सांत्वना नहीं दे रहा हूं या संतोष प्रकट नहीं कर रहा हूं कि अब क्राइम नहीं है । क्राइम तो है लेकिन इसको कैसे कम करना चाहिए इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं । हरियाणा में अपराध कम करने के लिए बहुत से स्टैप उठाए गए हैं जिनकी जानकारी भी मैं यहां दूंगा । हमने हरियाणा पुलिस बल को मजबूत किया है । कल यहां महिला पुलिस थानों की भी बात आई थी और उसकी जानकारी हमने दी थी । वर्ष 2005 में कुल अपराधों की संख्या 26256 थी और 2014 में यह बढ़कर 55200 हो गई। 2015 में यह संख्या 55377 है जोकि मामूली वृद्धि है या प्वांयट 32 परसैंट की वृद्धि मानी जा सकती है । इस वृद्धि को मैं अच्छा नहीं मानता । यदि यह संख्या और भी कम होती तो ज्यादा अच्छा होता लेकिन हमने इसके ऊपर काबू पाया है । हत्या के अपराधों की संख्या 2005 में 782 थी और 2014 में यह संख्या 1106 थी यानि प्रति वर्ष 4.2 परसैंट की वृद्धि है । अध्यक्ष महोदय, 2015 में कुल 1001 मुकद्मे दर्ज हुए जोकि 10.59 परसैंट की कमी है । इस प्रकार हत्या का प्रयत्न के मामले में 2005 में 504 मुकद्में दर्ज हुए और 2014 में 778 मुकद्मे दर्ज हुए यानि इसमें प्रति वर्ष 5.5 परसैंट की वृद्धि है । 2015 में यह वृद्धि थोड़ी बढ़ी है लेकिन 2016 के 7 महीनों की एवरेज लगाकर देखें तो यह वृद्धि प्वांयट 76 परसैंट यानि एक परसैंट से भी कम है । 19 महीनों में यानि 2015 के 12 महीने और 2016 के 7 महीनों में सभी आंकड़ों की उस वृद्धि में लगातार कमी आई है । वह कमी कहीं 10 परसैंट है, कहीं 11 परसैंट, कहीं 7 परसैंट, कहीं 3 परसैंट या कहीं 4 परसैंट है । एक जगह ऐसी है जहां वृद्धि हुई है

लेकिन बाकी सभी जगह कमी हुई है । सभी जगह कमी आई हो और मैं प्रसन्न हो रहा हूं, ऐसा भी नहीं है । आन एण्ड अवरेज जो 16 हैड हैं इनमें एक दो जगह वृद्धि हैं तथा 14 जगह कमी आई है । इस बात को सदन के सदस्यों को तुलना करके एप्रीशिएट करना चाहिए । इस प्रस्ताव के दूसरे भाग में श्री जगबीर सिंह मलिक ने वर्ष 2014 की घटनाओं से सम्बन्धित जो आंकड़ें प्रकाशित हुए हैं वे ही आंकड़ें दिए हैं क्योंकि हमारे यहां वर्ष 2015 के कोई आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि यह हमारी सरकार के समय के आंकड़ें नहीं हैं बल्कि यह उनकी अपनी सरकार के समय की स्वीकारोक्ति है। इस सम्बन्ध में वर्ष 2014 के जो आंकड़ें हैं वे काफी बढ़कर हैं। स्पीकर सर, इस विषय में एक बात और विशेष रूप से यह बताना चाहूंगा कि माननीय साथियों द्वारा इस सम्बन्ध में हरियाणा की तुलना हिमाचल प्रदेश और जम्मू–कश्मीर जैसे पहाड़ी प्रदेशों के साथ की गई है। अध्यक्ष जी, जैसा कि आप भी जानते हैं कि पहाड़ी प्रदेशों की आबादी कम होती है और क्षेत्रफल बहुत विस्तृत होता है तो वहां स्वाभाविक रूप से क्राईम की रेशो कम होती है। जहां एरिया कम होता है और आबादी की सघनता ज्यादा होती है तो आबादी की सघनता के हिसाब से ही अपराध की दर बढ़ती है। जैसे अगर हम इस मामले में हरियाणा प्रदेश की तुलना दिल्ली से करेंगे तो दिल्ली की अपराध दर हरियाणा प्रदेश से कहीं ज्यादा मिलेगी। इसी प्रकार से अगर हम इस मामले में मुम्बई से हरियाणा प्रदेश की तुलना करेंगे तो मुम्बई महानगर की अपराध दर हरियाणा प्रदेश से कहीं ज्यादा मिलेगी। इसलिए मैं कुल मिलाकर यही कहना चाहूंगा कि दूसरे प्रदेशों के साथ इस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की तुलना करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। इसके विपरीत अगर हमारे हरियाणा प्रदेश की वर्ष दर वर्ष अपराध की जो स्थिति है अगर हम उसकी तुलना करेंगे तो वह ज्यादा अच्छा है। अगर हम हरियाणा में पिछले कुछ वर्षों के अपराध के आंकड़ों की तुलना करें तो हम पायेंगे कि हरियाणा प्रदेश में उस समय कानून और व्यवस्था का ढांचा कितना बिगड़ा हुआ था। श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के पिछले 10 सालों के शासन के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है। यह गौर करने की बात है। इसमें कहा गया है कि Hon'ble Supreme Court issues notice to Haryana Government on rising rape cases यह रिपोर्ट 18 फरवरी, 2014 की है। अखबारों में भी छपी है और आज नैट पर भी है। Hon'ble Supreme Court on Monday sought an

explanation from the Haryana Government over the spate in rape cases and the alleged laxity by the law and enforcement agencies. It is clear from the petition that twenty cases of rape have been reported between October 01, 2012 and October 31, 2012. इस प्रकार से एक महीने के अंदर रेप के 20–20 केसिज़ की रिपोर्ट होती रही है। एक महीने के अंदर इतने रेप के केस दर्ज़ होने के बाद अगर आज कोई हमको कहे कि इस समय हरियाणा प्रदेश में लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति ठीक नहीं है यह बड़ी अजीब बात है। इसी प्रकार से नैशनल कमिशन ऑफ शैडयूल्ड कॉस्ट्स की एक रिपोर्ट मेरे पास है। इस कमिशन ने दलितों पर अत्याचार और बलात्कार की बढ़ती हुई घटनाओं के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। Gang rapes : Hooda Government under SC panel's scanner : Getting tough with State Government's alleged failure to check the increasing crime against dalits, the NCSC has decided to conduct a 'state review' on the Government's role vis-a-vis the plight of the dalits in the State. इस प्रकार एन.सी.एस.सी. की यह रिपोर्ट है। यह भी उसी समय की है। ऐसे ही ट्रिब्यून के अंदर वर्ष 2012 में जो छपा उसको भी मैं यहां पर पढ़कर सुनाना चाहूंगा। ट्रिब्यून में यह लिखा गया है कि A State of law and disorder. इस प्रकार से वर्ष 2012 में ट्रिब्यून में एक बहुत ही विस्तृत लेख छपा था। जिसमें इस प्रकार की सारी की सारी घटनाओं का उल्लेख है। इस समय यहां पर जिन घटनाओं का जिक्र किया गया है। (विघ्न)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार के समय की और इस सरकार के समय की घटनाओं की तुलना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मौजूदा सरकार के समय में जो हरियाणा प्रदेश में घटनायें घटी हैं उनके बारे में लॉ एण्ड आर्डर के सम्बन्ध में हरियाणा प्रदेश की जनता में रोष है। सबसे बड़ी बात यह है कि मौजूदा सरकार हरियाणा प्रदेश की जनता के जान और माल की रक्षा नहीं कर सकी है। क्या इसके लिए सरकार कोई नैतिक जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री कादियान जी से यह पूछना चाहता हूं कि सदन के नेता को सदन में किसी विषय पर किस प्रकार से जवाब देना है क्या यह भी श्री कादियान जी तय करेंगे? सदन में किस विषय पर क्या जवाब देना है और कैसे जवाब देना है यह सदन के नेता के विवेक का विषय है। अगर सदन के नेता के जवाब से किसी की संतुष्टि नहीं होती है तो उसके बाद वे अपनी आपत्ति दर्ज़ करवा सकते हैं और अपनी संतुष्टि के लिए बाद में बात कर सकते हैं।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री को सदन को यह बताना चाहिए कि लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति में इम्प्रूवमैंट के लिए सरकार क्या विशेष कदम उठा रही है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, डॉ. कादियान जी को माननीय मुख्यमंत्री को जवाब देते समय इंट्रप्ट नहीं करना चाहिए। अगर उनकी कोई आपत्ति है तो जब उनको बोलने के लिए समय मिले उस समय वे उस बारे में बात कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री को जवाब देते समय इंट्रप्ट करना किसी भी माननीय सदस्य को शोभा नहीं देता। They are interrupting unnecessarily. स्पीकर सर, कादियान जी को अपना ज्ञान समय मिलने पर बांटना चाहिए। जब कादियान जी अध्यक्ष के पद पर विराजमान थे उस समय इन्होंने बहुत ज्ञान बांटा था और यह हम सभी जानते हैं कि उस समय इन्होंने किस प्रकार का ज्ञान बांटा था। स्पीकर सर, मैं इनसे यही कहना चाहूंगा कि अभी वे अपना ज्ञान न बांटें और माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना जवाब देने दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, अभी आप कृपया करके बैठ जायें।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, मैंने तो यही कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जो आज के समय की पिछली सरकारों के समय से तुलना कर रहे हैं वह ठीक नहीं है बल्कि इनको सदन में इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा किये गये और किये जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी देनी चाहिए। आप इस बारे में अपनी रूलिंग दें। मैं इस विषय पर आपकी रूलिंग चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, अगर जवाब देना है तो किसी न किसी से तो तुलना करनी ही पड़ेगी। अगर हम तुलना नहीं करेंगे तो यह कैसे पता चलेगा कि

हरियाणा प्रदेश में अपराध घटे हैं या बढ़े हैं। अपनी बात को क्लीयर करने के लिए किसी ने किसी समय के साथ तो तुलना करनी ही पड़ेगी।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, क्या श्री कादियान जी ही हमें बतायेंगे कि हमें कैसे खड़ा होना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए और कैसे कपड़े पहनने चाहिएं Will he guides us? (Interruption)

Dr. Raghuvir Singh Kadian : Speaker Sir, I think this is wastage of time. स्पीकर सर, कहां पर क्या हुआ इसका वर्णन करना ठीक नहीं है।

श्री सुभाष बराला : स्पीकर सर, जब माननीय मुख्य मंत्री जी जवाब दे रहे हैं तो किसी को भी बीच में बोलने की इज़ाजत नहीं होनी चाहिए। सर, अब ये जिस प्रकार से ट्रिब्यून की खबर पर हंगामा कर रहे हैं वह गलत है क्योंकि अभी थोड़ी ही देर पहले श्री कादियान और श्री कुलदीप शर्मा एक अखबार की खबर का ही हवाला देकर हमारे को–ऑपरेटिव मिनिस्टर पर बेबुनियान और मिथ्या आरोप लगा रहे थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, कांग्रेस के माननीय सदस्यगण अपनी आदत के अनुसार बिना वजह के हंगामा खड़ा कर रहे हैं । आप इन्हें जल्दी से जल्दी बिठायें ताकि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, आप कृपया करके बैठ जायें और माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब सुनें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उदय भान : स्पीकर सर, . . . (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : उदय भान जी, आप भी कृपया करके बैठ जायें और माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब सुनें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : स्पीकर सर, जैसा कि मैंने पहले कहा कि यह एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर हम पिछले सालों का हिसाब लगायेंगे तो फिर इस प्रकार की बातें तो निकलकर सामने आयेंगी ही। मैं यह हरगिज़ नहीं चाहता था कि इस प्रकार के किसी अध्याय के बारे में बात की जाये जिससे जनता को किसी प्रकार की कोई प्रेरणा नहीं मिले। इससे प्रदेश की जनता को एक डार्क पीरियड़ के बारे में जानकारी मिलेगी । उनको पता चलेगा कि अतीत में इस सम्बन्ध में इस प्रदेश में

क्या कुछ होता रहा है? हमारी सरकार को बने हुए तो अभी महज़ 22 महीने ही हुए हैं । यह एक ऐसा मामला है कि समाज के अंदर जो इस प्रकार विकृतियां होती हैं उनको ठीक करना कोई एक दिन का काम नहीं होता है अपितु उनको ठीक करने में समय तो लगता है। इस प्रकार की विकृतियों को ठीक करने के लिए सतत् प्रयत्न करने पड़ते हैं। इस सम्बन्ध में हमने कौन–कौन से प्रयत्न किये हैं मैं उनके बारे में भी बताऊंगा। अब मैं उन घटनाओं का जिक्र करना चाहूंगा जिन 5–6 घटनाओं के बारे में आज के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है। इनमें से पहली घटना मेवात में ढ़ींगरहेड़ी की बात कही गई है। मेवात के ढ़ींगरहेड़ी में 24 अगस्त, 2016 की रात को बलात्कार, हत्या और डकैती की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई उस घटना में भारतीय दण्ड संहिता और सहस्त्र अधिनियम की धारा 459, 460 और 376 लगाई गई है और मामला पुलिस स्टेशन, तावडु में दर्ज़ किया गया है। इस मामले में पुलिस ने 4 अभियुक्तों को 28 अगस्त, 2016 को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित परिवार के सदस्यों को 3 लाख रूपये की राशि पहुंच चुकी है। इस मामले में कुछ और राशि का भी प्रावधान है। पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है । कार्यवाही कम्पलीट करने के उपरांत जो दूसरे फण्ड हैं उनमें से भी उनको कुछ और राशि भी दी जायेगी।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तावडु की घटना का जिक्र किया । इस मामले में दो लोगों की मौत भी हुई और माइनर लड़की का गैंग रेप भी हुआ। उसके अंदर जो पहले धारायें लगाई गई थी वे नाकाफी थी। मैं यह बताना चाहूंगा कि जब कहीं कोई मर्डर होता है तो आरोपियों के ऊपर 302 की धारा लगती है। इस मामले में संलिप्त मुज़रिमों को बचाने के उद्देश्य से इस मामले में 302 की धारा नहीं लगाई गई। (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : स्पीकर सर, मैं श्री अभय सिंह चौटाला जी को यह बताना चाहूंगा कि इस मामले में धारा 302 भी लग चुकी है। (शोर एवं व्यवधान) यह धारा पहले से लगी हुई है या कल लगी है इस बात की तो मुझे जानकारी नहीं है लेकिन यह बात सच है कि इस मामले में धारा 302 भी लगी हुई है। (शोर एवं व्यवधान) आज जो मेरे पास उत्तर आया है उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि इस केस में धारा 302 लगी हुई है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से जो विषय आपके द्वारा उठाया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी उसी का उत्तर दे रहे हैं। मेरी आप सभी से रिकवैस्ट है कि आप थोड़ा धैर्य के साथ उसको शांतिपूर्वक सुनने की कृपा करें और माननीय मुख्यमंत्री जी को बीच–बीच में डिस्टर्ब न करें।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर महोदय, यह बात ठीक है कि इस मामले में धारा 302 भी लगाई गई है। यह भी सच है कि यह धारा कल ही लगाई गई है।

श्री मनोहर लाल : स्पीकर सर, मैं श्री अभय सिंह चौटाला जी को यह बताना चाहूंगा कि इस मामले में धारा 302 कब लगी है इसकी भी जानकारी ली जायेगी।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर महोदय, यह धारा 302 कल लगाई गई है और वह भी इसलिए क्योंकि कल मैंने प्रैस से बात करते हुए इस केस से सम्बन्धित एफ. आई.आर. की कॉपी को दिखाया था। इसी के साथ हमने इस मामले में धारा 302 लगाने की स्पैशल डिमाण्ड भी की थी। हमने यह भी कहा था कि अगर इस मामले में धारा 302 नहीं लगाई गई तो हम उसके खिलाफ जा करके वहां पर धरना भी देंगे और लोगों के साथ खड़े होकर उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। इस मामले में देखने वाली बात यह है कि वहां पर दो मर्डर हुए व एक माइनर लड़की के साथ गैंग रेप हुआ। इसके बावजूद भी हरियाणा पुलिस ने 302 का पर्चा दर्ज़ करने के बजाये उन अभियुक्तों को कैसे बचाया जाये केवल और केवल इसके लिए धारा 459 और धारा 460 इसलिए लगाई ताकि उन अभियुक्तों को कम से कम सज़ा हो सके क्योंकि इन धाराओं में सज़ा का प्रावधान केवल 7 वर्ष है। इसके अतिरिक्त यह भी मंशा हो सकती है कि ये अभियुक्त जल्दी से जल्दी रिहा हो सकें।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में जिस किसी ने भी कोताही बरती है उसके खिलाफ अवश्य कार्रवाई की जायेगी ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस मामले में कोताही तो आपके मंत्री के कहने पर ही बरती गई है इसलिए आप अपने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई कीजिए ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो कोताही पुलिस अधिकारियों ने ही बरती होगी । इसलिए जिसने भी कोताही बरती है उसके खिलाफ कार्रवाई

करेंगे । इसी प्रकार से पुन्हाना खंड के गांव नीमखेड़ा में एक दलित पीड़ित द्वारा अत्याचार से सम्बन्धित मुकदमा नं. 440 दिनांक 20.8.2016 धारा 147/149/506 भादसा व 3/33/89एस.सी/एस.टी. एक्ट थाना पुन्हाना में दर्ज कराया गया है । इस मामले के बारे में मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अभी तक पुलिस ने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है ।

इसी तरह से जुलाई, 2016 में गुड़गांव में एक व्यापारी श्री संजीव जिंदल पुत्र श्री अशोक जिंदल की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी । इस सम्बन्ध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके चार अभियुक्तों को दिनांक 15.8.2016 को तथा एक सह अभियुक्त को 18.8.2016 को गिरफ्तार कर लिया है । इस प्रकार सभी अभियुक्त गिरफ्तार किये जा चुके हैं । इसके अतिरिक्त सैक्टर–29 गुड़गांव के थाना प्रबन्धक पुलिस निरीक्षक सुरेन्द्र सिंह फोगाट 30 जून, 2016 को अपने निजी वाहन में सादे कपड़ों में जा रहे थे तो रास्ते में कुछ बदमाशों के साथ उनकी मुठभेड़ हुई थी । अकेला होने के कारण बदमाशों ने उसको काबू कर लिया था । इस सम्बन्ध में पुलिस ने मुकदमा नं. 469 दिनांक 30.6.2016 थाना डी.एल.एफ. सैक्टर–29 गुड़गांव में दर्ज करके चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है ।

इंडियन नैशनल लोकदल के पूर्व विधायक श्री सुभाष चौधरी के चचेरे भाई के घर में एक वारदात हुई थी । इस सम्बन्ध में पुलिस ने मुकदमा नं. 685 दिनांक 17.08.2016 धारा धीन 460/302 आई.पी.सी. दर्ज करके 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे चोरी हुई कुछ सम्पत्ति भी बरामद की है । मुकदमा अनुसंधानाधीन है । इसी तरह से नैशनल थ्रो बाल खिलाड़ी महिला पुलिसकर्मियों द्वारा हरियाणा सशस्त्र पुलिस के कुछ कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध शिकायत दी गई थी जिस पर विधि अनुसार जांच करा कर विभागीय कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है । इस विषय पर किसी माननीय सदस्य ने प्रश्न भी पूछा था । इसके अतिरिक्त रेवाड़ी जिले में अपराधियों द्वारा एम.बी.जी. माल रेवाड़ी के सामने गोली चलाई गई थी तथा अजीज गारमैंट के कर्मचारियों पर भी अपराधियों द्वारा गोलियां चलाई गई थी । दोनों ही मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है । गुड़गांव में 21.8.2016 को चेन स्नैचिंग की घटना घटित हुई थी जो मुकदमा दर्ज किया जा चुका है तथा अपराधियों को गिरफ्तार करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहता हूं कि ये सभी दुर्घटनाएं बड़ी दुर्भाग्यपूण हैं ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने अपने जवाब में सुभाष चौधरी के बारे में बताया है कि इस मामले में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और उनकी कुछ सम्पत्ति भी बरामद की है । इस सम्बन्ध में मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि पुलिस ने अभी तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो बावरिया गिरोह के लोग हैं और वे भी संदिग्ध हैं । मेरी श्री सुभाष चौधरी जी से फोन पर बात हुई थी तथा उनसे पूछा था कि क्या किसी सामान की बरामदगी हुई है तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी तक कोई सामान बरामद नहीं हुआ है । इस बारे में मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इनको जो जानकारी दी गई है वह ठीक नहीं है ।

12:00 बजे

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैंने भी श्री सुभाष चौधरी जी से बात की थी लेकिन सामान की कोई बरामदगी अभी तक नहीं हुई है ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, वहां पर जो एस.पी. है उसके खिलाफ अनेक शिकायतें हैं । मैंने स्वयं आपको लिखकर दिया था कि एक गांव की घटना थी कि घर में एक छोटा बच्चा लेटा हुआ था जिसको कोई मार कर चला गया । घर वालों को जिस पर शक था तो उनके खिलाफ जब वह एफ.आई.आर. दर्ज करवाने गये तो उनको यह कह कर ऑफिस से निकाल दिया गया कि इसमें इन लोगों का दोष नहीं है । मैंने उसके लिये वहां के एस.पी. को 50 से 100 फोन किये । मैंने उसके मोबाईल पर फोन किये, मैंने उसके लैंडलाईन पर फोन किये, मैंने उसके ऑफिस में फोन किये । हर दफा मेरा फोन डिसकनैक्ट कर दिया गया । आखिर में मजबूर होकर मुख्यमंत्री जी आपको चिट्ठी लिखनी पड़ी । मुख्यमंत्री जी, आपने जब उसको नोटिस दिया तो उसने तुरंत मेरे से आकर कहा कि मेरे से भूल हो गई । मेरी ग्रांड मदर की डैथ हो गई थी इस वजह से मैं आपसे बात नहीं कर सका । मैंने उनसे एक ही बात कही कि आप एक पुलिस ऑफिसर हैं । आपकी बड़ी जिम्मेवारी है । आपको सरकार ने इसलिये लगा रखा है कि लोगों के साथ कहीं भी किसी किस्म का अन्याय हो रहा है और उसकी सुनवाई पुलिस का एस.एच.ओ. नहीं कर रहा है तो आप इसलिये लगाए हुए हैं कि आप उसकी सुनवाई करें । आप उसकी जांच कराएं । अगर उसमें कोई गलत है तो उसका निकाल दें और अगर कोई सही चीज है तो उस पर आगे बढ़ना चाहिए । ये इतनी बड़ी घटना होने के बाद मुख्यमंत्री जी को कहीं न कहीं उसी एस.पी. द्वारा भेजी गई रिपोर्ट होगी । अगर इस तरह के अधिकारी जो जनता के नुमाईंदे हैं ।

अगर उनकी बात को नहीं सुनेंगे, उनकी बात की ओर ध्यान नहीं देंगे और जाने पर मान और सम्मान नहीं देंगे तो यह मानकर चलो के आम आदमी को न्याय मिल ही नहीं सकता । मुख्यमंत्री जी मैंने आपको यह बात इसलिए दोबारा कही है कि आपको जो सुभाष चौधरी वाली जानकारी दी गई है वह अभी भी गलत है ।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विपक्ष ने जो बातें ध्यान कराई हैं । इसको निश्चित रूप से संज्ञान में लेंगे और जो जानकारियां गलत मिलेंगी उनका भी संज्ञान लिया जाएगा । इसी प्रकार से इसमें मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आंकड़ों पर और आगे जाते हैं तो इसमें एक आंकड़ा और है जो इन सात महीनों में जनवरी 2016 से 31 जुलाई 2016 तक के मुकदमों से संबंधित है । आखिर जो अपराध हुए हैं उन अपराधों के अनुसंधान का सक्सैस रेट क्या है? ये भी उसमें से एक कार्य पद्धति के ऊपर इस प्रकार की विश्वसनीयता या इस प्रकार का प्रश्न चिह्न खड़ा करता है । इनमें हत्या के जो मामले हुए हैं उनमें 80 प्रतिशत मामले एक प्रकार से सक्सैस हो गया है । जिसमें अधिकतरों की पहचान कर ली गई है और वह गिरफतार हो चुके हैं । 20 प्रतिशत अपराधी ही ऐसे हैं जिनकी पहचान न होने से या भागे जाने से गिरफतारियां नहीं हो पाई हैं । इसी प्रकार से अपहरण के मामलों में भी 69 प्रतिशत सक्सैस रेट है । बलात्कार के मामलों मे 94 प्रतिशत सक्सैस रेट है । भ्रूण हत्या में 97 प्रतिशत सक्सैस रेट है। दहेज प्रताड़न के 87 प्रतिशत, महिला अपहरण के 85 प्रतिशत, महिलाओं से छेड़छाड़ के 91 प्रतिशत, डकैती के 66 प्रतिशत, लूटमार के 52 प्रतिशत मामले सक्सैस हो चुके हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस सक्सैस रेट से भी हम एक अन्दाजा लगा सकते हैं कि अपराध होता है लेकिन अपराध के बाद यदि उसकी सक्सैस रेट की प्रतिशत्ता भी ठीक है तो कम से कम जनता में यह मैसिज जाता है और अपराधवृति को रोकने के लिये भी यह आंकड़ा हमें काम आता है । इसके साथ ही एक बात कही सामान बरामदगी की उसमें यह नहीं कहा गया कि सामान पूरा बरामद हुआ है । उसमें एक शब्द है कि कुछ सम्पत्ति बरामद हुई । उसमें एक तो मृतक का मोबाईल बरामद हुआ है (विघ्न) और एक गाड़ी जो सी.सी.टी.वी. में है वह गाड़ी भी बरामद हुई । इस प्रकार से कुछ चीजें बरामद हुई हैं । ऐसा कोई विषय नहीं है कि सभी चीजें बरामद हुई हैं । जो जानकारी है उसको सदन के सामने रखने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है । सारा का सारा सामान बरामद हुआ है ऐसा नहीं है । मेरा कहने का मतलब यह है कि आज अगर हम इन 16–17 महीनों का या 19

महीनों का और पिछले सालों का हिसाब लगाएंगे तो बहुत ही भयावह चित्र है जो मैं आपके सामने रखता हूं । आखिर इस प्रदेश में स्थितियां कैसे–कैसे कब–कब बिगड़नी हुई । मैं उसमें इतना जरूर कहूंगा कि हो सकता है कि उसमें हमारे विपक्ष के मित्रों को चाहे इण्डियन नैशनल लोकदल पार्टी के सदस्य होंगे या कांग्रेस पार्टी के सदस्य होंगे । एक आध विषय मैं अपनी उस समय की सरकार का भी रखूंगा जब कभी चौधरी बंसीलाल जी के साथ हरियाणा विकास पार्टी के साथ हम भी सरकार में थे, तो उस समय घटना कैसे–कैसे हो रही थी । लगातार जो इस प्रदेश की खराबियां उस समय सामने आई हमने उनको काबू किया है । हमने 19 महीनों में कोई भी ऐसी चीज पनपने नहीं दी है । अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1989 में हरियाणा में जनता दल का शासन हुआ करता था। उस समय की मुझे एक घटना यानि ग्रीन ब्रिगेड की आज भी बरबस ही याद आ जाती है। उस वक्त ग्रीन ब्रिगेड के माध्यम से हरियाणा प्रदेश में क्या–क्या घटनाक्रम हुए तथा किस व्यक्ति का क्या रोल हुआ करता था, अनेक बातें है जिनके बारे में यदि सदन में चर्चा होगी तो न जाने कितनी–कितनी प्रकार की चर्चाए सदन में उभरकर सामने आयेंगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, क्या मुख्यमंत्री जी को ग्रीन ब्रिगेड की वास्तविकता के बारे में संज्ञान है?

श्री मनोहर लालः अभय जी, आप चिंता न करें मेरे पास ग्रीन ब्रिगेड से संबंधित सभी वास्तविकताओं का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है।

श्री अभय सिंह चौटालाः ठीक है, फिर आप यह बता दें कि वर्ष 1989 में ग्रीन ब्रिगेड क्यों बनाई गई थी? शायद आपको इस बात की जानकारी नहीं है?

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष को भलीभांति यह बात जान लेनी चाहिए कि मुझे ग्रीन ब्रिगेड के हर तथ्य का भलीभांति ज्ञान है। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, ग्रीन बिग्रेड के बारे में जो चीज मैं सदन में अब बताने जा रहा हूँ, सदन के नेता को उस बात की जानकारी नहीं होगी? आप ध्यान से सुनिए कि ग्रीन ब्रिगेड का निर्माण क्यों किया गया था? वर्ष 1989 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का शासन हुआ करता था। उस समय कांग्रेस पार्टी के पांच लोगों ने अपनी पार्टी को छोड़कर एक नया मोर्चा तैयार किया था। उत्तर प्रदेश शासित कांग्रेस पार्टी की सरकार के कार्यकाल में इलाहाबाद लोकसभा सीट जोकि

अमिताभ बच्चन के इस्तीफा देने की वजह से खाली हुई थी, उस इलाहाबाद की लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया और उसको जीताने के लिए इलाहाबाद के जो मशहूर गुंडे–बदमाश थे उनको जेलों से छोड़ दिया गया था ताकि उनकी मौजूदगी में बूथों पर कब्जा करके कांग्रेसी प्रत्याशी को चुनाव जितवाया जा सके। (शोर एवं व्यवधान) उस वक्त चौधरी देवीलाल जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने श्री वी.पी. सिंह को इलाहाबाद की लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार बना दिया लेकिन श्री वी.पी. सिंह जी चौधरी देवीलाल जी को कहने लगे कि चौधरी साहब मैं यहां पर चुनाव जीत नहीं पाउंगा क्योंकि उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने इलाहाबाद लोकसभा सीट को जीताने के लिए कुख्यात अपराधियों को जेल से छोड़ दिया है और अब उनके लिए जीत हासिल करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है और प्रश्न किया कि चौधरी साहब ऐसी अवस्था में भला चुनाव कैसे जीता जा सकेगा? (शोर एवं व्यवधान) भाई जय प्रकाश जो शायद इस वक्त सदन में उपस्थित नहीं हैं, इस पूरी बात के गवाह हैं क्योंकि उस समय ग्रीन ब्रिगेड का मुखिया जय प्रकाश ही हुआ करता था। (हंसी)

श्री अध्यक्षः अभय जी, एक बात तो है आपने इनडॉयरेक्टली ग्रीन ब्रिगेड की बात को स्वीकार तो लिया है? (शोर एवं व्यवधान)

मुख्य संसदीय सचिव (श्री श्याम सिंह राणा): अध्यक्ष महोदय,. . (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः राणा जी, बैठ जा, कुछ बोलने से पहले एक बार पूरी बात सुन ले। (शोर एवं व्यवधान) आप भी उस ग्रीन ब्रिगेड से बाहर नहीं थे? (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधूः अध्यक्ष महोदय, ग्रीन ब्रिगेड में राणा जी भी शामिल हुआ करते थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, अब आगे सुनिए। चौधरी देवीलाल जी ने श्री वी.पी.सिंह को भरोसा दिलाया कि आप चिंता न करें हरियाणा प्रदेश का हर वह जवान जो मेरी पार्टी का कार्यकर्ता है, आपके लिए इलाहाबाद में आकर बूथ पर लड़ाई लड़ेगा और जो लोग आपके पक्ष में वोट डालने चाहेंगे, उनसे वोट डलवाने का काम करेगा। भाई जय प्रकाश के नेतृत्व में उस वक्त सैंकडों हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इलाहाबाद में हमारी पार्टी के हर रंग वाले कपड़े पहनाकर भेजा गया। इन कार्यकर्ताओं ने जब हरे रंग के कपड़े पहनकर मोटर साईकिलों पर सवार

होकर पूरे इलाहाबाद के चक्कर लगाये तो जो अपराधी छोटा–मोटा अपराध करके अपने आपको बहुत बड़ा बदमाश समझने लग गए थे और सोच रहे थे कि अब वे कांग्रेस के पक्ष में बूथों पर कब्जा करवाकर वहां की सीट कांग्रेस को जीतवा देंगे, इन हरे रंगे के कपड़े पहने तथा मोटर साईकिलो पर सवार हमारे कार्यकर्ताओं को जब इलाहाबाद के चक्कर लगाते हुए उत्तर प्रदेश के बदमाशों ने देखा तो उनका सारा हौसला काफूर हो गया। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेसियों को उनकी हेकड़ी का जवाब व सबक सीखने के लिए ग्रीन ब्रिगेड का निर्माण किया गया था। यह वजह थी ग्रीन ब्रिगेड के निर्माण की। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपको शायद आपके अधिकारियों ने ग्रीन ब्रिगेड का लूटपाट के साथ संबंध जैसी कोई बात कही होगी? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अभय जी वैसे फर्स्ट इम्प्रैशन तो यही है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, मैं किसी कार्यवश अभी सदन के साथ लगती विश्राम चेयर पर बैठा था। मैंने सदन में ग्रीन ब्रिगेड के साथ अपने नाम की चर्चा सुनी तो मैं सदन में आ गया। अब जबकि मेरा नाम ग्रीन ब्रिगेड के संबंध में सदन में आया है तो मैं समझता हूँ कि इस बारे में क्लियर करना भी मेरी जिम्मेदारी है। अभय सिंह चौटाला ने जो बात ग्रीन ब्रिगेड के संबंध में, सदन में कही है मैं उसको चंद बातों में समेटकर प्रस्तुत कर सकता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपकी पार्टी भी ग्रीन ब्रिगेड में पूरी तरह से सहभागी हुआ करती थी। (हंसी एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं जय प्रकाश जी को बताना चाहूँगा कि ग्रीन ब्रिगेड में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी आदमी शामिल नहीं था। हम वर्ष 1987 में सरकार में शामिल थे, इसमें कोई दो मत नहीं है लेकिन ग्रीन ब्रिगेड से हमारा कोई संबंध नहीं था। हमें तो ग्रीन ब्रिगेड के निर्माण से ही कष्ट हुआ था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ठीक कह रहे हैं लेकिन एक बार मुझे भी अपनी बात तो पूरी कर लेने दीजिए। उस वक्त माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय श्री आडवाणी जी तथा पांच प्रदेशों के मुख्यमंत्री **हरियाणा निवास में** स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी से मिले और कहा कि इलाहाबाद लोकसभा सीट पर बड़ा विकट बाई इलेक्शन होगा। याद रहे कि इलाहाबाद लोकसभा सीट अमिताभ बच्चन जी के इस्तीफा देने की वजह से खाली हुई थी। उस वक्त जन

मोर्चा कांग्रेस से निकलकर तथा बोफोर्स मामले को लेकर श्री वी.पी. सिंह अस्तित्व में आये और चौधरी देवीलाल जी ने उनको देश का प्रधानमंत्री बनाने का आश्वासन देते हुए इलाहबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाने की बात कह डाली। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः जयप्रकाश जी, आप विषय को बहुत लम्बा कर रहे हैं, कृपया विषय को संक्षिप्त करते हुए अपनी बात पूरी कीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, ठीक है मैं आपकी बात को मानते हुए विषय को संक्षिप्त कर रहा हूँ और फिर से बताना चाहूँगा कि जिन पार्टीयों के लोगों के नाम मैंने अभी लिए हैं, उन सब पार्टियों के लोग ग्रीन ब्रिगेड में गाहे–बगाहे शामिल थे। (शोर एवं व्यवधान) भाईयों ज्यादा शोर करने की जरूरत नहीं है। मैं इस भरे सदन में सभी पार्टियों के नेताओं को इस बात की खुली चुनौती देता हूँ और किसी भी पार्टी का एक भी सदस्य यह नहीं कह सकता कि उस ग्रीन ब्रिगेड पर कोई एक भी अपराधिक मामला दर्ज हुआ हो? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः जय प्रकाश चाहे कुछ भी हो? ग्रीन ब्रिगेड का विषय एक बार फिर से चर्चा में तो आ गया है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, ग्रीन ब्रिगेड ने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया था। (शोर एवं व्यवधान) कोई भी पार्टी यह नहीं कह सकती कि ग्रीन ब्रिगेड ने हमारे साथ गलत काम किया है। (शोर एवं व्यवधान) ग्रीन ब्रिगेड के माध्यम से ही उस समय की केन्द्र की सरकार यू.पी. में चुनाव जीत कर आई थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः जय प्रकाश जी, प्लीज आप बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान) लोगों पर ग्रीन ब्रिगेड का इम्प्रैशन क्या पड़ा? यह सब जानते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, हो सकता है कि ग्रीन ब्रिगेड ने कुछ नहीं किया हो, बात का पतंगड़ न बनाकर कोई बड़ा ईशू न बनाया जाये इसलिए मैं आपकी अनुमति से सदन में एक मुहावरा देकर अपनी बात कहना चाहता हूँ कि 'बद से बदनाम बुरा' लेकिन कल की तरह इसको ईशू न बनाया जाये।

श्री अध्यक्षः इस मुहावरे पर भी ईशू बन जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, उस समय ग्रीन ब्रिगेड का इम्प्रेशन यह था कि लोगों की जमीनों, घरों, दुकानों पर कब्जा करना और पेड़ों को काटकर सड़कों पर जाम लगाना । (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधूः अध्यक्ष महोदय, उस समय कोई एक भी मुकदमा दर्ज हुआ हो तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय सदन को बतायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुभाष बरालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के साथी बात को सुनने की हिम्मत रखें। (शोर एवं व्यवधान) सदन के नेता जवाब दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी की बात को सुना जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, जिस पार्टी की सरकार सत्ता में होती है, उस पार्टी के लोगों के खिलाफ पहले कोई भी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करता था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रतिपक्ष के नेता से एक बात पूछना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी ग्रीन ब्रिगेड को चलाने के लिए खर्चा कहां से आता था और उस ब्रिगेड को चलाने के लिए कौन पैसे देता था? (शोर एवं व्यवधान) वाहनों में पेट्रोल/डीज़ल डलवाने के लिए पैसा कहाँ से आता था? (शोर एवं व्यवधान) लोगों को खाने–पीने के लिए समान कहाँ से आता था? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अभय जी, ग्रीन ब्रिगेड का इम्प्रैशन अच्छा नहीं था। (शोर एवं व्यवधान) कृपया करके सभी माननीय सदस्यगण अपनी–अपनी सीटों पर बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुभाष बरालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन के नेता ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर अपना सदन में जवाब दे रहे हैं इसलिए माननीय प्रतिपक्ष नेता को उनकी बात सुननी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, ग्रीन ब्रिगेड के इम्प्रैशन को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्माः जय प्रकाश जी, कानून व्यवस्था से संबंधित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर प्रतिपक्ष नेता ने समय मांगा हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः जय प्रकाश जी, आप अपनी सीट पर बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगीः अध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, इस तरह का माहौल सदन में पैदा न हो इसलिए सरकार अब तक अपने 22 महीने की कानून व्यवस्था के बारे में ही जवाब देगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगीः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में जो हिंसक घटनाएं घट रही हैं, उसके बारे में ही यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन में लाया गया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः दांगी जी, उसी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, हिंसक घटनाएं न घटे यह बात ठीक है लेकिन इस बात पर भी सोचना चाहिए कि ये हिंसक घटनाएं क्यों घट रही है। अध्यक्ष महोदय, हिंसक घटनाएं कहीं से तो प्रारम्भ होती है। सभी माननीय सदस्यों को एक संकल्प लेना पड़ेगा और तैयार रहना पड़ेगा कि किसी भी प्रकार की हिंसक घटनाएं हरियाणा प्रदेश में न घटे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ऐसे काल की घटना सदन में बताता हूँ कि यह उस समय की बात है जिस सरकार में हम भी शामिल थे । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है मैं उस पर हाउस में खुलकर चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि बदनाम करने वाले लोग कौन थे । मैं जानना चाहता हूं कि अभी एक मिनट पहले हाउस में यह बात कही गई कि हमारे समय में ग्रीन ब्रिगेड के लोगों ने कब्जे किये । (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, मैंने यह कब कहा है ? (विघ्न) मैंने कहा है कि यह इम्प्रैशन है । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी ने ग्रीन ब्रिगेड की बात की है । अगर उस समय हुए किसी भी गलत काम में ये हमारी पार्टी की इनवॉल्वमैंट की बात साबित कर दें तो हम हाउस को छोड़कर चले जाएंगे । (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने चण्डीगढ़ में एक मकान पर कब्जा किया हुआ है । आज भी ये उस मकान में रह रहे हैं । आप चाहें तो इस बात की जांच करा लीजिए । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : क्या कोई आदमी कब्जे के मकान में रह सकता है ? (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, अगर यह बात झूठ हो तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इनका तो यह पेशा है । आज हाउस में सुरजेवाला जी नहीं हैं । अगर वे हाउस में उपस्थित होते तो मैं उनसे इसका जवाब मांगता । ये दोनों सदस्य रोज टी.वी. पर बयान देते हैं । इन्होंने तय कर रखा था कि आज फलां के घर रोटी खानी है, फलां के घर चाय पीनी है । अगर किसी का घर इन्हें पसंद आ जाता तो ये उससे उनके घर की चाबी मांग लेते थे । (विघ्न) मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमने कौन–से मकानों और दुकानों पर कब्जे कर रखे हैं ? इनको हम पर इस तरह आरोप नहीं लगाने चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह सिर्फ इम्प्रैशन दिया था । उन्होंने आप पर आरोप नहीं लगाया है । (विघ्न)

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष जी, आपने माननीय विपक्ष के नेता के आग्रह पर कॉलिंग अटैंशन मोशन पर चर्चा के लिए एक घंटे का समय दिया था । यहां पर सदन के नेता स्टेटमैंट दे रहे हैं लेकिन उनकी बात को सुनने की बजाय कोई भी सदस्य बोलने लग जाता है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऐसा एक इम्प्रैशन था कि ग्रीन ब्रिगेड कब्जा करने का प्रयास कर रही थी । आप भी तो यही बात कहना चाहते हो । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, ग्रीन ब्रिगेड का नाम लेकर हमारे ऊपर उंगली उठाने की कोशिश की जा रही है । (विघ्न)

श्री सुभाष बराला : ग्रीन ब्रिगेड के मुखिया तो उधर बैठे हुए हैं । इस बात से आपको तकलीफ क्यों हो रही है ? (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी को सदन के नेता के नाते सदन में वही बात कहनी चाहिए जो तथ्यों पर आधारित हो । मुख्यमंत्री जी को किसी आदमी के द्वारा कोई कागज पकड़ाए जाने पर और बिना पर्याप्त सबूतों के हाउस में नहीं बोलना चाहिए । अगर वे ऐसा करते हैं तो वे सदन के नेता की जिम्मेवारी का निर्वाह नहीं कर रहे हैं । (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, ... (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, मुझे बताया जाए कि हमने किस घर और किस दुकान पर कब्जा किया है । (शोर एवं व्यवधान) कोई इसकी एक एफ.आई. आर. तो दिखा दे ? हमारे शासन के बाद दस साल कांग्रेस ने शासन किया और अब दो साल आपके भी हो गए हैं । (शोर एवं व्यवधान) यह बात केवल हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए सदन में उठाई गई है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदयष, मैं इस बात का जवाब दे रहा हूं । (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः स्पीकर सर, इसमें जो सवाल आयेंगे उनका जवाब भी साथ साथ देते जाएं ।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, कानून–व्यवस्था की बात की जा रही है। मैंने पहले भी कहा था कि कानून व्यवस्था पर चर्चा न की जाए तो ही अच्छा है । जब हम चर्चा करायेंगे तो इससे संबंधित प्वायंट्स तो आयेंगे ही । कानून व्यवस्था की स्थिति कब खराब होना षुरू हुई । उसमें लिखा हुआ है कि पहले 12 वर्श की बात की गई । फिर उन्होंने खुद मेरी बात को माना कि इसको और आगे तक ले जाते हैं । उसके बाद विपक्ष के साथियों ने कहा कि इसमें 48 साल की बात क्यों नही करते जब से हरियाणा बना है । मैंने तो सिर्फ उस बात का उल्लेख मात्र ही किया है उसकी बहुत डिटेल में जाने की आवष्यकता नहीं है । वर्श 1991 से 1996 तक क्या हुआ था । आखिर हम भी इस प्रदेष के अन्दर लगातार काम करते रहे हैं और

विपक्ष की राजनीति में रहते हुए संघर्श करते रहे हैं । ऐसा नहीं कि हमने संघर्श नहीं किया । वर्श 1991 में इस प्रदेष में खनन माफिया पनपा और कांग्रेस के राज में जब प्रदेष के मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी थे उस समय यह खनन माफिया क्यों पनपा ? फरीदाबाद इलाके को मैंने एक एक जगह घूम घूम कर देखा हुआ है वहां पर खनन माफिया के लोगों ने किस प्रकार से पूरा पहाड़ ही उजाड़ दिया । यमुनानगर, अम्बाला और यमुना नदी में कैसे खनन का काम चलता था ? खनन करने के लिए किस किस प्रकार की बातें की जाती थी उनके केस आज भी कई कोर्ट्स में चल रहे हैं ? जितना खनन उस समय में हुआ वह सरकार के लाईसैंस के कारण से हुआ या बिना लाईसैंस के कारण से लोग खनन कर गये उसके कारण से आज हम मुसीबत में पड़े हुए हैं । उस खनन माफिया के कारण वर्श 1995 तक हरियाणा की खानों में बंदरबांट रही । आज खनन कोई करने ही नही दे रहा । हमने खनन को टोटली बन्द किया हुआ है ।

श्री कुलदीप शर्मा: अध्यक्ष महोदय, सरकार के ए.डी.जी.पी. का ब्यान आया था कि अब भी खनन माफिया एक्टिव है और यह सरकार के ईषारे के बगैर एक्टिव नहीं हो सकता ।

श्री नसीम अहमद: अध्यक्ष महोदय, मेवात में पुलिस की मिलीभगत से खनन हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष: आज कहीं पर भी खनन नहीं हो रहा है । कुलदीप षर्मा जी आप बैठिये आपको बोलने का मौका दिया जायेगा ।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, हम खनन को बंद करेंगे इसके लिए हमने खनन माफिया की गिरफ्तारियां भी की है, अवैध खनन को बंद भी किया है । किसी प्रकार का कोई ओवरलोडिंग व्हीकल न चले यह व्यवस्था भी हमने की है । एक पैसे का भी किसी को किसी प्रकार का संरक्षण नहीं दिया है । इसलिए खनन विधिवत रूप से अपने प्रदेष में लाईसैंस से खनन हो इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं । अब लाईसैंस के खनन क्यों नहीं हो रहे हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: पहले आप माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब सुन लें । उसके बाद आप अपनी बात कह लेना ।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्श 1996 के ऐसे काल की बात कर रहा हूं जिस सरकार में हम साझीदार थे । लेकिन कई बार हमारे कंट्रोल से बाहर की बातें हुई वे भी मैं सदन को बता रहा हूं । वह मैं अपना नाम लेकर बता रहा हूं । वर्श 1996 से 1999 तक इस प्रदेष में चौधरी बंसीलाल जी की सरकार थी । जब चौधरी बंसीलाल जी की प्रदेष में सरकार थी उस सरकार में हमारी पार्टी भी सांझेदार थी । उस सरकार के समय में प्रदेष में षराब माफिया पनपा, षराब माफिया पनपा इसको मैं स्वीकार कर रहा हूं । अल्टीमेटली उस कारण से हमने उस सरकार को छोड़ना पड़ा । आज भी सदन के कई विधायक ऐसे हैं जो उस सरकार में मंत्री और विधायक भी थे । ये जो माफिया पनपा है इसके पीछे कहीं न कहीं मन्शाएं रही हैं । इन मन्शाओं को रोका जाए । (शोर एवं व्यवधान)

Education Minister (Shri Ram Bilas Sharma): Speaker Sir, my humble submission is that this is not question hour. यह क्यूष्चन आवर नहीं है। सदन में एक बहस चल रही है और उसमें माननीय सभी विधायकों ने अपनी अपनी बातें कहीं हैं । उसके बाद अब सदन के नेता अपनी स्टेटमैंट दे रहे हैं । उसके बाद भी अगर किसी सदस्य की बात रह जाती है तो वह बाद में अपनी बात कह सकता है । This is not question hour.

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सभी सदस्यों को सुननी पड़ेगी। मैं बहुत उल्लेख नहीं कर रहा केवल किस किस की सरकार में क्या–क्या हुआ उसके बारे में उल्लेख करना चाहता हूँ। वर्ष 1999 के बाद अगली सरकार में भत्तियों में घोटाले हुए और इसके लिए कोर्ट में केसिज चल रहे हैं । उद्योगपतियों का उत्पीड़न उस समय हुआ । लिबर्टी फैक्ट्री करनाल के सामने बहुत बड़ी खाई खोद दी गई । फैक्ट्री में कोई अंदर नहीं घुस सकता था और उनका वाहन आ जा नहीं सकता था ।

श्री कुलदीप शर्माः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस के राज की बात कह दी, बंसीलाल जी के राज की बात बता दी लेकिन 1999 से 2005 तक किसका राज रहा इस बात का अभी तक जिक्र नहीं किया है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः कुलदीप जी, उनका तो आपको पता है कि आज वे जहां बैठे हैं। वर्ष 2005 से 2014 का कार्यकाल भी अपने आप में भूमाफिया और सी.एल.यू. का माफिया रहा है तथा बहुत से केसिज में इन्कवायरियां चल रही हैं । किसी केस

की इन्कवायरी सी.बी.आई. के पास है तो कोई केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और कितने सारे केसिज में कमीशन बैठे हुए हैं । जितनी जानकारियां हमारे पास आ रही हैं हम उन सबके हिसाब से कार्यवाही कर रहे हैं । बिना जानकारियों के हम कोई बात आगे नहीं बढ़ाएंगे । क्योंकि मैं यह देख चुका हूं कि पिछली सरकार द्वारा सी.बी'आई. को मार्क की गई इन्कवायरियां उड़ा दी गई क्योंकि जानकारियां नहीं थी । सामग्री के अभाव में तो सी.बी.आई. से इन्कवायरीज उड जाती हैं यह हम सबको मालूम है। हमारे पास जो सामग्री आ रही है उनमें हम हर प्रकार से इन्कवायरी करवाएंगें चाहे उसके लिए हमें किसी भी लैवल तक जाना पड़े । इस प्रदेश की सम्पति के साथ जो इतना बड़ा नुकसान किया गया है भविष्य में कम से कम कोई सरकार ऐसी हिम्मत न करे ऐसा हमारा हेतु है । पिछले नुकसान का कितना प्राप्त हो पाएगा यह मैं नहीं कह सकता । आगे सरकार कोई चलाए, हम चलाएं या कोई और चलाए लेकिन हमको यह प्रस्थापन करके जाना पड़ेगा कि आगे से इस प्रकार की गलती नहीं करेंगे । 2005 से 2014 तक लगातार कितने प्रकार के माफियों का जो मेरे पास उल्लेख है यदि मैं सभी को पढूंगा तो बहुत परेशानी हो जाएगी। कोलैक्टिव रिस्पोंसिबिलिटी के नाते हम तय करें कि आगे न हम खुद कोई गलत काम करेंगे और न ही किसी को गलत काम करने की प्ररेणा देंगे । हम प्रदेश में स्वच्छ प्रशासन लाना चाहते हैं और इसके लिए विपक्ष कहेगा कि हमने दो सालों में कोई काम नहीं किया जबकि हम कहेंगे कि हमने बहुत काम किया लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इसका मूल्यांकन जनता करेगी । हम एक दूसरे का मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे । विपक्ष का काम आलोचना करना है ।

डा. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी सभी घोटालों का जिक्र कर रहे हैं । धान की खरीद में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है उसके बारे में भी बता दें ।

श्री अध्यक्षः कादियान जी, आप बैठें ।

डा. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि यह सारी कार्रवाई राजनीतिक द्वेष की भावना से चल रही है । (विघ्न)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं कादियान जी को बताना चाहूंगा कि हमने खुली किताब रखी हुई है और खुली किताब में कोई चैप्टर ऐसा नहीं आएगा कि जिस दिन हमें पछताना पड़े । कादियान जी ने धान की बात उठाई तो मैं इनको

बताना चाहूंगा कि मार्किट में धान की 1509 वैरायटी 1100 या 1200 रूपये प्रति क्विंटल रेट के हिसाब से पिट रही थी और हमारे पास बहुत सी शिकायतें आई थीं कि कम से कम इसको 1450 रूपये के रेट में तो ले लो जोकि इसका प्रोक्योरमैंट रेट है क्योंकि यह बासमती है । अब उस समय तक हमको यह पता नहीं था कि यह बासमती है या कोई और बासमती है । बाद में यह बात पता चल ही गयी कि 1509 एक वैरायटी आई है जो पूरी बासमती की तरह नहीं बिकती थी। उसको बासमती में मिलाकर बेचा जाता था । जब तक वह बिक रही थी बिकती रही । जिस दिन यह हो गया कि 1509 वैरायटी एक्सपोर्ट नहीं हो सकती तो यह स्वभाविक था कि रेट नीचे आने ही थे । (विघ्न) मैं एक वाकय में अपनी बात समाप्त करता हूं । (विघ्न) धान घोटाले का आरोप भी आपने ही लगा रखा है। उसका जवाब तो सुन लें । मैं तो विधान सभा में जिस दिन यह विषय आया था उस दिन की बात कर रहा हूं ।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, आज भी 1509 का क्या रेट है ? किसान बिलकुल लुट गया है । (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाह रहा हूं कि 1509 वैरायटी अब बासमती मान्य नहीं है इसलिए किसान को भी जानकारी देनी होगी कि यह बासमती नहीं है । (विघ्न) मैं इसको पूरा कर देता हूं । किसान के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए सरकार दोषी नहीं है । हमने तो किसान की 1509 वैरायटी की खरीद करवाई है और बाद में कहा गया कि इतने करोड़ रुपये का किसान का नुकसान हो गया और इतने हजार करोड़ का घोटाला हो गया । हमने कहा कि जो 1509 खरीदी हुई है इसको वापिस ले लेते हैं । (विघ्न) विपक्ष के साथी मेरी पूरी बात तो सुन लें । (विघ्न) मैंने उसको माना है और कटौती हुई है तथा किस लिए कटौती हुई है उससे पहले मैं इस विषय को पूरा कर देता हूं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय जी, मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहें है । प्लीज आप बैठें । आप बाद में अपनी बात कह लेना अभी मुख्यमंत्री जी को अपनी बात पूरी करने दें ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने माना है कि मॉयस्चर के नाम पर लिया गया है । मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं । मेरे पास 2010 और 2011 की पर्चियां आई जो मैंने सदन में रखी । 2010 और 2011 में भी यह पैसा कटता था और हर वर्ष कटता है । जितनी धान में मॉयस्चर होती है उतना पैसा कटता है । इसको

देखने के लिए मैं स्वयं करनाल की मण्डी में गया था । दो ढेरियां चैक करवाई । एक ढेरी में 23 प्रतिशत और दूसरी में 24 प्रतिशत का मॉयस्चर था । 17 प्रतिशत से उपर मॉयश्चर वाला पैसा सभी आड़ती काटते हैं । आप लोगों में भी बहुत से लोग आड़ती हैं । मेरे पास ऐसी लिस्ट भी है जिसमें कांग्रेस के, इनैलो के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आड़ती हैं । सभी मॉयस्यर का पैसा काटते हैं, किसी एक आदमी ने काटा है ऐसा नहीं है । पूरे प्रदेश में यह कटा है । हमने सुझाव भी दिया कि इसको सुखाने की व्यवस्था किसान स्वयं करे या मार्केटिंग बोर्ड करे । यह लम्बा विषय हो जायेगा । मैं धान पर आता हूं कि जो धान मिलों के पास चला गया था वह हमने वापिस लिया और उसके बाद उस धान को ऑक्शन पर लगाया । उसका 1614 रुपये मिनिमम प्राईस रखा कि इससे उपर रेट लगाकर कोई भी ले जाये । टैक्स लगाकर उसका रेट 1614 रुपये प्रति क्विंटल बन गया था । लेकिन एक भी व्यक्ति खरीदने के लिए नहीं आया । इस बारे में हमने सदन में भी कहा था कि हमारे पास इतना धान है और इसे यदि कोई खरीदवा सकता है तो खरीदवा दे । (विघ्न) राईस मिलों से यह धान हमने वापिस ले लिया था और पूरे सदन को कहा था कि इसको वे बिकवा दें । (विघ्न) इसे कहते हैं असैम्बली ट्रायल । हमने इस विषय पर असैम्बली ट्रायल करवा लिया है । यह रिकार्ड की बात है । असैम्बली ट्रायल के बाद इस पर न कोई मिडिया ट्रायल चल सकता और मैं समझता हूं कि इस पर कोर्ट भी कोई संज्ञान नहीं लेगा । यदि कोई कोर्ट में जाना चाहता है तो जाईये। आप कोर्ट में या सी.बी.आई. में जाईये और कहिये की घोटाला हुआ है ।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, ठीक है मैं कोर्ट में जाउंगा ।

श्री मनोहर लाल : ठीक है, आप जाईये । इस घोटाले की छानबीन होनी चाहिए और दोषी को पकड़ना चाहिए । हमारी सरकार आने के बाद ऐसी सब चीजों को चैक करने के लिए पारदर्शी सिस्टम बनाया है । स्पीकर सर, मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार आने के बाद ऐसी सभी चीज़ों को चैक करने के लिए हमने अपने सिस्टम को भी चुस्त–दुरूस्त किया है। सभी तरह से पारदर्शिता लाने के लिए भी हमने काम किये हैं ताकि कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई घोटाला न हो और न ही किसी भी प्रकार का कोई माफिया पनपे। सम्बन्धित कानूनों में भी जितने बदलाव करने की आवश्यकता थी हमने उतने बदलाव कानूनों में भी किये हैं। हमने इससे सम्बन्धित पॉलिसी में भी बदलाव किया है। पिछली

पॉलिसीज़ में 'First come, first serve' के आधार पर ये प्लॉट्स और लाईसैंस बांटे जाते रहे हैं। मैंने यह महसूस किया कि यह पॉलिसी गलत है क्योंकि जिसको पहले पता चल जायेगा वह पहले आ जायेगा और आधे घंटे में ही यह सब गायब हो जायेगा। हमने इस मामले में यह निर्णय लिया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए इसके विपरीत सभी से एप्लीकेशंज़ ली जायें और पूरी प्रक्रिया के लिए एक समय निर्धारित किया जाये। इसके बाद जो इस मामले में ट्रांसपेरैंट प्रोसीज़र है उसको फोलो किया जाये और उसके हिसाब से जिसको मिले वह लेकर जाये। अगर कोई चीज़ सस्ती है तो सरकारी स्तर पर उसके रेट में बढ़ौतरी की जाये ताकि लेने वालों का और बेचने वालों का संतुलन कायम रहे। अगर इन चीज़ों को सस्ती रखकर कुछ फेवरेबल लोगों को दिया जायेगा तो इसी प्रोसैस में ही तो घोटाले होते हैं । हमने तो यह भी कह दिया कि जो हुडा के प्लॉट्स बचे हुए हैं उनको भी अलॉट करने की कोई आवश्यकता नहीं है बल्कि इसके विपरीत जो प्लॉट्स बचे हुए हैं उनकी ऑक्शन कर दी जाये क्योंकि ऑक्शन में मार्किट रेट पर प्लॉट्स बिकेंगे। सभी घोटालों को रोकने के लिए हमने अपने पूरे सिस्टम को ट्रांसपेरैंट किया है। (विघ्न) हमने पुलिस को चुस्त–दुरूस्त करने के लिए और इस सारी कानून–व्यवस्था को ठीक करने के नाते हमने पुलिस में नई भर्त्तियों की प्रक्रिया को शुरू किया है। पिछले 7–8 साल से पुलिस विभाग में कोई बड़ी भर्ती नहीं हुई है। इस कारण लगभग 14000 पद पुलिस विभाग में रिक्त पड़े हैं। इन 14000 रिक्त पदों को भरने के लिए 7200 सिपाही और 200 सब–इंसपैक्टर पुलिस में शामिल किये जा रहे हैं। पिछले दिनों हमारी सरकार ने यह एडवरटाईज़मैंट की है। इसके बाद जो 5000 से 6000 हज़ार पुलिस विभाग में पद खाली हैं उनको भरने के लिए भी प्रोसैस शुरू किया जायेगा। इसके अलावा जैसे ही पुलिस विभाग में रिटायरमैंट के बाद जो पद खाली हो जायेंगे उनको भी तुरन्त भरने के लिए प्रक्रिया शुरू की जायेगी।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह भी कहना चाहूंगा कि जो पुलिस भर्ती की प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया के दौरान चार लोग कुरूक्षेत्र में मरे । माननीय मुख्यमंत्री जी बतायें कि वे किस कारण से मरे और किस तरीके से उन बच्चों को सुबह से लाईन में लगा करके बैठा दिया जाता था । बाऊंसरों और पुलिस के सिपाहियों को डंडे देकर उनके पास खड़ा कर दिया जाता था। इस सम्बन्ध में अखबारों में तस्वीरें छपी थी।

साथ में यह भी दिखाया गया था कि अगर कोई आवश्यक शारीरिक क्रिया के लिए या फिर पैरों में दर्द होने के कारण खड़ा भी होना चाहता था तो उसको उस परिस्थिति में भी बाऊंसरों और पुलिस के सिपाहियों द्वारा खड़ा होने नहीं दिया जाता था । उसके बाद ऊमस भरी भारी गर्मी में 5–5 किलोमीटर दौड़ाया जाता था । इतना ही नहीं जिन उम्मीदवारों को पुलिस भर्ती के लिए आपके द्वारा बुलाया जाता था उनको नशेड़ी भी करार दिया जाता था। वहां पर न तो पीने के लिए पानी था और न ही रात को साने के लिए कोई बंदोबस्त था । अगर एक दिन में 5000 उम्मीदवारों को भर्ती के लिए बुलाया जाता था तो एक या दो लोग उनके साथ भी आते थे जिससे उनकी संख्या 15000 के आसपास हो जाती थी। इस बात का आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता कि किस प्रकार से कुरूक्षेत्र में जो पुलिस भर्ती की गई उसमें कितनी परेशानियों का सामना उम्मीदवारों को करना पड़ा। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इस बारे में भी उल्लेख कर देते तो ज्यादा अच्छा होता।

श्री मनोहर लाल : स्पीकर सर, सबसे पहले तो मैं इस बारे में अभय सिंह जी को यह बताना चाहूंगा कि यह मामला लॉ एण्ड ऑर्डर से सम्बन्धित नहीं है। यह घटना सिर्फ हरियाणा में ही घटी है ऐसी बात नहीं है और न ही यह ऐसी घटना है जो कि हरियाणा में भी पहली बार ही घटी हो। जहां तक मेरी जानकारी है हरियाणा प्रदेश में इससे पहले हुई पुलिस की भर्तियों में ऐसी घटना घटी है । हां, यह अवश्य हो सकता है कि उस समय पुलिस भर्ती के दौरान मरने वाले उम्मीदवारों की संख्या चार से कम रही हो। हमने तीन लाख लोगों की दौड़ कराई है। मैं यह भी मानता हूं कि इस प्रकार की दुर्घटनायें दुर्भाग्यपूर्ण हैं और किसी भी सूरत में ऐसी दुर्घटनायें नहीं होनी चाहिएं। (विघ्न) ये घटनायें शुरू के दिनों की हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, आप बैठिए आपकी बात पूर्ण हो गई है और आपकी बात का जवाब भी माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर महोदय, हम तो यह चर्चा करवाना चाहते थे कि जिन नौजवानों की मौत हुई है उनका कसूर क्या था? जो पलवल और रेवाड़ी से चलकर कुरूक्षेत्र आ रहा था उनके लिए सरकारी स्तर पर खाने–पीने और ठहरने का उचित बंदोबस्त नहीं था। हमें यह बताया जाये कि उनका गुनाह क्या था?

हम तो यही कहना चाहते हैं कि अगर सभी जिलों में ही इस पुलिस भर्ती की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता तो ज्यादा बढ़िया रहता।

श्री मनोहर लाल : स्पीकर सर, मैं अभय सिंह जी को यह बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पुलिस भर्ती की प्रक्रिया को एक स्थान पर आयोजित करने का जो फैसला किया गया था इसके ऊपर काफी विचार विमर्श किया गया था। प्रारम्भ के दिनों में उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा थी बाद में उसको कम करके 5000 किया गया। पहले तो यह संख्या 8000 से 9000 थी। इसलिए बाद के दिनों में ऐसी कोई समस्या नहीं आई क्योंकि सरकारी स्तर पर सुविधायें भी बढ़ाई गई और दूसरे इंतजाम को भी ठीक किया गया। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें सुधार की गुंजाईश सदा रहती है। इस प्रकार की परिस्थितियां भविष्य में प्रकट न हों इसके लिए हमने विभाग को आदेश जारी कर दियें हैं। इसलिए इस दिशा में विभाग द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इसके अलावा हम सरकार के स्तर पर भी भविष्य में इस दिशा में और ज्यादा सुधार करने का प्रयास करेंगे। हरियाणा प्रदेश में हमारी सरकार आने से पहले वर्ष 2014 में हरियाणा को बने हुये 48 साल हो गये थे और इतने वर्षों में हरियाणा में केवल एक फोरेंसिक लैब थी । फोरेंसिक लैब ऐसी संस्था है जिसमें किसी की मृत्यु होने के बाद पोस्ट मार्टम करने के बाद उसका विसरा भेजा जाता है तथा अपराधों की जांच में उससे फायदा मिलता है । उसमें भी मान लीजिए कई बार मशीन खराब हो गई या कभी संबंधित कर्मचारी ही नहीं पहुंच पाता तो इस प्रकार से कई–कई वर्ष तक रिपोर्ट नहीं मिलती थी । हमारी सरकार ने आते ही सुनारियां और भौंडसी में दो फोरेंसिक लैब और खोल दी हैं तथा पंचकुला और हिसार में दो और फोरेंसिक लैब खोलने जा रहे हैं। इस प्रकार से 3 फोरेंसिक लैब तो वर्किंग में आ गई हैं और 2 भी बहुत जल्दी वर्किंग में आ जायेंगी । इन 5 लैब्स को खोलने का मतलब यही है कि न्याय प्रक्रिया को और तेज किया जाये । महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को देखते हुये हमने यह तय किया कि हरियाणा प्रदेश के हर जिले में एक महिला थाना होगा । कई बार महिलाओं के साथ ऐसे अपराध हो जाते हैं कि महिला सामान्य अस्पताल में जा कर उनका वर्णन नहीं कर सकती । वह थाने में पहुंचती ही नहीं है । अब महिला थाने में जा कर वह अपने साथ बीती हुई बात महिला पुलिस कर्मियों के सामने कह सकती है, उसका संकोच खत्म होता है तथा उसका विश्वास बढ़ता है । हम महिला थाने और भी बनाना चाहते हैं लेकिन अभी हमारे पास महिला स्टाफ की

कमी है । अभी हमने एक हजार महिला कांस्टेबल भर्ती की हैं तथा 100 पुलिस सब–इंस्पैक्टर्स की भर्ती हो रही है तथा अगले वर्ष में भी एक हजार महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती करने की बात कही है । अध्यक्ष महोदय, ज्यों ही हमारे पास महिला स्टाफ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जायेगा हम सब–डिविजन लेवल पर महिला थाने खोलने जा रहे हैं । हरियाणा पहला राज्य है जहां पर इस प्रकार का प्रयोग किया गया है । जब तक स्टाफ उपलब्ध नहीं होता तब तक हमने सब–डिविजन लेवल पर एक महिला डैस्क की स्थापना कर दी है । जैसे ही हमारे पास स्टाफ उपलब्ध हो जायेगा तो हम और महिला थाने भी बनायेंगे । इन महिला थानों में अब तक 25 हजार शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 98 प्रतिशत का निपटारा किया जा चुका है । महिला हैल्प लाईन के बारे में कल यहां बताया गया था । इसी प्रकार से अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार की जो घटनाएं हो जाती हैं तो डी.एस.पी. स्तर का अधिकारी इसका संज्ञान लेता है और अपराधियों को तुरन्त गिरफ्तार किया जात है । अनुसूचित जाति के विरूद्ध होने वाले अपराधों को रोकने के लिए हरियाणा की एक कमेटी बनी हुई है मुख्यमंत्री स्वयं जिसका चेयरमैन होता है, पिछले 6 साल तक उस कमेटी की मीटिंग नहीं हुई । हमारी सरकार आने के बाद उस कमेटी की 2 बार मीटिंग हो चुकी है ।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, उस कमेटी का गठन भी किया गया था और समय पर उसकी मीटिंग भी होती रही हैं । साल में 2 बार उसकी मीटिंग होनी चाहिएं और लोकसभा और विधान सभा चुनाव के समय को छोड़ दिया जाये तो समय–समय पर उसकी मीटिंग होती रही हैं ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार यह मीटिंग बहुत सालों बाद हुई है । इसी तरह से एफ.आई.आर. दर्ज करने के बारे में भी बहुत से लोग शिकायत करते रहे हैं कि हमारे साथ यह घटना घट गई और पुलिस एफ.आई.आर. दर्ज नहीं कर रही है । हमारी सरकार बनते ही मैंने एक स्टेटमैंट दी कि एक अपराध हो जाता है और उसकी एफ.आई.आर. दर्ज न करना अपने आप में एक और अपराध है । इसलिए पुलिस कोई ऐसा मौका नहीं आने देगी कि किसी हुये अपराध की एफ.आई.आर. नहीं लिखेगी । हमारी सरकार आते ही हमने हर–समय नाम का पोर्टल बनवाया जिसके तहत अगर पुलिस एफ.आई.आर. लिखने में आना–कानी करती है तो आप इस पोर्टल पर घर बैठे ही अपनी एफ.आई.आर. लिख दो और रिपोर्ट कर दो । अगर रिपोर्ट एफ.आई.आर. में कन्वर्ट

नहीं हुई तो हम देखेंगे । इस तरह से हर–समय पोर्टल के माध्यम से एफ.आई.आर. दर्ज होने लग गई । बाद में हमने प्रावधान किया कि आप जीरो एफ.आई.आर. लिख दो । पहले यह होता था कि जब भी कोई दुर्घटना होती थी तो यह झगड़ा पड़ जाता था कि यह किस थाने के अधिकार क्षेत्र में पड़ता है । दुर्भाग्य से अगर दो थानों के बॉर्डर पर कोई दुर्घटना घट जाती थी तो 6–6 महीने तक एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होती थी । हमने कहा कि नहीं आप इसकी जीरो एफ.आई.आर. दर्ज करो । जीरो एफ.आई.आर. का मतलब यह है कि कोई अपराध किसी भी थाने में दर्ज करवाया जा सकता है उसमें अधिकार क्षेत्र का कोई विषय नहीं है। जब थाने की ज्यूरिस्डिक्शन तय हो जाये तो उस जीरो एफ.आई.आर. को संबंधित थाने में भेज दिया जाये । यह हमने प्रावधान किया है । हमें यह बताया गया कि अगर आप खुली रजिस्ट्रेशन करेंगे तो अपराधों की संख्या बढ़ जायेगी तो हमने यह कहा कि हम एफ.आई.आर. की संख्या को अपराध से नहीं जोड़ेंगे । एफ.आई.आर. के ऊपर इन्वैस्टिगेशन करो और इन्वैस्टिगेशन में अगर वह अपराध साबित हो जाता है तो उसको अपराध की संख्या में गिना जायेगा । केवल रजिस्ट्रेशन और एफ.आई.आर. लिखना अलग बात है। अगर इसको करेंगे तो फिर थाने और सरकारें वही करेंगी जो अपने आंकड़ों को ठीक रखने के लिये किया जाता है । इसलिये आज मुझे नहीं लगता कि जनता की कहीं शिकायत आती हो कि मेरी एफ.आई.आर. नहीं लिखी गई । अगर कोई कहे तो आप बताईये । अगर आप आधी रात को कहेंगे तो भी एफ.आई.आर. लिखी जाएगी ।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, गोहाना पुलिस थाने का एक एस.एच.ओ. है। उसके पास एक केस दर्ज करने के लिये मैंने खुद टेलीफोन किया लेकिन केस दर्ज नहीं हुआ । दूसरा मेरे क्षेत्र गोहाना में चोरी की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। चाहे आप इन घटनाओं के बारे में पता करवा लें । गोहाना में एक महीने में 15 चोरी हुई हैं । पिछले 6 महीने से ये चोरियां हो रही हैं । मैंने भी चोरी की घटना के संबंध में एक महिला की एफ.आई.आर. दर्ज करने के पुलिस को फोन किया था लेकिन उस महिला की एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई । उस महिला की एफ.आई.आर. के लिये मैंने डी.एस.पी. को कहा, डी.एस.पी. ने एस.एच.ओ. को कहा एस.एच.ओ. ने वह एफ.आई.आर. ही दर्ज नहीं की । आप बेसक इसकी इन्कवायरी करवा लें । (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने एफ.आई.आर. न लिखे जाने पर तीन प्रावधान बताए हैं । पहला प्रावधान बताया कि अगर वह एफ.आई.आर. नहीं लिखता है तो आप जीरो एफ.आई.आर. कहीं भी किसी भी थाने में लिखवा सकते हैं । क्या हरियाणा का कोई भी थाना ऐसा है जहां आपकी एफ.आई.आर. नहीं लिखी जाएगी ? (विघ्न) आप तो विधायक हैं और एक विधायक को इतनी सुविधा तो होती ही है कि एक जगह एफ.आई.आर. न लिखे तो दूसरी जगह लिखवा दें । (विघ्न) अगर वहां भी न लिखें तो मुझे बताओ । (विघ्न) उसका प्रावधान है । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अगर किसी पुलिस अधिकारी को आप यह न कहो कि मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल बोल रहा हूं तो आपकी एफ.आई.आर. लिख ले तो कह देना । (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : आप इसका प्रयोग करके देख लें ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इसका प्रयोग सच में ही हो जाएगा । वह आगे से यह पूछेगा कौन मनोहर लाल, किसका मनोहर लाल यहां थाने में आ जाएगा । वहां का एस.एच.ओ. ये बोलता है । शायद आपको इस बात की जानकारी है लेकिन आप इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं । (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : नहीं–नहीं । ऐसा नहीं है । आप इसका प्रयोग करके देख लें । मैं अब भी यही बात कह रहा हूं । (विघ्न)

श्री राजदीप सिंह फौगाट : अध्यक्ष महोदय, हमारे पास इसका सबूत है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : राजदीप जी, आप बैठ जाईये । (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक दूसरा प्रावधान बताया कि ..... (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि एफ.आई.आर. लोज होती हैं । मैं एफ.आई.आर. पर ही आपको बताना चाहूंगा कि पलवल जिले की दो लड़कियां ग्रिवेंसिज कमेटी की मीटिंग में गई जिस मीटिंग में आप भी थे । उन दोनों लड़कियों ने वहां जाकर रोते हुए शिकायत दर्ज कराई कि जब हम पढ़ने के लिये कॉलेज जाती हैं तो हमारे साथ बदतमीजी होती है और बदतमीजी करने वाले फलां–फलां लोग हैं । उन बच्चियों द्वारा मंत्री के सामने और एक ग्रिवेंसिज कमेटी की मीटिंग में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद भी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई । यह सारी बातें अखबारों की सुरखियां बनी हैं। वहां पर लोगों ने इक्ट्ठा

होकर यह भी कहा कि बदतमीजी करने वालों में एक बी.जे.पी. नेता का भतीजा भी था । लोग जब इक्ट्ठे होकर पुलिस थाने में गये ।(विघ्न)

खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री (श्री कर्ण देव कम्बोज) : अध्यक्ष महोदय, जब इस केस की इन्कवायरी करवाई गई तो वह सारा झूठा ड्रामा निकला । (विघ्न) वह टोटल ड्रामा था । हमने उसकी सारी इन्कवायरी करवाई है । (विघ्न) वह सारा बिल्कुल झूठा ड्रामा था । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, वहां से वह लड़कियां पूरी कमेटी के सामने रोती हुई गई हैं । और ये कह रहे हैं कि सारा झूठा ड्रामा था । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : यह तो सच है कि बहुत सारी एफ.आई.आर. झूठी होती हैं । क्योंकि सारी एफ.आई.आर. सच्ची नहीं होती है । (विघ्न) थाने में जितनी भी एप्लीकेशन जाती हैं वह सारी सच्ची थोड़ी होती हैं । मंत्री जी ने कहा है कि इन्कवायरी करवाई है । (विघ्न) कल को आप ही यह एतराज करोगे कि यह एफ.आई.आर. झूठी दर्ज हुई है । (विघ्न) उन्होंने इस केस की जांच करवाई है । जांच के बाद ही उन्होंने कहा है कि वह एफ.आई.आर. झूठी है । (विघ्न) अभय सिंह जी अगर आप ही ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'कार्यक्रम की चर्चा हो रही है ।(विघ्न)

श्री अध्यक्षः अभय जी, आपकी पार्टी के सभी सदस्य खड़े होकर बोल रहे हैं यह बहुत गलत बात है। इस तरह सदन की कार्यवाही को कैसे चलाया जा सकता है। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो0 रविन्द्र बलियालाः अध्यक्ष महोदय, एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई और मंत्री जी इस समस्त प्रकरण को ढोंग बता रहे हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः प्रोफेसर साहब, आप प्लीज बैठिए। आपकी पार्टी के सीनियर मैम्बरद और नेता प्रतिपक्ष अपनी बात कह रहे हैं और आप बीच में उठकर कुछ भी बोलने लग जाते हैं, यह आपको शोभा नहीं देता है। (शोर एवं व्यवधान)

प्रोफेसर रविन्द्र बलियालाः अध्यक्ष महोदय, मैं तो सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि इस अति संवेदनशील मामले में एफ.आई. आर. तक दर्ज नहीं की गई?(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः एफ.आई.आर. दर्ज हो जायेगी, पहले आप अपनी सीट पर बैठिये। (शोर एवं व्यवधान) जिस तरीके से आप व आपकी पार्टी के सभी सदस्य एक साथ खड़े होकर सवाल पूछ रहे हैं इस तरह से तो कोई भी जवाब नहीं दे सकता। (शोर एवं व्यवधान) सवाल पूछने के इस तरीके को किसी भी सूरत में सही नहीं माना जा सकता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होती और जांच करवा ली जाये, क्या यह बात किसी भी एंगल से स्वीकार्य है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अभय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी एफ.आई.आर. मामले पर अपना उत्तर सदन में प्रस्तुत कर रहे हैं लेकिन आप द्वारा तथा आपकी पार्टी के अन्य सदस्यों द्वारा उनको कितनी बार उत्तर देते वक्त बीच में टीका–टिप्पणी के माध्यम से बाधित किया जा रहा है, ऐसा बर्ताव करके आप किस प्रकार का उत्तर प्राप्त करना चाह रहे हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, अभी जैसे मुख्यमंत्री एफ.आई.आर. के संबंध में उत्तर दे रहे थे। मैंने तो मुख्यमंत्री जी को सिर्फ उदाहरण स्वरूप बात कही थी कि किसी भी केस में पहले एफ.आई.आर. दर्ज होती है उसके बाद जांच होती है, तब किसी मामले की तह तक पहुंचा जाता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अभय जी, मुख्यमंत्री महोदय ने आपको पहले ही बता तो दिया है कि मामले की जांच करवाई गई थी और वह झूठी पाई गई। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, झगड़ा तो इसी बात का है कि पहले इस मामले पर एफ.आई.आर. होनी चाहिए थी। उसके बाद जांच की बात आती है। (शोर एवं व्यवधान) पहले एफ.आई.आर. दर्ज होनी चाहिए थी, उसके बाद जांच की जानी चाहिए थी। (शोर एवं व्यवधान) क्या हुआ और क्या नहीं हुआ यह प्रश्न नही है? प्रश्न है एफ.आई.आर. क्यों दर्ज नहीं हुई? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ की स्वच्छ अवधारणा पर सरकार द्वारा काम किया जा रहा है लेकिन जब एक बेटी के सम्मान की बात आती है तो फिर क्यों उस स्वच्छ अवधारणा से दूर भागने का काम सरकार द्वारा किया जाता है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः किरण जी, आप बैठिये। जिस पर बात आती है वास्तविकता का पता तो उसी को होता है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, अब एफ.आई.आर. के संबंध में बात करूंगा। मान लो एफ.आई.आर. नहीं लिखी जाती है तो उस अवस्था में हमारे सामने तीन प्रावधान होते है। ऐसा नहीं है कि एफ.आई.आर. न लिखी जाये तो उसका कोई प्रावधान मौजूद नहीं है और कोई आदमी यह कहने को विवश हो जाये कि क्या करें एफ. आई.आर. तो लिखी नहीं जा रही है। अब हमारे समक्ष कोई अन्य चारा ही नहीं है। प्रावधान है और जरूर है। हमने सरकार में आने के बाद तीन प्रावधान किए है। जिनका विवरण इस प्रकार है। पहला प्रावधान है जीरो एफ.आई.आर. का, जिसको प्रदेश के किसी भी थाने में जाकर दर्ज करवाया जा सकता है। इस बात को किसी भी सूरत में नहीं माना जा सकता कि हरियाणा प्रदेश के सभी थाने एक जैसा व्यवहार रखते हो अर्थात एफ.आई.आर. करने से मना कर देते हों? आखिरकार हम सरकार में बैठे हैं, हम एम.एल.ए. हैं, हमारा कोई न कोई आदमी किसी न किसी थाने के उपर डिसीजन अथॉरिटी तो जरूर होगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता केवल कागजी बात कर रहे हैं। वास्तव में असलियत कुछ और ही होती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः जगबीर जी, आप पूरी बात सुन तो लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रावधान हमारे अपने हाथ में है इसके लिए हमें किसी थाने में जाने की जरूरत नहीं है। हम कहीं भी बैठकर वैबसाईट पर **हरसमय** का पोर्टल खोल लें और उसमें अपनी समस्या डाल दें। आन लाईन होने की वजह से यह जानकारी मिट भी नहीं सकती है और यदि उसके बाद भी एफ. आई.आर. नहीं होती है तो बात रिकॉर्ड पर आ जायेगी कि आखिर किस वजह से एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई। हमारा पुलिस का इतना बडा शैल लगातार इसकी मॉनिटरिंग का कार्य बहुत ही कार्यकुशलता के साथ कर रहा है। सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि वैबसाईट पर हजारों शिकायतें आई हैं जिनको एफ.आई.आर. में कवंर्ट किया गया है। तीसरा प्रावधान यह है कि मान लो कोई थाना एफ.आई.आर. नहीं लिखता है तो यह नहीं है कि इसके लिए हम इंतजार करेंगे कि जब विधान सभा का सत्र शुरू होगा उसमें इसके लिए प्रश्न उठाया जायेगा और समाधान निकाला जायेगा। इसका निदान यह है कि थाने से भी उपर

अधिकारी मौजूद होते हैं उनको शिकायत करके भी हम अपनी समस्या का समाधान निकाल सकते है। वैसे तो प्रदेश के सभी थाने ऑनलाईन जुड़ चुके हैं लेकिन वे थाने जो ऑनलाईन नहीं जुड़े हैं, वहां पर अगर आप जाते हैं या फोन करते हैं और एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होती है तो उसके लिए भी एक तरीका है और वह तरीका यह है कि हर विधायक का हर सप्ताह चंडीगढ़ में आना–जाना तो लगा ही रहता है। आप सबको मालूम भी है कि मैं हर मंगलवार व बुधवार को शाम 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का समय अर्थात चार घंटे का समय हमारे सभी विधायकों चाहे वह विपक्ष का हो या पक्ष का, उनकी समस्या सुनने के लिए लगाता हूँ। इस मुलाकात के दौरान भी इस तरह की अनियमित्ता मेरे संज्ञान में लाई जा सकती है और यदि किसी माननीय सदस्य का चण्डीगढ़ का चक्कर नहीं लगता है तो मुझे चलभाष या दूरभाष पर भी संपर्क किया जा सकता है कि फलां थाने में एफ.आई. आर. दर्ज करने से मना किया जा रहा है। मुझे खुशी है कि सत्ता पक्ष के साथ–साथ विपक्ष के माननीय सदस्य भी मुझसे मिलकर अपनी समस्यायें सांझा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का ध्येय सिर्फ यही है कि आखिर हम किस प्रकार से किसी समस्या को कैसे खत्म कर सकते हैं। मैं पूरे सदन को विश्वास दिलाता हूँ कि एफ.आई.आर. न लिखने जैसी बात को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। इसके लिए सभी रास्ते खुले हैं। आप इन रास्तों का प्रयोग करते हुए एफ.आई.आर. न दर्ज होने सभी अटकलों को विराम लगा सकते है।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, सरकार बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ की बात करती है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए तथा उनको अपराध से बचाने के लिए महिला थाने बनाये गए हैं और इस अवस्था में जब सरकार के एक मंत्री के सामने दो बच्चियां उनके साथ हो रही गलत बातों के लिए गुहार लगाती है और उस बाबत जब सदन में आवाज उठाई जाती है तो सरकार के वह मंत्री बड़े दो–टूक शब्दों में खड़े होकर गैर जिम्मेदाराना ढंग से बयान देते हैं कि मैंने इस मामले की जांच करवा ली थी और वह बच्चियां ढोंग कर रही थी तथा झूठ बोल रही थी। अध्यक्ष महोदय, सरकार के मंत्री की जिम्मेवारी तो यह बनती थी कि पहले वह उन बच्चियों की गुहार पर एफ.आई.आर. दर्ज करवाते उसके बाद अधिकारियों को निर्देश देते कि मामले की जल्द से जल्द जांच करके मुझे इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें लेकिन सरकार के इस मंत्री ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार दिखाते हुए फड़ाक से कह दिया

कि मैंने मामले की जांच करवा ली थी और पता करवा लिया था। जो भी यह घटना थी व सिर्फ झूठ का पुलिंदा भर था। अध्यक्ष महोदय, बहन–बेटियां हमारी इज्जत होती हैं। बहन–बेटी किसी की भी हो, चाहे वह गरीब आदमी की हो या किसी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले की हो, अपनी इज्जत सबको प्यारी होती है। हर आदमी अपनी इज्जत की रक्षा के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को भी तैयार हो जाता है लेकिन इतने गम्भीर विषय पर सरकार के मंत्री ने सिर्फ एक मिनट में ही यह कह दिया कि वे लड़कियां ढोंग कर रही थी और जो कुछ बात कही जा रही है, वे सब गलत हैं। इतने गम्भीर विषय के लिए इतने गैर जिम्मेदारा व्यवहार के लिए मंत्री जी सदन में अभी खड़े होकर खेद प्रकट करें कि उन्होंने उन बच्चियों के लिए जो कुछ भी कहा था वह सब गलत था।

श्री कर्ण देव कम्बोजः अध्यक्ष महोदय, मैं नेता विपक्ष की जानकारी के लिए पूरी बात बताना चाहूँगा और वह यह है कि जो यह लड़कियां मेरे पास आई थी, इनके पीछे जो लोग थे, वें लोग ढोंग करके इन लड़कियों को मोहरा बनाकर मामले को कुछ अलग रंग देने की कोशिश कर रहे थे। (शोर एवं व्यवधान) यह सारा मामला उन लोगों को लेकर था। अध्यक्ष महोदय, पीड़ित लड़कियों के परिवार की आपसी रंजिश का मामला था इसलिए पीड़ित लड़कियों के परिवार के सदस्य गलत एफ.आई.आर. दर्ज करवाना चाहते थे, इसलिए पहले इन्क्वॉयरी के आदेश दिए थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, पीड़ित लड़कियों के चाचा और भाई गलत एफ.आई.आर. क्यों दर्ज करवाएंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्णदेव कम्बोजः अध्यक्ष महोदय, पीड़ित लड़कियों के परिवार की गांव में गुट बाजी होने के कारण इस तरह का ड्रामा रचा गया था। (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधूः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री को उसी समय एफ.आई. आर. दर्ज करवा कर जिले के एस.पी., डी.एस.पी. या एस.एच.ओ. से इन्क्वॉयरी के आदेश दे देने चाहिए थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूँ कि यदि ऐसी कोई घटना घटी है तो उसकी एफ.आई.आर. दर्ज करवा कर उसकी इन्क्वॉयरी करवाई जायेगी।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, अब 6 महीने के बाद एफ.आई.आर. दर्ज होगी।

श्री मनोहर लालः अभय जी, आपको 6 महने का इंतजार नहीं करना चाहिए था, उसी समय आप प्रतिपक्ष नेता होने के नाते आपको यह विषय मेरे संज्ञान में लाना चाहिए था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपनी सरकार के माननीय मंत्री से पूछना चाहिए कि उन्होंने स्वयं एफ.आई.आर. क्यों नहीं दर्ज करवाई। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनीष ग्रोवरः अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय प्रतिपक्ष नेता को सुभाष चौधरी की 6 महीने पहले वाली घटना में पड़ना था तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उसी समय बता देते तो आज उनको विधान सभा में यह विषय उठाने की जरूरत महसूस नहीं होती। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैंने सरकार की 'बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ' योजना के इशू में यह बात सदन में उठाई है कि किस तरह से लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है। उस कष्ट निवारण सीमित में सरकार के मंत्री और अधिकारी होने के बावजूद भी यह कहा जा रह है कि लड़कियां ढोंग कर रही थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अभय जी, इस मामले में मैंने पहले भी सदन में कहा है कि एफ. आई.आर. दर्ज करवाकर जांच करवाई जायेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि एफ.आई.आर. दर्ज होगी लेकिन सरकार के मंत्री के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? अध्यक्ष महोदय, सदन माननीय मंत्री से कहे कि वे खड़े होकर के खेद प्रकट करें क्योंकि यह प्रदेश की लड़कियों का मामला है। (शोर एवं व्यवधान) मैं तो सदन में सभी महिला सदस्यों से भी अनुरोध करूँगा कि सभी ने खड़े होकर इस बात का विरोध करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) सरकार का एक जिम्मेवार व्यक्ति हाऊस में इस तरह का ब्यान देता है, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अभय जी, प्लीज आप बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान) सदन के नेता जवाब दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, हर–समय पोर्टल की जो सुविधा दी जा रही है, इस पोर्टल का प्रयोग केवल मात्र रिपोर्ट लिखने तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि इस पोर्टल के माध्यम से एक स्पेशल लिंक तैयार किया गया है जिसका प्रयोग करते हुए कोई भी आर.टी.आई. एक्टिविस्ट यदि कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है तो वह हर समय पोर्टल में अपनी एप्लीकेशन लगा सकता है और वह एप्लीकेशन बाकायदा रिकॉर्ड में दर्ज होती है और उसका पूरा रिकॉर्ड भी रखा जाता है। इसके अतिरिक्त जैसाकि आज देश भर में अपराध तथा अपराधियों को नियंत्रण करने के लिए सी.सी.टी.एन.एस. अर्थात क्राईम एंड क्रिमनल ट्रैकिंग नैटवर्क सिस्टम बनाने की बात कही जा रही है, उस परिपेक्ष्य में सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश क्राईम एंड क्रिमनल ट्रैकिंग नैटवर्क सिस्टम को लागू करने वाला पहला प्रदेश बन गया है। इस सिस्टम के माध्यम से क्रिमनल्ज को ट्रैक करना संभव हो सकेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूँगा कि हमने रोड सेफ्टी एक्ट के तहत एक फंड का निर्माण किया है जिसके तहत यह नियम बनाया गया है कि ट्रैफिक के जो चालान किए जाते हैं, उस चालान की राशि में से 50 प्रतिशत राशि रोड सेफ्टी फंड में जमा हो जाती है ताकि उसका प्रयोग रोड सेफ्टी के कार्यो जैसे रोड्ज पर सी. सी.टी.वी. कैमरे लगाने या फिर पुलिस पोस्ट बनाने आदि में प्रयोग किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, हमने रोड सेफ्टी फंड के माध्यम से नैशनल हाईवे न. 1 पर सी.सी. टी.वी. कैमरे लगाने का पूरा प्रावधान करने की योजना बना ली है। अब मैं पुलिस विभाग के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में सदन को बताना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, पुलिस के लिए 3600 नये मकान बनाने की महत्वकांक्षी योजना बनाई गई है। इसके अतिरिक्त कमांडो दस्तों को और अधिक सदृढ व मजबूत करने के लिए 400 नये कमांडो भर्ती किये जा रहे हैं। यही नहीं इन कमांडो को किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए एन.एस.जी. कमांडो को दी जानी वाली ट्रेनिंग दिलवाने का प्रबन्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त पुलिस को हर वह साजो–सामान देने का प्रबन्ध किया गया है जो उनकी दिन–प्रतिदिन की आवश्यकता से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के तौर पर महिला पुलिस के लिए स्कूटी का प्रावधान किया गया है और 50 पी.सी.आर्ज. को भी पुलिस बेड़े में शामिल करने का प्रावधान किया गया है। अब मैं विभिन्न माननीय सदस्यों द्वारा प्रदेश की कानून व व्यवस्था पर उठाये गए प्रश्नों के संबंध में बताना चाहूँगा कि हमने प्रदेश की

13:00 बजे

कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए बहुत से प्रावधान किए हैं। जैसाकि अभी कई माननीय सदस्यों ने कानून व व्यवस्था से जुड़ी हुई कई घटनाओं का जिक्र भी किया है, इस संदर्भ में मेरा भी मत है कि वह सब निंदनीय कार्य है और यही कारण है कि इन घटनाओं पर सख्त संज्ञान लेते हुए गिरफ्तारियां की गई हैं और जहां पर कोई गिरफ्तारी शेष भी है तो निश्चित रूप से वहां पर पुलिस अपने एक्शन मोड में है। कल सदन में पंजाब केसरी अखबार में छपे एक संपादकीय शीर्षक 'नहीं थम रहे हरियाणा में महिलाओं के विरूद्ध अपराध' का उल्लेख करते हुए 1 अगस्त को जिला रोहतक में ससुराल पक्ष से तंग आकर विवाहिता द्वारा आत्महत्या करने की बात कही गई थी। सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इस केस के संबंध में बाकायदा मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें महिला के पति मनोज को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी अभियुक्तों के खिलाफ जांच चल रही है । ऐसे ही 4 अगस्त को गुड़गांव में एक महिला के यौन शोषण के आरोपी तांत्रिक और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 10 अगस्त को गोहाना में सकूल की छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है । 11 अगस्त को सफीदों–गोहाना में बेटी के साथ हुए बलात्कार का मामला संदिग्ध है और उसकी जांच चल रही है । 21 अगस्त को राई में छात्रा के साथ हुई घटना के दोनों आरोपियों को गिफ्तार कर लिया गया है । 23 अगस्त को बादशाहपुर में विवाहिता के साथ हुए गैंगरेप में पंचायती रंजिश का प्रकरण सामने आया है । इसकी जांच चल रही है । 24 अगस्त को डींगरहेड़ी में हुए प्रकरण के विषय में मैं पहले ही बता चुका हूं । इसमें दो तथ्यों को बड़े अजीबोगरीब ढंग से उठाया गया है । इसमें लिखा है कि इम्मोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, 1956 (अनैतिक व्यापार कानून) के अंतर्गत दर्ज मुकदमे 39 से बढ़कर 64 हो गए हैं । इसमें जरा विचार कीजिए कि इन मुकदमों से अपराध के बढ़ने का पता चलता है या इनको रोकने के लिए सरकार की तत्परता दिखाई देती है । सरकार ने इस एक्ट के तहत अपराधों को रोकने के लिए ये मुकदमें दर्ज किये हैं । सरकार की प्राथमिकता है कि किसी के साथ इम्मोरल एक्ट न हो । इसका सरकार ने संज्ञान लिया है । एक दूसरी बात लिंग असमानता के बारे में लिखी गई है । इसमें लिखा गया है कि लिंग असमानता से जूझ रहे पुरूष बाहुल्य राज्य में लिंग जांच प्रकरण के मामलों की संख्या 5 से बढ़कर 49 हो गई है । हम लिंग जांच को रोकने के लिए सख्ती कर रहे हैं । अगर इन केसिज में बढ़ोतरी हो रही

है तो इसका मतलब यह है कि सरकार अपने प्रयत्नों में सफल हो रही है । हमारे हरियाणा में लिंग अनुपात अलारमिंग स्टेज पर पहुंच चुका है । हम लिंग अनुपात को ठीक करने के लिए सख्ती कर रहे हैं । ये मामले सिर्फ 49 नहीं है बल्कि इस अभियान को शुरू करने के बाद हमने 300 से ज्यादा एफ.आई.आर. दर्ज की हैं । अगर प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं होंगी तो हम उस पर अवश्य सख्ती करेंगे । मैं समझता हूं कि कुछ बातों का उल्लेख गलत ढंग से किया गया है और उनका संज्ञान लिया जाना चाहिए । इसमें अपराधियों को शीघ्रता से पकड़कर कठघरे में खड़ा करने के बारे में लिखा गया है । हमने अपराधियों को पकड़ने के लिए अपनी सारी मशीनरी को चुस्त किया हुआ है । इसके परिणामस्वरूप पुलिस की कार्यवाही का 60–90 परसेंट सक्सैस रेट है । हम अपराधिक मामलों में कार्रवाई करने से कोई गुरेज नहीं कर रहे हैं । यहां आरक्षण के लिए हुए आन्दोलन के मामले को भी उठाया गया है । हमने इस आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की तह में जाने के लिए प्रकाश सिंह कमेटी बनाई थी । उस कमेटी को आंदोलन में तीन प्रकार की जांच करने के आदेश दिए गए थे । जांच का पहला विषय आंदोलन में प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारियों की लापरवाही और कोताही को उजागर करना था । हम इसके आधार पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं । इस जांच कमेटी का एक सीमित दायरा था और इसके द्वारा हमें दोषियों के खिलाफ संज्ञान लेना है । हमें यह रिपोर्ट मिल गई है और इसके दो पार्ट हैं । एक पार्ट को हम पब्लिक कर सकते हैं और दूसरा पार्ट कांफिडैंशियल है । रिपोर्ट का जो पार्ट कांफिडैंशियल है उसे पब्लिक न करने के पीछे हमारे द्वारा ली गई सीक्रेसी की ओथ है । रिपोर्ट का जितना भाग जनता के लिए जानना अनिवार्य था और जिसे पब्लिक किया जा सकता था उसे हमने अपनी वैबसाइट पर डाल दिया है । (विघ्न)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष जी, (विघ्न)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, ऑन ए प्वायंट ऑफ आर्डर मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं कि एक कालिंग अटैंशन मोशन पर एक मानीय सदस्य कितने प्रश्न पूछ सकता है? कादियान जी के स्प्रिंग लगे हुए हैं कि वे बार बार खड़े हो चुके हैं ।

श्री अध्यक्षः कादियान साहब, आप बैठ जाईये, विज साहब तो यह बात कह रहे हैं कि आप हर बात पर ही खड़े हो जाते हैं ।

डा. रघुवीर सिंह कादियानः स्पीकर सर, सदन में प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट के बारे में बात चल रही है । मैं परसों जनता टी.वी. देख रहा था उस पर श्री प्रकाश सिंह का इन्टरव्यू चल रहा था उस इन्टरव्यू में श्री प्रकाश सिंह ने यह कहा कि यह सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी किसी न किसी दवाब में हैं इसलिए जो रिपोर्ट मैंने पहले दी है वह रिपोर्ट इम्पलीमैंट नहीं हो रही है और दूसरी रिपोर्ट मुझ से मांगी नहीं जा रही है क्योंकि वह रिफोर्मज की रिपोर्ट है । इसलिए जो बात स्टैप्स में है उसको स्टैप्स में ही बतायें कि जो रिपोर्ट श्री प्रकाश सिंह कमीशन ने दी है वह रिपोर्ट किसी तरह के दवाब में है या सरकार का कोई पॉलीटिकल आका है या किसी का कोई गॉड फॉदर है वे सिफारिश कर रहे हैं कि यह सरकार हैल्पलैस हो गई है । यह बहुत बड़ा एलीगेशन है तो सदन को बतायें कि इसमें कौन सा दवाब है क्योंकि चीफ मिनिस्टर और सरकार का डेमोक्रेसी में काम होता है कि प्रदेश के लोगों to deliver the good things. एक हाईएस्ट इन्स्टीच्यूशन हैं । अगर इस पर किसी का कोई दवाब है तो यह बहुत बड़ा सरकार पर एलीगेशन है ।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, जिस रिपोर्ट की बात श्री प्रकाश सिंह ने की है उस दूसरी रिपोर्ट को देने के ऑफर उन्हीं की ओर से आई है । हमने कोई रिपोर्ट नहीं ली है । मैं बता रहा हूं । हमने जिस रिपोर्ट के लिए उन्हें एप्यांट किया है सिविल और पुलिस के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं जिनकी इस मामले में कोई लापरवाही रही है इसके लिए हमने उनको इस रिपोर्ट के लिए एप्यांट किया है। इस पर उनकी तरफ से एक सुझाव था कि मैं एक और रिपोर्ट देना चाहता हूं। वह क्या रिपोर्ट देना चाहता हूं कि पुलिस की मॉडर्नाईजेशन और पुलिस की कार्य पद्वति में कैसे सुधार किया जा सकता है । वास्तव में पहले से ही श्री प्रकाश सिंह की इस तरह की कई रिपोर्ट बनी हुई हैं । वह तो किसी भी प्रदेश के लिए एक जनरल रिपोर्ट होती है। क्योंकि एक रिपोर्ट उन्होने पहले से दी हुई है उस रिपोर्ट को कैसे लागू करना है और किस प्रकार से लागू करना है यह सरकार का काम है । इस पहली रिपोर्ट के बाद उन्हें यह उम्मीद थी कि मुझे फिर से टाईम देकर दूसरी रिपोर्ट के लिए नियुक्त किया जायेगा । हमने दूसरी रिपोर्ट के लिए उन्हें नियुक्त करने के लिए मना किया है कि हमारे पास आपकी पहली रिपोर्ट जो पुलिस की मॉडर्नाईजेशन और पुलिस की कार्य पद्वति के लिए है जो पहले वाली रिपोर्ट्स हैं वे सार्वजनिक हैं । वे एक बार की नहीं हैं उसमें हमको कितना लागू करना है और

कितना नहीं करना है यह सरकार की मर्जी है । कोई भी रिपोर्ट बनाने वाला व्यक्ति यह कहे कि नहीं नहीं मेरे से तो सरकार को रिपोर्ट लेनी ही चाहिए अगर नहीं ले रहे हैं तो ये किसी दवाब में हैं । यह सरकार किसी के दवाब में नहीं है और सरकार जो कुछ अपने शासन–प्रशासन को ठीक करने के लिए जिसको नियुक्त करेगी वह उसी को करेगी । (विघ्न)

डा. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, फिर वह रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई ?

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, वह रिपोर्ट तो सार्वजनिक की जा चुकी है और सार्वजनिक करने के बाद उसमें क्या क्या इम्पलीमैंट हो गई हैं वह भी सार्वजनिक है । इसके बाद कुछ चीजें उस रिपोर्ट में डिपार्टमैंटल इन्क्वायरीज की हैं, कुछ लोगों को हमने नोटिसीज दिए हुए हैं । वे लोग नोटिस का जवाब देंगे उसके बाद वे चीजें शनैःशनैः की जायेंगी क्योंकि उस रिपोर्ट में लगभग 60 लोगों को उन्होंने इंगित किया है और इन 60 लोगों में हमने कुछ लोगों को सस्पैंड भी किया है । कुछ लोगों के हमने ट्रांसफर भी किए हैं, कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की है और कुछ लोगों के खिलाफ अभी डिपार्टमैंटल एक्शन होना है । वह एक्शन कितनी देर में होना है और कब होना है यह उनका काम नहीं है यह सरकार का काम है और बस सरकार वही काम कर रही है। जिस दूसरी रिपोर्ट की वे बात कर रहे हैं उन्होंने दूसरी रिपोर्ट के लिए अपनी नियुक्ति की मांग की थी और उनकी औफर को हमने उनको मना कर दिया । अब यह सरकार की मर्जी है कि किसी रिपोर्ट को लेने के लिए उनको नियुक्त करे या न करे । इसलिए उस विषय को यहीं खत्म कर दें । (इस समय महोदया चेयर पर आसीन हुई।)

श्री अभय सिंह चौटालाः उपाध्यक्ष महोदया, जाट आंदोलन के दौरान पहले सरकार ने प्रकाश सिंह कमेटी का गठन किया फिर हाउस में जब उस कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा हुई तो उन्होंने यह स्वीकार किया कि चलो अगर विपक्ष यह चाहता है कि इस जाट आन्दोलन की जांच किसी जज से कराई जाये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिटायर्ड जस्टिस मिस्टर झा को जांच के लिए नियुक्त कर दिया । मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से यह बात पूछी थी कि जब इस आन्दोलन की जांच जस्टिस झा कर रहे हैं तो इस आन्दोलन की जांच सी.बी.आई. को क्यों दी गई । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि किस कारण से इस

आन्दोलन की जांच सी.बी.आई. को दी गई है । अगर जांच चल रही है तो जिन लोगों को पकड़ा है उन लोगों को आप पहले से ही दोषी कैसे ठहरा सकते हो कि ये लोग ही इस बात के लिए जिम्मेवार हैं । एक तरफ चीफ जस्टिस जांच कर रहा है और एक तरफ सी.बी.आई. को जांच सौप रखी है और इन दोनों ने तय करना है कि इस घटना के पीछे कौन लोग दोषी थे और कौन लोग इस घटना को अंजाम देने वाले थे और किन लोगों ने इस घटना को आगे ले जाने का काम किया था । अखबार की एक घटना का जिक्र मैं यहां जरूर करना चाहूंगा । जो आगजनी हुई है और खासकर कैप्टन अभिमन्यु के घर को आग के हवाले किया गया है उस पर एस.आई.टी. के इंचार्ज का परसों ब्यान आया था कि इसके लिए पहले से पैट्रोल लाया गया था और पहले से हथियार जमा किए गए थे और पहले से गंडासे और तलवारें रखी गई थी । ये सारी चीजें आज एस.आई.टी. प्रूव कर रही है कि ये सारी चीजें पहले से ही तय की गई थी । पुलिस डिपार्टमैंट में सी.आई.डी. का डिपार्टमैंट या दूसरे पुलिस अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी हैं अगर उनकी नाक के नीचे इस तरह के षडयंत्र पहले से रचे जाते है तो यह सरकार की बहुत बड़ी नाकामयाबी है । इस आरक्षण में जो दोषी अधिकारी थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनको दोषी ठहराया जाना चाहिए कि इन अधिकारियों की गलती से प्रदेश आग के हवाले हुआ । उपाध्यक्ष महोदया, मैं सरकार से एक बात तो यह जानना चाहता हूं कि इस इन्कवायरी को सी.बी.आई. को देने की जरूरत क्यों पड़ी । दूसरी बात मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि एस.आई.टी. के इंचार्ज ने जो लिखा है कि ये सारी चीजें पहले से तय हुई थी और एक बार नहीं दो बार नहीं बल्कि तीन बार प्रदेश को आग के हवाले कर दिया तो प्रशासन क्या कर रहा था ?

श्री मनोहर लालः उपाध्यक्ष महोदया, नेता प्रतिपक्ष ने कुछ बातों का और उल्लेख कर दिया जिससे मुझे जवाब देने में आसानी हो गई । प्रकाश सिंह कमेटी का तो सीमित मामला था इसलिए बाद में जब यह मामला सदन में आया तो रिटायर्ड जस्टिस मिस्टर झा कमीशन का गठन किया गया । इन्कवायरी एक्ट, 1952 के अन्तर्गत 8 अप्रैल 2016 को एस.एन. झा की अध्यक्षता में दो सदस्यीय इस कमीशन के गठन के लिए सरकारी आदेश दे दिया गया । इस कमीशन के तीन मुख्य उद्देश्य थे । पहला तो उन सभी तथ्यों, परिस्थितियों और घटनाक्रमों को उजागर करना जिसके कारण 18 फरवरी और 23 फरवरी के बीच झज्जर, रोहतक, सोनीपत,

जींद, हिसार, कैथल, भिवानी और पानीपत में हिंसा हुई और जिसके कारण जानोमाल का नुकसान हुआ, पेड़ों की अवैध कटाई हुई, मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ । आखिर इन तथ्यों, परिस्थितियों और घटनाक्रमों की सारी जानकारियां मिलनी चाहिएं । एस.आई.टी. ने कोई बात कही है तो उसी को और पुख्ता रूप से जानकारी लेने के लिए झा कमीशन इसकी इन्कवायरी करेगा । उपाध्यक्ष महोदया, उपरोक्त घटनाओं के पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं है । यदि साजिश है तो उसको बेनाकाब करना झा कमीशन का काम रहेगा । अन्य कोई प्रसांगिक मामला उजागर करना है जो इस विषय से सम्बन्धित हो ऐसी तीन लाइनें टर्म्ज आफ रैफ्रैंस के नाते उनको लिखकर दी गई हैं । अब विषय आया कि इसकी जांच सी.बी.आई. को क्यों दी गई । इसकी जांच के लिए एस.आई.टी. भी बनी और झा कमीशन अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है लेकिन कहीं न कहीं यह दुष्प्रचार हो रहा है कि इसके पीछे बी.जे.पी. का हाथ है । हमारे पुलिस डिपार्टमैंट के पास जितने प्रमाण थे उन तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर हमने कार्रवाई शुरू की है । मैं एक मुहावरा प्रयोग कर रहा हूं कि उलटा चोर कोतवाल को डाटे । जिन लोगों के ऊपर शक जाहिर किया जा रहा है वही लोग कह रहे हैं कि इस घटना के पीछे बी.जे.पी. का हाथ है । आखिर इन चीजों को कैसे उजागर कराया जाए? इन चीजों को उजागर करने के लिए हम अगर इसकी जांच पुलिस से कराएंगें या एस.आई.टी. से कराएंगे तो कहा जाएगा कि सरकार आपकी थी, आपने करा लिया । यह ऐसा गम्भीर आरोप है यदि इसकी जाँच सरकार कराएगी तो कल को यह विषय आएगा कि सरकार जाँच को प्रभावित कर रही है। आज खुले मंच से तो सब कह रहे हैं कल वही लोग कहेंगे कि यह सब राजनीतिक विद्वेष से कराया जा रहा है । इस हाउस में कई किस्से ऐसे आए जब हमने कहा कि कुछ गड़बड़ियां ध्यान में आई हैं तो सामने से चैलेंज आया कि इन गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए इन्कवायरी करवानी चाहिए । कोई भी इन्कवायरी होगी तो जो भी दोषी होगा उसको फेस करना पड़ेगा लेकिन जब इन्कवायरी के लिए हमने काम को सिरे चढ़ाना शुरू कर दिया तो बात आई कि यह राजनीतिक द्वेष से कराया जा रहा है । हम नहीं चाहते कि इसके अंदर कोई बात बचे । उसमें कुछ घटनाएं बहुत गम्भीर थीं इसलिए बजाय कोई और यह कहता कि इसकी सी.बी.आई. से जांच करवाई जाए, सरकार अपने आप इसकी जांच क्यों न सी.बी.आई. से कराए । एक मंत्री के घर पर हमला हुआ है । प्रदेश सरकार का मंत्री है यदि कोई भी निर्णय पुलिस से

करवायेंगे तो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जायेगा कि मंत्री का घर जला है इसलिए पुलिस ने कार्यवाही कर दी । इसकी सी.बी.आई. जांच करेगी और दोषियों को खोज कर निकालेगी । (शोर एवं व्यवधान) हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाई जाये या सी.बी.आई से करवाई जाये यह बात तो टेडी उंगली करने वाली बात है । यदि हम सिटिंग्ज जज से इन्क्वायरी करवाते तो कहते कि सी.बी.आई. से करवाओ और सी.बी.आई. से करवा रहे हैं तो कहेंगे हाई कोर्ट के सिटिंग्ज जज से करवाओ ।

श्रीमती गीता भुक्कल : उपाध्यक्ष महोदया, क्या पूरे रोहतक शहर में वित्तमंत्री जी का ही घर जला है । मेरा घर भी जला है । मुख्यमंत्री जी झज्जर गये थे क्या वे किसी पीड़ित के घर गये? क्या मुख्यमंत्री जी को प्रदेश में दूसरे घर जले उनका दुख नहीं हुआ । क्या उनको केवल प्रदेश के वित्तमंत्री जी का घर जला उसका दुख हुआ । क्या सारी इन्क्वायरी वित्तमंत्री जी के घर की ही होगी । पूरे प्रदेश की इन्क्वायरी क्यों नहीं होगी । This is total constitutional failure of the Government because the Government is of the BJP . यदि यहां बीजेपी की बजाय कांग्रेस की सरकार होती तो केन्द्र सरकार और आप लोग प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर चुके होते । यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसके राज में पूरा हरियाणा प्रदेश जला है । (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : गीता भुक्कल जी, प्लीज आप बैठें । मुख्यमंत्री जी जवाब देने के लिए खड़े हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्या ने अपना संदर्भ पूरा कर लिया है । ये कृपा मेरा जवाब सुन लें । (शोर एवं व्यवधान) आप बाद में प्रश्न पूछ लेना पहले मेरा जवाब तो सुन लें ।

उपाध्यक्ष महोदया : गीता भुक्कल, जी मुख्यमंत्री जी जवाब देने के लिए खड़े हैं । प्लीज, आप बैठें । (शोर एवं व्यवधान)

मुख्य संसदीय सचिव (श्रीमती सीमा त्रिखा): उपाध्यक्ष महोदया, जिस समय मेरी बहन गीता भुक्कल जी का घर जला उस समय मैंने इनके पास फोन किया था और इनके घर आने के लिए भी मैंने कहा था । लेकिन मेरी बहन ने मुझे आने से मना कर दिया था । मैंने मेरी बहन को फोन किया था । उस दिन इनके जेठ की डैथ हुई थी । मेरी बहन जो बात कर रही हैं वह गलत है । इन्होंने मेरे को अपने

घर आने से रोका। इन्होंने मुझे बताया कि इनके जेठ की डैथ हो गई है । मैंने उसके लिए शोक भी प्रकट किया । झज्जर में जब ग्रिवंसिज कमेटी की मीटिंग में मैं गई तब भी मैं इनके घर जाना चाहती थी लेकिन इन्होंने मुझे रोक दिया । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की नुमाईंदगी बनकर इनके घर जा रही थी लेकिन इन्होंने मुझे रोक दिया । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सारा जवाब दूंगा । पहले माननीय सदस्या मेरी बात तो सुनें । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : उपाध्यक्ष महोदया, * * *

उपाध्यक्ष महोदया : प्लीज, आप सभी बैठें । मेरी इजाजत के बगैर गीता जी जो भी बोल रही हैं वह रिकार्ड न किया जाये । गीता जी, आप सीनियर मैंबर हैं फिर भी बिना इजाजत के बोल रही हैं । (शोर एवं व्यवधान) प्लीज, आप बैठें ।

डॉ. पवन सैनी : उपाध्यक्ष महोदया, जिस समय हरियाणा जल रहा था उस समय कांग्रेस के साथी दिल्ली में जंतर–मंतर पर धरने पर बैठे हुए थे । इनके वह फोटो वायरल हुई थी । (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः महोदया, गीता जी, मैं आपको बार–बार सीट पर बैठने के लिए कह रही हूं। (शोर एवं व्यवधान) आप कृपया करके बैठ जायें । माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी बात का ही जवाब दे रहे हैं इसलिए आप शांतिपूर्वक बैठकर उनके जवाब को सुनें। (शोर एवं व्यवधान)

————————————————

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

श्री मनोहर लाल : डिप्टी स्पीकर महोदया, आप श्रीमती गीता जी से यह पूछ लें कि इनकी डिमाण्ड क्या है?

उपाध्यक्ष महोदया : महोदया, गीता जी, आप यह तो बतायें कि आप क्या चाहती हैं?

श्रीमती गीता भुक्कल : उपाध्यक्ष महोदया, मेरी यही डिमाण्ड है कि मुझे बोलने के लिए दो मिनट का समय दिया जाये। पहले मेरी पूरी बात सुन ली जाये उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी उसका जवाब दे दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार बेदी : उपाध्यक्ष महोदया, आप इनसे यह भी पूछ लें कि जब इनकी सरकार में एक के बाद एक दलितों पर अत्याचार की घटनाएं हो रही थी उस समय ये कहां पर थी? (शोर एवं व्यवधान) उस समय इन्होंने दलितों के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाई थी? (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : ठीक है गीता जी, आप बोलिये और दो मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : उपाध्यक्ष महोदया, . . . (विघ्न)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : उपाध्यक्ष महोदया, मेरी भी आपसे रिकवैस्ट है कि आप इनको बोलने के लिए पूरा समय दें क्योंकि पहली बार सदन में और विशेष रूप से कांग्रेस के मित्रों की तरफ से कुछ सहानुभूति के शब्द आये हैं। किसी का घर जला है उसका दर्द वे महसूस कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) अब जब हरियाणा प्रदेश की जनता इनका असली चेहरा पहचानकर इनको सिरे से नकारने लगी है तो आज इनकी हरियाणा का भाई–चारा खराब करने का दर्द महसूस होने लगा है। मेरी आपसे पुनः रिकवैस्ट है कि इनको बोलने के लिए पूरा समय दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान) इनके द्वारा उठाये गये एक–एक मुद्दे पर हम यहां पर चर्चा करना चाहेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : गीता जी, माननीय मुख्यमंत्री स्वयं बैठ गये हैं और उन्होंने आपको बोलने के लिए पूरा समय देने के लिए कहा है। इसलिए आप अपनी बात स्पष्ट रूप से कहें और चिल्ला–चिल्लाकर सदन का समय अनावश्यक रूप से बर्बाद न करें।

श्रीमती गीता भुक्कल : उपाध्यक्ष महोदया, जब मैं अपनी बात करूंगी तभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी मेरी बात का जवाब देंगे लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे इस

सदन में अपनी बात रखने के लिए चिल्ला–चिल्लाकर बोलना पड़ रहा है लेकिन फिर भी मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान) मैं भी यह बात विशेष रूप से कहना चाहती हूं कि आज मैं भी अपनी बात कहे बिना बैठने वाली नहीं हूं। चाहे मुझे इसके लिए धरना देना पड़े। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहती थी कि उन्होंने प्रदेश में लॉ एण्ड आर्डर पर सदन में चर्चा करवाया जाना स्वीकार किया । हमें इससे खुशी थी कि हम भी अपने मन की बात कह पायेंगे लेकिन आपके द्वारा हमारी बात को नहीं सुना जा रहा है। आप सिर्फ अपनी ही बात करना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान) मैं केवल एक बात कहना चाहती हूं कि जिस तरह फरवरी के महीने में जाट आरक्षण आन्दोलन शुरू हुआ। सर्वप्रथम तो मैं सरकार से यह पूछना चाहती हूं कि सबसे पहले तो सरकार यह बताये कि यह आंदोलन उग्र क्यों हुआ? इस आंदोलन ने ऐसा उग्र रूप क्यों धारण कर लिया कि भाई को भाई से ही लड़ा दिया । क्या यही गुजरात मॉडल है? (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : उपाध्यक्ष महोदया, यह सवाल तो माननीय सदस्या श्रीमती गीता जी से हमें पूछना था। (शोर एवं व्यवधान) चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में इस मामले की जांच करने के लिए कमेटी का गठन हो जाने के बावजूद भी इन्होंने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को सड़क पर लिटा करके कांग्रेस के लोगों के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश को जलाने का काम किया है। (शोर एवं व्यवधान) इसका जवाब तो इनको देना है। (शोर एवं व्यवधान) हरियाणा जल रहा था और इनके नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा दिल्ली में जंतर–मंतर पर धरने पर बैठे थे। (शोर एवं व्यवधान) यह अपने आप में कितनी हास्यास्पद बात है इसका अंदाज़ा कोई भी सहजतापूर्वक लगा सकता है। (शोर एवं व्यवधान) इसका जवाब तो हम इनसे पिछले 6 महीने से मांग रहे हैं लेकिन इन्होंने तो पिछले 6 महीने से इस मुद्दे पर मौन व्रत धारण कर रखा है। (शोर एवं व्यवधान) आक्रमणकारियों से इनके क्या सम्बन्ध थे यह भी बतायें? इनके राजनीतिक सलाहकार हरियाणा को जलाना चाह रहे थे जिसका जवाब आज तक नहीं दिया गया । वे क्या षडयंत्र कर रहे थे, क्या साजिश रच रहे थे वह भी बतायें ? (शोर एवं व्यवधान)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी) : उपाध्यक्ष महोदया, इनके राज में मिर्चपुर से हिसार तक काफी संख्या में हरिजन पलायन

करके पैदल चल कर गये और वे आज तक वापिस नहीं आये, माननीय सदस्या उनके बारे में भी बतायें । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : उपाध्यक्ष महोदया, ***

*_____

चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदया : गीता भुक्कल जी जो भी बोल रही हैं वह रिकॉर्ड न किया जाये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुभाष बराला : उपाध्यक्ष महोदया, यह बात नोट की जाये कि माननीय सदस्या ने हाउस में ** शब्द का इस्तेमाल किया है जो कि गलत है । (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय श्री अध्यक्ष चेयर पर आसीन हुए।)

श्री अध्यक्ष : आप सभी अपनी–अपनी सीटों पर बैठ जाईये । इस प्रकार किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही है । (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्या अपने विधान सभा क्षेत्र की बात कह रही है तो उसकी बात को सुना जाना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, आप बैठिये, उनकी बात भी सुनेंगे । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने एक महिला को स्वयं बोलने के लिए समय दिया है तो उनको बोलने दिया जाये, उनको अपनी बात कहने दी जाये । यह बात अलग है कि वह उसको किस ढंग से बता रही है । उसको अपनी बात कह लेने दें । जब वह अपनी बात पूरी कर लें तो आप जो मर्जी कह लेना । यह सही बात कह रही हैं कि चर्चा होनी चाहिए थी कि जाट आरक्षण के दौरान कौन लोग दोषी थे? उन लोगों को बेनकाब करके तथा सभी के सामने आने दो । पहले इसकी चर्चा होने दो फिर आप जवाब दे दें तथा हम भी जवाब दे देंगे । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे और माननीय सदन के नेता से भी अनुरोध है कि जब मैं अपनी बात कह रही हूं तो आप अपनी पार्टी के सदस्यों को संयम में रहने के लिए कहें । मैं केवल 2 मिनट में अपनी बात समाप्त कर लूंगी अगर मुझे बीच में रोका गया तो भी मैं अपनी बात कहे बिना बैठने वाली नहीं हूं । (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, ये तो आपको भी धमकी दे रही हैं कि मैं बैठने वाली नहीं हूं । ये मंत्री जी को सैटअप कह रही हैं, इनका गुरूर आसमान पर है । इनको किस बात का गुमान है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामबिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, ये किसी अपराध बोध से ग्रस्त हैं । मैं इनको कहना चाहता हूं कि :–

सीने के फफोले जल उठे, सीने के दाग से,
इस घर को आग लगी, घर के ही चिराग से ।

श्री कृष्ण कुमार बेदी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या जब मंत्री थी उस समय जब मिर्चपुर और गोहाना कांड हुआ था तब भी ये हाउस की सदस्या थी लेकिन उस समय इन्होंने कुछ नहीं कहा । उस समय भी इनको कहना चाहिए था कि मैं बोलूंगी । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, जब यह चर्चा चली है तब से बहुत दिनों से इस बात को लेकर बहुत दर्द था । आपने मुनि तरूण सागर जी के कड़वे वचन सुने हैं लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि आपको जनता के भी कड़वे वचन सुनने पड़ेंगे । अध्यक्ष महोदय, जाट आरक्षण के बारे में मैं एक बात कहना चाहती हूं कि यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है । ऊपर वाला न करे कि प्रदेश में इस प्रकार की घटना कभी हो जिसने प्रदेश को निचले पायदान पर पहुंचा दिया है और जिसने प्रदेश का भाईचार खराब कर दिया है अध्यक्ष महोदय, हमारे हलके में जिस समय यह घटनाएं हुई उससे टोटल फैल्योर ऑफ दा कॉन्स्टीच्यूशनल मशीनरी, टोटल फैल्योर ऑफ दा पुलिस डिपार्टमैंट, टोटल फैल्योर ऑफ दा गवर्नमैंट ऑफ कैबिनैट शो हो गया है। इसमें सरकार द्वारा गठित चाहे प्रकाश सिंह कमेटी ने बात कही हो, चाहे हाई कोर्ट ने बात कही हो । हमने सरकार को कहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवा दें । मुख्यमंत्री जी, आप केवल मात्र वित्त मंत्री जी के घर पर हुए हमले की सी.बी.आई. इन्कवायरी करवा रहे हैं । यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है । (हंसी) मुख्यमंत्री जी, इसमें हंसने की बात नहीं है । आप हंस रहे हैं । आप मुझे यह बताएं कि क्या मैंने आपको स्वयं फोन करके उस समय यह नहीं कहा कि आज मेरे घर में डैथ हुई है । मुझे सुबह से ही पता था कि जो आगजनी की घटनाएं झज्जर क्षेत्र में चल रही हैं । (विघ्न) उसमें हमारे यहां पर बहुत से लोगों पर मासूमों पर गोलियां चलाई गई हैं । (विघ्न) स्पीकर सर, उस समय प्रदेश के जो हालात थे । उसमें सारे पुलिस थाने खाली हो गये थे। उस समय सरकार ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का काम किया ।(विघ्न) दुकानें जलाने का

काम किया, लोगों को मारने का काम किया । इस तरह के हालात हमारे विधान सभा क्षेत्र में व प्रदेश में थे । सारा मीडिया उस समय दिखा रहा था दैट वाज दा टोटल फैल्योर । मैंने ए.डी.जी. सी.आई.डी. को फोन किया, मैंने एस.पी. को फोन किया, मैंने डी.सी. को फोन किया, मैंने कन्ट्रोल रूम पर फोन किया । मेरे पास सारी फोन कॉल की डिटेलज हैं । मुख्यमंत्री जी सदन में खड़े होकर ये बता दें कि मैंने इनको फोन किया था या नहीं। मैंने उन्हें कहा कि मेरा विधान सभा क्षेत्र आधे से ज्यादा जल कर राख हुआ है और भाई चारा खराब हुआ है। जहां तक मेरा वहां पहुंचने का सवाल है उस समय क्योंकि मेरे घर में मेरे जेठ की मृत्यु हो चुकी थी । बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि इस तरह के बहुत से लोग फिर रहे हैं जिन्होंने माहौल व भाई चारा खराब कर दिया है । आप कुछ न कुछ करें । मुख्यमंत्री जी, आप अपने ऑफिसियली कॉल डिटेल निकलवाएं कि हमने आपके पास फोन न किया हो । मुख्यमंत्री जी, आप स्वयं सदन में खड़े हो कर बताएं कि मैंने आपको कितनी बार फोन किया । मैंने आपके ए.डी.जी. सी.आई.डी. शत्रुजीत कपूर को फोन किया । डी.सी. को किया, एस.पी. तो शायद कहीं बिजी थे । डी.जी. साहब भी हो सकता है कहीं बीजी होंगी । सारा प्रदेश जल गया लेकिन दुर्भाग्य की बात है ऐसा गोल्डन जुबली 50 वां वर्ष हम मना रहे हैं । हरियाणा में 19, 20 और 21 फरवरी को जो ऐसा काला दिवस हुआ भगवान न करें गोल्डन जुबली वर्ष के रूप में ऐसा काला दिवस आये। जिसमें मैं न केवल घर में मृत्यु होने पर फ्यूनरल पर नहीं जा सकी बल्कि मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि आप मुझे सिक्योरिटी दे दें ताकि मैं वहाँ पर जा सकूं लेकिन –– (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : बहन जी, आपने दो मिनट बोलने के लिये कहा था और आपको बोलते हुए तीन मिनट हो गये हैं । बस आप अब इसे वाईंडअप कीजिए । (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष जी, लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश में जो हालात पैदा हुए । (विघ्न)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : बहन जी, जो आदमी टेलीफोन करके सारे जिलो में दंगा भड़काने की बात कर रहा था वह आपका आदमी था । उसको आप कहते तो वह झज्जर में आग न लगवाता । (विघ्न)

Smt. Geeta Bhukkal : Speaker Sir, Ruling Party is responsible for whatever happened in Haryana in the month of February, 2016.

कैप्टन अभिमन्यु : आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि जो इतनी सब बातें हुई और इतना दर्द हुआ वह बिल्कुल सही है और जायज है । इस दर्द की अभिव्यक्ति इस महान सदन में नहीं होगी तो कहां होगी । मुझे आशा है कि जब इस प्रकार की चर्चा होगी तो जो जुबान से कुछ बातें निकलेंगी तो अगर आत्मा मरी हुई नहीं है तो वह कहीं न कहीं दिल, दिमाग और आत्मा पर भी असर करने का काम करेंगी । एक बार भी उन्होंने या उनके दल ने जो पूरी हिंसा हुई क्या उस हिंसा की निन्दा करने का काम किया है? (विघ्न) जिन लोगों ने हिंसा, आगजनी और लूटपाट करने का काम किया क्या उनकी एक बार भी निन्दा की । क्या कभी भी अपने सहयोगी साथी चौधरी विरेन्द्र सिंह जी जो सरकार चलाते थे उनकी जो विडियो सामने आई है । क्या उनसे कभी बैठ कर के पूछा कि बिरेन्द्र सिंह जी आप क्या कर रहे थे ? या आप सभी उसमें शामिल थे । यह क्या हो रहा था ? या आपने कभी आपस में बैठकर के जिस प्रकार से यह सारा खेल चला हम उम्मीद कर रहे थे कि एक जिम्मेदार समाज के अन्दर राजनेता के नाते से पूर्व में हरियाणा सरकार चलाने की जिम्मेदारी जिन पर थी वह कभी तो आकर इस बात को महसूस करेंगे कि सर्व समाज में हम सबको जोड़ने के लिये गलत को गलत कहने की हिम्मत दिखानी पड़ेगी, गलत को गलत कहने का चरित्र दिखाना पड़ेगा तथा सही को सही कहने की भी हमको हिम्मत दिखानी पड़ेगी। लेकिन इनकी सोच यह है कि समाज को जात–पात के आधार पर बांटकर आपस में लड़ाया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैंने कई बार इस महान सदन के माध्यम से तथा अखबार व सोशल मीडिया के माध्यम से आरक्षण आंदोलन से जुडे अनेकों सवाल रखे हैं क्योंकि लोकतंत्र में राजनीति ऐसे ही चला करती है। कईं बार हम सदन के माध्यम से सवाल करते है तो कई बार मीडिया के माध्यम से सवाल किए जाते है ताकि जनता के बीच किसी विषय विशेष पर सवालों का जवाब दिया जा सके। हमने इनसे जितने भी सवाल इस माध्यम से किए, उन सवालों का एक भी जवाब आज तक इन्होंनें नहीं दिया और उल्टे आज यह हमसे सवाल पूछ रहे हैं परन्तु आज मैं किसी भी सूरत में इन चीजों पर सदन का महत्वपूर्ण समय जाया नहीं करना चाहता हूँ और एक बार पुनः निवेदन करता हूँ कि सभी सवाल इन लोगों को पहले से ही मालूम हैं, उन सवालों का कृपया करके कोई जवाब जरूर दिया जाना चाहिए। अगर इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है तो संभव है कि कानून तो अपना काम करेगा ही। कानून का मतलब जज की इंक्वॉयरी भी संभव है या सी.बी.आई.

की इंक्वॉयरी भी की जा सकती है। इनके द्वारा बार–बार मेरे एक घर की बात की जाती है। ठीक है वह घर आपकी नजरों में खराब हो सकता है? आपका राजनीतिक विरोधी हो सकता है? लेकिन उस घर में रहने वाले दस निरापराध व निर्दोष आदमी जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, वे लोग उस घर के अन्दर थे और उनको जिंदा जलाने की कोशिश की गई । अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक बार भी मुझे टेलीफोन करके इस घटना के लिए अफसोस तक नहीं जताया। मेरे परिवार के किसी सदस्य के पास जाकर यह कहने भर तक की हिमाकत नहीं की कि जो कुछ आपके साथ हुआ, वह गलत हुआ। खैर छोड़िये, यह किसी विशेष परिवार का या घर का विषय नहीं है बल्कि उन सब परिवारों व घरों का विषय है जहां पर इस आरक्षण आंदोलन की आग ने सब कुछ जला डाला। उन पीड़ितों के दिलों में जो दुख व पीड़ा है, उसी दुख व पीड़ा को सदन के माध्यम से उजागर करना विषय का मूल है। अध्यक्ष महोदय, इनके द्वारा तथ्यों को जान–बूझकर व तोड़–मरोड़कर पेश किया जा रहा है लेकिन इनको याद रखना चाहिए कि जो इंक्वॉयरी हुई है वह किसी एक घर की नहीं हुई है बल्कि वह हर उस घर की इंक्वॉयरी है जो आरक्षण की आग में जले थे, वह सर्किट हाउस की इंक्वायरी है तथा वह आई.जी. आफिस की इंक्वॉयरी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शासन व प्रशासन सब सरकार की पकड़ में था तो ऐसी सूरत में सरकार द्वारा कुछ कर न पाना कहीं न कहीं सरकार की विफलता को ही दिखाता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः गीता जी, प्लीज बैठिये। मंत्री जी को अपनी बात तो पूरी कर लेने दीजिए? (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री ने इंक्वॉयरी के लिए उन तीन स्थानों को उचित समझा जहां से हिंसा की शुरूआत होती है। जब मुख्यमंत्री जी अपनी बात रखेंगे तो उसमें बतायेंगे कि इस पूरे मामले में एक नहीं बल्कि कई विषय साथ–साथ चल रहे थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, जैसे जैसे बात बढ़ती जा रही है मंत्री जी व्यक्तिगत होते जा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः देखिये गीता जी, आप इस विषय पर पांच मिनट बोल चुकी हैं। जब आप बोल रही थी तो किसी ने आपको बाधित नहीं किया था बल्कि बोलने का पूरा मौका आपके पास था? अतः आप प्लीज बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, अब जैसाकि सदन में चर्चा चल रही है यदि इस चर्चा के दौर में मैंने अब अपनी बात नहीं रखी तो यह मेरे साथ नाइंसाफी होगी। अध्यक्ष महोदय, बड़ा गम्भीर विषय सदन में चल रहा है और बहुत ही गम्भीर बातें सामने निकलकर आई है जिनसे मेरे मन को भी पीड़ा हुई है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ पवन सैनीः अध्यक्ष महोदय, इनको लोगों के जान–माल के नुकसान की पीड़ा नहीं बल्कि इनका राज चले जाने की पीड़ा है। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, जो लोग मारे गए है, यह उनके लिए पीड़ा नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) जो लोग बर्बाद हो गए यह उनके लिए भी पीड़ा नहीं है (शोर एवं व्यवधान) बल्कि हमने सच्चाई को बयान कर दिया, यह पीड़ा उसकी वजह से है। (शोर एवं व्यवधान) वाह! इसको कहते है आत्मा विहिन काम? (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, कोई सदस्य बोलने के लिए खड़ा होता है और उसको इस तरह अनर्गल मनगढ़त आरोपों से बाधित किया जाता है, तो यह बिल्कुल गलत बात है। मेरी बात इन लोगों को सुननी पड़ेगी, इस तरह से शोरगुल से सच्चाई को दबाया नही जा सकता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः पवन जी, आप बैठिये। माननीय सदस्य अपनी बात रखना चाह रहे हैं उनको अपनी बात पूरी करने दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत जिम्मेवार आदमी हूँ और किसी प्रकार की गैर जिम्मेदाराना बात करना, जोकि सदन में अब की जा रही है और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण व घोर निंदनीय है, मैं पसन्द नहीं करता हूँ। पिछले काफी समय से मेरे मन में भी इनके इस प्रकार के व्यवहार के प्रति जानने की एक जिज्ञासा थी कि इनके मन मे क्या दर्द चल रहा है और आज इन्होंने पूरे सदन के सामने जो पीड़ा उजागर की कि मैंने इनको टेलीफोन तक नहीं किया, जानकर जिज्ञासा शांत हुई कि इनके दर्द का यह कारण था। (शोर एवं व्यवधान)

डा. रघुबीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मैंने तो कैप्टन साहब को बाकायदा इस बारे में पूछा था और घटना का अफसोस तक भी जताया था। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैंने भी उस दर्दनाक घटना का अफसोस जताया था। मैं रोहतक गया था तथा रात को वहीं पर रूकने का मेरा प्रोग्राम भी था। मैं जहां–जहां पर नुकसान हुआ था वहां पर भी जाना चाहता था और इनके यहां जो घटना घटी थी, उस जगह पर भी मैं अवश्य जाना चाहता था लेकिन मुझे आगे जाने से रोक दिया गया था और वहां के डिप्टी कमीशनर ने मुझको आदेश दे दिया कि आप रोहतक से चले जाओ। इसके बाद कुछ ऐसी बातें सुनने में आई जो मैं यहां हाउस में नहीं बताना चाहता परन्तु मेरा एक निवेदन है कि किसी के ऊपर झूठा शक करना अच्छी बात नहीं है। रोज बयान आते हैं कि इंक्वॉयरी हो रही है, सी.बी.आई. इंक्वॉयरी कर रही है। यह अच्छी बात है कि जिस किसी का नुकसान हुआ है और उसके लिए जो भी दोषी है, उसका पता लगना बहुत जरूरी है। हमारी बहन गीता भुक्कल का घर जलाया गया, दांगी साहब का भी घर जलाया गया, जगबीर मलिक की दुकानें जलाई गई और इसी तरह से न जाने कितने हजारों आदमियों का नुकसान इस आरक्षण आंदोलन की वजह से हुआ था। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने किस्म का आदमी हूँ और मेरा भी यह मन है कि मामले कि तह तक जाना चाहिए लेकिन पता नहीं क्या वजह या कारण है कि बार–बार इस तरह की बातें कहने के बावजूद भी कि प्रकाश सिंह कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर दी है और वह सब कुछ खुलासा कर देगी, तब क्यों इस रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही नहीं की जा रही है? अगर कोई दोषी है तो फिर उसका बचाव क्यों किया जा रहा है? यदि इन्होंने प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ा होगा तो इन्हें अपनी आत्मा से मानना पड़ेगा कि उन्होंने डिप्टी कमीशनर से लेकर सुपरिंटेडेंट आफ पुलिस और यहां तक की आई.जी से लेकर गृह सचिव तक तथा मुख्यमंत्री सचिवालय के ऑफिस तक इंडिक्टमैंट की है। आप देखें की हाईएस्ट लेवल पर इस किस्म की कोई डॉयरेक्शन नहीं दी गई है। अध्यक्ष महोदय, आंदोलन होते हैं और सरकारें भी चलती हैं। हमारे शासनकाल में भी आंदोलन हुए हैं। सरकार का असली मुद्दा तो यह होना चाहिए कि प्रदेश में यदि कोई आंदोलन हो रहा है तो उसको कैस रोका जाए। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार में एक होस्टल में पुलिस द्वारा बिना किसी उपकुलपति या प्रधानाचार्य की अनुमति के पिक एण्ड चूज़ करके बच्चों पर लाठी चार्ज करने का काम किया है, जिसकी आज तक कोई चर्चा नहीं हुई है। अध्यक्ष

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में फिर कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इधर–उधर की बातें छोड़कर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जांच करवाएं यदि किसी आंदोलन में भूपेन्द्र सिंह हुड्डा या उसके परिवार का कोई भी सदस्य दोषी पाया जाये तो भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को फांसी दे देना। सदन में झूठी बातें कहने से काम नहीं चलेगा। सारा हरियाणा जानता है कि भूपेन्द्र सिंह हुड्डा कभी भी कोई गलत बात नहीं कहता है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय हरियाणा में चाहे किसी भी जगह लोगों को, भाईचारा को या रिश्तेदार को इक्ट्ठा कर लें, भूपेन्द्र सिंह हुड्डा वहीं जवाब देने के लिए तैयार है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से मांग करता हूँ कि इस सारे प्रकरण की उच्च न्यायालय के किसी सिटिंग्स जज से इन्क्वॉयरी करवाई जाये ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाये। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की उम्र और राजनीतिक तजुर्बा होने के कारण एक भावना सामने आई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, जाट आंदोलन के दौरान कैप्टन अभिमन्यु के घर का जो नुकसान हुआ उसके बारे में मैंने कैप्टन अभिमन्यु को टेलीफोन नहीं किया, यह गलती मैं मान लेता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी भावना को जताते हुए जाट आरक्षरण की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण तो कहा है और सरकार की कार्य–प्रणाली की भी निंदा की है। अध्यक्ष महोदय, लेकिन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय ने अभी तक यह नहीं कहा कि जिसने भी हिंसा, आगजनी और लूटपाट की है, वह निंदनीय है और न ही उसकी निंदा आपने अभी तक सदन में की है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, हमने इस हिंसक घटना की पूरी निंदा की है और हम चाहते हैं कि इस घटना की जांच उच्च न्यायालय के किसी सिटिंग्स जज से हो। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, जिस व्यक्ति ने यह हिंसा, आगजनी या लूटपाट की है चाहे वह किसी भी समाज या जाति का हो वह पूरे प्रदेश का अपराधी है। उस व्यक्ति से समाज की ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश की छवी देश में खराब

हुई है। अध्यक्ष महोदय, जाट समुदाय पर भी एक प्रश्नचिन्ह् लगा है इसलिए वह व्यक्ति निंदा करने योग्य है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, कैप्टन अभिमन्यु जाट समुदाय के ठेकेदार नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, मैं किसी समुदाय के ठेकेदार की बात नहीं करता। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय हुड्डा साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्या कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने इस घटना की निंदा करके चाहे इसमें अभिमन्यु दोषी हो कोई भी व्यक्ति दोषी हो उसको दण्ड देने की मांग आज तक की है । (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय जांच के लिए तो तैयार हैं लेकिन निंदा के लिए तैयार नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आंदोलन के जांच के बाद चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस आंदोलन में बहुत सारी बातें झूठी कही गई हैं और जो साक्ष्य और प्रमाण अदालत में प्रस्तुत किये गए उनके आधार पर जो चीजें सामने आई उनको हमें विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए । अगर उस हिंसा से जुड़ा हुआ अपराधी चाहे मेरा सगा भाई भी हो तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं उसको डिस–ऑन करूं और कहूं कि इसको सजा होनी चाहिए । प्रो. विरेन्द्र सिंह, महेन्द्र हुड्डा, सोमबीर और पवन जसिया, गौरव हुड्डा, और दूसरे लोगों के बारे में जो बातें सामने आई उनके बारे में आपने एक बार भी यह नहीं कहा कि इनको डिस–ऑन किया जाएगा । आपने यह भी नहीं कहा इनका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है और अगर इन पर कोई दोष सिद्ध होता है तो इनको सजा अवश्य मिलनी चाहिए । आपने अदालत में वकीलों को खड़ा करके पीछे के दरवाजे से इनकी मदद करने की कोशिश की । इस बात को सारा रोहतक और सारा हरियाणा जान रहा है । अब आप ये घड़ियाली आँसू किसके लिए बहा रहे हो ? सिर्फ 6 महीने के भीतर सारा हरियाणा आपकी सच्चाई को जान चुका है । अब लीपापोती करने और मीडिया में बयान देने से कुछ नहीं होने वाला है । (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : क्या यह कोई तरीका है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष जी, क्या इनको इस तरह की बातें करने का लाइसेंस मिला हुआ है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री जसबीर देसवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सारे प्रकरण का चश्मदीद गवाह हूं । सफीदों में जो हुआ पूरे हरियाणा में उसका नाम किसी ने नहीं लिया है । सफीदों में न तो किसी ने आरक्षण मांगा और न ही किसी ने कोई रास्ता जाम किया और किसी दुकान को बंद कराया गया । इसके बावजूद मेरी गाड़ियां फूंकी गईं, मेरे परिवार और मकान पर हमला किया गया । इस पूरे प्रकरण में मैं अपने घर में ही था । फिर भी मेरे और मेरे बेटों के खिलाफ 302 के मुकदमें दर्ज किये गए । मेरे क्षेत्र में मुझ पर मुकदमा होने से पहले 27 आदमियों पर मुकदमें दर्ज किये गए । एक मुकदमा दर्ज हुआ है । आज यह जांच बिल्कुल सुस्त पड़ चुकी है । अतः मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस जांच को अच्छी तरह से करवाया जाए और दोषियों को सजा दी जाए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष जी, मेरे परिवार को बंधक बनाया गया । (शोर एवं व्यवधान) 35 बिरादरी का नारा देने वाले कौन थे ? हमसे पूछिये । इसके बारे में हम बताएंगे । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, अभी वित्त मंत्री जी कह रहे थे कि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान प्रदेश का भाईचारा भी खराब हुआ है । मैं पूछना चाहता हूं कि प्रदेश के भाईचारे को किसने खराब किया ? दोषियों का पता लगाने के लिए अब भी जांच चल रही है लेकिन आज भी आपकी पार्टी के सांसद राजकुमार सैनी पिछले 10–15 दिन से अखबारों में ऐसे बयान दे रहे हैं जिनसे प्रदेश का भाईचारा खराब हो रहा है । वे जब भी कहीं प्रैस कांफ्रैंस करते हैं तो वहां 35 जाति और एक जाति की बात करते हैं । इस तरह की बातों से उस एक जाति विशेष को पीड़ा होती है । क्या आज तक आप में से किसी ने भी उनको कंडम किया है ? (शोर एवं व्यवधान) आपका फर्ज़ और दायित्व है कि आप उनको कंडम करें । (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष जी, हमने सबके सामने कहा कि जो कोई भी समाज को तोड़ने की बात करेगा उसको नकारा जाएगा । (शोर एवं व्यवधान) हमने यह बात अनेक बार कही है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य उनका विरोध करते हैं तो उन्हें उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवानी चाहिए । वे प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं और सरकार उन्हें प्रोत्साहन दे रही है । (शोर एवं व्यवधान) अगर

दूसरा व्यक्ति कोई अपनी बात कहता है तो उसको दबाना चाहते हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी सदन को बतायें कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः श्री जसवीर सिंह जी की कैसेट मैंने ले ली है । (इस समय श्री जसवीर सिंह देसवाल, विधायक ने एक कैसेट माननीय अध्यक्ष जी को हैंड ओवर की।)

सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धूः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने नाम लेकर बात कही है । वे एक सीनियर मंत्री हैं

श्री अध्यक्षः जसविन्द्र सिंह जी, आपके नेता ने यह बात कह दी है अब आप उस बाद को दोहरा रहे हो ।

श्री कुलदीप शर्माः अध्यक्ष महोदय, सदन में चर्चा तर्कसंगत होनी चाहिए । क्या यह सच्चाई नहीं है कि जाट आन्दोलन की आग में हरियाणा जल रहा था उसी समय हरियाणा सरकार के मंत्री श्री कर्णदेव कम्बोज ने यह ब्यान दिया था कि इस सरकार को दो मंत्रियों ने ** कर लिया है । वे दोनों मंत्री इस समय सदन में मौजूद हैं । इसी प्रकार का ब्यान करनाल के सांसद ने दोनों मंत्रियों का नाम लेकर दिया था कि सरकार के दो मंत्री इस आंदोलन के लिए जिम्मेवार हैं । इसी प्रकार का ब्यान सांसद राजकुमार सैनी ने दिया था ।

————————————————————————————————

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री कर्ण देव कम्बोजः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक मंत्री का नाम लेकर सदन में बात कही है इसलिए माननीय सदस्य से इस बात का सबूत मांगा जाए । उस बात का प्रमाण मांगा जाए । ये बिल्कुल सदन को गुमराह कर रहे हैं । मैंने ऐसा कोई ब्यान नहीं दिया माननीय सदस्य इसके बारे में कोई प्रूफ दिखायें ।

श्री सुभाष बरालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सदन को गुमराह कर रहे हैं इनसे इस बात के लिए प्रमाण मांगा जाए । इस बात के तथ्य मंगवाये जायें ।

श्री कुलदीप शर्माः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मुझ पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं ।

श्री ज्ञान चन्द गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से इस बात का सबूत मांगा जाए ।

श्री कुलदीप शर्माः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य नौजवान हैं और गुस्से में हैं । इस प्रकार के आरोप लगाना, व्यक्तिगत दुर्भावना रखना, यहां तक यह बात कहना कि मैं तो अपनी औलाद को भी यह बात कहूंगा कि यह जो परिवार है वह जिस तरह का है, ठीक नहीं है। इन्होंने ये बात कही कि नहीं कही, माननीय सदस्य बता दें ।

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से यह पूछा जाए कि यह बात कब कही है । माननीय सदस्य किस प्रकार की बातें कह रहे हैं । दुर्भावना हम रख रहे हैं । दुर्भावना जलाने वाले की है जिन्होंने जलाई उनकी दुर्भावना है या अपने आपको बचाने वाले की दुर्भावना है । पण्डित जी, यह कौन सा न्याय है ? हमारा कसूर यह था कि किसी के सामने चुनाव लड़ लिया, राजाओं के सामने खड़े हो गये जो चार चार पीढ़ियों से राजा थे उनके सामने चुनाव लड़कर हमने गलती कर दी कि जो चार पीढ़ियों से अपने आपको यह मानते थे कि हम सुल्तान हैं । उनके सामने चुनाव लड़कर हमारी गलती हो गई । अध्यक्ष महोदय, ये अभी भी जवाब नहीं दे रहे हैं कि इनके किस किस आदमी के साथ क्या क्या सम्बंध थे । ये उन सम्बन्धों को स्पष्ट कर दें, जो अतीत में रहे होंगे लेकिन गलत काम करने के बाद हम उनके साथ नहीं हैं ऐसा कहने की ये हिम्मत तो करें । (शोर एवं व्यवधान) अभी तो सम्बंध की बात कर रहे हैं लेकिन उसके बाद मिन्ट मिन्ट की बात पूछेंगे । (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण देव कम्बोजः अध्यक्ष महोदय, कुलदीप शर्मा ने जो गलत बात हाइजैक करने के बारे में कहा है ये उसका या तो प्रूफ दें या फिर उसके लिए ये सदन से माफी मांगे । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कुलदीप शर्मा जी ने जो इाइजैक करने के बारे में कही है उसको सदन की कार्यवाही से निकाल दिया गया है ।

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, आपने अच्छी परम्पराओं के अन्तर्गत लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन पर सदन के नेता प्रतिपक्ष के प्रस्ताव पर एक घंटा चर्चा के लिए मुकर्रर किया । हम सारे इंसान हैं और चुने हुए प्रतिनिधि हैं । आस पास में आग लगती रहे और उसकी तपत हमको न पहुंचे तो मन में और आत्मा में पीड़ा होती है । जब जब कैप्टन अभिमन्यु के घर की आग की लपटें जाती हैं तब तब इसके ऊपर चर्चा होती है । यह चर्चा पहले भी इस महान सदन में हो चुकी है । अध्यक्ष महोदय, आज की चर्चा का विषय आपने लॉ एण्ड आर्डर सिचुएशन रेखांकित किया । जिस पर माननीय विधायकों ने चाहे डिगरहेड़ी की घटना थी या फिर नीमका की घटना थी चाहे जहां की भी घटना थी, चर्चा की । माननीय मुख्यमंत्री ने विस्तार से बताया कि दोषियों की या तो गिरफ्तारियां हो गई हैं या होने वाली हैं । मुख्यमंत्री ने सारी बातों का जवाब विस्तार में दिया है परंतु जिनके मन में थोड़ा सा कुछ होता है वे ऊंचा बोल कर अपनी बेगुनाही का साबूत देने का प्रयास करें तो यह अच्छा नहीं है । वह महान जनता है जिन्होंने हमें इस महान सदन का सदस्य चुनकर भेजा है और बार बार भेजा है । हम गलती कर सकते हैं परंतु इस देश का वह गरीब आदमी कभी गलती नहीं करता जो सारा दिन अपना हथोड़ा ठोककर पसीने की 100 रूपये की कमाई से अपने बच्चों का पेट भरता है । गरीब आदमी अडाणी के नीचे जूती ठोकते हुए आपस में चर्चा कर लेते हैं वे ऊंचा नहीं बोल सकते और वे मुकाबला नहीं कर सकते परंतु मन ही मन में एक संकल्प कर लेते हैं कि भाई आने वाले समय में ध्यान रखियो । इस पीड़ा के साथ मैं निवेदन करता हूं कि इस विषय को लॉ एण्ड आर्डर तक ही सीमित रखा जाए तथा माननीय सदन के नेता को जवाब देने दिया जाए ।

14:00 बजे

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, लॉ एण्ड आर्डर पर चर्चा चल रही है । नेता प्रतिपक्ष चौटाला जी ने एक विषय जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जो हिंसा हुई

उसका उठाया । उस पर प्रकाश सिंह रिपोर्ट, झा कमीशन और सी.बी.आई. में मामला, इन तीनों का उत्तर देने के लिए मैं खड़ा हुआ था । मेरी सारी बात पूरी हो गई थी तथा केवल सी.बी.आई. की बात रह गई थी । अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर हम आपस में सदन के बाहर या सदन के अंदर इन चीजों की इन्कवायरी करवाकर फैसला करने की बात सोचते कि कौन दोषी है और कौन नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि यह सम्भव था । इस विषय पर बहुत लम्बी बहस हुई । हर सदस्य अपने आप को ठीक साबित करने के लिए पूरा जोर लगा रहा है लेकिन जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता और जब तक ठीक इन्कवायरी नहीं होगी तब तक सारी बातें सैटल होने वाली नहीं हैं और आखिर कहीं न कहीं तो हमको भरोसा करना पड़ता है कि किसी न किसी इंडीपैंडैंट ऐजेंसी से काम करवाया जाये । प्रदेश की भी अपनी इंडीपैंडैंट एजैंसी हैं । इनके अलावा विषय आया कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज से यह इन्क्वायरी करवाई जाये । अगर सीटिंग जज से हम इन्क्वायरी करायेंगे तो विषय आयेगा कि सी.बी.आई. से इन्क्वायरी क्यों नहीं करवाई । अगर सी.बी.आई. से इन्क्वायरी करवायेंगे तो विषय आयेगा कि किसी और एजैंसी से इन्क्वायरी क्यों नहीं करवाई । आखिर हमारे यहां सी.बी.आई. भी एक इंडीपैंडैंट एजैंसी है और उसका अपना अलग से काम है । सीटिंग जज से इन्क्वायरी करवाने के लिए हमने बात भी की लेकिन यह इतना आसान नहीं है कि सीटिंग जज आकर इस तरह की इन्क्वायरी करेगा । रिटायर्ड जज के नाते से जस्टिस झां को इन्क्वायरी दी थी और रिटार्य जस्टिस कुछ और रिपोर्ट देगा और सिटिंग्ज जस्टिस कुछ और रिपोर्ट देगा, कम से कम हम ज्यूडीसिरी के लिए इस तरह का भेदभाव न करें । यह मेरा निवेदन है । इसमें जस्टिस भी है और सी.बी.आई. भी है । सी.बी.आई. के नाते से हमने जो बातें कही वे गंभीर नेचर की हैं । क्योंकि हमारे सुरक्षा बलों पर भी गोली चली और आई.जी. आफिस पर भी हमला हुआ । इसके अतिरिक्त रोहतक के सर्किट हाउस को भी चलाया गया । इस प्रकार की गंभीर घटनाओं को लेकर सी.बी.आई. को जांच दी गई है । इसको लेकर हमें कुछ व्यक्तियों के टेप और सबूत भी मिले थे । जो यह हिंसा हुई है इसके पीछे एक साजिश उन टेप और सबूतों से नजर आती है। हम किसी इंडीपैंडैंट एजैंसी से जांच करवाने के बाद ही पुख्ता बात कह सकते हैं । इसलिए यह जांच सी.बी.आई. को दी गई है । बहन गीता भुक्कल का भी घर जला है । उनको इसकी पीड़ा भी है और होनी भी चाहिए । अगर वे भी अपने घर जलने

की सी.बी.आई. जांच करवाना चाहती हैं तो सरकार उसके लिए तैयार है । (विघ्न) देखिये जितनी घटनाएं हैं उनमें कुछ घटनाएं गंभीर नेचर की भी होती हैं। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें सम्पति का नुकसान हुआ है, हिंसा हुई है और लोग मरे हैं । इस तरह की घटनाओं की प्रत्यक्ष जानकारी आ गई है । उसके लिए जो कुछ करैक्टिव मयर्ज कर सकते थे वे सरकार ने किए हैं । जिन लोगों की सम्पति को नुकसान हुआ था दुकाने जली थी या रहड़ी जली थी उनको सरकार ने प्रयाप्त मुआवजा भी दिया है और उससे वे लोग संतुष्ट भी हैं । जो गंभीर साजिश हुई हैं उनके लिए सी.बी.आई. को जांच दी गई है । यदि कोई और भी सी.बी.आई. की जांच उस मुद्दे पर करवाना चाहता है तो हमें लिखकर दे दे सरकार जांच करवावने को तैयार है । हमने कभी भी इसको रोका नहीं है । इस प्रदेश में ऐसी–ऐसी घटनाए हुई जिनमें प्रदेश सरकार की बजाय केन्द्र सरकार हस्तक्षेप करती थी । उसमें विपक्ष को सी.बी.आई. की जांच मांगनी पड़ती थी । हमने तो विपक्ष के कहने से पहले ही सी.बी.आई. को इन्क्वायरी दे दी है । मुझे ध्यान में आ रहा है महम कांड जब हुआ उस समय एस.पी. और डी.आई.जी. के खिलाफ विभागीय कार्यवाही हुई । लेकिन उसके बाद भी केन्द्र सरकार ने सैकिया कमीशन से इन्क्वायरी करवाने की घोषणा की थी । जब सैकिया कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी और अगर मैं गलत नहीं हूं तो दांगी साहब ने जोर देकर कहा था कि इसकी सी.बी.आई. जांच करवाई जाये । उनके दबाव के कारण या सरकार ने स्वयं महम कांड की सी.बी.आई. जांच करवाई थी । हमको किसी इन्क्वायरी से कोई डर या भैय नहीं लगता है ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने महम कांड का जिक्र किया है और यह भी बताया कि उसकी सी.बी.आई. की जांच हुई थी । मुख्यमंत्री जी को जब इतना पता है तो यह भी मालूम होगा कि सी.बी.आई. की जांच में किन लोगों को दोषी पाया या कोर्ट में सी.बी.आई. ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें किन–किन लोगों को कोर्ट ने दोषी मानकर सजा सुनाई । यह बात भी मुख्यमंत्री जी को सदन में बतानी चाहिए । महम कांड का जिक्र इस सदन में कई दफा आता है और खासकर दांगी साहब इस मुद्दे को उठाते हैं । इसमें जिन लोगों को सजा हुई वह बात भी हाउस में क्लीयर होनी चाहिए ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, महम कांड में कौन दोषी था या नहीं था मैंने इस बात पर चर्चा नहीं की है ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों का नाम लिया गया था कि महम कांड को इन–इन लोगों ने अंजाम दिया । केन्द्र में कांग्रेस का राज था और प्रदेश में हमारी पार्टी और आपकी पार्टी की सरकार थी । उस समय जब चौटाला साहब बाई इलैक्शन लड़ रहे थे । जब नई सरकार बनी तब इस मामले पर लोक सभा में खुलकर बहस हुई और उसके बाद ही इस मामले को सी.बी.आई. को सौंपा गया । जिन लोगों को कांग्रेस पार्टी दोषी बनाना चाहती थी सी.बी.आई. ने जांच करके उन लोगों को निर्दोष माना और इस मामले में कोर्ट के अंदर बाकायदा अपनी रिपोर्ट पेश की । सी.बी.आई. ने अपनी रिपोर्ट में जो लोग इस मामले में दोषी थे उनके नाम बताये। जहां तक इस मामले में हमारे या हमारी पार्टी के ऊपर ऊंगली उठाई जाती है मैं स्पष्ट तौर पर यह बात कहना चाहूंगा कि इस मामले में हमारा या हमारी पार्टी का लेश मात्र भी नाम नहीं था। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूंगा कि इस मामले में हमारी कोई दखलअंदाज़ी नहीं थी। ये बातें यहां पर भी कई बार आई और अखबारों में इस प्रकार के ब्यान प्रकाशित होते ही रहते हैं । इसलिए ही मैं यह सभी कुछ बताना चाहता हूं। जब सी.बी.आई. ने अपनी रिपोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की और तत्कालीन सरकार को सौंपी उस समय क्या किया गया। (विघ्न)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, बहन गीता भुक्कल जी ने बहुत ज्यादा दुःखी होकर बहुत ही मार्मिक अपील की है। इन्होंने जो अपील की है हम भी इनकी अपील से आहत हैं। सर, मैं यह चाहता हूं कि जाट आरक्षण आंदोलन के मामले में हम जो सी.बी.आई. की जांच करवाने जा रहे हैं उसमें इनके घर का मामला भी शामिल किया जाये।

श्री अध्यक्ष : गीता जी, अनिल विज जी ने जो प्रस्ताव रखा है क्या आप उससे सहमत हैं।

श्रीमती गीता भुक्कल : नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं।

श्री कृष्ण कुमार बेदी : स्पीकर सर, अभी तो गीता जी इतनी भावुक होकर अपनी बात सुना रही थी और अब जब सरकार इनके मामले की सी.बी.आई. जांच करवाने के लिए तैयार है तो फिर ये इस प्रस्ताव को सिरे से नकार रहीं हैं। इस प्रकार से इनकी दोनों बातें विरोधाभाषी हैं। ये यहां पर कुछ कहते हैं और सदन से बाहर कुछ और ही कहते हैं और उसके बाद जो करते हैं वह कुछ और ही होता है।

श्रीमती गीता भुक्कल : स्पीकर सर, यह कोई छोटी सी बात नहीं है । जाट आरक्षण आंदोलन में पूरा प्रदेश जलने के साथ–साथ पूरे प्रदेश का भाई–चारा जला है। इसलिए यह एक बहुत ही गम्भीर विषय है। (शोर एवं व्यवधान) Speaker Sir, you are the custodian of this House. (Interruption) स्पीकर सर, माननीय मंत्री जी ने जो प्रस्ताव किया है मैं उसका स्वागत करती हूं और इसके लिए माननीय मंत्री जी का धन्यवाद भी करती हूं लेकिन मैं एक पब्लिक रिप्रेजैंटेटिव होने के नाते एक बात कहना चाहती हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, गीता जी ने जो रवैया इस समय दिखाया है वह इनकी दोहरी नीति का सबूत है। ये अंदर से कुछ और हैं और बाहर से कुछ और होने का दावा करते हैं। (शोर एवं व्यवधान) अगर ये सच्चे हैं तो इनको सी.बी.आई. जांच करवाने में सरकार का सहयोग करना चाहिए। सी.बी.आई. की जांच होगी तो अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा । सभी को यह पता चल जायेगा कि हरियाणा को किसने जलाया है और हरियाणा के भाई–चारे को किसने तबाह किया है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गीता जी, अब आप कृपया करके बैठ जायें क्योंकि आपकी बात पूरी हो चुकी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : स्पीकर सर, मुझे केवल आधा मिनट दिया जाये उस आधे मिनट में ही मैं अपनी बात पूरी कर लूंगी। सर, जैसा कि मंत्री जी ने कहा है इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करती हूं लेकिन जिस समय यह हादसा हुआ उस समय मेरे पास नैशनल कमीशन फॉर एस.सीज़. का फोन आया कि हम आपके पास आना चाहते हैं, मैंने उनको कहा कि बिल्कुल नहीं क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 14 लोगों की मौतें हुई थी। दुकानें जली, घर जले और लोगों का भाई–चारा खराब हुआ । पब्लिक रिप्रजैंटेटिव होने के नाते मेरी यह जिम्मेदारी नहीं बनती है कि मैं केवल मात्र अपने घर की ही बात करूं। (शोर एवं व्यवधान) इसलिए मैं यह कहना चाहती हूं कि अगर जांच करवाई जाये तो पूरे के पूरे प्रकरण की जांच करवाई जाये । (शोर एवं व्यवधान) पूरे हरियाणा प्रदेश में जो हुआ है उसकी जांच करवाई जाये।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, गीता जी की बातों से मुझे दो लाईनें याद आ रही हैं कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से और सच्चाई कभी छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से।

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री मनीष ग्रोवर) : स्पीकर सर, अभी श्रीमती गीता जी कह रही थी कि वे तब तक अपनी सीट पर नहीं बैठेंगी जब तक वे अपनी बात नहीं मनवा लेंगी। अब जब माननीय मंत्री श्री अनिल विज जी ने यह कहा कि इनके घर के मामले की भी सी.बी.आई. जांच करवाई जाये तो ये एकदम पीछे हट गई और कहा कि मुझे अपने घर के मामले की सी.बबी.आई. जांच नहीं करवानी है।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, गीता जी की असलियत ब्यान करने के लिए मैं बार–बार यही कहना चाहता हूं कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से, सच्चाई कभी छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गीता जी, आपकी बात पूरी हो गई है इसलिए अब आप कृपया करके बैठ जायें। आपको बैठने के लिए मुझे बार–बार कहना पड़ रहा है लेकिन आप फिर भी नहीं बैठ रही हैं । यह अच्छी बात नहीं है और आप जैसी सीनियर सदस्या को यह कतई शोभा नहीं देता। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष जी, जब सरकार यह कह रही है कि वह इनके मामले की सी.बी.आई. जांच करवाने के लिया तैयार है। अगर ये इससे मना करती हैं तो ये यह तो बताने की कृपा करें कि इनको क्या डर है और ये क्यों अपने घर जलने के मामले की सी.बी.आई. जांच करवाने के लिए तैयार नहीं है? आप इनसे यह तो पूछ ही लें कि आखिर इनको क्या डर सता रहा है और अगर यह जांच हो जाती है तो उससे इनको क्या परेशानी है? हम चाहते हैं कि सत्य हर हाल में सामने आना ही चाहिए। ये हमें बतायें कि जब ये दलित की बेटी यहां पर न्याय की दुहाई दे रही थी तो सरकार ने इनकी मांग को स्वीकार कर लिया है अब हमें यह बताया जाये कि इन दलित की बेटी को न्याय दिलवाने के रास्तें में कौन बाधा बन रहा है? आखिर वे कौन से कारण है जिनकी वजह से ये सत्य को सबके सामने नहीं आने देना चाहती। ये हमें यह बतायें कि ये सत्य को सबके सामने आने देने से क्यों रोक रही हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, इस मसले पर प्रदेश में हालात जितने खराब महम में हुये थे उतने खराब प्रजातंत्र में कहीं पर नहीं हुये । प्रजातंत्र में ऐसा

कहीं नहीं हुआ जैसा चुनाव के समय में महम में हुआ था । वहां पर प्रजातंत्र का हनन हुआ, वहां पर बूथों पर कब्जे किये गये तथा डी.एस.पी. तक रैड हैंडिड पकड़े गये । वहां पर लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चली थी । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जब इस पूरे मामले की सी.बी.आई. से जांच हो चुकी है तो फिर माननीय सदस्य यहां पर कौन सी बात कहना चाहते हैं ? यहां पर ये केवल राजनीति कर रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दांगी साहब, आपको अपनी बात कहने के लिए मैं पूरा समय दूंगा, अभी आप बैठिये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस विषय पर मुझे जो भी बात कहनी थी वह मैं अपने जवाब में कह चुका हूं । हुड्डा साहब ने प्रकाश सिंह समिति के बारे में एक बात कही थी उस बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट वैबसाईट पर उपलब्ध है और वह सार्वजनिक हो चुकी है । उसको सभी को पढ़ना चाहिए और जब सभी पढ़ेंगे तो समझ में आयेगा कि उस रिपोर्ट में क्या–क्या कहा गया है । मैं हाउस को तो पहले ही बता चुका हूं उस समय शायद हुड्डा साहब हाउस में नहीं थे इसलिए इनको केवल एक ही बात बताना चाहता हूं कि प्रकाश सिंह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पिछले दस साल से प्रदेश की पुलिस मशीनरी को जंग लग गया था । सारे पुलिस अधिकारियों को मौके पर फौरी कानूनी कार्रवाई की बजाय राजनीतिक आकाओं का मुंह ताकने की आदत हो गई थी । इसका हमें कोई उत्तर नहीं देना है । उनको जो बात कहनी थी वह वे कह चुके हैं लेकिन इन चीजों को बदलने के लिए जो नये प्रावधान किये जाने चाहिएं वह हम कर रहे हैं । इसीलिए प्रकाश सिंह रिपोर्ट की बहुत सी बातें हमने लागू कर दी हैं तथा आने वाले समय में जो बातें बची हैं चाहे वह विभागीय कार्रवाई की बात हो तो वह भी हम करेंगे। आज का विषय इस प्रकार का था जो पिछली सरकारों से भी जुड़ा था, वर्तमान सरकार से भी जुड़ा है तथा जाट आरक्षण आंदोलन के साथ भी जुड़ा हुआ था इसलिए इससे संबंधित जितनी भी बातें मेरे पास उपलब्ध थी वे सभी बातें मैंने अपने जवाब में बता दी हैं । अध्यक्ष महोदय, यह तो वही कहावत है कि पानी में मधानी डालना, इस विषय पर कितनी ही बात कर ली जायें उससे कुछ हल निकलने वाला नहीं है । मैं हाउस के सभी सदस्यों से निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के अपराध कैसे समाप्त हों, इस

प्रकार की घटनायें कैसे कम हों इस पर विचार करना चाहिए । अगर अपराध हो जाये तो अपराधियों के खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो ताकि पीड़ितों को जल्दी न्याय मिले । इसके लिए हम सभी लोगों को प्रयत्न करना चाहिए तथा सरकार भी अपनी तरफ से प्रयत्न करेगी । समाज में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला वातावरण नही बनना चाहिए । किसी की दबंगई नहीं होनी चाहिए या माफिया बना कर अपनी दबंगई किसी को नहीं दिखानी चाहिए । यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें अपना प्रदेश ठीक व्यवस्था से चले मैं यही निवेदन करना चाहता हूं। इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने मेरा नाम लिया है इसलिये मैं बोलना चाहता हूं । इन्होंने मेरा रेफरैंस दिया है । मैंने प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी है । उस रिपोर्ट में एक बात लिखी है और वह बात जहां तक मुझे समझ में आई है वह कोई पिछले 10 साल की बात नहीं है । उन्होंने कहा है कि पहले चीफ मिनिस्टर्ज के समय में यह प्रथा रही है कि concentration of power is in CMO. मुख्यमंत्री जी, आप भी होम विभाग छोड़ दो तभी ये कन्सन्ट्रेशन खत्म होगी। अगर होम विभाग आपके पास रहेगा तो कन्सन्ट्रेशन रहेगी । उस रिपोर्ट में यही लिखा है चूंकि होम विभाग मेरे पास था और मेरे से पहले भी जो चीफ मिनिस्टर्ज रहे हैं उन के पास था । अगर चीफ मीनिस्टर होम विभाग छोड़ देंगे तो यह कन्सन्ट्रेशन खत्म हो जाएगी । इसमें कोई 10 साल का नहीं लिखा है । यह तो सबका लिखा है ।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मेरी भी एक कलैरिफिकेशन है ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आपको भी बुलवाएंगे । 100 प्रतिशत बुलवाएंगे ।(विघ्न) जाकिर जी, आपने केवल दो मिनट में अपनी बात कहनी है क्योंकि आपकी सप्लीमैंट्री है ।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद । आपने मुझे बोलने का मौका दिया । अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया है । (विघ्न) सर, ये क्या बात हुई इस तरह तो हमारा मैटर ही रह जाएगा । अध्यक्ष महोदय, यह कोई भाषण की बात नहीं है । अगर मैं फैक्ट से बाहर जाऊं तो आप मुझे बैठा देना । सर, मेरी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अर्ज है कि जो उन्होंने डिंगरहेड़ी गांव के बारे में कहा है, और जो लॉ एण्ड ऑर्डर में सुधार की बात कही है इसमें मेवात के बारे में

सच्चाई नहीं है । मेवात में हालात पहले से बद से बदतर हुए हैं । सर, जो यह डिंगरहेड़ी कांड हुआ है जोकि इस सदी का सबसे बड़ा निर्भय कांड था । यह उससे भी बदतर कांड हुआ है । एक नाबालिग लड़की के साथ और उनकी बहन के साथ उनके मां–बाप के सामने वैश्याना दरिंदों ने तीन घण्टे तक बलात्कार किया। उनके सामने दो कत्ल किये । इससे बड़ा कांड सुनने में नहीं आ सकता । सर, यह कोई मामूली घटना नहीं है । इसके लिये पुलिस के कुछ अधिकारियों का उन्हें संरक्षण प्राप्त था । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नोटिस में यह लाना चाहता हूं कि इससे यह साबित होता है कि रात के 12 बजे से 3 बजे तक यह बलात्कार और कत्ल की घटना हुई । जहां यह घटना हुई है वहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस थाना है । इस घटना की एफ.आई.आर. सुबह 9 बजे दर्ज हुई है । मेरे पास इसकी एफ.आई.आर. की कॉपी भी है ।

श्री अध्यक्ष : हमने आपकी बात मान ली है ।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि उस घटना की एफ. आई.आर. तब हुई है जब उन दोनों पीड़ित बहनों को 30 किलोमीटर दूर नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया । वहां से फिर महिला पुलिस ने उसक वी.टी. अर्थात् Vergin Test की । उसके बाद ही 9 बजे एफ.आई.आर. दर्ज हुई है । सर, 9 बजे से पहले चण्डीगढ़ में सभी अधिकारियों को इस घटना की खबर थी । घटना स्थल से 4 किलोमीटर दूरी पर जो पुलिस थाना था उसमें इसकी एफ.आई. आर. दर्ज नहीं हुई । इसी वजह से इस केस में धारा 459 और धारा 460 लगाई गई । इसमें धारा 460 क्या कहती है कि डकैती करते हुए जो कत्ल हो जाता है तो उसमें कैपीटल पनिशमैंट नहीं है । इसमें फांसी की सजा नहीं है । इसमें तो 10 से 20 साल की सजा तक का प्रावधान है । सर, मैं देश के इतिहास से दावे के साथ यह कह सकता हूं कि आप कहीं भी कत्ल की एफ.आई.आर. उठाकर देख लें ऐसे केसिज में सजा हुई है। जहां कहीं भी किसी के खिलाफ कत्ल की एफ.आई. आर. दर्ज हुई है वहाँ सजा हुई है । लेकिन डिंगरहेड़ी में जहाँ निर्भया कांड से भी ज्यादा बड़ा कांड नहीं हुआ है वहाँ पर केवल एफ.आई.आर. ही दर्ज हुई है । आज तक ऐसे केसों पर धारा 302 लगी है इसलिये सिवाय पुलिस प्रोटैक्शन के बगैर से ऐसा हो नहीं सकता । सर, मैं फैक्टस से बाहर नहीं जाऊंगा । इसमें दूसरी बात यह है कि इस कांड की जांच के लिए जिस एस.आई.टी. का गठन किया गया है और जिस डी.एस.पी को उसका इंचार्ज बनाया गया है, यह वही डी.एस.पी. है

जिसकी मौजूदगी में यह निंदनीय घटना घटित हुई, वहां पर चार दिन तक तो किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही की ही नहीं गई थी। यहां तक की दोषियों के विरूद्ध गलत धारायें लगाकर उनको बचाने तक का काम किया गया था। कल जब सदन में प्रतिपक्ष के नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला ने यह बात उठाई तब जाकर इस मामले में धारा 302 को भी शामिल किया गया। अध्यक्ष महोदय, आप समझ सकते हैं कि यह कितनी बड़ी घटना हुई है और मैं हरियाणा प्रदेश के साथ–साथ मेवात क्षेत्र का जन–प्रतिनिधि होने के नाते पूरे दावे के साथ सदन के नेता से मांग करता हूँ कि इस केस में यदि ज्यूडिशियल इंक्वॉयरी या फिर सी.बी.आई. इंक्वॉयरी करवाई जाती है तो फिर इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर मेरा दावा गलत निकलता है तो मैं सदन की सदस्यता से इस्तीफा भी दे सकता हूँ। पुलिस के पास इस केस से जुड़ी हर जानकारी थी लेकिन वह आरोपियों को बचाना चाहती थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका तथा इस सदन का आभार व्यक्त करना चाहूँगा जो इस समय सदन का अधिवेशन शुरू हो गया। यदि सदन का अधिवेशन न होता तो अपराधियों के चालान तक नहीं होते। पुलिस के ऊपर भारी दबाव था। अध्यक्ष महोदय, मेरा पुनः निवेदन है कि पुलिस के जिन उच्च अधिकारियों ने तीन दिन तक इस घटना से जुड़ी बातों को घुमाकर दूसरा रंग देने की कोशिश की, पुलिस के ऐसे उच्च अधिकारियों के खिलाफ ज्यूडिशियल इंक्वॉयरी या सी.बी.आई. इंक्वायरी करवाकर उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाये। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः जाकिर जी, आप संक्षेप में अपनी बात कहे।

श्री जाकिर हुसैनः अध्यक्ष महोदय, मैंने जितनी भी बात की है वह आज के लिए चयनित कानून व व्यवस्था के विषय से किसी भी रूप में अलग नहीं है तथा यह हाल की घटना से ही संबंधित है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पीड़ितों को तीन लाख रूपये दिए गए है। अध्यक्ष जी, यह तीन लाख रूपये की राशि हरियाणा सरकार ने नहीं दी है बल्कि इस राशि को हरियाणा वक्फ बोर्ड द्वारा दिया गया है। हरियाणा वक्फ बोर्ड, हरियाणा सरकार नहीं है क्योंकि हरियाणा सरकार का एक भी रूपया हरियाणा वक्फ बोर्ड में नहीं जाता है। मैं सदन को वक्फ बोर्ड का इतिहास बताना चाहूँगा। सन् 1947 में बंटवारे के समय जो मुसलमान, पाकिस्तान चले गए और उनकी जो प्रापर्टी हिंदुस्तान में बच गई थी, उस प्रॉपर्टी से जो किराया या आमदन आती है, उसको मुस्लिम बेवा/ विधवाओं,

बच्चों की तालीम, मदरसों तथा मुस्लिम समाज की वैलफेयर के काम पर प्रयोग किया जाता है। तीन लाख रूपये की जो राशि दी गई है वह तो मुस्लिम समाज द्वारा हरियाणा वक्फ बोर्ड को दी गई राशि में से प्रदान की गई है और हरियाणा सरकार ने पीड़ितों को चवन्नी तक भी नहीं दी है। जब मैंने संबंधित डिप्टी कमिश्नर से पीड़ितों को सहायता राशि दिलाने बाबत बात की तो उनकी यह दलील थी कि सरकार के पास ऐसे पीड़ितों की सहायता के लिए कोई फंड उपलब्ध नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नोटिस में लाना चाहूँगा कि जब दिल्ली में एक बहन जिसका नाम 'निर्भया' था का गैंगरेप हुआ था जिसका 29 दिसम्बर को सिंगापुर में देहान्त हो गया था, को 31 दिसम्बर को ही the Delhi Government, after a cabinet meeting on Monday, announced financial aid of Rs.15 lakh and a job to a family member of Nirbhaya, who passed away in Singapore on December 29. Elsewhere in Uttar Pradesh, Chief Minister Akhilesh Yadav, also announced a compensation package of Rs.20 lakh to the family. अध्यक्ष महोदय, मेवात के डिंगरहेड़ी गांव में जो रेप व हत्याकांड हुआ, उसके लिए भी निर्भया हत्याकांड की तरह सभी लोगों के दिलों में दुख की भावना व्याप्त है। जब एक पीड़ित परिवार को दिल्ली सरकार द्वारा सहायता राशि मुहैया करवा दी जाती है तो हरियाणा सरकार द्वारा पीड़ित परिवार के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। एक पीड़ित को मौत ने गले लगा लिया और दूसरी जो मेवात क्षेत्र में हुई घटना की पीड़ित हैं उनके लिए तो रोज–रोज मरने वाली बात होगी। मैं यह कहना चाहता हूँ कि पीड़ित, पीड़ित होता है वह चाहे दिल्ली की घटना हो या हरियाणा की, पीड़ित को सहायता राशि देने में भेदभाव क्यों किया जा रहा है? अध्यक्ष महोदय, अब मैं एक और बात सदन के सम्मुख रखना चाहूँगा Government of India has set up a Central Victim Compensation Fund under the Ministry of Home Affairs for assisting and supporting Victim Compensation Schemes of States/Union Territories with an initial corpus of Rs.200 crore under the "Nirbhaya Fund." अध्यक्ष महोदय, सैंट्रल गवर्नमैंट तथा स्टेट गवर्नमैंट को मिलाकर इस प्रकार के पीड़ितों की सहायता के लिए एक निर्भया फंड बनाया गया है। अतः यह किस प्रकार से कहा जा सकता है कि यदि किसी बहन–बेटी के साथ कोई जघन्य घटना घटित हो जाती है तो उसकी या उसके परिवार की कोई सहायता राशि के द्वारा मदद करने का प्रावधान

नहीं है। Mr. Speaker Sir, the Supreme Court on May 26 asked the Centre to formulate a national policy for providing adequate relieves to rape survivors as setting up of a separate fund like the 'Nirbhaya Fund' was not enough and amounted to "just a lip service." उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि 200 करोड़ रूपये की राशि भी ऐसे मामलों में कम है। The Court also issued notice to the Centre, all States and Union Territories and sought their responses on the effective implementation of Section 357(A) of the CrPC and status of victim compensation schemes, alongwith the number of victims of rape who have been compensated. The Nirbhaya Fund was announced by the Government in its 2013 Union Budget with a corpus of Rs.1000 crore. This fund was expected to support initiatives by the Government and the NGOs working towards protecting the dignity and ensuring safety of women in India. In April 2015, the Government made the Women and Child Development Ministry (WCD) the nodal agency for the Nirbhaya Fund in place of the Home Ministry.

केन्द्र सरकार और राज्य सरकार यह कह कर अपने दायित्व से पीछे हट रही है कि हम उनकी मदद नहीं कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, किनकी मदद की बात हो रही है जिनके 6 बच्चे यतीम हो गए हैं। उनमें दो लड़कियां जिनकी उम्र 6 और 10 साल और एक लड़का जिसकी उम्र 6 साल थी। अध्यक्ष महोदय, जो बच्चे मरे हैं मैं उन्हीं की जानकारी सदन में दे रहा हूँ । अध्यक्ष महोदय, जिस लड़की के साथ गैंगरेप हुआ वह मात्र 12–13 वर्ष की थी। दरिंदे लूट के परपज़ से नहीं आए थे उन्होंने सीधे आकर पीड़ित लड़की के परिवार पर हमला किया और उनके सामने ही खुले खेत में जाकर गैंगरेप किया, इतिहास में इससे ज्यादा शर्मनाम बात नहीं हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, दिनांक 25.08.2016 को उस लड़की की पहचान हुई थी, इस बारे में आप सरकार के अधिकारियों को अपने चैम्बर में बुलाकर उनसे इस घिनौनी घटना के बारे में पूछ सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, दिनांक 28.08.2016 को इण्डियन नेशनल लोकदल पार्टी ने इस घिनौनी घटना को विधान सभा में और सदन के बाहर उठाने की बात कही थी। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद करता हूँ सभी विपक्ष के साथियों और सामाजिक संगठनों का जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया तब

जाकर वहां गिरफ्तारियां हुई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि घायलों के उपचार के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में इतने बड़े–बड़े अस्पताल होने के बावजूद भी एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का इलाज नल्हड़ के सरकारी अस्पताल सफदरजंग के आम क्रोमा सैन्टर में हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, उस गरीब व्यक्ति को देखने मैं स्वयं गया था। नल्हड़ मेडिकल कॉलेज की बदतर हालत विधान सभा में सभी माननीय सदस्य जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार में एक तो गरीब बेवाओं की आबरू लूटी जाती है और दूसरा गरीबों के इलाज में इस तरह का भेदभाव किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, जिस व्यक्ति का हाथ या पैर टूट जाता है, तो मेडिकल लाइन में हाथ या पैर में प्लेट लगना तो सुना था लेकिन वह पीड़ित व्यक्ति इतना गंभीर है कि उसके दिमाग में प्लेट लगनी है। नूंह शहर के सरकारी अस्पताल में उसकी घरवाली ईलाज के लिए पड़ी हुई है। अध्यक्ष महोदय, जो पीड़ित लड़की थी, उसके परिवार को साथ न लेकर पुलिस ने तीन दिन तक अपनी कस्टडी में रखा और अपने मुताबिक ब्यान लेकर असली मुद्दे से ध्यान भटका दिया। अध्यक्ष महोदय, यह कोई छोटी–मोटी बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अगर दोषियों को ऐसी ही छोड़ दिया तो सरकार की कार्यप्रणाली के ऊपर हमेशा एक प्रश्नचिन्ह् लगा रहेगा कि मेवात की बहन बेटियों की इज्जत और लोगों की जान कम आंकी गई है। इस तरह से लोगों की जानों के सौदे होंगे, हमने इससे पहले कभी भी नहीं सुना था। क्या सरकार इस घटना की सी.बी.आई. जांच करवायेगी? अध्यक्ष महोदय, इस घटना में जब तक चण्डीगढ़ से पुलिस के जैसे डी. जी.पी. या ए.डी.जी.पी स्तर के अधिकारी एस.आई.टी. का गठन करके अपने हाथ में उसकी जांच नहीं लेंगे तब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, ये हालात कहां से पैदा होते है? ये हालात राजनीतिक लोग ही पैदा करते हैं, यह राईटिंग ऑन दी वॉल और राईटिंग ऑन दी स्काई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को कहना चाहता हूँ कि दिनांक 25.08.2016 को ही दरिंदों की लोकेशन का पता लग गया था कि कहां शराब पी और कहां उनके मोबाईल ट्रेक हुए। सरकार किसी व्यक्ति के दवाब में आकर इन्क्वॉयरी को छुपाने की कोशिश न करें। मेवात में कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही हैं, इसमें कहीं न कहीं पुलिस की मिलीभगत और राजनीतिक संरक्षण रहा है। राजनीतिक लोगों के कारण अपराधियों के हौंसले बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज तक कोई भी शिकायत शायद किसी विधायक ने माननीय

मुख्यमंत्री महोदय को नहीं दी होगी लेकिन मैंने स्वयं वर्ष 2015 में अपने लैटर पैड पर शिकायत लिखकर दी थी। अध्यक्ष महोदय, जब उस समय सिंघल जी, हरियाणा के डी.जी.पी. थे उन्होंने कहा कि आप अपने लैटर पैड पर दरखास्त दे रहे हो, तब मैंने कहा था कि मैं कोई झूठी शिकायत नहीं दे रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैंने तथ्यों के आधार पर यह शिकायत दर्ज करवाई थी। अध्यक्ष महोदय, एक दिन ए.सी.पी. साहब ने मुझे जांच के लिए बुलाया था, मैं ऑफिस गया लेकिन आज तक कोई कार्रवाई दोषियों के खिलाफ नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से सदन के नेता को एक बात बताना चाहता हूँ कि सन् 2013 की एफ.आई.आर. नं. 100 के अनुसार पुलिस ने तावडू में अवैध खनन को रोकने के लिए नाका लगाया हुआ था । उस नाके पर 6–7 पुलिसकर्मी तैनात थे । खनन माफिया का दुस्साहस देखिये कि उसने डम्पर सीधा नाके पर चढ़ा दिया । इससे पुलिस के जवान पवन कुमार की मौके पर ही मौत हो गई । पुलिस को इस पूरी घटना का पता था परंतु उसने इतनी संवेदनहीनता दिखाई कि उसने इस केस में दोषियों का पता होते हुए भी इस केस को ही बंद कर दिया । नूंह के पूर्व विधायक जो मंत्री भी बने थे, का खनन माफिया को पूरा संरक्षण प्राप्त था और आज भी है । अवैध खनन को रोकने के लिए एक सिपाही ने अपनी जान दे दी । आज आप अवैध खनन को रोकने की बात कर रह हो लेकिन उस सिपाही के केस की फाइल को भी बंद कर दिया गया है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : जाकिर जी, अगर आपको इस संबंध में कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए । अन्यथा इस तरह से हाउस चलाने में तो तीन दिन लग जाएंगे । (विघ्न) आप जिस तरह से एक–एक नाम लेकर अपनी बात कह रहे हो अगर हर मैम्बर इस तरह से अपनी बात कहने लगेगा तो मुझे हाउस की कार्यवाही पूरी करने के लिए तीन दिन का समय बढ़ाना पड़ जाएगा । (विघ्न) आपने अपनी बात कह दी है । मैंने आपकी बात को ज्यादा इम्पोर्टेंट समझा था इसलिए आपको बोलने का समय दिया था लेकिन आपने भाषण देना शुरू कर दिया । (विघ्न)

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष जी, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं । (विघ्न) मेवात में सिपाही पवन कुमार की जो एफ.आई.आर. पैंडिंग पड़ी है उस केस को खत्म कर दिया गया है और इस मामले में पुलिस पिटी है । यह एफ.आई.आर. नंबर है 102/15307 और इसे सी.आई.ए. के इन्सपैक्टर ने दर्ज कराया था । (विघ्न) सर वर्ष 2016 की एक एफ.आई.आर. है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : जाकिर जी, आप इसे बहुत लम्बा खींच रहे हैं । आप अपनी एफ.आई. आर. का शॉर्ट में जिक्र कर दीजिए । (विघ्न)

पंडित मूलचंद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जाकिर जी तो सारे मेवात की एफ.आई.आर. लेकर आते हैं। बाकी सदस्यों को भी तो सदन में बोलने के लिए समय चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री नसीम अहमद : स्पीकर सर, क्या माननीय सदस्य को मेवात की बात से तकलीफ हो रही है? (शोर एवं व्यवधान)

पंडित मूलचंद शर्मा : स्पीकर सर, नसीम अमद को मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है । इनको आपसे बात करनी चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष जी, रोजका मेव थाने की जनवरी, 2016 एफ.आई.आर. नं. 8, 9, 10 और 11 हैं । इनमें दो एफ.आई.आर. पुलिस अधिकारियों ने और दो एफ.आई.आर. प्रिजाइडिंग अधिकारियों ने कराई हैं । ये सारी एफ.आई.आर. एक ही इलैक्शन की हैं । मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे इन पर कार्यवाही करेंगे ? मेवात जिले की ग्रिवेंसेज कमेटी के चेयरमैन श्री कृष्ण कुमार बेदी थे । उन्होंने पंचायती राज महकमें में करोड़ों रूपये के गबन के ऊपर एफ.आई.आर. करवाई थी । यह एफ.आई.आर. नं. 240 नगीना थाने में दर्ज हुई थी जिस पर धारा 120 बी, 406, 409, 420 लगी थी । यह एफ.आई.आर. झिरका के एस.डी.एम. ने जिस जे.ई.ई. के खिलाफ कराई थी उसकी पोस्टिंग नूंह में दी गई। मेरा प्रश्न है कि क्या इन एफ.आई.आरज. पर कार्यवाही होगी ? (विघ्न) मैं अपनी बात को शॉर्ट में कहने के लिए अपने सारे कागज–पत्र सदन की मेज पर रखता हूं । (विघ्न) हमारी मांग है कि इन मामलों की ज्यूडिशियल या सी.बी.आई. जांच करवाई जाए । सरकार ने डिंगरहेड़ी के पीड़ितों को कांट्रैक्ट बेसिज पर नौकरी का ऑफर दिया था लेकिन उन्होंने उसे मना कर दिया । हमारा कहना है उनको पक्की सरकारी नौकरी दी जाए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री तेजपाल तंवर : अध्यक्ष जी, श्री जाकिर हुसैन ने तावडू के बारे में बहुत सही बात कही है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष जी, ये कोई सिगनेटरी नहीं है इसलिए इनको इस बारे में नहीं बोलना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जाकिर जी, अगर उस तरफ से एक सदस्य ने खड़े होकर बोलना शुरू कर दिया तो आपको इतनी तकलीफ क्यों हो गई? आप सदन का रिकॉर्ड निकलवाकर देखिये । मैंने 90 प्रतिशत समय इधर वाले सदस्यों को बोलने के लिए दिया है ।

श्री तेजपाल तंवरः अध्यक्ष महोदय, तावडू में जो कुछ हुआ वह बिल्कुल गलत काम हुआ । सरकार और प्रशासन उसमें बिल्कुल लगे रहे । आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सही तरीके से इस संबंध में सारी बातें बताईं । हमारे कुछ लोगों ने आज वहां पर जो हालात बना रखे हैं । ये लोग वहां पर जाकर रोजाना पंचायत करते हैं लेकिन जिन लोगों के साथ यह घटना हुई उन लोगों के साथ इनकी कोई सहानुभूति की भावना जुड़ी हुई नहीं है । वे बेचारे लोग इतने दुखी हैं कि उनको दो मिनट पानी पीने के लिए भी समय नहीं होता । ये लोग वहां जा जाकर के दुनिया भर की झूठी बातें करते हैं और वहां पर पंचायत करके लोगों को भड़काने का काम करते हैं । उनके लिए सहानुभूति प्रकट करने के लिए कोई नहीं जा रहा है । सरकार और पुलिस दोनों अपना काम सही तरीके से कर रहे है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः नसीम अहमद जी, आप पहले ही बोल चुके हैं। दूसरे सदस्यों को भी बोल लेने दीजिए ।

श्री नसीम अहमदः अध्यक्ष महोदय, पुलिस कहां अपना काम कर रही है ? पुलिस अपना काम नहीं कर रही है।

श्री तेजपाल तंवरः अध्यक्ष महोदय, पुलिस अपना काम कर रही है और 25 तारीख को पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और पूरी जॉच करने के बाद उनकी गिरफतारी 28 तारीख को दिखाई है । माननीय सदस्य एक ही बात का बार बार जिक्र कर रहे हैं । (विघ्न) पहले मेरी पूरी बात सुन लें । (विघ्न)

श्री नसीम अहमदः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सदन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्षः नसीम अहमद जी, आप बैठिये, जब आपका नम्बर आयेगा तब पता चल जायेगा कि आप सदन में कितने नियमों का पालन कर रहे हैं।

श्री तेजपाल तंवरः अध्यक्ष महोदय, हमारे इनेलो के भाइयों को शोर मचाकर फोटो खिंचवाने की अच्छी आदत पड़ गई है । इनको विपक्ष में बैठते हुए पिछले दस

साल तो हो गये और आगे आने वाले पांच साल भी विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा। अब इनेलो की सरकार प्रदेश में आने वाली नहीं है क्योंकि इन्होंने पहले ही इतने गड्डे खोद रखे हैं वे जल्दी से भरने वाले नहीं है । ये माननीय सदस्य कितने ही फोटो खिंचवा लें और कितना ही झूठ बोल लें । इनको हमारी बात को भी तो सुनना चाहिए। इनेलो के माननीय सदस्य दो घण्टे तक बोल चुके हैं अब ये हमें भी कुछ बोलने का मौका दें ।

श्री जाकिर हुसैनः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री तेजपाल तंवर क्या वहां पर फोटो खिंचवाने ही गये थे । हम वहां पर फोटो खिंचवाने नहीं गये थे ।

श्री अध्यक्षः जाकिर हुसैन जी, आप बैठिये ।

श्री विक्रम सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य श्री जाकिर हुसैन जी ने केन्द्रीय मंत्री जी का नाम लिया है । ये सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ही ऐसा कह रहे हैं । दूसरी तरफ यह कह रहे हैं कि सरकार दवाब में ऐसा काम कर रही है । जो अपराधी थे वे 26 तारीख को अरैस्ट हो गये थे और माननीय सदस्य 28 तारीख की बात कर रहे हैं ये केवल अपनी राजनीति को और अपने समुदाय में अपनी पोजीशन को चमकाने के लिए ऐसी बात सदन में कह रहे हैं । इसलिए वहां की जनता में फूट डाल रहे हैं । इस मामले में किसी केन्द्रीय मंत्री का कोई हस्तक्षेप नहीं है । ये माननीय सदस्य केवल और केवल अपने समुदाय में अपनी राजनीति चमकाने के लिए और लोगों में फूट डालने का काम कर रहे हैं। यह एक निंदनीय काम है इसलिए इसकी इनको सजा मिलनी चाहिए। समाज चाहे कोई भी हो इनकी किसी समाज के प्रति संवेदना नहीं है ।

श्री जाकिर हुसैनः अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसी बात है तो माननीय सदस्य उस केन्द्रीय मंत्री जी का नाम बता दें कि वह कौन सा केन्द्रीय मंत्री है जिसका मैंने नाम लिया है ।

श्री अध्यक्षः जाकिर हुसैन जी, अब आप बैठिये।

श्री जाकिर हुसैनः अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी स्पीच के साथ कुछ ओर सपोर्टिंग डाकुमैंटस सदन के पटल पर रख देता हूं । आप इसको मेरी स्पीच के साथ ऐड करवा लेना ।

श्री अध्यक्षः ठीक है।

*श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय,

187

(इस समय श्री जाकिर हुसैन द्वारा अपनी स्पीच के साथ कुछ डाकुमैंटस सदन के पटल पर रखे गये।)

*श्री जाकिर हुसैन: अध्यक्ष महोदय,

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

PA-R1.11 00

1. District: Mewat PS: TAURU

2. Act(s): Section(s):
   (i) IPC 1860 — 148/149/153A/295/436/506
   (ii)
   (iii)
   (iv)

3. Occurrence of Offence:
   (a) Day: Sunday — Date From: 08-06-2014 — Date To: 08-06-2014
   Time Period: — Time From: 15:30 hrs — Time To: 15:30 hrs
   (b) Information received at P.S: Date: 08-06-2014 — Time: 17:00 hrs
   (c) General Diary Reference: Entry No.: 17 — Time: 17:00 hrs

4. Type of Information: WRITTEN

5. Place of Occurrence:
   (a) Direction and Distance from P.S: — Beat No.: 17
   (b) Address: JAMA MASJID TAURU, PS TAURU
   (c) In case, Outside the limit of the Police Station:
   Name of P.S: — District:

6. Complainant/Informant:
   (a) Name: MOHD ABDULLA (S/O) BAJKHAN
   (b) Birth Year: — Nationality: INDIA
   (c) Passport No. — Date of Issue: — Place of Issue:
   (d) Occupation:
   (e) Address: VILL CHILA PS TAURU DISTT MEWAT NUH

7. Details of Known/Suspect/Unknown accused with full particulars(attach separate sheet if necessary): (15),
   (SEE ANNEXURE FOR ACCUSED DETAILS):

8. Reason for delay in reporting by the complainant/Informant: NO DELAY

9. Particulars of the properties stolen/involved(attach separate sheet if necessary):

Sl.No.	Property Type(Description)	Est. Value(Rs.)	Status
(i)			
(ii)			
(iii)			

10. Total value of property stolen:

11. Inquest Report/U.D Case No., if any:

---

*चेयर के आदेशानुसार लिखित स्पीच को प्रोसीडिंग का पार्ट बनाया गया।

District: Mewat PS: TAURU Year: 2014 FIR No.: 260 Date: 08-06-2014

12. F.I.R Contents(attach separate sheet,if required):

सेवा में, श्रीमान SHO साहब थाना तावडू मेवात, विषयः- जामा मस्जिद में तोड फोड करने, आग लगाने वर खिलाफ बबली कबाडी, राहुल ब्राह्मण, सुरेश पुत्र बबली कबाडी, सन्दीप उर्फ चैडु, राजकुमार मित्तल, मनीराम बनिया, महेश बान्डा, विन्नी, शिव कुमार मक्कड, नवीन महेंदीरत्ता, महेन्दर खाती, सुरेश हलवाई, सुनील पुत्र रोहताश, बालापीर तथा अन्य 70-80 लोग सर्व निवासीयान तावडू मेवात। श्रीमानजी, मै मौ० अब्दुल्ला पुत्र बाजखान निवासी चीला चह० तावडू इमाम जामा मस्जिद मे हुँ जो कि मै निम्न ब्यान करता हूँ। 1.यह कि दिनाक 08.6.14 को अपनी जामा मस्जिद पर मौजद था कि करीब 3.30 बजे शाम उपरोक्त दोषीयान जबरन मस्जिद मे घुस गये और मस्जिद आग लगा दी तथा तोड फोड की जब मैने रोकनी की कौशिश की तो उन्होने मुझे भी धक्का मुक्की की और जान से मारने की धमकी दी। उपरोक्त सभी दोषीयान व अन्य 70-80 लोग सभी मे घुसे जिन्हे मै पहचानता हुँ। दोषीयांन के खिलाफ सख्त -2 कार्यवाही की जावे। प्रार्थी SD URDU, कार्यवाही पुलिसः- आज मनASI मय EASI सुरेन्द्र, सि० धर्मेन्द के बराये कानून व्यवस्था डयुटी के सम्बन्ध मे चचंल होटल तावडू के पास मौजुद थे कि मुस्मी अब्दुला उपरोक्त ने मुलाकी होकर उपरोक्त दरखास्त मनASI को पेश की जो दरखास्त उपरोक्त के मजबुन से सरेदस्त जुर्म 148/149/153-A/295/436/506 IPC का होना पाया जाता है। जिस पर तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बादस्त सि० धर्मेन्द के थाना भेजी जा रही है। बाद कायमी मुकदमा नम्बर से सुचित किया जावे। मनASI मय साथी EASI के मशरुफ या तफ्तीश होता हुँ। मुकदमा हजा की स्पेशल रिपोर्ट अफसरान के पास भिजवाई जावे। अजः-नियर चचंल होटल तावडू। SD ATTER SINGH ASI, I/C PP CITY TAURU, Dt. 08.06.14 At.4.50PM अज थानाः- हस्ब आमद तहरीर पर उपरोक्त मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया जाकर FIR की कम्प्यूटर से प्रतियां तैयार करके मुकदमा की स्पेशल रिपोर्ट बदस्त स्पेशल सि० के ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब व अफसरान बाला की सेवा मे भेजी जा रही है। नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर आरिन्दा C के निज्द अनुसधांन कर्ता बर मौका भेजी जा रही है।

13. Action Taken(Since the above information reveals commission of offence(s)u/s as mentioned at item No.2:

(I) Registered the case and took up the investigation OR

(II) Directed(Name of the I.O): TEJ SINGH Rank: ASI
No.: 00384090 to take up the investigation, OR

(III) Refused investigation due to:

OR

(IV) Transferred to P.S(name): District:
on point of jurisdiction.

F.I.R read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant, free of cost:

R.O.A.C:

14.

Signature / Thumb Impression of The Complainant/Informant:

Signature of Officer
Name: ROHTASH
Rank: ASI No.: 56561234

189
229

Submitted for approval of Hon'ble Speaker

N.C.R.B. (एन.सी.आर.बी.)

HARYANA POLICE SERVICES (हरियाणा पुलिस सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (ज़िला): MEWAT P.S. (थाना): ROZKA MEO Year (वर्ष): 2016
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0011 Date (दिनांक): 24/01/2016

2. S.No. (क्र.सं.) Acts (अधिनियम) Sections (धारा(एँ))

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	ARMS ACT, 1959	25

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Sunday Date from (दिनांक से): 24/01/2016 Date To (दिनांक तक): 24/01/2016

Time Period (समय अवधि): Pahar 7 Time From (समय से): 20:00 hrs Time To (समय तक): 20.00 hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 24/01/2016 Time (समय): 21:30 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 020 Time (समय): 23:04 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): EAST, 8 Km(s) Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): इन्डरी,

Office Name (कार्यालय का नाम):ROZKA MEO MEWAT Login IP (लॉग इन आईपी):10.88.233.141

Official Name (आधिकारिक नाम):SAMSUDEEN 25/01/2016 09:34:36

User Name (यूज़र नेम) :27185

190

HARYANA POLICE SERVICES (हरियाणा पुलिस सेवा)

N.C.R.B. (एन.सी.आर.बी)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S.:
(यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): ASI बलबीर 101 मेवात

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Occupation (व्यवसाय):

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	थाना रोजका मेव, थाना रोजका मेव, ROZKA MEO, MEWAT, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	थाना रोजका मेव, ROZKA MEO, MEWAT, HARYANA, INDIA

(i) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.):

191-281-

HARYANA POLICE SERVICES (हरियाणा पुलिस सेवा)

N.C.R.B. (एन.सी.आर.बी)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)
1	कमल पुत्र भगत सिंह		

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Sub Type (उप प्रकार)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

Office Name (कार्यालय का नाम):ROZKA MEO MEWAT

Official Name (आधिकारिक नाम):SAMSUDEEN

User Name (यूजर नेम):27185

Login IP (लॉग इन आईपी):10.88.233.141

25/01/2016 09:34:36

3/9

-282-

197

HARYANA POLICE SERVICES (हरियाणा पुलिस सेवा) N.C.R.B. (एन.सी.आर.बी)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

सेवा मे श्री मान SHO साहब थाना रोजका मेव जय हिन्द आज मन ASI मय सि0 तिलकराज 430/MWT के बराये तफतीश मुकदमा न0 9 दिनाक 24.01.16 U/S 148,149, 186, 188,332,353,395,397,506 IPC वा 135,135A R.P ACT वा 3 PDPP ACT थाना रोजका मेव वा तलाश आरोपियान गांव इन्डरी बस अड्डा मौजूद था कि मुखबर खास ने मुलाकी होकर सूचना दी की आपके मुकदमा न0 9 का वान्छित आरोपी कमल S/O भगत सिंह जाति जाट R/O ईन्डरी सकारपियो न0 HR 27E-9999 मे गर्ल स्कूल के सामने स्टेरिंग पर बैठा है जो मन ASI ने ईतला को सच्ची मानकर साथी मुलाजमान की इमदाद से गर्ल स्कूल के सामने सकारपियो के नजदीक पहुचा तो स्टेरिंग पर हुआ एक शक्स गाडी छोडकर भागने लगा जो मन ASI ने साथी मुलाजमान की ईमदाद से शक्स को पकडने की कोशिस की जो भीड का फायदा उठाकर भागने मे कामयाब हो गया जो मुखबर खास ने भागते हुए को कमल S/O भगत सिंह ही सनाखत किया जो वापिस आकर गाडी नम्बर पलेट देखी तो गाडी पर आगे पीछे नम्बर HR 27 E-9999 मिला जो गाडी को चैक किया तो सकारपियो के डैसवार्ड मे एक देशी पिस्टल लोड शुदा मिली जिसको अनलोड करने पर तीन जिन्दा कारतूस मिले जां पिस्टल को मापने पर बैरल की लम्बाई 16 सैं0 मी0 बोडी की लम्बाई 12 सैं0 मी0 मिली जो बैरल बोडी व बट लोहा है वट के दोनो तरफ घार लोहा पेच से दोनो तरफ प्लास्टिक पट्टी काली लगी है कारतूसो को चैक करने पर उनके पैंदे पर KF7.65 लिखा मिला जिनका खाका अलग से तैयार किया गया बरामद देशी पिस्टल मय 3 जिन्दा रोन्द का पलन्दा तैयार करके BS मौहर से सर्व मौहर किया जाकर कुल 6 मौहर BS शुदा लगाई जो तैयार शुदा पलन्दा को मुकदमा हजा मे प्रमाण के तौर पर फर्द द्वारा कब्जा पुलिस मे लिया गया जो आरोपी कमल S/O भगत सिंह जाति जाट R/O ईन्डरी थाना रोजका मेव ने अपने कब्जा मे अवैध हथियार रखकर जुर्म जरे धारा 25-54-59 ARMS ACT का अपराध किया है जो तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बदसत सि0 तिलकराज 430/MWT के अरसाल थाना है बाद कायमी मुकदमा नम्बर पर्चा से सूचित करे मन ASI बर तफतीश बर मौका हुँ अज GGMS इन्डरी SD BALBIR SINGH ASI थाना रोजका मेव दिनांक 24.01.16 AT 09.00 PM अज थाना – उपरोक्त तहरीर बा जुर्म उपरोक्त थाना पर प्राप्त होने पर कायमी मुकदमा न0 11 दि0 25-54-59 ARMS ACT थाना रोजका मेव दर्ज रजिस्टर किया जाकर FIR की प्रतियां कम्पयूटर द्वारा तैयार करके इलाका मैजिस्ट्रेट साहब वा उच्च अफसरान बाला को भेजी जा रही है। नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर आरिन्दा सि0 के निज्द I/O बर मौका भेजी जा रही है।

Office Name (कार्यालय का नाम):ROZKA MEO MEWAT
Login IP (लॉग इन आईपी):10.88.233.141
Official Name (आधिकारिक नाम):SAMSUDEEN
25/01/2016 09:34:36
User Name (यूज़र नेम):27185

193-283-

HARYANA POLICE SERVICES (हरियाणा पुलिस सेवा) N.C.R.B. (एन.सी.आर.बी)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): BALBIR SINGH Rank (पद): Asst. SI (Assistant Sub-Inspector)

No. (सं.): 101MWT to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S (थाना): District (जिला): on point of Jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): SAMSUDEEN

14.

Office Name (कार्यालय का नाम):ROZKA MEO MEWAT Login IP (लॉग इन आईपी):10.88.233.141

Official Name (आधिकारिक नाम):SAMSUDEEN 25/01/2016 09:34:36

User Name (यूजर नेम):27185

5/9

— 354 —

194

HARYANA POLICE SERVICES (हरियाणा पुलिस सेवा)

N.C.R.B. (एन.सी.आर.बी.)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

No. (सं.): 85SR

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Office Name (कार्यालय का नाम):ROZKA MEO MEWAT

Login IP (लॉग इन आईपी):10.88.233.141

Official Name (आधिकारिक नाम):SAMSUDEEN

25/01/2016 09:34:36

User Name (यूज़र नेम):27185

6/9

HARYANA POLICE SERVICES (हरियाणा पुलिस सेवा)

N.C.R.B. (एन.सी.आर.बी)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):
EAST, 10 Km(s)

(b) Address (पता): नबावगढ,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S.:
(यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (ज़िला (राज्य)):

6- **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** सि0 नरेश 498 मेवात

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Occupation (व्यवसाय):**

(h) **Address**
(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	थाना रोजका मेव, थाना रोजका मेव, ROZKA MEO, MEWAT, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	थाना रोजका मेव, ROZKA MEO, MEWAT, HARYANA, INDIA

—387/197

HARYANA POLICE SERVICES (हरियाणा पुलिस सेवा)

N.C.R.B. (एन.सी.आर.बी)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

(i) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)
1	कमल पुत्र भगत सिंह		
2	योगेश पुत्र बीर सिंह		
3	जगदीश उर्फ जग्गी		

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Sub Type (उप प्रकार)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

Office Name (कार्यालय का नाम):ROZKA MEO MEWAT

Official Name (आधिकारिक नाम):SAMSUDEEN

User Name (यूज़र नेम):27185

Login IP (लॉग इन आईपी):10.88.233.141

25/01/2016 06:50:47

-985 798

HARYANA POLICE SERVICES (हरियाणा पुलिस सेवा) N.C.R.B. (एन.सी.आर.बी)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

सेवा मे श्री मान SHO साहब थाना रोजका मेव श्री मान जी, मै सिपाही नरेश कुमार 498M मै आज मतदान केन्द्र न0 121 गांव नबाबगढ के BOTH NO 121 पर मतदान करने के लिए इयुटी पर था जब अपनी इयुटी बूथ पर कर रहा था तो तीन चार व्यक्ति मेरे बूथ पर आए और आते ही मेरे संग काली गलोज की और मेरे को धक्के मारे उनमे से एक नाम कमल S/O भगत सिंह R/O इन्डरी उम्मीद वार सरपंची योगेश S/O बीर सिंह, जगदीश उर्फ जग्गी निवासी आटा को मै जानता हूँ उनके साथ 3-4 आदमी और अन्य थे जिन्होने मेरे साथ झगडा किया और मेरे को जान से मारने की धमकी दी और इयुटी मे बाधा डाली और इस झगडे के द्वारा मेरी वर्दी के बटन टुट गए इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे SD सिपाही नरेश कुमार 498M थाना रोजका मेव 8901087844 24.01.16 कार्यवाही पुलिस -आज मन ASI मय साथी HC सुरेन्द्र 2/148 IRB, सि0 धर्मबीर 2/387 IRB, सि0 राजेन्द्र 2/478 IRB के बाराये गस्त पैट्रोलिग न0 5 बाबत चुनाव इयुटी रेवासन हाजिर था सि0 नरेश कुमार ने मुलाकी होकर एक दरखास्त पेश की जो मजबून दरखास्त से सूरत जुर्म 332,353,186,506 IPC का घटित होना पाया गया है जो तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बदस्त सि0 धर्मबीर 2/387 IRB के अरसाल थाना बाद कायमी मुकदमा नम्बर पर्चा से सूचित किया जावे मन ASI मय मुदई सहित बराये तफतीश रवाना मौका का होता हूँ आज रेवासन बस स्टेन्ड SD MOHD HARUN PS ROJKA MEO DT 24.01.16 AT 4.10 अज थाना -उपरोक्त तहरीर बा जुर्म उपरोक्त थाना पर प्राप्त होने पर कायमी मुकदमा न0 10 दि0 24.01.2016 धारा 332,353,186,506 IPC थाना रोजका मेव दर्ज रजिस्टर किया जाकर FIR की प्रतियां कम्पयूटर द्वारा तैयार करके स्पेशल रिपोर्ट बदस्त सि0 महेन्द्र 329 मेवात के इलाका मैजिस्ट्रेट साहब वा उच्च अफसरान बाला को भेजी जा रही है। नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर आरिन्दा सि0 के निज्द I/O बर मौका भेजी जा रही है।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करेने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): or (या)

(2)

Office Name (कार्यालय का नाम):ROZKA MEO MEWAT Login IP (लॉग इन आईपी):10.88.233.141

Official Name (आधिकारिक नाम):SAMSUDEEN 25/01/2016 06:50:47

User Name (यूज़र नेम):27185

— 259 #99

HARYANA POLICE SERVICES (हरियाणा पुलिस सेवा) N.C.R.B. (एन.सी.आर.बी)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): MOHD HARUN Rank (पद): Asst. SI (Assistant Sub-Inspector)

No. (सं.): 112MWT to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name (नाम): SAMSUDEEN
Rank (पद): SI (Sub-Inspector)
No. (सं.): 85SR

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

Office Name (कार्यालय का नाम):ROZKA MEO MEWAT
Official Name (आधिकारिक नाम):SAMSUDEEN
User Name (यूज़र नेम):27185

Login IP (लॉग इन आईपी):10.88.233.141
25/01/2016 06:50:47

Zali

HARYANA POLICE SERVICES (हरियाणा पुलिस सेवा)

N.C.R.B. (एन.सी.आर.बी)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

i. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Office Name (कार्यालय का नाम):ROZKA MEO MEWAT

Login IP (लॉग इन आईपी):10.88.233.141

Official Name (आधिकारिक नाम):SAMSUDEEN

25/01/2016 08:50:47

User Name (यूज़र नेम):27185

241 201

HARYANA POLICE SERVICES (हरियाणा पुलिस सेवा)

N.C.R.B. (एन.सी.आर.बी.)

Submitted for approval of ...

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (ज़िला): MEWAT   P.S. (थाना): ROZKA MEO   Year (वर्ष): 2016

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0009   Date (दिनांक): 24/01/2016

2.

No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	148
2	IPC 1860	149
3	IPC 1860	186
4	IPC 1860	188
5	IPC 1860	332
6	IPC 1860	353
7	IPC 1860	395
8	IPC 1860	397
9	IPC 1860	506
10	PREVENTION OF DAMAGE TO PUBLIC PROPERTY ACT, 1984	3
11	REPRESENTATION OF PEOPLE ACT, 1950,1951,1989	135
12	REPRESENTATION OF PEOPLE ACT, 1950,1951,1989	135A

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Sunday   Date from (दिनांक से): 24/01/2016   Date To (दिनांक तक): 24/01/2016

Office Name (कार्यालय का नाम):ROZKA MEO MEWAT

Official Name (आधिकारिक नाम): SAMSUDEEN

Login IP (लॉग इन आईपी):10.88.233.141

24/01/2016 17:[illegible]

– 292 –

205

HARYANA POLICE SERVICES (हरियाणा पुलिस सेवा)

N.C.R.B. (एन.सी.आर.बी.)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

Time Period (समय अवधि): Pahar 4 | Time From (समय से): 09:30 hrs | Time To (समय तक): 09:30 hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 24/01/2016 Time (समय): 15:50 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 016 Time (समय): 17:35 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): EAST, 8 Km(s) Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): वा हद रकबा ईण्डरी,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S.: (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (ज़िला (राज्य)):

Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): अयूब खान PRESIDING OFFICER

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

Passport No. (पासपोर्ट सं.):

[illegible] (कार्यालय का नाम):ROZKA ME[illegible]

[illegible]

195

Submitted for approval of Hon'ble Speaker

N.C.R.B. (एन.सी.आर.बी.) I.I.F.-I

HARYANA POLICE SERVICES (हरियाणा पुलिस सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

District (ज़िला): MEWAT P.S. (थाना): ROZKA MEO Year (वर्ष): 2016

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0010 Date (दिनांक): 24/01/2016

S. No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	186
2	IPC 1860	332
3	IPC 1860	353
4	IPC 1860	506

(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Sunday

Date from (दिनांक से): 24/01/2016

Date To (दिनांक तक): 24/01/2016

Time Period (समय अवधि): Pahar 4

Time From (समय से): 09:30 hrs

Time To (समय तक): 09:30 hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 24/01/2016

Time (समय): 16:55 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 019

Time (समय): 22:29 hrs

Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

Place of Occurrence (घटनास्थल):

1.

Beat No. (बीट सं.):

Office Name (कार्यालय का नाम):ROZKA MEO MEWAT

Login IP (लॉग इन आईपी):10.88.233.141

Official Name (आधिकारिक नाम):SAMSUDEEN

25/01/2016 06:50:46

User Name (यूज़र नेम):27185

203 - 293

HARYANA POLICE SERVICES (हरियाणा पुलिस सेवा) N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): BALBIR SINGH Rank (पद): Asst. SI (Assistant Sub-Inspector)

No. (सं.): 101MWT to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया गया)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के [illegible] हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
([illegible] सी.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

[illegible] SAMSUDEEN

[signature]

-294-

~~904~~

HARYANA POLICE SERVICES (हरियाणा पुलिस सेवा) N.C.R.B. (एन.सी.आर.बी.)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

सेवा में, श्रीमान S.H.O साहब थाना रोजका मेव (मेवात) विषय- BOOTH NO. 117 G.S.S.S INDRI में सरकारी दस्तावेज फाड़ने तथा छीनकर ले जाने बारे। श्रीमान जी, उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में आपको अवगत कराते हुये लिखा जाता है कि BOOTH NO 117 G.S.S.S. INDRI में दिनांक 24.01.2016 को सुबह 9.30 के लगभग 8,10 आदमी आये और अभद्र व्यवहार करते हुये कागजात फाड़ दिये तथा कुछ साथ लेकर चले गये अत: उन अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। SD- AYUB KHAN 24.01.16 P.O. 9813860061, A.P.O SD- MUBASSAR HUSAIN, P.O. BHAGMAL, P.O. ANIL KUMAR, P.O. DINESH KUMAR कार्यवाही पुलिस – आज मन ASI हाजिर थाना था कि गांव ईण्डरी से थाना पर सूचना प्राप्त हुई कि गांव ईण्डरी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ईण्डरी में BOOTH NO. 116,117 वा 118 को कुछ गांव वा बाहर के लोगों ने पोलिंग बन्द करा दी, मशीनें तोड़ दी, कागजात सरकारी लूटकर ले गये और कर्मचारियों के साथ मारपीट कर रहे हैं। जो इस सूचना पर मन ASI मय CT तिलक राज न0 430/मेवात के वा सवारी गाडी प्राईवेट के गांव ईण्डरी स्कूल बूथ न0 116,117,118 पर पहुचां जहां पर बूथ न0 117 के PRESIDING OFFICER अयूब खान वा BOOTH NO. 116 के PRESIDING OFFICER फैज मो0 वा BOOTH NO. 118 के PRESIDING OFFICER श्री रशीद उल हसन ने मुलाकी होकर घटना बारे अपनी अपनी दरखास्ते पेश की जो दरखास्तों के मजबून से सरे दस्त सूरत जुर्म 148,149,186,188,332,353,.506,395,397 IPC व धारा 135,135A R.P. ACT वा धारा 3 P.D.P.P. ACT का घटित होना पाया जाने पर तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बदस्त CT तिलकराज न0 430/MWT के अरसाल थाना है बाद कायमी मुकदमा नम्बर पर्चा से सुचित किया जावे मुकदमा की स्पेशल रिपोर्ट भिजवाई जाये मन ASI मौका पर अनुसंधान में व्यस्त हूँ। अज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ईण्डरी SD- BALBIR SINGH ASI थाना रोजका मेव दिनांक 24.01.16 समय 3.20 PM अज थाना - उपरोक्त तहरीर बा जुर्म उपरोक्त थाना पर प्राप्त होने पर कायमी मुकदमा न0 9 दि0 24.01.2016 धारा 148,149,186,188,332,353,506,395,397 IPC, 135,135A R.P. ACT ,3 P.D.P.P. ACT थाना रोजका मेव दर्ज रजिस्टर किया जाकर FIR की प्रतियां कम्पयूटर द्वारा तैयार करके स्पेशल रिपोर्ट बदस्त सि0 संदीप न0 490 मेवात के इलाका मैजिस्ट्रेट साहब वा उच्च अफसरान बाला को भेजी जा रही है। नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर आरिन्दा सि0 के निज्द I/O बर मौका भेजी जा रही है।

Office Name (कार्यालय का नाम):ROZKA MEO MEWAT

Login IP (लॉग इन आईपी):10.88.233.1[illegible]

Official Name (आधिकारिक नाम):SAMSUDDEEN

24/01/2016 17:46:15

995 - 203

3

HARYANA POLICE SERVICES (हरियाणा पुलिस सेवा)

N.C.R.B. (एन.सी.आर.बी)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Occupation (व्यवसाय):

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	ईण्डरी बूथ न0 116, ईण्डरी बूथ न0 116, ROZKA MEO, MEWAT, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	ईण्डरी बूथ न0 116, ROZKA MEO, MEWAT, HARYANA, INDIA

(i) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.):

Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)

Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Sub Type (उप प्रकार)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

Office Name (कार्यालय का नाम):ROZKA MEO MEWAT

Official Name (आधिकारिक नाम):SAMSUDEEN

Login IP (लॉग इन आईपी):10.88.233.141

24/01/2016 17:48:15

Zohi

HARYANA POLICE SERVICES (हरियाणा पुलिस सेवा)

N.C.R.B. (एन.सी.आर.बी.)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.) UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

CrPA-R1.11 00

1. District: Mewat P.S: TAURU Year: 2014 FIR No.: 260 Date: 08-06-2014

2. Act(s): Section(s):
   (i) IPC 1860 148/149/153A/295/436/506
   (ii)
   (iii)
   (iv)

3. Occurrence of Offence:
   (a) Day: Sunday Date From: 08-06-2014 Date To: 08-06-2014
   Time Period: Time From: 15:30 hrs Time To: 15:30 hrs
   (b) Information received at P.S: Date: 08-06-2014 Time: 17:00 hrs
   (c) General Diary Reference: Entry No.: 17 Time: 17:00 hrs

4. Type of Information: WRITTEN

5. Place of Occurrence:
   (a) Direction and Distance from P.S: Beat No.: 17
   (b) Address: JAMA MASJID TAURU, PS TAURU
   (c) In case, Outside the limit of the Police Station:
   Name of P.S: District:

6. Complainant/Informant:
   (a) Name: MOHD ABDULLA (S/O) BAJKHAN
   (b) Birth Year: Nationality: INDIA
   (c) Passport No. Date of Issue: Place of Issue:
   (d) Occupation:
   (e) Address: VILL CHILA PS TAURU DISTT MEWAT NUH

7. Details of Known/Suspect/Unknown accused with full particulars(attach separate sheet if necessary): (15).
   (SEE ANNEXURE FOR ACCUSED DETAILS):

8. Reason for delay in reporting by the complainant/informant: NO DELAY

9. Particulars of the properties stolen/involved(attach separate sheet if necessary):

Sl.No.	Property Type(Description)	Est. Value(Rs.)	Status
(i)			
(ii)			
(iii)			

10. Total value of property stolen:

11. Inquest Report/U.D Case No., if any:

– 298 –

District: Mewat P.S.: TAURU Year: 2014 FIR No.: 260 Date: 08-06-2014

12 . F.I.R Contents(attach separate sheet,if required):
सेवा में, श्रीमान SHO साहब थाना तावडू मेवात, विषयः- जामा मस्जिद में तोड फोड करने, आग लगाने बर खिलाफ बबली कबाडी, राहुल ब्राह्मण, सुरेश पुत्र बबली कबाडी, सन्दीप उर्फ चेडु, राजकुमार मित्तल, मनीराम बनिया, महेश बान्डा, चिन्नी, शिव कुमार मक्कड, नवीन महेंदीरत्ता, महेन्टर खाती, सुरेश हलवाई, सुनील पुत्र रोहताश, बालापीर तथा अन्य 70-80 लोग सर्व निवासीयान तावडू मेवात। श्रीमानजी, मै मौ० अब्दुल्ला पुत्र बाजखान निवासी चीला चह० तावडू इमाम जामा मस्जिद मे हुँ जो कि मै निम्न ब्यान करता हूं। 1.यह कि दिनाक 08.6.14 को अपनी जामा मस्जिद पर मौजद था कि करीब 3.30 बजे शाम उपरोक्त दोषीयान जबरन मस्जिद मे घुस गये और मस्जिद आग लगा दी तथा तोड फोड की जब मैने रोकनी की कौशिश की तो उन्होने मुझे भी धक्का मुक्की की और जान से मारने की धमकी दी। उपरोक्त सभी दोषीयान व अन्य 70-80 लोग सभी मे घुसे जिन्हे मै पहचानता हुँ। दोषीयान के खिलाफ सख्त -2 कार्यवाही की जावे। प्रार्थी SD URDU, कार्यवाही पुलिसः- आज मनASI मय EASI सुरेन्द्, सि० धर्मेन्द के बराये कानून व्यवस्था डयुटी के सम्बन्ध मे चचंल होटल तावडु के पास मौजुद थे कि मुस्मी अब्दुला उपरोक्त ने मुलाकी होकर उपरोक्त दरखास्त मनASI को पेश की जो दरखास्त उपरोक्त के मजबुन से सरेदस्त जुर्म 148/149/153-A/295/436/506 IPC का होना पाया जाता है। जिस पर तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बादस्त सि० धर्मेन्द के थाना भेजी जा रही है। बाद कायमी मुकदमा नम्बर से सुचित किया जावे। मनASI मय साथी EASI के मशरुफ वा तफ्तीश होता हुँ। मुकदमा हजा की स्पेशल रिपोर्ट अफसरान के पास भिजवाई जावे। अजः-नियर चचंल होटल तावडू। SD ATTER SINGH ASI, I/C PP CITY TAURU, Dt. 08.06.14 At.4.50PM अज थाना:- हस्ब आमद तहरीर पर उपरोक्त मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया जाकर FIR की कम्प्यूटर से प्रतियां तैयार करके मुकदमा की स्पेशल रिपोर्ट बदस्त स्पेशल सि० के ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब व अफसरान बाला की सेवा मे भेजी जा रही है । नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर आरिन्दा C के निग्द अनुसधांन कर्ता बर मौका भेजी जा रही है ।

13 . Action Taken(Since the above information reveals commission of offence(s)u/s as mentioned at item No.2:

(i) Registered the case and took up the investigation OR

(ii) Directed(Name of the I.O): TEJ SINGH Rank: ASI
No.: 00384090 to take up the investigation, OR

(iii) Refused investigation due to:
OR

(iv) Transferred to P.S(name): District:
on point of jurisdiction.

F.I.R read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant, free of cost:

R.O.A.C:

14 .

Signature / Thumb Impression of The Complainant/Informant:

Signature of Officer
Name: ROHTASH
Rank: ASI No.: 56561234

Ch. Zakir Hussain
M.L.A. & Adocate

☎ 09212456100

Date ....

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री,
हरियाणा सरकार, चंडीगढ़।

विषयः– श्री दीपक थाना प्रबंधक रोजका मेव जिला मेवात की संगीन अपराधों में संलिप्त (कत्ल एफ.आई.आर. नं0 83/15, थाना रोजका मेव दफा 302 आदि आई.पी.सी., सी.आई.ए. पुलिस को पीटने एफ.आई.आर. नं0 102 /15 दफा 307 आई.पी.सी. थाना रोजका मेव, आई.एम.टी. रोजका में नहर काट कर भरने एफ.आई.आर. नं0 144/15 थाना रोजका मेव आदि आई.पी.सी.) अपराधियों से मिलीभगत की उच्चस्तरीय जाँच तथा पंचायत चुनाव निश्पक्ष कराने हेतु अविलम्ब तबादला।

महोदय,

थाना रोजका मेव के क्षेत्र में अपराधियों के साथ थाना प्रबंधक इंस्पेक्टर दीपक के साथ सांठगांठ व मिलीभगत से कत्ल व पुलिस पीटने के संगीन अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। पूर्व मंत्री आफताब अहमद, उसका चाचा जावेद खान, भाई अमन अहमद आदि खानपुर निवासी थाना रोजका मेव के संरक्षण में अपराधियों का एक गिरोह काम कर रहा है जो की अवैध खनन गतिविधियों तथा अन्य अपराधों में संलिप्त हैं तथा आई.एम.टी. रोजका मेव के विकसित होने के खिलाफ भी सक्रिय हैं। अमन अहमद, जावेद खान आदि निवासी खानपुर पुलिस के मुखबिर व दलाल हैं तथा उनकी मिलीभगत थाना रोजका मेव प्रबंधक श्री दीपक से जग जाहिर है। इससे सरकार की भारी बदनामी हो रही है और अपराधों को भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ सरेआम बढ़ावा दिया जा रहा है। दबंग खनन माफिया व अपराधी मम्मनदीन सरपंच निवासी हिरमथला थाना रोजका मेव आदि गरीब, बैकवर्ड, दलित आदि वर्ग के लोगों पर इंस्पेक्टर दीपक के संरक्षण में सरेआम अत्याचार कर रहे है और थाना रोजका मेव में उनके खिलाफ दर्ज केस में दफा 436 आई. पी.सी. के तहत झूठी धाराएं लगवा कर एफ.आई.आर. नं0 144/15 थाना रोजका मेव हवालात का भय दिखा रहे है (इस मुकदमें की जांच पुलिस अधीक्षक मेवात द्वारा डी.एस. पी. मुख्यालय को दी गई है)।

अतः श्री दीपक के खिलाफ किसी उच्चाधिकरी द्वारा जाँच की जाए तथा उसका अविलम्ब तबादला किया जाए, जिससे की पंचायतों के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो सके तथा क्षेत्र में अमन–शांति कायम हो सके। श्री दीपक थाना प्रबंधक रोजका मेव की अपराधियों से मिलीभगत तथा उन्हें प्रोत्साहन देने के कुछ उदाहरण निम्नलिखित है:–

300—
210

1. जावेद खान व पूर्व मंत्री आफताब अहमद के सगे परिजनों के खिलाफ दफा 302 आदि आई.पी.सी. तहत नामजद मुकदमा नं0 83/15 थाना रोजका मेव में दर्ज मुकदमा : —इस मुकदमें में थाना प्रबंधक रोजका मेव ने अपराधियों के चौकीदार की गिरफ्तारी दिखा कर कोर्ट में चालान पेश कर दिया तथा बाकी अपराधियों व अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की अब मुद्दई श्री गौरव गुप्ता आदि (जो की मेवात के बाहर के लोग हैं और उन्होंने यहाँ मुल्जिमों से व्यापार करने के लिए जमीन खरीदी है) पर दबाव बना कर दूसरा चालान पेश करने की तैयारी की जा रही है जिसमें उन्हें मुकदमे से निकाला जा रहा है। थाना प्रबंधक रोजका मेव श्री दीपक व जावेद खान के संरक्षण में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। अपराधियों ने यह वारादात थाना प्रबंधक दीपक के साथ मिलकर षडयंत्र रच कर तब अंजाम दी जब श्री सतीश बालान, पुलिस अधीक्षक जिला मेवात 14 दिन की लम्बी छुट्टी पर गए हुये थे पुलिस ने उनकी गैरमौजूगी का फायदा उठाना चाहा और कातिलों की मदद करने के लिए जमीन को दफा 145 सी.आर.पी.सी. में अटैच करवाके उस जमीन पर कातिलों का कब्जा दिखाना चाहा पुलिस द्वारा 2—3 बार कोशिश करने के बावजूद उपायुक्त जिला मेवात व एस.डी.एम. नूँह ने पुलिस की यह अवैध और गैरकानूनी माँग ठुकरा दी। इस मामले की दुबारा जाँच होनी चाहिए।

2. खानपुर गाँव थाना रोजका मेव में पुलिस की पिटाई :— उपरोक्त कत्ल के मुकदमे में श्री दीपक थाना प्रबंधक के द्वारा कारवाई न करने की गुहार मुख्यमंत्री हरियाणा तथा उच्चाधिकारियों के सामने चण्डीगढ़ में लगाई तब मुकदमे की तफशीस सी.आई.ए. इंस्पेक्टर नूँह को दे दी गई। सी.आई.ए. स्टाफ नूँह जब खानपुर गाँव तह0 नूँह में अपराधियों को पकड़ने गये तब उनके उपर फायरिंग और मारपीट की गई जिसका मुकदमा नं0 102/15 दफा 307 आदि आई.पी.सी. व 25, 54, 59 आर्म एस थाना रोजका मेव में दर्ज है। थाना प्रबंधक ने इस मामले में कोई गिरफतारी नहीं की बल्कि इसको भी जावेद खान के साथ मिलकर रद्द करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस अपने पीटने का मुकदमा दफा 307 आई.पी.सी. दर्ज कराये और अपराधी अमन, इकबाल आदि थाना प्रबंधक श्री दीपक के साथ थाने में बैठकर जलपान करें और खुल्लम खुला घूमे तो **लोगों में चर्चा का विषय है कि भाजपा की मोदी — खट्टर सरकार का क्या यही सुशासन है?**

30/21

3. आई.एम.टी. रोजका मेव के साथ जा रही नहर को काटने की नहर विभाग द्वारा एफ. आई. आर. नं0 144/15 थाना रोजका मेव :– 8 नवम्बर 2015 को मुख्यमंत्री के निर्देश पर जमींदारों से सरकार ने राजीनामा करके काम शुरु किया था जो की आई.एम.टी. रोजका मेव के विकास के खिलाफ पूर्व मंत्री आफताब अहमद, जावेद खान आदि को रास नहीं आया। उन्होंने अपने समर्थकों से आई.एम.टी. रोजका मेव के साथ जाने वाली नहर को कटवा दिया जिससे नहर के साथ लगती जमीन में पानी भर गया नहर विभाग द्वारा एफ. आई. आर. नं0 144/15 थाना रोजका मेव दर्ज की गई लेकिन थाना प्रबंधक ने सरकार के ख़िलाफ अपराध करने वालों के साथ आज तक कुछ नहीं किया और उस मुकदमे को भी रफादफा करने की पूरी तैयारी कर ली है।

4. दबंग खनन माफिया व अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त मम्मनदीन सरपंच गाँव हिरमथला थाना रोजका मेव को थाना प्रबंधक श्री दीपक व पूर्व मंत्री आफताब अहमद, जावेद खान का पूरा संरक्षण प्राप्त है :– मम्मनदीन सरपंच का खनन माफिया से गहरा संबंध है और वह सरेआम अपराध करने से नहीं चूकता उदाहरणतः अलवर रोड गाँव हिरमथला के मोड पर ठीक अपनी दुकानों के सामने पुलिस नाका थाना रोजका मेव लगवाया तथा वहाँ अपने खाली प्लॉट में डम्परों से ओवरलोड के नाम पर पुलिस द्वारा पत्थर खाली करवाए जो ऊँचे दामों पर गैरकानूनी बेंचे गये।

5. सिपाही पवन कुमार थाना तावडू की हत्या एफ.आई.आर. नं0 100/13 में मम्मनदीन सरपंच गाँव हिरमथला थाना रोजका मेव की संलिप्तता :– वर्ष 2013 में कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री आफताब अहमद, जावेद खान के आर्शीवाद व मिलीभगत से खनन माफिया पूरी तरह सकिय था जिसमें सरपंच मम्मनदीन की भागीदारी थी जो अब भी चल रही है। सरपंच मम्मनदीन के डम्पर अवैध पत्थरों को राजस्थान से लाते थे। दिनांक 29.03.2013 थाना तावडू के 6–7 पुलिसकर्मियों ने अवैध पत्थरों की चेकिंग के लिए सीलखोह घाटी में नाका लगा रखा था उसी दौरान एक डम्पर ने पुलिस पार्टी पर सीधा डम्पर चढ़ा कर सिपाही पवन कुमार थाना तावडू की हत्या कर दी जिसपर एफ.आई.आर. नं0 100/13 थाना तावडू दफा 302 आदि आई.पी.सी. के अर्न्तगत दर्ज हुई। डम्पर चालक डम्पर को मौके से सिपाही की हत्या करके भगा ले गया था जिससे पुलिस ने एफ.आई.आर. में सिर्फ डम्पर का हवाला दिया था। तफसीस के दौरान पुलिस ने जाँच में डम्पर चालक ने मालिक अब्दुल अजीज उर्फ इद्दी पुत्र मम्मनदीन सरपंच गाँव हिरमथला तसदीक किया और वारदात में उपयुक्त डम्पर को थाना नूँह में खड़ा कर लिया, लेकिन पूर्व मंत्री आफताब

302 212

अहमद ने मामले को रफादफा करा कर मुकदमा खारिज करा दिया। श्री एस.एस. कपूर, आई.पी.एस. तत्कालीन आई.जी. साउथ रेंज वर्ष 2014 में नूँह में बैठक लेने आये थे तब यह मामला उनके संज्ञान में लाया गया और उन्होंने मामले की गम्भीरता को देखते हुए केस की दुबारा तफसीस करने के जबानी आदेश दिये थे। यह आदेश चुनाव शुरु होने की वजह से और श्री एस.एस. कपूर, आई.पी.एस. की नियुक्ति ए.डी.जी.पी. (सी.आई.डी.) चण्डीगढ़ होने के बाद सिरे नहीं चढ़ पाई।

6. अपहरण तथा मारपीट :– सरपंच मम्मनदीन व उसके साथी किसी भी अपराधिक घटना को अंजाम देने से नहीं चुकते। बैकवर्ड जाति से संबंधित श्री दीना निवासी हिरमथला का पार्टीबाजी की रंजिश से 27 नवम्बर को गाँव घासेड़ा के पास से अपहरण किया तथा मारपीट की और दीना को ही हवालात में डलवाने का प्रयास उनके खिलाफ झूठे मुकदमें एफ.आई.आर. न.140/15 में किया गया, लेकिन पुलिस अधीक्षक, जिला मेवात की हस्तक्षेप से दीना को मुक्ति मिली। इस मुकदमें को लेकर पूरी मेवात में भारी रोष फैल गया और 9 दिसम्बर, 2015 को गांव घासेड़ा में महापंचायत हुई जिसका ज्ञापन उपायुक्त, मेवात व पुलिस अधीक्षक, मेवात को दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने मुकदमे की जांच डी. एस.पी. हैडक्वॉटर को तबदील कर दीं

अतः जनाब से प्रार्थना है कि उपरोक्त मामलों की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिये जायें तथा सिपाही पवन कुमार व अन्य हत्या आदि के मुकदमे दोबारा जांच करके चलाए जायें तथा दोषियों के खिलाफ सख़्त से सख्त कारवाई की जाए और थाना प्रबंधक रोजका मेव श्री दीपक के खिलाफ किसी उच्चाधिकारी के द्वारा जाँच करवाई जाए तथा कार्यवाही की जाये और श्री दीपक का अविलम्ब तबादला किया जाए जिससे थाना रोजका मेव में कानून का राज कायम हो सके और पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो सके और क्षेत्र में अमन शांति कायम हो सके।

मैं आशा करता हूँ कि उपरोक्त मामलों में जल्द कदम उठाया जाएगा।

धन्यवाद

भवदीय

(ज़ाकिर हुसैन)
विधायक, नूँह, जिला मेवात।

थाना तावडू   जिला मेवात

राज्य द्वारा :– सरजीना पत्नी मेजर पुत्री ईस्लाम जाति मेव निवासी [illegible] हाल डिंगरहेडी थाना तावडू जिला मेवात रेप पीडिता बा उम्र 20 साल।

अभियोग संख्या न0 :– 247 दिनांक 25.08.2016 धारा 459, 460, 376डी0 भा0द0स0 व 6 पोस्को एक्ट व 25–54–59 शस्त्र अधिनियम थाना तावडू।

बनाम :–
1. सन्दीप पुत्र रामनिवास जाति अहीर निवासी मौहम्मदपुर अहीर, नन्दू की ढाणी थाना तावडू बा उम्र 27 साल।
2. अमरजीत पुत्र विरेन्द्र जाति अहीर निवासी मौहम्मदपुर अहीर, नन्दू की ढाणी थाना तावडू बा उम्र 24 साल।
3. कर्मजीत पुत्र बहनजीत जाति अहीर निवासी मौहम्मदपुर अहीर, नन्दू की ढाणी थाना तावडू बा उम्र 24 साल।
4. राहुल वर्मा पुत्र सुनील वर्मा जाति बनिया निवासी गाँव मुसिया थाना राजौन [illegible] जिला भागलपुर, बिहार हाल आबाद नन्दू की ढाणी प्लाईवुड कम्पनी मौहम्मदपुर अहीर थाना तावडू बा उम्र 22 साल।

दरखास्त रिमान्ड हिरासत पुलिस 10 दिन

श्रीमान जी,

दिनांक 25.08.2016 को महिला उप0नि0 कमलेश SI/SHO को बजरिया टेलिफोन सुचना प्राप्त हुई कि गांव डिंगरहेडी मे दो लडकियो के साथ [illegible] हुआ है। जिस ईतला पर वह गाडी सरकारी चालक प्रदीन ,C अमीत कुमार 623 मेवात के मैडिकल कालेज नल्हड पहुंची जहा पर [illegible] वार्ड 1st फ्लोर पर सरजीना पत्नी इसलाम R/O डिंगरहेडी ने अपना ब्यान उपरोक्त अंकित कराया। जो जैल है "ब्यान अजानी सरजीना पत्नि मेजर पुत्री इसलाम R/O गांव डिंगरहेडी थाना तावडु जिला नूह ब उम्र 20 वर्ष शिक्षा अनपढ। ब्यान किया कि मै उपरोक्त पता की रहने वाली हु। घरेलु कार्य करती हु। ईद के त्योहार पर मै अपनी ससुराल से मायके आई हुई हु। आज रात करीब 12 बजे मै अपने परिवार के साथ अपने घर पर सोई हुई थी। मेरे चाचा जफरदीन वगैरा बाहर आंगन मे सोये हुये थे और मै अपनी मौसी की लडकी अलीशा व अपनी दो छोटी बहने [illegible] अन्दर कमरे मे सोये हुये थे हमने बाहर से शोर की आवाज आई। इतने मे ही चार – 5 आदमी दो कच्छे बनियान मे बाकी आदमी पैन्ट शर्ट पहने हुए अन्दर कमरे मे आये। हमारी [illegible] और बाहर सोये हुए मेरे [illegible] जफरदीन [illegible] को [illegible] के साथ बांध दिया तथा उनको डन्डो लाठिया वगैरा से मारा पिटा। इसके बाद फिर दो लोग हमारे कमरे मे आ गये और मेरे साथ व अलीशा के साथ [illegible] जबरदस्ती [illegible] काम किया और कहा कि तुम्हारे पैसे व जेवर कहा रखे है बताओ [illegible] काफी तलाश किया। अनाज की टंकी को भी खाली कर दिया था फिर मुझे सरजीना ,अलीशा, [illegible] को अन्दर कमरे मे बन्द कर दिया और हमारी मोटर साईकिल को ले गये। जो उपरोक्त [illegible] करीब 12 से 3 बजे तक [illegible] मारपीट व [illegible] करते रहे। जो सभी आदमी [illegible] थे और [illegible] थे। जो किसी तरह [illegible] नजदीक [illegible] पर सोये हुए अपने नाना के पास पहुचा और नाना [illegible] को घटना की जानकारी दी। जो [illegible] के साथ मौका पर आया। हम सभी [illegible] को [illegible] पुलिस को [illegible] दी। [illegible]

[illegible] मुझे पता चला है कि उपरोक्त व्यक्तियो [illegible] गई चोटो से [illegible]
SAHIN S/O [illegible] की मौत हो गई है। जो उपरोक्त व्यक्तियो ने हमारे घर मे डकैती [illegible]
[illegible] को बंधक बनाकर चोट पहुंचाकर [illegible] इब्राहिम की हत्या की है। [illegible]
[illegible] जावे। जो बयान को पीड़िता को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। जिसने अपने बयान को ठीक
मानकर अपने दाहिने हाथ का अंगूठा निशान लगाया। जिसकी [illegible] महिला उपनिरीक्षक कमलेश [illegible] की गई। बयान से
जुर्म [illegible] 459/460/376D IPC, 6 POCSO ACT, 25-54-59 ARM ACT का घटित होना पाया गया। जिस पर तहरीर
[illegible] कराया। सर्वप्रथम अनुसंधान महिला उपनिरीक्षक कमलेश द्वारा [illegible] मे लाया गया। दौरान अनुसंधान
[illegible] अस्पताल नजफगढ मे शारीरिक परीक्षण कराया गया। पुलन्दे प्राप्त किये गये। पीड़िताओं के [illegible]
[illegible] के बयान अंकित कराये जाकर प्रतियाँ हासिल की गई। आरोपियों के स्कैच भी तैयार करवाये गये। [illegible]
[illegible] का अनुसंधान विशेष अनुसंधान दल द्वारा अमल मे लाया गया। दौरान अनुसंधान मृतक इब्राहिम व मृतका
[illegible] 174 सीआरपीसी की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम कराया गया। रिपोर्ट प्राप्त की गई। मौका मुआयना
[illegible] गवाहान के बयान अंकित किये गये। मौके पर पाये गये साक्ष्यों के पुलन्दे तैयार करके कब्जा पुलिस मे लिया
[illegible] के बयान अंकित किया गया। सन्देह जनक व्यक्तियों के [illegible] किये गये। [illegible]
[illegible] उठाये गये। [illegible] के बाद सन्देह जनक नम्बरों का अवलोकन किया गया। जिनकी कॉल
[illegible] टावर लोकेशन बारे अवलोकन किया गया। जो आरोपियान के मोबाईल की टावर लोकेशन घटना
[illegible] आरोपियान के खिलाफ सबूत काबिले गिरफ्तारी गुजरने पर मुकदमा हाजा मे [illegible] गिरफ्तार किया
[illegible] से गहन पूछताछ की गई। गहन पूछताछ पर आरोपीगण [illegible] ने दिनांक [illegible]/2016
[illegible] का इकबाल किया तथा आरोपी [illegible] ने अपने इकबाल मे [illegible] कि [illegible]
[illegible] के घर मे [illegible] छुपा रखी है। जिसको बरामद कराने बारे बतलाया है। आरोपी [illegible] ने अपने
इकबाल मे [illegible] कैश [illegible] को अपने दोस्त के घर [illegible], गुड़गांव मे छुपाया हुआ है। आरोपी [illegible] ने
[illegible] मे लूटे हुये माल मे से [illegible] सोने व [illegible] थे। जो अपने दोस्त के घर
[illegible] रखे है बरामद कराने बारे बतलाया है व आरोपी राहुल ने अपने इकबाल मे [illegible] कि [illegible]
[illegible] नजफगढ दिल्ली अपनी बहन के मकान मे छुपाकर रखा हुआ है। जिसको बरामद [illegible]
[illegible] बतलाता है। आरोपीगण से उनके द्वारा किये गये स्वीकृती कथन के मुताबिक जयपुर, [illegible]
[illegible] दिल्ली से लूटे गये [illegible] व कट्टा देसी की बरामदगी की [illegible] है। आरोपीगण से [illegible]
[illegible] की जानी [illegible] है। [illegible] से अनुरोध है कि आरोपीगण [illegible]
[illegible] दिन [illegible] रिमांड [illegible] आरोपियान हवाले पुलिस किये जाने के आदेश [illegible]

257

HARYANA POLICE SERVICES (हरियाणा पुलिस सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (ज़िला): MEWAT P.S. (थाना): TAURU

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0247 Date (दिनांक): 25/08/2016

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एं))
1	ARMS ACT, 1959	25/54
2	IPC 1860	376D
3	IPC 1860	459
4	IPC 1860	460
5	THE PROTECTION OF CHILDREN FROM SEXUAL OFFENCE ACT, 2012	6

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

I Day (दिन): Thursday | Date from (दिनांक से): 25/08/2016 | Date To (दिनांक तक): 25/08/2016

Time Period (समय अवधि): Pahar I | Time From (समय से): 00:00 hrs | Time To (समय तक): 03.00 hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 25/08/2016 Time (समय): 09:00 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 007 Time (समय): 16:42 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5.

Office Name (कार्यालय का नाम):TAURU MEWAT

Official Name (अधिकारिक नाम):ASHOK KUMAR

User Name (यूज़र नेम):60417

Login IP (लॉग इन आईपी): 10.88.233.141

25/08/2016 17:09:49

1/9

306

258

N.C.R.B. I.I.F.

HARYANA POLICE SERVICES (हरियाणा पुलिस सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

के त्योहार पर मै अपनी ससुराल से मायके आई हुई हु । आज रात करीब 12 बजे मै अपने परिवार के साथ अपने घर पर सोई हुई थी । मेरे चाचा जफरुद्दीन वगैरा बाहर आंगन मै सोये हुये थे और मै अपनी मौसी की लडकी अलीसा व उसकी दो छोटी बहने सफा वा साईमा के साथ अन्दर कमरे मे सोये हुये थे हमे बाहर से शोर की आवाज आई । इतने मे ही चार - 5 आदमी दो कच्छे बनीयान मे बाकी आदमी पैन्ट सर्ट पहने हुए अन्दर कमरे मे आये । हमारी चुन्नी ले गये और बाहर सोये हुए मेरे चाचा जफर उर्फ जफरुद्दीन वगैरा को खाट के साथ बांध दिया तथा उनको डन्डो सरिया वगैरा से मारा पिटा । उसके बाद फिर वो लोग हमारे कमरे मे आ गये और मेरे साथ वा अलीसा के साथ तीन आदमीयो ने बारी बारी से जबरदस्ती गलत काम किया और कहा कि तुम्हारे पैसे वा जेवर कहा रखे है बताओ उपरोक्त व्यक्तियो मे से एक के पास कट्टा था । फिर उन्होने हमारे कमरे मे रखे बक्से वगैरा को काफी तलाश किया । अनाज की टंकी को भी खाली कर दिया वा फिर मुझे सरजीना ,अलीसा, सफा वा साईमा वगैरा को अन्दर कमरे मे बन्द कर दिया और हमारी मोटर साईकिल को ले गये । जो उपरोक्त व्यक्ति करीब 12 से 3 बजे तक हमारे साथ मारपीट वा उतपात करते रहे । जो सभी आदमी लम्बे तगडे थे और जाट भाषा बोल रहे थे । जो किसी तरह मौका पाकर परवेज नजदीकी टुयबवैल पर सोये हुए अपने नाना के पास पहुचा और नाना जुहरुद्दीन को घटना की जानकारी दी । जो जुहरुद्दीन ,इमरान के साथ मौका पर आया । हम सभी बन्धे हुये को खोला पुलिस को सुचना दी । घायलो को हस्पताल पहुचाया । जो अब मुझे पता चला है कि उपरोक्त व्यक्तियो द्वारा मारी गई चोटो से रसीदन पत्नि इब्राहिम वा इब्राहिम S/O जुहरुद्दीन R/O डिंगरहेडी की मौत हो गई है । जो उपरोक्त व्यक्तियो ने हमारे घर मे डकैती डालकर हमारे साथ बलात्कार करके सभी को बन्धक बनाकर चोट पहुचाकर रसीदन वा इब्राहिम की हत्या की है । उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जावे । RTI -सरजीना ATTESTED- KAMLESH SI SHO PS WOMEN NUH DT. 25.08.16 कार्यवाही पुलिस- आज मन SI/SHO को बजरिया टैलिफोन सुचना प्राप्त हुई कि गाव डिंगरहेडी मे दो लडकियो के साथ गैंगरेप हुआ है । आप नलहड मैडिकल पहुचे जो इतला पर मै गाडी सरकारी चालक प्रवीन C अमौल कुमार 623 मेवात के मैडिकल कालेज नलहड पहुची जहा पर गाईनो वार्ड 1ST फ्लोर पर सरजीना पुत्री इसलाम R/O डिंगरहेडी ने अपने ब्यान उपरोक्त अंकित कराया । जो ब्यान को पिडिता को पढकर सुनाया व समझाया गया । जिसने अपने ब्यान को ठीक मानकर अपने दाहिने हाथ का अंगुठा निशान लगाया । जिस की मै तस्दीक करती हु । ब्यान बाला से जुर्म जेर धारा 459/460/376D IPC 6 POCSO ACT, 25-54-59 ARM ACT का घटित होना पाया गया । जिस पर तहरीर हजा लिखी जाकर

Office Name (कार्यालय का नाम):TAURU-MEWAT
Official Name (आधिकारिक नाम):ASHOK KUMAR
User Name (यूज़र नेम):60417

Login IP (लॉग इन आईपी):10.88.233.141
25/08/2016 17:09:49

Kal
4/9

HARYANA POLICE SERVICES (हरियाणा पुलिस सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

सिपाही अमीत कुमार 623 के द्वारा थाना तावडू भेजी जा रही है । मुकदमा दर्ज करके अभियोग संख्या से सुचित करें । अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट स्पेशल सिपाही द्वारा अफसरान बाला व इलाका मैजिस्ट्रेट साहब की सेवा मे भिजवाई जावे । मौका पर सीन आफ क्राईम टीम , ड्रग इलाका भिजवाया जावे । मै मशरूफ तफ्तीश होती हूं । अज- मैडिकल अस्पताल मलहक SD- KAMLESH SI SHO PS WOMEN NUH DT 25.08.16 AT 7 30 AM अज थाना- उपरोक्त तहरीर थाना पर प्राप्त होने पर मु0न0 247 दिनांक 28.08.16 धारा 459/460/376D IPC ,6 POCSO ACT, 25 54-59 ARM ACT थाना तावडू दर्ज रजि0 किया जाकर FIR की प्रतियां कम्प्यूटर द्वारा तैयार की गई जो मुकदमा हजा की स्पेशल रिपोर्ट बदस्त स्पेशल सि0 कुलदीप न0 692/मेवात के इलाका मजिस्ट्रेट साहब व उच्च अधिकारियों की सेवा मे भेजी जा रही है । नकल मिशल पुलिस मय तहरीर अरिन्दा सि0 के निजद अनुसंधान कर्ता भेजी जा रही है

NOTE- नोट- KAMLESH SI/SHO PS WOMEN NUH की ID थाना तावडू में CAS SOFTWARE मे ना होने पर ASI DIGVIJAY की USER ID में मुकदमा दर्ज किया गया है ।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): DIGVIJAY   Rank (पद): Asst. SI (Assistant Sub-Inspector)
No. (सं.): 100MWT   to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):   or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना):   District (ज़िला):

Office Name (कार्यालय का नाम):TAURU MEWAT   Login IP (लॉग इन आईपी) 10.88.233.141

Official Name (आधिकारिक नाम):ASHOK KUMAR

User Name (यूज़र नेम):60417

श्री आनन्द सिंह दांगी: धन्यवाद स्पीकर सर, महम काण्ड के बारे में जो मुद्दा माननीय साथी ने यहां सदन में रखा । वह आज से 26 साल पुरानी वर्ष 1990 की बात है । वह एक ऐसी घटना घटी थी जिसने देश और प्रदेश की राजनीति को हिला कर रख दिया था। हिन्दुस्तान के अन्दर प्रजातंत्र है, डिक्टेटरशिप नहीं है । हर व्यक्ति को अपना वोट का अधिकार, इलैक्शन लड़ने का अधिकार है। इन अधिकारों को जोर जबरदस्ती से कोई छीन नहीं सकता । उस समय महम के अन्दर यही हुआ, वहाँ पर किसी वोटर को अपने वोट डालने नहीं दिया गया। किसी

एक भाई ने इलैक्शन लड़ने की कोशिश की तो उसके खिलाफ अनेकों–अनेकों मुकदमें दायर किये गये । मैं इस बारे में ज्यादा लम्बी बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि यह बहुत पुरानी बात है और यह इतिहास घण्टों में बताने का है । उस समय वहां पर जो कुछ घटना हुई उसके चलते विधान सभा का छः महीने में तीन बार इलैक्शन हुआ । एक बार बूथ कैपचरिंग और रैगिंग की वजह से इलैक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया ने वहां के इलैक्शन को काउंटर मैंड कर दिया । दूसरी बार एक इण्डिपैंडंट कंडीडेट का मर्डर होने की वजह से इलैक्शन काउंटर माउंड हुआ लेकिन उसके बाद जो मेन प्रतिद्वंदी थे वे इलैक्शन छोड़कर चले गये । अध्यक्ष महोदय, उसके बाद जनरल इलैक्शन हुए थे । उस इलैक्शन में बूथों पर 15 आदमियों का मर्डर किया गया । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, ये झूठी और निराधार बात कर रहे हैं । हाउस के अंदर कोई भी आदमी निराधार बात नहीं कर सकता । जो हुआ ही नही उसके बारे में ये कैसे कह देंगे कि यह हुआ वह हुआ । वहां पर क्या हुआ इसकी जांच हो चुकी है । जो बात खत्म हो चुकी है उससे आपका कोई वास्ता नहीं है । अध्यक्ष महोदय, आप ऐसे आदमी को कैसे बोलने के लिए समय दे रहे हैं । ये कैसे हाउस में झूठी और निराधार बात कर सकते हैं । कांग्रेस के समय में इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता था । इनको किसी कीमत पर बोलने के लिए अलाउ न किया जाए । अध्यक्ष महोदय, इस आदमी को इस तरह की बात न करने दी जाए ।

श्री आनन्द सिंह दांगीः अध्यक्ष महोदय, उस केस में कमिश्नर ने इन्कवायरी की है और उसने सारी बातें क्लीयर की हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आनन्द सिंह दांगी जी, यहां कानून और व्यवस्था पर बात चल रही है इसलिए आप उसी पर ही बोलें । 30 साल पुराने विषय को अब आप छोड़ दें । (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय कांग्रेस के सदस्य ने जो बात कही है उस पर माननीय नेता प्रतिपक्ष ने आपत्ति करते हुए कहा है कि यह तथ्यविहीन बात है और यह 26 साल पुरानी बात है । जिस समय की ये बात कर रहे हैं उसके बाद बहुत सी सरकारें इस प्रदेश में आई और इन्कवायरियां भी हुई होंगी । जब 15 आदमियों का मर्डर हुआ था उसके

बाद 10 साल तक ये भी सरकार में थे और इन्होंने भी जांचें करवाई होंगी । स्वाभाविक है कि हाउस में ये बात भी आई होगी और इन्होंने अपने कार्यकाल में जांच भी करा ली होगी तो उस जांच का कोई तो रिकार्ड इनके पास होगा, क्या ये वह रिकार्ड यहां ला सकते हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, इनके पास झूठ के सिवाय कुछ नहीं है । इन्होंने 10 साल तक प्रदेश को लूटने का काम किया है । मुख्यमंत्री जी, मैं एक बात आपके नोटिस में जरूर ला देना चाहूंगा कि यह वह व्यक्ति है जिसने लोगों की जमीनों को हड़पने का काम किया था । ये भजन लाल गवर्नमैंट में रिवैन्यू मिनिस्टर थे उस वक्त पाकिस्तान से जो लोग आए थे और उनको जो जमीनें अलॉट हुई थी ये वे जमीनें हड़प गए थे और ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में इनके खिलाफ मुकद्दमा दर्ज हुआ था इसलिए इनको पीड़ा इस बात की है। महम में क्या हुआ इनको उसकी पीड़ा नहीं है । भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने सुप्रीम कोर्ट से उस केस को विद्ड्रा कर लिया और उसका फैसला नहीं करवाया । अध्यक्ष महोदय, उस केस की दोबारा इन्कवायरी करवाई जाए ताकि सारी सच्चाई सामने आ जाए । इन्होंने गरीब लोगों का खून चूसने का काम किया है और ये झूठ बोलकर ये दिखाना चाहते हैं कि हम कहीं न कहीं हाउस में आकर बैठे हैं । अध्यक्ष महोदय, आप ऐसे व्यक्ति को बोलने के लिए बिल्कुल भी समय न दें ।(शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, सदन में लॉ एण्ड आर्डर पर चर्चा चल रही थी और मुख्यमंत्री जी उसका जवाब दे चुके हैं और सभी सिग्नेट्रीज इस पर बोल चुके हैं । आज माननीय सदस्यों का वेतन भत्ता बिल भी आना है इसलिए अब इस विषय का समापन कर दें।

श्री अध्यक्ष: दांगी जी, आपने लॉ एण्ड आर्डर पर जो कहना है वह कहें ।

श्री आनन्द सिंह दांगी: अध्यक्ष महोदय, मैं इन्कवायरी की बात कर रहा हूं (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरे ख्याल से इस विषय पर इसी सदन में 100 घंटे से ज्यादा बहस हो चुकी होगी । (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, इस केस में सुप्रीम कोर्ट के जज ने सी.बी. आई. की असिसटैंस से इन्क्वायरी की थी जिसमें ओम प्रकाश चौटाला और उसका

बेटा तथा उसके आदमी दोषी पाये गये थे। मैं उस इन्क्वायरी की रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत करूंगा । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ये लोग सिवाय झूठ के कुछ नहीं बोल रहे । (शोर एवं व्यवधान) मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सी.बी.आई. ने महम काण्ड की इन्क्वायरी की थी उसमें सी.बी.आई. ने क्या कहा ? उसका जवाब मुख्यमंत्री जी जरूर दें ताकि इन लोगों की तसल्ली हो सके । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप सभी बैठें । अब बलवान सिंह जी अपना सवाल पूछेंगे । बलवान सिंह जी आप एक मिनट में अपना सवाल पूछें ।

श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका धन्यवाद । कानून व्यवस्था पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने पूरे हरियाणा का चित्र प्रस्तुत किया । मैं भी अपने आपको उनकी भावनाओं से जोड़ते हुए उन बातों को रिपीट नहीं करना चाहता । मैं तो ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरू से इतनी प्रार्थना करता हूं कि वे सरकार को सदबुद्धी दे ताकि सरकार अपने विवेक से काम ले और सरकारी अधिकारियों द्वारा दिए गए आंकड़ों पर आंख मूंदकर विश्वास न करे । प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार अपने चैनलों से भी जानकारी ले। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले यानि आगे ऐसे कांड न हों जो पीछे हो गये हैं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को ऐसे काण्ड न देखने पड़ें । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात कहने के लिए एक मिनट का समय और दिया जाये । जो बात मैं कहने जा रहा हूं वह इससे संबंधित नहीं है लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि संतोष सारवान जी के नेतृत्व में हमारी विधान सीाा की एक कमेटी राजस्थान के टूर पर गई थी । वहां एक घटनाक्रम हुआ, अगर यह बात मैं यहां पर नहीं कहूंगा तो न्यायसंगत बात नहीं होगी । राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष बड़ी उच्च कोटि के विद्वान हैं । उन्होंने अपने आफिस में हमें चाय–पानी पिलाया । उस दौरान वहां राजस्थान और हरियाणा के विकास की बात भी की गई। वहां पर बात आई कि हरियाणा के विधायकों को निधि कोष कितने रुपये मिलता है ? मैंने कहा कि सर हमें तो निधि कोष मिलता ही नहीं । राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष ने कहा फिर कौन पैसे देता है ? मैंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े दयालु हैं वे ही पैसे देते हैं । फिर उन्होंने कहा कि आपके

विधायकों का क्या काम है ? इस पर मैंने कहा कि सर हम निगरानी करते हैं कि वह पैसा किसी व्यक्ति विशेष की जेब में न जाये।

श्री अध्यक्ष : यह बात वर्ष 2000 में मैं सुनाता था ओर वही बात आज बलवान सिंह जी आप सुना रहे हो ।

श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया : अध्यक्ष महोदय, उसके बाद उन्होंने कहा कि बाकी जो दूसरे फंड हैं वे कौन देता है ? इस पर मैंने कहा कि वे भी मुख्यमंत्री जी ही देते हैं तो उन्होंने कहा कि आपके वित्तमंत्री जी क्या करते हैं ? इस तरह से मैं बड़ा अनकंफर्टेबल हो गया । उसके बाद यहां आकर मैंने 1996 से लेकर 2005 तक की विधान सभा की कार्यवाही देखी कि विधायक निधि कोष का मुद्दा किन–किन विधायको ने सबसे ज्यादा उठाया । यह मुद्दा विज साहब ने भी उठाया और दूसरे विधायकों ने भी उठाया लेकिन 2000 से 2005 के दौनान यह मुद्दा अध्यक्ष महोदय आपने सबसे ज्यादा उठाया । आज आप इस महान सदन के अध्यक्ष हैं और सभी विधायकों के अधिकारों की रक्षा करना आपका परम धर्म है । बे–सहारों का सहारा देना आपका फर्ज बनता है । इसलिए अध्यक्ष जी, आप स्वर्ण जयंती समारोह पर विधायक निधि कोष के 5 करोड़ रुपये लागू करवायें ताकि विधायक भी अपने क्षेत्र में विकास का कार्य करवा सकें । मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो काम सरकार 8 करोड़ रुपये में करवायेगी वे कार्य विधायक साथी 5 करोड़ रुपये में करवा देंगे । धन्यवाद ।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जाकिर हुसैन जी ने जो तावडू की घटना की बात की है । इसमें मैं कहना चाहता हूं कि हम एस. आई.टी. बनायेंगे । अधिकारी का नाम स्वयं जाकिर जी बता दें उन्हीं अधिकारियों के नेतृत्व में हम एस.आई.टी. बना देंगे ।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि जिस भी अधिकारी को लगाना चाहें उसको स्वयं मुख्यमंत्री जी लगायें और अपनी निगरानी में इस घटनाक्रम की जांच करवायें ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें हम चाहते हैं कि एक प्रारम्भिक जांच होनी चाहिए और उसमें जो शंकाएं होंगी उनको बाद में आगे देखेंगे । हम आई.जी. लैवल या ए.डी.जी. लैवल के अधिकारी की अध्यक्षता में एस.आई.टी. बनायेंगे।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी किसी की भी अध्यक्षता में एस.आई.टी. बनायें । इसमें जो गिरफ्तारी हुई है उसके साथ–साथ सारे मामले की जांच करवायें । मैं फिर से अर्ज करूंगा कि इसकी अगर सी.बी.आई. या ज्यूडिशियल इन्क्वायरी करवायेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इसमें कम्पनसैसन का विषय है मेरी मोहमद आकिल से स्वयं बात हुई है । उन्होंने कहा है कि हम 3 लाख रुपये दे सकते हैं । इस तरह की पेमैंट हम रैड–क्रॉस आदि से करवाते हैं । यह सरकार का निर्णय होता है जो हमने करवाया है । फिर भी जो विक्टिम कम्पनसैसन का फंड है उसमें मर्डर और रेप के लिए अलग–अलग राशि तय है । उसकी अपनी एक प्रक्रिया है । वह प्रक्रिया पूरी करके जो भी अधिकतर होगा उस परिवार को पूरी राशि दिलवाई जायेगी । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप सभी कृपया करके शांति से बैठें और श्री केहर सिंह जी को अपनी बात कहने दें। केहर सिंह जी, अब आप बोलें।

श्री केहर सिंह : स्पीकर सर, कानून व्यवस्था के ऊपर जो कालिंग अटैशन मोशन चर्चा के लिए आज हाऊस में आया है उसके ऊपर आपने मुझे बोलने के लिए जो समय दिया, सबसे पहले तो इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। सर, पूरे प्रदेश में पलवल जिले में और हथीन क्षेत्र में कानून व्यवस्था का बहुत ही बुरा हाल है। यह पांच महीने पहले की ही बात है जिस दीपक नाम के लड़के की मौत हुई है । उसके साथ और उसके परिवार के सदस्यों के साथ झगड़ा हुआ। उस झगड़े की एफ.आई.आर. दर्ज़ हुई। इस सम्बन्ध में इलाके के सभी सम्मानित लोग एस.पी., पलवल के पास गये और डी.सी., पलवल से भी मिले लेकिन इसके बावजूद भी उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। हमने कहा कि यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है अगर पुलिस ने इस घटना पर प्रॉपर एक्शन नहीं लिया तो सम्बंधित लोग भविष्य में किसी बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : केहर सिंह जी, आप अपना सवाल पूछे । आपने तो भाषण देना शुरू कर दिया है। आप यह पूछें कि इस मामले में क्या कार्यवाही हुई है ।

श्री केहर सिंह : स्पीकर सर, यह बड़ा गांव का मामला है और सदर थाना, पलवल में एफ.आई.आर. नम्बर 330 दर्ज़ है। इस मामले में दीपक नाम के लड़के को घर के अंदर जाकर मारा है। इस मामले में आज तक भी किसी भी अभियुक्त की

गिरफ्तारी नहीं हुई है। नम्बर दो कलवाका गांव में हरिजन परिवार की एक नाबालिग लड़की को अगवा किया गया । इस मामले में जो एफ.आई.आर. दर्ज़ की गई है उसका नम्बर 0026 है। महिला थाना, पलवल में यह रिपोर्ट दर्ज़ है। आज तक इस मामले में न तो किसी की गिरफ्तारी हुई है और न ही लड़की ही बरामद हुई है । यह 04 मार्च, 2016 का मामला है। 12 मार्च, 2016 को इस मामले में एफ.आई.आर. दर्ज़ की गई। आज तक प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए नहीं गया है। यह बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि आज तक भी इस पीड़ित परिवार की बेटी घर वापिस नहीं आई है। (विघ्न) सर, हमारे इलाके में आदरणीय चौधरी कल्याण सिंह जी का परिवार और इनैलो के पलवल से भूतपूर्व विधायक श्री सुभाष चौधरी का परिवार भी सुरक्षित नहीं है तो फिर आम आदमी की क्या दशा होगी इसका अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : केहर सिंह जी, इस बारे में तो पहले ही जवाब दिया जा चुका है। विपक्ष के नेता द्वारा इस मामले को उठाया गया था और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उसका जवाब दे दिया गया है। इसलिए आप इस विषय को दोबारा उठाकर सदन का समय बर्बाद करने की कोशिश न करें।

श्री केहर सिंह : स्पीकर सर, पलवल शहर, होडल शहर और हथीन शहर में पिछले काफी दिनों से गऊओं की तस्करी का काम हो रहा है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : केहर सिंह जी, इस विषय पर सदन में पूरे तीन घंटे तक चर्चा हो चुकी है। इसलिए इस विषय को भी आप अब न उठायें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री केहर सिंह : स्पीकर सर, वहां पर बी.जे.पी. के एक असरदार नेता द्वारा इन गऊओं की चोरी करवाई जा रही है। इसलिए यह भी कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ ही मामला है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : केहर सिंह जी, यहां पर जब किसी विषय विशेष पर चर्चा हो रही हो तो आपको उसी के बारे में अपने विचार व्यक्त करने चाहिएं। यह बात सही नहीं है कि आप सभी विषयों को एक साथ यहां पर उठायें।

श्री केहर सिंह : स्पीकर सर, हमने नेताओं की जुबान से सुना था कि मंदिर में से भगवान चोरी होते हैं। इसी प्रकार से सी.एम. सिटी, करनाल के एक मंदिर से दान

पात्र चुरा लिये गये। इस घटना का जिक्र मैं यह स्पष्ट करने के लिए कर रहा हूं कि जब सी.एम. सिटी, करनाल में कानून व्यवस्था की ऐसी दशा है और अगर वहां पर आपराधिक ग्राफ बढ़ा है तो बाकी हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी बदतर होगी इसका अंदाज़ा सहज़ में ही लगाया जा सकता है। इसी प्रकार से मैं स्वयं से जुड़ी एक घटना सुनाना चाहता हूं । मैंने विधान सभा से मकान बनाने के लिए लोन लिया हुआ है। मैं सैक्टर 12, फरीदाबाद में अपना मकान बना रहा हूं । जब मैं चण्डीगढ़ में मीटिंग अटैंड करने के लिए आया हुआ था तो वहां पर जो सरिया रखा था उसकी चोरी हुई। अगर विधायकों और मंत्रियों के सामान चोरी हो रहे हैं तो फिर आम जनता की क्या हालत होगी यह भी आसानी से समझा जा सकता है। इससे आम जनता के ऊपर सरकार की छवि का क्या प्रभाव पड़ेगा। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरे अपने जिले और पूरे हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था की बहुत ही बुरी हालत है। सरकार को इस ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पूरे प्रदेश में ऐसी घटनायें हररोज़ घटती रहती हैं जिनकी एफ.आई.आर. भी दर्ज़ नहीं की जाती है। माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल के निवास स्थान के बराबर में ए.टी.एम. है उस ए.टी. एम. से दो बार चोरी हो चुकी है। पलवल में अपराध का इतना ग्राफ बढ़ चुका है कि सरेआम महिलाओं की चैनों को छीना जा रहा है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : केहर सिंह जी, आप सरकार से इस सम्बन्ध में केवल प्रश्न ही पूछ सकते हैं। इस प्रकार से भाषण देना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। अब आप बैठ जायें और परमिन्द्र सिंह ढुल जी को अपनी बात कहने दें।

श्री केहर सिंह : स्पीकर सर, ***

श्री अध्यक्ष : केहर सिंह जी, अब बिना परमिशन के बोल रहे हैं इसलिए इनके द्वारा बोला गया कोई भी शब्द रिकार्ड न किया जाये। परमिन्द्र सिंह ढुल जी, अब आप बोलें।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, श्री परमिन्द्र सिंह ढुल जी की बीबीपुर माईनर के बारे में मांग सिंचाई मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी पहले ही स्वीकार कर चुके हैं ।

श्री अध्यक्ष : शर्मा जी, ये तो दो ही प्रश्न पूछना चाहते हैं । परमिन्द्र जी, आप अपनी बात रखिये ।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल 2 प्रश्न पूछना चाहता हूं । पहला प्रश्न मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये जो जाट आरक्षण आंदोलन की जांच सी.बी.आई. से करवाना चाहते हैं उसमें इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच की जायेगी या केवल छः बिन्दुओं तक ही इस जांच को सीमित रखा

जायेगा क्योंकि इस आंदोलन की आग तो हांसी, जीन्द आदि जगह पर भी फैली हुई थी । इस मामले में झा आयोग की रिपोर्ट पर सी.बी.आई. जांच करवाने बारे प्रदेश में असमंजस की स्थिति है इसको स्पष्ट किया जाये । दूसरी बात यह है कि प्रकाश सिंह आयोग की दूसरी रिपोर्ट लेने से सरकार ने मना कर दिया है । इस बारे में एक चर्चा चल रही है कि प्रकाश सिंह समिति की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि स्टेट की जो एस.आई.टी. है वह कुछ और कह रही है तथा

***चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।**

केन्द्र की आई.बी. कुछ और कह रही है । प्रकाश सिंह समिति की रिपोर्ट में इस बारे में टिप्पणी की हुई है कि यह सारा मामला पूर्व–नियोजित नहीं था । मेरी इस बारे में प्रार्थना है कि जब मुख्यमंत्री जी अपना जवाब दें तो इन बिंदुओं पर प्रकाश डाल दें । इसके अतिरिक्त पुलिस की गुणवत्ता बारे भी कहा गया था कि हम पुलिस की गुणवत्ता बढ़ा रहे हैं । आज अगर हरियाणा पुलिस कर्मचारियों की तनख्वाह का चण्डीगढ़ और पंजाब पुलिस से तुलनात्मक अध्ययन करें तो वह बहुत कम है जबकि कार्य की प्रकृति एक ही है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनके वेतन में वृद्धि करने के लिए क्या कोई कदम उठायेगी ताकि वे अपना काम ठीक ढंग से कर सकें ?

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से लॉ एण्ड ऑर्डर पर दो–चार महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूं जो इसको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं अगर सरकार ठीक समझे तो उनके ऊपर अमल कर सकती है । मैं कहना चाहता हूं कि प्रकाश सिंह कमेटी का गठन करना सरकार की सबसे बड़ी भूल थी क्योंकि आप अपने अफसरों पर विश्वास न करके किसी दूसरे आदमी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर रहे हैं । ठीक है, प्रकाश सिंह जी अच्छे आदमी होंगे, मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता लेकिन जब हमारे हरियाणा में एक से एक अनुभवी तथा योग्य अधिकारी उपलब्ध हैं तो हमें यह काम किसी बाहर के अधिकारी को देने की

बजाय अपने अधिकारियों से करवाना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि क्या मुख्यमंत्री जी को इस बारे में मालूम है कि जो सी.एम. विन्डो खोली हुई है उस पर आज गुनहगार गुनाह करके बचाव के लिए स्वयं ही सी.एम. विन्डो पर दरख्वास्त लगा देते हैं । इससे अधिकारियों को परेशानी भी होती है । इस प्रकार से सी.एम. विन्डो का तमाशा बनाया हुआ है । मैं मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि सी.एम. विन्डो खुलने के बाद क्या कभी उन्होंने स्वयं इसकी वर्किंग का अवलोकन किया है कि उनमें कितनी झूठी दरख्वास्त हैं तथा कितनी दरख्वास्तों पर क्या कार्रवाई हुई है? कई बार तो ऐसी शिकायतें भी सुनने में आती हैं कि इनके अधिकारी या कार्यकर्ता पैसे लेकर इन शिकायतों को रफादफा भी करवा देते हैं तथा कई बार इन सी.एम. विन्डो की शिकायतों की आड़ में किसी का उत्पीड़न भी करते हैं ।

15:00 बजे

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, कुछ भी कह कर विषय को डायवर्ट करना एक तरह से हाउस को गुमराह करने वाली बात है तथा यह ठीक नहीं है । कल भी माननीय सदस्य ने एक विषय पर आरोप लगाया था अगर ये किसी स्पैसिफिक प्रमाण के साथ किसी विषय पर शिकायत देंगे तब तो कार्रवाई की जायेगी अन्यथा किसी भी विषय पर बिना प्रमाणों के कुछ भी बोल कर चले जाना मैं समझता हूं कि इस हाउस की परम्परा नहीं होनी चाहिए । इस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना बात किसी सदस्य को नहीं करनी चाहिए । इस तरह की बात जो करते हैं वह ठीक नहीं है ।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं कानून व्यवस्था के बारे में बताना चाहता हूं कि आज कानून व्यवस्था कैसे बिगड़ रही है । उसमें आज जो सबसे बड़ी समस्या है वह बेरोजगारी की है । आज नौजवानों को काम ही नहीं मिल रहा है । नौजवान बेरोजगार हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष : आप तो कानून व्यवस्था के बारे में कहना चाह रहे थे । इस तरह तो आप इसमें सारे कारण बता दोगे । इस तरह तो आप इसमें लिंग अनुपात भी बता दोगे ।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण बात सदन को बताना चाहता हूं कि हरियाणा के एक मंत्री ने ब्यान दिया है । पुलिस एक्ट चाहे हमारे कांग्रेस के शासन में बना था । मैंने मंत्री जी का ब्यान पढ़ा है जिसमें उन्होंने भी

यह कहा है कि पुलिस एक्ट में कुछ अमेंडमैंट्स की जरूरत है । आज जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है वह पुलिस एक्ट में आज के मौजूदा हालात के मुताबिक बिगड़ी हुई है क्योंकि कहीं कमिश्नरी सिस्टम है, कहीं एस.पी. बैठे हुए हैं । सीनियर ऑफिसर्ज की नजर रहती है कि गुड़गांव डयूटी लगे या फरीदाबाद लगे या किसी ऐसे मैट्रो पोलिटन सिटी में लगे । इसलिये सरकार हरियाणा पुलिस एक्ट के ऊपर गौर करे और इसमें कहीं कोई सुधार की जरूरत है तो उसमें जरूर करें । क्योंकि कानून व्यवस्था तो तभी सुधरेगी जब हमारा जो सिस्टम है वह इफैक्टिव तरीके से लोगों के विश्वास के मुताबिक चलेगा । इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि सरकार को आम लाईसैंस के ऊपर भी गौर करना चाहिए । क्योंकि कानून व्यवस्था बिगड़ने का यह भी एक कारण है कि आम लाईसैंसिज नहीं मिलते हैं । चाहे कोई नौकरी पाने के लिये लाईसैंस लेना चाहे, चाहे कोई अपनी सुरक्षा के लिये किसी हथियार का लाईसैंस लेना चाहे लेकिन उनको लाईसैंस नहीं मिलते हैं । क्या सरकार को पता है कि लाईसैंस न मिलने की वजह से आज पूरे हरियाणा में कितने नाजायज हथियार उपलब्ध हो रहे हैं क्योंकि हरियाणा चारों तरफ से बोर्डर स्टेट्स है, कहीं यू.पी. को टच करता है, कहीं राजस्थान को टच करता है कहीं दिल्ली को टच करता है इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि जो ये आम लाईसैंसिज हैं उनको बनाने में सरलता के नियम लागू करें जिससे बच्चों को रोजगार मिले और वह इधर–उधर की बात न करके अपनी नौकरी प्राप्त करें या अपनी सुरक्षा के लिये उस लाईसैंस का प्रयोग कर सकें । इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था बिगड़ने का एक ये भी कारण है कि हर शहर में जितने भी अच्छे–अच्छे घराने थे, पैसे वाले थे, चाहे वे बिल्डर्स हैं, चाहे वह फाईनैंस लॉटरीज का काम करते थे । आज हर शहर में 10 या 15 आदमी एक हफ्ते के अन्दर–अन्दर अपने सिस्टम को कह देते हैं कि मेरे पास तो न लेने को कुछ है और न देने को कुछ है, और फिर वह पूरे शहर में अपना धन्धा लगा देता है । कोई मंत्रियों के पास भाग रहा है। कोई पुलिस में भर्ती होने के लिये भागदौड़ कर रहा है इसलिये हर शहर में एक कमेटी जरूर बनाएं कि ये जो इकोनोमिक फैल्योर है जैसे कोई लॉटरी सिस्टम फेल हुआ तो वह पैसे लेकर भाग गया । उसके मकान पर कोई और कब्जा करता है । उसकी दुकान पर कोई और कब्जा करता है । वह अपने बच्चों को लेकर भाग जाता है । इस तरह घटनाएं हर शहर में हो रही हैं । यह भी कानून व्यवस्था बिगड़ने का एक बहुत बड़ा कारण है । तो सरकार इसमें

क्या सुधार करेगी जो इस तरह के लोग लोगों का पैसा लेकर भाग रहे हैं । पूरे हरियाणा में आज काम धन्धों की कमी की वजह से लोगों में भुखमरी और कंगाली बढ़ रही है । उसी की वजह से कानून व्यवस्था फेल हो रही है । क्या सरकार इस पर कोई विचार करेगी ।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से एक क्लैरीफिकेशन चाहता हूं कि उन्होंने जाट आरक्षण मामले के संबंध में जो सी.बी.आई. इन्कवायरी ऑर्डर की है । क्या उस इन्कवायरी में उस समय जो वकीलों पर हमला हुआ । उसके बाद होस्टल में पुलिस की विद्आऊट प्रमीशन के एन्ट्री हुई और वहां जो फाईरिंग हुई इन सभी घटनाओं को भी शामिल किया गया है क्योंकि वह एक रीजन है और उसका वह रीजन यहीं से शुरू होता है । मैं मुख्यमंत्री जी से यह क्लैरीफिकेशन चाहता हूं कि उस रीजन को भी इस इन्कवायरी में शामिल किया जाए । अब रही बात लॉ एण्ड ऑर्डर की आपका बहुत अच्छा नारा था "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ ।" क्या आज बेटियां बची हुई हैं ? हमारे विद्वान शिक्षा मंत्री श्री रामबिलास शर्मा जी यहां बैठे हैं । ये भी संज्ञान लेते होंगे ।

श्री अध्यक्ष : जगबीर जी, अब तो आप अपना सवाल पूछिये ।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, लड़कियों के साथ आत्म दुष्कर्म, गैंग रेप हुए जिससे उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या की है। यह इस तरह के संगीन मामले हैं । अगर आप इनको एवाईड करोगे तो फिर इस प्रदेश को कैसे बचाओगे ? आप इसको सुनना ही नहीं चाहते । मैं इसके बारे में सजैशन भी दूंगा लेकिन आपको सुनना तो पड़ेगा । जीन्द के अन्दर पटियाला चौंक पर सरेआम लड़की को उठाकर दुष्कर्म किया गया? गोहाना में आई.टी.आई. की छात्रा से दुष्कर्म किया गया और उसने भी जहर खाया । इसी तरह मुरथल में आठवीं की छात्रा से गैंग रेप हुआ । बणवासा गांव के स्कूल से दो लड़कियों को स्कूल से ही अगवा किया गया और उनके साथ दुष्कर्म हुआ गैंग रेप हुआ । गुड़गांव में यू.के.जी. की 6 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ । बल्लभगढ़ में 7 साल की लड़की के साथ रेप हुआ। अध्यक्ष महोदय, आपके नोटिस में यह बात तो जरूर होगी कि अभी जिला यमुनानगर के एक प्राईवेट कॉलेज के प्रिंसिपल ने छात्राओं को अश्लील एस.एम.एस. भेजने का कुकृत्य किया था। इसी प्रकार से जिला रोहतक के जे.आर. किसान होम्योपैथिक मैडीकल कॉलेज एंड हास्पिटल के एक प्रिंसिपल ने लड़कियों को

नाजायज तंग किया और बात यही पर आकर नहीं रूक जाती है, अध्यक्ष महोदय, दीनबंधू छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साईंस एंड टैक्नोलोजी के डिप्टी रजिस्ट्रार ने भी इसी तरह की छेड़छाड़ को अंजाम दिया था। (शोर एवं व्यवधान)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्रीः (श्री कृष्ण कुमार बेदी): अध्यक्ष महोदय, मलिक साहब तो इस तरह से बातें कर रहे हैं जैसेकि गोहाना में सब कुछ ठीक–ठाक है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, बेदी जी को पता होना चाहिए कि आज दलितों पर भी कितने अत्याचार हो रहे हैं लेकिन अफसोस बेदी जी इस मामले में सीरियस ही नहीं हैं(शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार बेदीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को पहले अपने घर के हालात का पता कर लेना चाहिए, उसके बाद ही दूसरों के बारे में बात करनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने यह तो कोई बात नहीं की? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः जगबीर जी, आप प्लीज, बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, अब मंत्री जी ने जो बात कही है उसका उत्तर तो देना ही पड़ेगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र गोहाना में सरे–आम मर्डर हो रहे है। अभी दो दिन पहले भी मर्डर हुआ था। इसी प्रकार एक दिन पहले सरेआम गोलियां चलाई गई। अध्यक्ष महोदय, आज क्राईम के क्षेत्र में गोहाना सबसे आगे चल रहा है और यहां पर जो मर्डर हुए उनकी एक लंबी लिस्ट बन चुकी है जो कहीं न कही कानून व व्यवस्था की लचर हालात को ही बयान कर रही है। गोहाना में चोरियों की तो भरमार हो चुकी है। बैंक डैकेती तो आम हो गई है। अध्यक्ष महोदय, एक दिन में चार जगह तीन ए.टी.एम. तोड़े गए तथा बैंक को लूटा गया। सैक्टर 23, सोनीपत में ए.टी.एम. को लूटा गया। केवल गोहाना ही नहीं बल्कि हमारे क्षेत्र के गांवों में भी कानून एवं व्यवस्था का बहुत बुरा हाल हो गया है। गांव लहराना, कुमासपुर, सेवली, जाखोली, बुसाना तथा बिद्दल में भी ए.टी.एम. को तोड़कर लूट लिया गया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः जगबीर जी, अब आप बैठिये। यदि आप इतना समय लेंगे तो फिर बाकी सदस्यों के बोलने के लिए समय ही नहीं बचेगा।(शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, जिन हालात का मैं जिक्र कर रहा हूँ वह ऐसे हालात है जिनको आज सदन में बयान करना बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, आज व्यापारी भी सुरक्षित नहीं हैं। उन पर सरेआम गोलिया चलाई गई हैं। (विघ्न)?

श्री अध्यक्षः मलिक साहब, आपको बोलते हुए बहुत समय हो गया है। आप प्लीज, बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बार–बार टोक रहे हैं इसका मतलब आप मुझे सुनना नहीं चाहते हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मलिक साहब, ऐसी बात नहीं है, सवाल सिर्फ यह है कि आप यदि संक्षेप में बात करेंगे तो दूसरे माननीय सदस्यों को भी बोलने का अवसर प्राप्त हो जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, यदि आप मुझे सुनना चाहते हैं तो फिर इस तरह के मामलों को सुलझाने संबंधी सजैशन भी सुन लो।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः ठीक है, आप सजैशन भी दे दो।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, हमारी बच्चियों पर जो बलात्कार, दुष्कर्म व छेड़छाड़ की घटनायें बढ़ रही है इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से एक निश्चित समयावधि में फैसले करके अपराधी को सजा दी जानी चाहिए। मैं सदन के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार कोई ऐसा कानून बनायेगी जिसके तहत बलात्कार, दुष्कर्म तथा छेड़छाड़ संबंधी मामलों को सीधे फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जायेगा और निश्चित समयावधि में उसका फैसला हो जायेगा। इस तरह के प्रावधान से क्राईम को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है।

श्री अध्यक्षः मलिक साहब, आपका मकसद प्रश्न पूछने का था जो आपने अब पूछ ही लिया है। अतः अब आप बैठिये।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से थोड़ा इंटरवीन करना चाहता हूँ। माननीय साथी ने एक घटना का जिक्र किया। मुझे लगा कि वह इस संबंध में कुछ तथ्य सामने लेकर आयेंगे और जिससे शायद सदन को लाभ

होगा। 18 तारीख को जिला रोहतक के एक बार में वकीलों के साथ में जिस झगड़े का जिक्र अभी इन्होंने किया है उससे संबंधित अभी तक की जो जानकारी और तथ्य पुलिस की जांच में सामने आये हैं उनके आधार पर पता चलता है कि इस झगड़े में दो ग्रुप थे। एक ग्रुप का नेतृत्व तथाकथित 35 बिरादरियों का मंच बनाकर जो व्यक्ति कर रहा था वह गिरफ्तार हो गया है और उस पर अब मुकदमा चल रहा है। वह व्यक्ति राहुज जैन था जोकि इंडियन यूथ कांग्रेस के जिला रोहतक शहर के वरिष्ठ नेता और प्रधान भी रहे है और वर्तमान में भी हैं। अध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ 12 के करीब वकील रोहतक कोर्ट में किसी मुद्दे को लेकर बैठे थे आज तक किसी को यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि वो किस मुददे पर बैठै थे। (शोर एवं व्यवधान) आदरणीय अध्यक्ष जी, जो पुलिस की जांच हुई है उसमें एक वीडियो सामने आई है जिससे पता चलता है कि राहुल जैन और सुदीप कलकल ग्रुप का भी कांग्रेस के साथ संबंध है। वीडियो में दोनों ग्रुप का आपस में झगड़ा दिखाया गया है और झगड़े के तुरन्त बाद जो वीडियो सैल्फी लेकर बनाई गई है उसमें दिखता है कि एक वकील के हाथ पर चोट लगी है जिससे खून बह रहा है और उसी समय उस वकील का एक मित्र फोन करता है कि क्या हो गया, ज्यादा चोट तो नहीं लगी है। वकील कहता है कि तू चिंता मत कर यह तो सब ड्रामा है तब मित्र कहता है चलो ठीक है नहीं तो आज ही बांस देते (बिछा देते) अध्यक्ष महोदय, मित्र कौन है? यह मित्र कांग्रेस के एक पूर्व विधायक का पी.ए. है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जो मैं सदन में बता रहा हूँ वह रिकॉर्ड की चीज है आज बाकायदा जांच होने के बाद मामला कोर्ट में चल रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगीः अध्यक्ष महोदय, कैप्टन साहब ने जो बातें कही हैं उनके संदर्भ में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जिसने ऐसा काम किया है वो भुगतेगा भी जरूर। कोई चाहे कितना छिप कर काम कर ले, भगवान से तो कुछ छिपाया नहीं जा सकता है? (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. पवन सैनीः अध्यक्ष महोदय, जैसे कर्म होंगे उनका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, दांगी साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि जो करेगा वह भुगतेगा। बिल्कुल ठीक बात है। अगर कोई इस जहां में जांच से बच जाता है, किसी अदालत को धोखा देकर बच जाता है वह अलग बात है लेकिन

परमात्मा की अदालत में सबको आना पड़ता है, वहां पर कुछ छिपाया नहीं जा सकता और जो किया है उसका बाकायदा भुगतान करना पड़ता है।

श्री अध्यक्षः दांगी जी भगवान तो देख रहा है, आप लोग भी तो देखो? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, इससे पहले की मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं सबसे पहला अपना प्रोटैस्ट लॉज करना चाहती हूँ। मैं दिल्ली विधान सभा की उपाध्यक्ष रही हूँ और मैने भी वहां पर सदन को चलाया है लेकिन जिस तरह से आज सदन की कार्यवाही को चलाया जा रहा उस तरह सदन की कार्यवाही को चलते हुए मैंने कभी नहीं देखा। दिल्ली विधान सभा में इस तरह से कार्यवाही को नहीं चलाया जाता। जब विपक्ष ने नेता ने अपनी बात रख ली थी तो उसके बाद आपने मुझे बोलने की इजाजत देनी चाहिए थी लेकिन आपने ऐसा नहीं किया? I protest on that. यह ठीक है कि उन्होंने लिखकर दिया हुआ था लेकिन मैंने भी तो लिखकर दिया हुआ था जिस पर तीन अन्य एम.एल.एज सिगनेटरी के रूप में थे। अध्यक्ष महोदय, प्रोटोकोल के तौर पर नेता प्रतिपक्ष के बोलने के बाद आपको बोलने के लिए मुझे समय देना चाहिए था।(विघ्न)

श्री अध्यक्षः ठीक है, मैडम। आज यदि ऐसा हुआ है तो किन्हीं कारणों की वजह से ऐसा संभव हुआ होगा लेकिन भविष्य में इस तरह की समस्या पेश नहीं आयेगी।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं, उनको तो आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा का समय नहीं देते और अन्य माननीय सदस्यों को पहले बोलने का समय देते हैं। यह विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम में नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं हमेश सकारात्मक सुझाव देती हूँ, फिर भी आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे?

श्री अध्यक्षः किरण जी, उस समय सदन का माहौल ठीक नहीं था।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, सदन का माहौल ठीक बनाने की जिम्मेदारी अध्यक्ष की होती है। अध्यक्ष महोदय, मुझे ज्यादा समय नहीं देने के कारण मैं ज्यादा लम्बी बातें नहीं कहूँगी। आज हम माननीय सदस्यगण सदन में कानून व्यवस्था पर चर्चा कर रहें हैं। अध्यक्ष महोदय, आज हम आंकड़ों में उलझ कर रह गए हैं लेकिन सच्चाई यह है कि हरियाणा प्रदेश में हर रोज रेप से संबंधित दो केस रजिस्टर्ड

होते हैं। अध्यक्ष महोदय, पुरानी बातों को छोड़कर हमें यह विचार करना चाहिए कि हम किस तरह इन अपराधों को रोकें। हरियाणा प्रदेश में जो कानून व्यवस्था चरमरा गई है उसे किस तरह से दुरूस्त किया जाये। अध्यक्ष महोदय, जब तक सच्चाई का सामना नहीं किया जायेगा तब तक हम उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। हरियाणा प्रदेश में हर 6 घंटे में महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज करवाती हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जीरो एफ.आई.आर. की बात स्वीकारी, यह बहुत अच्छा होता कि इस प्रकार की सहूलियत प्रदेश में होती। अध्यक्ष महोदय, लेकिन सच्चाई भी यह है कि जब एफ.आई.आर. दर्ज करवाने जाते हैं तो वास्तविकता यह है कि आधे से ज्यादा दर्ज नहीं होती। आज ही समाचार पत्र में यह खबर आई हुई कि पूरे देश में महिलाओं के प्रति शिकायत दर्ज मामलों में यू.पी. के बाद हरियाणा प्रदेश दूसरे नम्बर पर आता है। अध्यक्ष महोदय, यू.पी. की आबादी लगभग 20 करोड़ है और हरियाणा की आबादी मात्र 2.5 करोड़ है, इससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा प्रदेश में महिलाएं अपने आप को किस तरह से प्रताड़ित महसूस कर रही हैं।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज): अध्यक्ष महोदय, हमारे ही प्रदेश में इस प्रकार की एफ.आई.आर. दर्ज होती है, बाकी किसी राज्य में एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, यह महिलाओं के प्रति गंभीर बात है, माननीय मंत्री जी बीच में टीका टिप्पणी न करें क्योंकि मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ । (शोर एवं व्यवधान) यह बहुत बड़ा मामला है क्योंकि हर घर में माँ बेटी होती है। आज के दिन यदि माँ या बेटी किसी काम के लिए घर से बाहर जाने में अपने आपको असुरक्षित महसूस करती हैं तो यह हमारा दुर्भाग्य है। मैं किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रही हूँ। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 2016 को हमारे महेन्द्रगढ़ के बिहाली गांव की ढाणी में गोली चलाकर लड़की के अपहरण की कोशिश की गई और लड़की के माँ–बाप को घायल कर दिया, लेकिन आज तक दोषियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में गांव में पंचायत भी हुई लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय एक बात आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि घायलों का कोई भी उपचार नहीं हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि पहले घायलों के उपचार का दायित्व सरकार अपने ऊपर लें फिर अटेली बॉर्डर पर एक

पुलिस चौंकी स्थापित की जाये ताकि जो लोग ढाणियों में बेखौफ होकर वारदात कर रहे हैं उन पर काबू पाया जा सके। अध्यक्ष महोदय, दूसरी घटना भी वहीं की है । पिछले साल एक छोटी सी बच्ची के साथ दरिंदों ने रेप करने के बाद उसको मार दिया। पीड़ित बच्ची का पिता विकलांग था जो बाद में मर गया और माँ घर छोड़कर चली गई। अध्यक्ष महोदय, आज तक उस लड़की के केस में दोषियों को सजा नहीं हो पाई है, क्योंकि दोषियों को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग करती हूँ कि प्रदेश के मुखिया के नाते इस तरह से महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उनको जरूर देंखे। महिलाओं के साथ इस तरह की बातें होना अच्छा नहीं है । अध्यक्ष जी, मैं आपके जरिये से एक बात कहना चाहूंगी कि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा । मेरे पास अखबार की कटिंग हैं । होम सैक्रेटरी और डी. जी.पी. पर ह्युमन राइट्स कमीशन के द्वारा 50 हजार रूपये का फाइन किया गया है । मुझे बताइये कि ह्युमन राइट्स कमीशन को इन अधिकारियों पर फाईन लगाने की नौबत क्यों आई ? क्यों नहीं सरकार के द्वारा पुलिस पर कार्रवाई की जाती है? ऐसे अधिकारी सरकार को बदनाम करते हैं । अगर आप इन पर कार्रवाई नहीं करोगे तो इसी तरह की बातें होती रहेंगी । मेरे निर्वाचन क्षेत्र महेन्द्रगढ़ जिले के गांव धोलेड़ा में पिछले साल क्रशर पर 13 लोगों की मौत हुई है लेकिन वहां राजनीतिक संरक्षण के कारण कार्रवाई नहीं हो रही है । मैं किसी का नाम नहीं लूंगी लेकिन यह सत्य है कि रूलिंग पार्टी के सदस्य उन्हें संरक्षण दे रहे हैं । अब यह सरकार को देखना है कि अगर इस तरह के कामों में राजनीतिक लोग संरक्षण देने वाले लोगों को अगर किसी भी पद पर बिठाते हैं तो वह आपकी पार्टी के खिलाफ बात होगी । इसके अतिरिक्त मैं आपको पुलिस विभाग से संबंधित कुछ सुझाव देना चाहूंगी । पुलिस विभाग को हर महीने डिस्ट्रिक्ट–वाइज क्राइम रिपोर्ट अपनी वैबसाइट पर उपलब्ध करानी चाहिए । मैंने कल ही पुलिस विभाग की वैबसाइट खोली तो पाया कि इसमें अपडेटिंग नहीं हो रही है । अतः मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि पुलिस विभाग की वैबसाइट को अप–टू–डेट करवाएं। अगर वैबसाइट अप–टू–डेट होगी तो आपको पुलिस विभाग के ताजा आंकड़ें मिल सकेंगे और पता चल जाएगा कि किस जिले में क्या हो रहा है । एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि एन.सी.ई.आर.टी. की लेटेस्ट फिगर्ज़ अब तक अवेलेबल नहीं हैं । हमारे शासनकाल में ये जनवरी माह में ही अपडेट हो जाती थी । आपको इसे भी

पूरी तरह से कंपलीट करना चाहिए । एक तरफ तो सरकार हर विभाग का डैटा डिजिटल करने के प्रति गम्भीरता दिखाती है दूसरी तरफ सरकार की साइट्स पर डैटा अवेलेबल नहीं होता है । अगर डैटा अवेलेबल नहीं होगा तो आप उचित कार्यवाही नहीं कर पाएंगे । यह सत्य है कि आज भी लोग पोलिटिशियंज के पास एफ.आई.आर. करवाने की सिफारिश के लिए आते हैं । मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि आखिर लोग हमारे पास क्यों आते हैं कि हमारा फलां हो गया और आप फलां कर दो ? मैं कभी भी किसी आदमी की इस तरह की गलत बात के लिए सिफारिश नहीं करती हूं । लोगों का राजनीतिज्ञों के पास जाने का मुख्य कारण यह है कि वे पुलिस व्यवस्था के द्वारा प्रताड़ित होते हैं, उनकी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की जाती है । अगर सरकार जीरो एफ.आई.आर. सिस्टम को सही तरीके से लागू कर दे तो किसी भी आदमी को हमारे पास इस तरह के कामों के लिए नहीं आना पड़ेगा । लोग हमारे पास तब आते हैं जब उनको और कहीं भी समाधान नहीं मिलता है । आपने हर समय पोर्टल लागू किया है यह बहुत अच्छी बात है । पोर्टल से हमें पता चलना चाहिए कि आज कितनी एफ.आई.आर. दर्ज हुई हैं और जो एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई वे दर्ज क्यों नहीं हो सकी ? इसके साथ–साथ आपको इन पर कार्यवाही करनी चाहिए । हमें इसका सारा स्टेट्स पता होना चाहिए कि जो कंपलेंट की गई थी उस पर कार्यवाही का क्या स्टेट्स है । यह तभी होगा जब आप डैटा अपलोड करेंगे । अध्यक्ष जी, इसके अतिरिक्त मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगी कि कुरूक्षेत्र में पुलिस भर्ती में कई लड़कों ने दम तोड़ दिया । उस पर अधिकारियों ने कहा कि उन लड़कों ने ड्रग ले रखा था लेकिन आज तक हमे फॉरेंसिक लैब से इसकी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । ऐसे में हमें कैसे मालूम होगा कि ये लड़के किस वजह से मरे हैं । इसलिए आपको फॉरैंसिक लैब को स्ट्रैंग्थन करना चाहिए । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : किरण चौधरी जी, सरकार इन लैब्स को स्ट्रैंग्थन कर रही है और सरकार इनकी संख्या को भी 1 से बढ़ाकर 5 कर रही है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, अगर सरकार ऐसा कर रही हैं तो यह अच्छी बात है । इनको स्ट्रैंग्थन किये बगैर 2–2 महीने में रिपोटर्स आएंगी और आप जानते हो कि the criminals will get the liberty and they will be able to do whatever they want. I am not saying anything negative, I am only trying to bring out the reality. (Interruption) मैं तो जायज बात कह रही हूं मैं कोई

गलत बात तो कह नहीं रही हूं । जो सुनपेड का मामला हुआ था और उसमें जो दलित बच्चे मरे थे उनकी एफ.एस.एल. की रिपोर्ट अब तक नहीं आ पाई है । यह बात हमारे को साफ दर्शाता है कि आज तक उन बच्चों को न्याय नहीं मिला है । उनको न्याय कैसे मिलेगा जब तक कि रिपोर्ट ही आपको पूरी तरह से नहीं मिली है। इसी के साथ माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि हमने महिला थाने शुरू किये हैं। यह बहुत अच्छी बात है और इन थानों का फायदा भी आम जनता को होगा । अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं सदन को एक सुझाव देना चाहती हूं कि ये जो महिला थाने आपने बनाये हैं इनमें जो इन्वैस्टिंग विंग है उसको आप अलग से बनाईये क्योंकि जब कोई वी.आई.पी. डयूटी आती है तो सारे थाने के कर्मचारी उस वी.आई.पी. डयूटी में लग जाते हैं । उसका नतीजा यह होता है कि जो इन्वैस्टिंग विंग का काम होता है वह समय पर नहीं हो पाता । अगर इन्वैस्टिंग विंग को आप अलग रखेंगे तो वे इन्वैस्टिगेशन की कार्रवाई अच्छी तरह से कर पायेंगे । इन्वैस्टिंग विंग को आप पूरी सहूलियत दीजिए जो कर्मचारी इन्वैस्टिंग विंग में लगते हैं उनको सही ट्रेनिंग दीजिए ताकि वे सही तरीके से इन्वैस्टिगेशन कर सकें कि किस तरह से ऐवीडैंस उठाया जाता है और किस तरह से कार्रवाई की जाती है। वह अपना काम पूरा करने में सक्षम हों । अगर आप कल चले गये तो कोई न कोई साथ में आ जायेगा । यह सही बात है। इसके लिए नये ट्रेनिंग के मैथ्ड पुलिस के लिए हमें लेकर आने पड़ेंगे । क्योंकि it is a very decrepit kind of system we have पुलिस को अगर हम प्रताड़ते हैं तो उसके लिए हमें उनको एक माध्यम देना चाहिए जिससे कारण वे आगे भी कार्रवाई कर सकें । इसलिए उनकी टैक्नॉलाजी को अपडेट करना चाहिए ताकि वे अपडेटिड टैक्नॉलाजी से क्रिमिनल्ज को जल्दी एप्रिहैंड कर सकें । अध्यक्ष जी, यह बहुत अनिवार्य है और सरकार यह नहीं करेंगी तो फिर इस विषय पर हम सदन में चाहे कितना ही इस मुद्दे पर डिस्कशन कर लें और कितनी ही बात हम कर लें उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है । अन्त में मैं एक ही बात कहूंगी कि रेप का जो मामला है यह कोई हंसी मजाक का मामला नहीं है। This violates the very essence of a woman रेप जो है वह इतनी घिनौनी चीज है क्योंकि भगवान न करें कि जिसके साथ यह घटना घटती है वह जीते जी खत्म हो जाता है ।एक बार आदमी मर जाता है तो उसे फूंक दिया जाता है और वह दुनिया से चला जाता है । इस तरह के जो विक्टिम्ज हैं उनके साथ जो घटना होती है वह एक अलग बात है । इस तरह के मामले जब

थाने में आते हैं और वहां पर अगर एफ.आई.आर. दर्ज न हो तो उसके लिए जो पुलिस अधिकारी जिम्मेदार है चाहे कोई भी पुलिस अधिकारी हो चाहे वह एस.एच. ओ. लैवल का हो और चाहे कोई एस.पी. लैवल का हो और चाहे उससे ऊपर के लैवल का अधिकारी हो तो सरकार उस के खिलाफ तुरन्त कार्रवाई करें । जब तक उसके खिलाफ कार्रवाही नहीं होगी तब तक माताएं, बहनें और छोटी बेटियां इसी तरह से मरती रहेंगी । इसी तरह उनकी इज्जत का जनाजा उठता रहेगा ।

भूतपूर्व एम.एल.ए. का अभिनंदन

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, पूर्व एम.एल.ए. प्रो. छतरपाल सिंह जी वी.आई.पीज. गैलरी में मौजूद हैं । मैं पूरे सदन की तरफ से उनका अभिनन्दन करता हूं ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

श्रीमती लतिका शर्मा: अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले महीने कालका में एक ज्वैलरी शॉप में सामूहिक डकैती पड़ी और उस डकैती में एक 19 साल का लड़का मारा गया । हमारे पुलिस विभाग ने बड़ी सतर्कता से और कड़ी मेहनत के साथ यू.पी. और दिल्ली में जा जाकर दस दिन के अन्दर–अन्दर उन अपराधियों को पकड़ा ही नहीं बल्कि ज्वैलर्स का डकैती का सारा सामान भी वापिस करवाया जिसमें कम से कम दो किलो सोना और चॉदी था । इस काम के लिए पूरे हरियाणा की ज्वलर्स एसोसिएशन ने हरियाणा पुलिस और हरियाणा सरकार का धन्यवाद किया है । अभी कुछ दिन पहले हमारे डी.जी.पी. साहब ने नशे की लत में पड़े हुए लड़कों के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है क्योंकि मेरा कालका हल्का तीन तरफ से बद्दी और पंजाब से लगता है । डी.जी.पी. साहब ने कालका विधान सभा क्षेत्र की सभी पंचायतों और सामाजिक संगठनों को बुलाकर उनसे यह कहा कि नशे को छोड़ने के लिए वे सभी पुलिस का सहयोग करें । अगर कोई पुलिस कर्मचारी गलत है तो उसका पर्सनल नम्बर दें । यह एक बड़ी अच्छी शुरूआत है और उसके साथ हमारी सरकार ने हरियाणा पुलिस दिवस की शुरूआत की है उससे महिलाओं को बहुत प्रोत्साहन मिला है ।

श्री अध्यक्ष: कादियान साहब, आप एक मिनट में अपनी बात कहिये ।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः स्पीकर सर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा । इस कालिंग अटैंशन मोशन पर पहले ही सदन में काफी चर्चा हो चुकी है । इसमें किसी सरकार का विजिन और उसकी गुड गवर्नैंस उसके विजिन और उसकी पॉलिसी पर डिपैंड करती है और उसकी इम्पलीमैंटेशन पर । माननीय मुख्यमंत्री जी आप पॉलिसी बनाईये । इम्पलीमैंटेशन अथॉरिटी में लॉ एण्ड आर्डर, डी.जी.पी. और होम डिपार्टमैंट आता है । आप पोलिसी कुछ भी बनाएं लेकिन इसमें इंटरफियरैंस जीरो कर दें तो यह काम सक्सैसफुल हो जाएगा । अध्यक्ष महोदय, सरकार की लिमिटेशंज हो सकती हैं लेकिन इम्पलीमैंटेशन अथॉरिटी में डी.जी.पी. कम्पीटैंट अथॉरिटी है इसलिए उनको आप फ्री कर दें । दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि इम्पलीमैंटेशन के लिए रिवार्ड और पनिशमैंट की थ्योरी अपनाई जाए । बहादुर आदमी को रिवार्ड दिया जाए और गलत आदमी को पनिश किया जाए । अध्यक्ष महोदय, इन्क्रोचमैंट के लिए, चाहे मीटर लगवाने के लिए या क्रिमिनल को पकड़ने के लिए जहां भी पुलिस जाती है वहां पिटती है और हम यह बात रोज अखबारों में पढ़ते हैं इसलिए उनका मोरल अप करने के लिए उनको पंजाब के बराबर पे स्केल दिया जाए । इससे उनका मोरल बढ़ेगा और लॉ एण्ड आर्डर भी ठीक रहेगा। अध्यक्ष महोदय, पहले राजा अपने राज को देखने के लिए रात को साधू बन कर जाया करते थे । मुख्यमंत्री जी, आप अम्बाला से नारनौल तक साधू बन कर चले जाएं। पांच परसैंट लोग भी यह कह दें कि बी.जे.पी. की सरकार अच्छी है तो मैं ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस कहता हूं कि मैं रिजाइन करके घर बैठ जाऊंगा । (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, इनको वर्डिक्ट देने का अधिकार किसने दिया है । ये पहले इस्तीफा तो दें उसके बाद मैं जाता हूं तथा वहां से आकर जरूरत पड़ी तो इनका इस्तीफा वापिस कर दूंगा इसलिए पहले ये रिजाइन दें तो सही । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनीष ग्रोवरः अध्यक्ष महोदय, इनसे आज रिजाइन लिखवा लिया जाए और हम इनके साथ लोगों के बीच में चले जाएंगे । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः यह बात तो 5 साल बाद पता चलती है चाहे वह इनकी सरकार हो या किसी की भी हो । (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मैं आज अपना रिजाईन अपनी कंसैंट से कंडीशन के साथ आपको लिखकर देता हूं । अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी पर विश्वास करता हूं । ये अम्बाला से नारनौल तक कहीं भी साधू बनकर चले जाएं और मैं गाड़ी अपनी दे दूंगा । ये लोगों से पूछें और यदि 5 परसैंट भी लोग कह दें कि हम बी.जी.पे. सरकार से खुश हैं तो मैं रिजाइन कर दूंगा ।(शोर एवं व्यवधान)

श्री मनीष ग्रोवरः अध्यक्ष महोदय, इनकी चुनौती को स्वीकार करते हुए इनसे रिजाइन ले लिया जाए । (शोर एवं व्यवधान)

वित मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): अध्यक्ष महोदय, ये 2005–06 में यह काम कर लेते या फिर 2010 में कर लेते तो हरियाणा का बहुत भला हो जाता । (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, आप डॉ. कादियान की डॉक्टर की डिग्री से प्रभावित मत होना क्योंकि he is not doctor from PGI but he is doctor from Agriculture University अध्यक्ष महोदय, ये जानवरों के डॉक्टर हैं इसलिए इनकी बात पर विश्वास न करें । (शोर एवं व्यवधान)

डॉ.रघुवीर सिंह कादियानः शर्मा जी, आप तो नाम से प्रोफैसर हैं जबकि मैं 17 साल यूनीवर्सिटी में पढ़ा चुका हूं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री नसीम अहमदः अध्यक्ष महोदय, डिंगरेहड़ी में जो दुखदाई घटना हुई है उसके लिए यह कालिंग अटैंशन मोशन दिया गया है और इस पर आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूं । लेकिन जनाब आज सदन इस मामले पर एकमत नहीं है यह बड़ी दुखदायी बात है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अर्ज करना चाहूंगा कि जो दंपत्ति मरें हैं उनका एक 18–19 साल का बेटा है उसको सरकारी नौकरी दी जाये और आर्थिक सहयोग किया जाये । जैसा कि पहले चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और जाकिर हुसैन जी ने मांग की थी कि उनको 30 लाख से ज्यादा का मुआवजा दिया जाये । अध्यक्ष महोदय, मेवात में आज हालात ऐसे पैदा हो गए वहां पूरी तरह से पुलिस निष्क्रिय है । वहां पर पुलिस को सक्रिय करने के लिए मैं मुख्यमंत्री जी से दरखास्त करता हूं । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के साथी तो ड्रामा कर रहे हैं इनकी तरफ आप क्यों ध्यान दे रहे हो । अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि आज जो मेवात के हालात हैं वे बहुत खराब हैं । जैसा कि माननीय

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज प्रदेश के अंदर खनन बिलकुल बंद है । लेकिन मेरा क्षेत्र राजस्थान बार्डर से टच होता है और वहां पर गाड़ियों के लिए कोई रास्ता नहीं है । वहां पर एक बांध है जिसमें पानी भरा हुआ है । उस बांध के अंदर से अवैध रास्ता बनाया हुआ है । मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ आरोप लगा रहा हूं कि वहां पर एक हजार रुपये प्रति गाड़ी उगहाई जो बी.जे.पी. का कंडीडेट था उसके द्वारा की जा रही है । मेरे पास वहां के फोटो भी हैं तथा दूसरे सबूत भी हैं यदि आप चाहो तो मैं ये सदन के पटल पर भी रख सकता हूं । पुलिस को कई बार इसको रोकने के लिए कहा गया और एफ.आई.आर. भी दर्ज हो गई लेकिन आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई । इस बारे में गांव वालों ने मुख्यमंत्री विंडो में भी शिकायत डाली हुई है लेकिन गांव वालों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है । वहां पर बहुत तनाव बना हुआ है और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि उस अवैध रास्ते को तुरंत बंद करवाया जाये । उस बांध में पानी भरा हुआ है यदि वह बांध टूट गया तो लाखों लोगों को करोड़ो रुपये का नुकसान हो जायेगा । उसमें जो अवैध वसूली एक हजार रुपये प्रति डम्फर से की जा रही है और दो हजार डम्फर वहां से रोज निकलते हैं । इससे आप अंदाजा लगा लें कि उस बी.जे.पी. नेता की जेब में रोज कितना पैसा जा रहा है ? आलम उर्फ मुण्डल जो बी.जे.पी. का कंडीडेट था उसकी जेब में यह पैसा जा रहा है और पुलिस की उसके साथ मिलीभगत है । मेरे पास इस बात के पूरे सबूत हैं और कोर्ट ने इस मामले में स्टे भी लगा रखा है । वह सिंचाई विभाग का बांध है और मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं । सिंचाई विभाग ने वहां बांध के अंदर जो रोड़ बना रखा है उसके उपर एफ.आई.आर. भी दर्ज करवा रखी है । कोर्ट का स्टे होने के बावजूद भी रास्ता चलाने का काम किया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष : नसीम जी, अब आप बैठिए ।

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, जो गांव सिरसवास वाला रास्ता राजस्थान के पहाड़ी तहसील की मैसर्ज ओरिएन्टल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्ज प्राईवेट लिमिटेड व अवैध खान माफियाओं द्वारा बांध को काटकर रास्ता बनाया गया है उसको रोकने के बारे श्रीमान मान उपमंडल अधिकारी (ना0) फिरोजपुर झिरका को ऐप्लीकेशन दी गयी है एवं पुलिस विभाग ने संख्या 0551 दिनांक 10.10.2015 द्वारा एफ.आई.आर.भी दर्ज करवायी गयी है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि सरकार इस बारे में कार्रवाई करे।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, अब आप बैठे ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने काफी प्रश्न भी किए हैं और सुझाव देने के साथ–साथ फैक्ट्स भी रखे हैं । माननीय सदस्यों द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं और फैक्ट्स रखे गए हैं उन पर संज्ञान अवश्य लिया जायेगा। आज बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई है । सदन की इस भावना से मैं सहमत हूँ कि जो

भी कुछ लॉ एंड आर्डर की स्थिति को लेकर हो रहा है उसको आगे ठीक कैसे किया जाये और अपराध की जो घटनाएं हैं ये किस प्रकार से कम हों। पूरे सदन की चर्चा का महत्व इसी में से निकलकर आता है । अध्यक्ष महोदय, जगबीर मलिक जी और केहर सिंह जी ने जो विषय रखे और जिन अपराधों का जिक्र किया है उसकी सूची वे मुझे दे देंगे तो अवश्य उन पर कार्यवाही करवायेंगे । परमिन्द्र सिंह ढुल जी ने प्रकाश सिंह कमेटी पर जो रिपोर्ट की बात कही है वह बात मैंने स्पष्ट कर दी है कि उसकी जो पहले रिपोर्ट आई थी उसके दो पार्ट थे । उसमें से एक पार्ट पब्लिक कर दिया गया है और दूसरा पार्ट गोपनीय है जो सरकार के लिए है। इसके अलावा उसमें और कोई रिपोर्ट बाकी नहीं है । इसके अतिरिक्त पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए हम कदम उठा रहे हैं । इसके अलावा दूसरे जो सुझाव आयेंगे उनको भी हम मान्य करेंगे । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है उसको हम ध्यान में रखेंगे । (विघ्न)

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि हमारे विधान सभा के कर्मचारियों की तनख्वाह पंजाब विधान सभा के कर्मचारियों से कम है इसलिए कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने बारे सदन की कमेटी बना दी जाये ।

श्री अध्यक्ष : परमेन्द्र जी, अब आप बैठ जायें और मुख्यमंत्री जी को जवाब देने दें।

श्री मनोहर लाल : स्पीकर सर, मैं सभी माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि उन्होंने जो भी सुझाव दिए हैं वे सभी हमारे ध्यान में हैं। हमारी सरकार ने पुलिस प्रशासन में सुधार करने के सम्बन्ध में भी बहुत कुछ किया है। मैं पूरे सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि पूरे देश में हरियाणा पहली ऐसी स्टेट है जिसने पुलिस विभाग के कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक छुट्टी देने की घोषणा की है। पूरे देश में पुलिस विभाग में साप्ताहिक छुट्टी नहीं दी जाती है बल्कि पुलिस वालों को 24x7 का इम्प्लॉई माना जाता है। हमने सबसे पहले एक दिन की छुट्टी का ऐलान किया हैं। बहुत जल्द ही हमारे पास सिपाहियों की भर्ती हो

जायेगी तो हम पुलिस विभाग के कर्मचारियों के लिए शिफ्टों में ड्यूटी का प्रावधान भी करने जा रहे हैं। हमने अपने पुलिस विभाग के कर्मचारियों के लिए बहुत सी घोषणायें की हैं। आप सभी ने हमें इस बारे में बहुत से अच्छे–अच्छे सुझाव दिए हैं। हम भविष्य में इस सम्बन्ध में घोषणायें करते समय आपके सभी सुझावों को भी ध्यान में रखेंगे। श्री करण सिंह दलाल जी ने भी पुलिस व्यवस्था में सुधार करने के लिए कुछ कदम उठाने की बात कही है। जो कानून की बात कही गई है । हम कानून के हिसाब से सभी कुछ ठीक करने की भरपूर कोशिश करेंगे। इस सम्बन्ध में जो हमारे कानून हैं वे पूर्ण रूप से पर्याप्त हैं और उनमें कोई कमी नहीं है। श्रीमती किरण चौधरी जी ने फ्री रजिस्ट्रेशन डैस्क की बात कही है अर्थात जो महिला थाने हैं उनमें हमने अभी रजिस्ट्रेशन डैस्क भी खोला है । इसके अलावा जो इंवैस्टीगेशन विंग है उसको अलग करने की बात विचाराधीन है। हम रजिस्ट्रेशन डैस्क को सबसे पहले अलग करने जा रहे हैं ताकि रजिस्ट्रेशन अलग हो जाये और जो उसका दूसरा भाग है वह अलग हो जाये। जहां तक इंवैस्टीगेशन विंग है उसको अलग करने की बात है जैसा कि मैंने पहले बताया कि यह मामला विचाराधीन है । इसमें भी हम विचार करेंगे कि कितना सम्भव है। सुनपेड़ की जो घटना यहां पर बताई गई है उसकी सी.बी.आई. जांच चल रही है। हमें उम्मीद है कि यह जांच बहुत जल्द ही पूर्ण हो जायेगी। लॉ एण्ड ऑर्डर में जो इंवैस्टीगेशन की बात यहां पर की गई है हम उसकी सोच को गम्भीरता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं।

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बिहालवी की घटना के बारे में भी जानना चाहूंगी कि इस मामले में क्या कार्यवाही हुई है?

श्री मनोहर लाल : स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि बिहावली की घटना की भी जांच चल रही है। इस घटना में जो घायल हुआ था उसका एम्स में ईलाज़ चल रहा है। स्पीकर सर, इसके अलावा भी जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए हैं हम उन सभी का भी स्वागत करेंगे। सभी घटनाओं में आगे की आवश्यक कार्यवाही नियम और कानूनों को ध्यान में रखते हुए की जायेगी। धन्यवाद।

(ii) भगत फूल सिहँ महिला मेडिकल कॉलेज, खानपुर कलां की दयनीय स्थिति बारे

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक द्वारा भगत फूल सिंह महिला मैडीकल कॉलेज, खानपुर कलां की दयनीय स्थिति बारे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 17 प्राप्त हुई है। मैंने उसको स्वीकार कर लिया है इसलिए अब श्री जगबीर सिंह मलिक अपनी ध्यानाकर्षण सूचना को पढ़ें।

Shri Jagbir Singh Malik: Speaker Sir, I want to draw the kind attention of this august House towards a matter of urgent and great public importance that the condition of Bhagat Phool Singh Mahila Medical College, Khanpur Kalan which was serving the patients of Sonipat, Jind, Panipat and Karnal districts and other States, including some area of U.P. Now the OPD of this Medical College has dropped from 3500 to 1500. It is due to resigning of several doctors i.e. three doctors from Radiology Department including HOD & two from Pediatrics including HOD and the sole Neuro Surgeon has also resigned, Anesthesia Doctor has also resigned. Now, three doctors from Anesthesia, two from Surgery and two from Medicine Department are very much likely to join Kalpna Chawla Medical College, Karnal. If these doctors leave this Medical College, no operation can be done without Neuro Surgeon. There is much lack of medicines and no ambulance of Medical College is available.

The serious patients are referred from various CHCs and PHCs and private doctors in this Medical College refer them to Pt. B.D. Sharma, Medical College, Rohtak and during this transit many patients die. The patients also die due to jerks in the road. Many roads leading to the Medical College are in worst condition. The future of MBBS students depends on the recognition of degrees and the degrees will be recognized if the teaching staff in Medical College is as per MCI norms.

Keeping in view, of the above said serious problem of the area and the MBBS students' future, the State Government should make a statement on the floor of the House that no doctor of this Medical

College will be given NOC for joining Kalpna Chawla Medical College, Karnal and vacant posts of doctors will be filled up soon before inspection of MCI and medicine and Ambulance facility will be provided and roads leading to this Medical College will be repaired. अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि 7 डॉक्टर वहां से रिजाइन कर चुके हैं और 7 डॉक्टर कल्पना चावला मैडिकल कॉलेज, करनाल में जाने वाले हैं । इस प्रकार से एक हैड ऑफ डिपार्टमैंट समेत डॉक्टरों के 14 पद खाली हो जायेंगे । इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वहां पर ओ.पी. डी. में मरीजों की संख्या घटती जा रही है ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, मलिक साहब, आपने अपनी बात कह दी है। अब मंत्री जी इसका जवाब दे देंगे ।

वक्तव्य–

स्वास्थ्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

Health Minister (Shri Anil Vij): Speaker Sir, Bhagat Phool Singh Govt. Medical College for Women, Khanpur Kalan, Sonepat is a leading health education institution of Haryana. It strives to motivate young girls to pursue prestigious and noble medical career, improving research attitude and skills in the staff and faculty members and providing the best affordable treatment option to the people of rural areas.

At present the Hospital is fully functional with Modular Operation Theatres, Intensive Care Units, Blood Bank, Central Laboratory, Respiratory Intensive Care Unit (RICU), Pediatrics Intensive Care Unit (PICU), facilities for X-ray, Ultrasonography, CT Scan, MRI, Mammography etc. the average number of OPD patients is between 2700 to 3000 per day. Major surgeries being performed at the College range between 450 to 500 per month. In addition, about 2000 minor surgeries are also being done every month. The bed occupancy in

the hospital is more than 95%. Hence, it is incorrect to say that the number of OPD patients in the Medical College has dropped from 3500 to 1500. In fact the number of OPD patients has increased from earlier 1500-2000 in the year 2011to about 2700 to 3000 per day.

At present four batches are pursuing medical education in this College. The first batch of MBBS doctors will pass out in the year 2016-17. While some faculty members have indeed resigned from the College, it is wrong to suggest that faculty strength has or is likely to fall below MCI norms. The current faculty position is as under:

Sr. No.	Designation	Total requirement as per MCI	Faculty available
1	Professors	19	18
2	Associate Professors	26	40
3	Assistant Professors	36	36
4	Senior Residents	24	37
5	Junior Residents	43	64
6	Demonstrators	23	31

It is also for the information of the house that the deficiency of a Neurosurgeon is not taken into account for by the MCI for approval/continuation. Clearly there is no need for anyone to imagine the College facing a risk of derecognition by MCI. Some faculty members have resigned and adequate steps are being taken by the Department to fill up the resultant vacancies.

The State Government has made all the efforts in addressing the persistent challenge of retaining the faculty in the College including through grant of rural area allowance @ Rs.20,000/- to all Post Graduate Doctors and Rs.8000/- to all MBBS doctors has been allowed to all the doctors as an incentive over and above the prescribed pay structure for

the respective posts. The cadre for all the staff including doctors working in the College and all other Government Medical Colleges including PGIMS, Rohtak is separate and no transfer is being allowed from one Government Medical College to another.

As far as honourable member's contention that no doctor of this Medical College should be given No Objection Certificate (NOC) for joining Kalpana Chawla, Govt. Medical College, Karnal, I would like to clarify that while the matter regarding issuance of NOC to these doctors was under consideration, some of the doctors approached the Hon'ble Punjab and Haryana High Court vide CWP No.13711 of 2016, CWP No. 14062 of 2016 and CWP No.15129 of 2016 in which Hon'ble High Court passed an interim order dated 08.07.2016 directing that NOC be issued to all the eligible applicants by the Director of the College and allowed them to appear in the interview with the condition not to declare the result of selection without the leave of the court.

NOCs have been issued to the applicant doctors by the Directors of the respective Medical Colleges in terms of the said interim order and the matter is still subjudice.

Further at present, there is no shortage of medicines/consumables of any kind in the Government Medical Colleges and Hospitals and the same are being provided free of costs to all the patients under Mukhya Mantri Muft Ilaz Yojana. As far as the availability of ambulance at the BPS Government Medical College, Khanpur Kalan is concerned, two ambulances are available in the College round the clock for use by patients.

Further-more, patients are being referred to other Tertiary Care Centers or Super Specialty Hospitals, like PGIMS, Rohtak; PGIMER, Chandigarh and AIIMS, New Delhi etc. from the College only for such specialized care for which facilities are not available in this College. The number of patients referred since January, 2016 taking into

consideration total number of patients in the College is only about 6-7%, which is well justified.

Regarding the condition of roads leading to the College, P.W.D. (B&R) Department has already been requested to look into the matter and to take appropriate and early action to repair the roads leading to this Medical College, wherever required. Speaker Sir, Hon'ble Member has raised an issue, through a Calling Attention Motion, based on false data and wrong information. Sir, this looks like their nefarious methods are to defame the Government and are to continue their false propaganda against the Government. The Member in his written statement has stated that the OPD of the medical college has dropped from 3500 to 1500. Sir, there is not an iota of truth in this. Speaker Sir, I have the data from the College. In the month of January the OPD was 1579, in the month of February it was 1893, in the month of March it was 2662, in the month of April it was 2961, in the month of May it was 2332, in the month of June it was 2562, in the month of July it was 2425 and in the month of August it was 2835. Speaker Sir, instead of declining the OPD, every month our OPD is increasing. Now, to put a question in the House on wrong information, is misleading the House and it is very clearly written in our Rules Book that giving wrong information in the House amounts to serious action against the Member. Speaker Sir, either he should withdraw this Calling Attention Motion or I will request you that some action must be initiated against such Member. (Interruption)

Shri Karan Singh Dalal : Speaker Sir, Minister is using threatening language (Interruption) He should not use threatening language.

Shri Anil Vij : Speaker Sir, I am not talking to him. Speaker Sir, I am trying to reply the answer to the question. Speaker Sir, the question of the Hon'ble Member was based on wrong information. Should I answer the wrong question? (Interruption) I am not talking to you, Mr. Karan Singh Dalal.

Shri Karan Singh Dalal : Speaker Sir, he is threatening. (Interruption) Speaker Sir, we want to bring a Privilege Motion against the Minister. He is misleading the House.

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, प्रिविलेज मोशन किसके खिलाफ आयेगा? जो गलत जानकारी देगा उसके खिलाफ ही आयेगा । श्री जगबीर मलिक ने गलत सूचना दी है, मंत्री जी ने यही बताया है कि उनके द्वारा दी गई सूचना गलत है ।

Shri Raghuvir Singh Kadian : Speaker Sir, Shri Anil Vij is threatening the Hon'ble Member.

Shri Anil Vij : Speaker Sir, I am not threatening. Speaker Sir, neither I am threatening anybody and nor, I have the intention to do so. Speaker Sir, now, dual Ex-Speakers are sitting on the same bench on which I used to sit in the previous plan. Two Ex-Speakers are sitting in the House. They should tell the House that whether any wrong information can be given in the House?

Shri Karan Singh Dalal : Speaker Sir, Shri Jagbir Singh Malik is supposed to correct it if any information is wrong. But the Hon'ble Minister should not use the threatening language.

Shri Anil Vij : Speaker Sir, as far as the resignation of doctors is concerned, this is an ongoing process. Doctors come and Doctors go. Our hospitals are not being affected.

Shri Kuldip Sharma : Speaker Sir, a Committee of the House is to be constituted to look into the facts and to look into the statement of the Minister so that the true facts can come before the House in the next meeting. Let the five Members of the House go to the medical college and find out the facts.

Shri Anil Vij : Speaker Sir, O.K., Ready. But then action will be initiated against either him or against me whosoever will be wrong.

Shri Kuldip Sharma : Hon'ble Speaker Sir, whether there is decline of a number of patients? If it is so,because there are no doctors, no paramedical staff. In that case, of course, we don't want to accuse anybody. But there has to be a fact finding mission. Let the five Members of the House go there and enquire into it and report to the House. (interruption)

Shri Anil Vij : I am prepared but whosoever will be wrong will have to face the action.

श्री अध्यक्ष : जगबीर सिंह जी, आपने अखबार की कटिंग पर ही अपना कालिंग अटैंशन मोशन दे दिया । आपने यूनिवर्सिटी में जाकर भी पता करना चाहिए था ।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैंने यूनिवर्सिटी में जाकर पता नहीं किया है । मैंने तो अखबार की कटिंग के आधार पर ही अपना कालिंग अटैंशन मोशन दिया है । विघ्न

Shri Karan Singh Dalal : Speaker Sir, a Committee of the House should be constituted in this House.

Shri Kuldip Sharma : Are you ready that a House Committee should be constituted?

Shri Anil Vij : It is for the Speaker. I am speaking with the authority but you are challenging me.

Shri Kuldip Sharma : Do you agree that a House Committee should be constituted?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैडीकल एजुकेशन और हैल्थ सर्विसिज के सम्बन्ध में पहले से ही कमेटी बनी हुई है इसलिये उसको दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है । विघ्न

Shri Anil Vij : Why should I agree to you? You are nobody to challenge me. Why should I agree to you that does not mean.

Shri Kuldip Sharma : By chance you have been elected as a Member of the House. (Interruption) But I am a Member of the House.

Shri Anil Vij : I am a Minister of the Department.

Shri Anil Vij : Speaker Sir, absolutely they are only trying to divert the issue and trying to save their Member. We are not working on newspapers. I have the official record. I am speaking in the House.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जगबीर सिंह मलिक ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी में जाकर कोई जानकारी नहीं ली है। उनकी जो जानकारी है वह केवल अखबार की कटिंग के आधार पर है । इसलिये जो अखबार में कटिंग आई है उन्ही के हिसाब से उन्होंने अपना कालिंग अटैंशन मोशन का नोटिस दिया है। (विघ्न)

Shri Karan Singh Dalal : Speaker Sir, a Committee should be constituted.

Shri Anil Vij : Why any Committee should be constituted when. I am saying with authority?

Shri Kuldip Sharma : Why are you shying to agree to constitute a House Committee?

Shri Anil Vij : I am not shying but I am shining. (Interruption) From where you have taken all this wrong information. I am not concerned at all. I am not concerned at all who gave you the data and from whom you gathered wrong data and on whose behalf you are misleading the House. Speaker Sir, you are the custodian of the House. He gave his data and in comparison to it I have also given my data in the House. You look into it and you will find that absolutely wrong information has been raised in the House. And the time of the House is being unnecessarily wasted by this Member. Speaker Sir, you are to look into it. But keeping in view the practice and rules of the business of the

House, I placed on the Table of the record my written reply and it should be treated as having read by me. (Interruption)

Shri Karan Singh Dalal : Speaker Sir, we are not satisfied with the reply. (Interruption)

सदन की मेज पर रखे गए कागज–पत्र

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब परिवहन मंत्री सदन के पटल पर कागज पत्र रखेंगें।

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित कागज पत्र सदन के पटल पर रखता हूँ:–

1. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619/क (3) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2013–2014 के लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड की 47वीं वार्षिक रिपोर्ट,

2. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619/क (3) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2014–2015 के लिए हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट,

3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबन्धों के अनुसरण में हरियाणा सरकार के वर्ष 2014–2015 के लिए शहरी स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं के लेखों पर स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हरियाणा की वार्षिक रिपोर्ट,

4. बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार विनियम संख्या एच.ई.आर.सी./33/2016, दिनांकित 25 मई, 2016 तथा विनियम संख्या एच.ई.आर.सी./34/2016, दिनांकित 11 जुलाई, 2016 के संबंध में सुरक्षा विनियमन, 2016 में निवेदन करने पर बिजली आपूर्ति के लिए शुल्क, आपूर्ति उपलब्ध करवाने में किए गए खर्च की वसूली की शक्ति तथा

अपेक्षित शक्ति के संबंध में हरियाणा बिजली विनियामक आयोग अधिसूचना तथा

5. बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 104 (4) तथा 105 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2014–2015 के लिए हरियाणा बिजली विनियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट।

विधान कार्य–

(i) दि हरियाणा मोटर व्हीकल्ज टैक्सेशन बिल, 2016

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब परिहवन मंत्री हरियाणा मोटर यान कराधान विधेयक, 2016 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस पर तुरन्त विचार किया जाए।

परिहवन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार): अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा मोटर यान कराधान विधेयक, 2016 प्रस्तुत करता हूँ तथा यह भी प्रस्ताव करता हूँ–

कि हरियाणा मोटर यान कराधान विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि हरियाणा मोटर यान कराधान विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि हरियाणा मोटर यान कराधान विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव पारित हुआ

श्री अध्यक्षः अब सदन बिल पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा।

क्लॉजिज 2 से 27

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि क्लॉजिज 2 से 27 बिल का पार्ट हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

शिड्यूल

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि शिड्यूल बिल का पार्ट हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

क्लॉज 1

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

इनैक्टिंग फॉर्मूला

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि इनैक्टिंग फॉर्मूला बिल का इनैक्टिंग फॉर्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

टाईटल

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि टाईटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्षः अब परिवहन मंत्री प्रस्ताव पेश करेंगे कि बिल पास किया जाए।

श्री कृष्ण लाल पंवारः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ–

कि बिल को पास किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि बिल को पास किया जाए।

श्री करण सिंह दलाल (पलवल): अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो बिल प्रस्तुत किया है, उसमें इन्होंने कहा है कि किसी भी तरह के वाहन के उपर हरियाणा में कोई भी

टैक्स इम्पोज किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, महंगाई की मार से पहले ही पूरा प्रदेश ग्रस्त है और अभी–अभी जी.एस.टी बिल को हरियाणा विधान सभा ने रैटीफाई किया है जिसके तहत लगने वाले बड़े–बड़े टैक्स आम आदमी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा बार्डरिंग स्टेट हैं और इस तरह यदि यहां पर टैक्स ज्यादा होंगे तो इसका फायदा दूसरे स्टेट लेने लग जायेंगे। जब जी.एस.टी. का एक कानून बन ही चुका है तो फिर इस तरह की संभावना नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा होगा तो एक तरफ तो जी.एस.टी में यूनियन गवर्नमैंट टैक्स लगायेगी और दूसरी तरफ स्टेट की तरफ से टैक्स लगाया जायेगा, जिसको किसी भी सूरत में ठीक नहीं माना जा सकता। (विघ्न)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी श्री करण सिंह दलाल को बताना चाहता हूँ कि वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) बिल के संशोधन में कुछ बातें सामने आई थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन में बताना चाहता हूँ कि वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) बिल का मतलब ही यही है कि अनेक प्रकार के टैक्सों को समाप्त करके केवल एक ही टैक्स लगाना। अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी श्री करण सिंह दलाल कहते हैं कि वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) बिल आने पर बड़े–बड़े टैक्स लगेंगे, उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो भी इस तरह की बात सदन में कहेंगे। वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) बिल आने पर सर्वविदित है और अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को भी पता है कि टैक्स की दर घटेगी। इस महान सदन में इतने बड़े माननीय सदस्य के मुँह से ऐसी बात निकलेगी तो यह सुनकर मैं हैरान हो जाता हूँ।

श्री करण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने हरियाणा मोटर यान कराधान विधेयक, 2015 में एगजैम्पशन के बारे में कहा है कि राज्य सरकार जहां चाहेगी वहां एगजैम्पशन अपने पास रखेगी। अध्यक्ष महोदय, टैक्स हो तो यूनिवर्सल होना चाहिए। अगर राज्य सरकार इस बिल में एगजैम्पशन अपने पास रखेगी तो फिर झगड़ा पैदा होगा क्योंकि सरकार का पता नहीं कि किस पक्ष में इसका इस्तेमाल करना चाहेगी। जैसे प्राईवेट स्कूलों की बसों के बारे में भी कहा है, आज यदि सरकारी स्कूल बच्चों की पढ़ाई का प्रबंध नहीं कर पाते हैं तो जिन लोगों ने प्राईवेट स्कूल चलाये हुए हैं, उनको टैक्स में एगजैम्पशन दे दीजिए। रोजमर्रा में जो हर आम आदमी की जरूरते हैं जैसे की दोपहिया वाहन हर आम आदमी की जिंदगी का अंग है ऐसी चीजों पर टैक्स न लगाया जाये और एगजैम्पशन को

हटाया जाये, इसको कम से कम दायरे में रखें ताकि पड़ोसी राज्यों से हमारे हालात खराब न हो।

श्री जगबीर सिंह मलिक (गोहाना): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे हरियाणा मोटर यान कराधान विधेयक, 2015 पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के सैक्शन–5 के तहत मैंने आज गाड़ी खरीद ली (विघ्न) और 6 महीने के बाद इसकी किस्त आ जायेगी यदि इसके बाद जब रिवाईज करने के लिए नोटिफिकेशन करें तो उसी दिन से प्रस्पैक्टिव लागू होना चाहिए, ना कि पीछे से लागू हो। वरना पिछली किस्तें भी मांग लेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस बिल में पैनेल्टी के बारे में भी कहा गया है कि 20 प्रतिशत टैक्स को डबल करेंगे अर्थात 40 प्रतिशत टैक्स कर देंगे। अगर मान लो किसी व्यक्ति ने 25–30 हजार रूपये की मोटर साइकिल खरीद ली और उसका ऑनर समय पर किस्त नहीं भरता तो उसको डबल टैक्स देना पड़ेगा। इस तरह से तो उसकी मोटर साईकिल की कीमत तो टैक्स में ही चली जायेगी। इसी तरह से कार के लिए भी टैक्स का यही प्रावधान है। दूसरा डेढ़ रूपये सैंकड़ा के हिसाब से ब्याज उसको ऊपर से देना पड़ेगा । आज डेढ़ रूपया सैंकड़ा के हिसाब से ब्याज आढ़ती भी कर्ज नहीं देता किसी को। मगर इसमें डेढ़ रूपये सैंकड़े के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा। क्या डेढ़ रूपया सैंकड़ा का ब्याज सरकार देती है किसी को? अध्यक्ष महोदय, यदि सरकार को ब्याज देना पड़ता है तो वह एक रूपया प्रति वार्षिक की दर से देती है लेकिन इस विधेयक में डेढ़ रूपये प्रति सैंकड़ा के हिसाब से ब्याज लेती है। अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के शिड्यूल में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति 20 लाख रूपये की गाड़ी लेता है तो कहाँ से 20 लाख रूपये वापिस देगा। इसके अलावा मैं सदन में बताना चाहता हूँ कि यदि किसी के पास लाईसैंस न हो और उसको इशारा करके रोका जाये तो उस स्थिति में पैनेल्टी दो चीजों की लगती है। इस बिल का सैक्शन 21 (1) (b) यह कहता है कि–

> "fails to stop the motor vehicle when required to do so or obstructs an officer in the exercise of the powers conferred by section 13,...."

अध्यक्ष महोदय, यदि रोकने पर कोई व्यक्ति नहीं रूकता है या ऑफिसर को कोई कार्रवाई नहीं करने देता है तो उसके ऊपर पैनेल्टी लगेगी। ये शर्तें बहुत भारी हैं। इनमें वाहन पर जो एक दिन की पैनल्टी है वह उसकी कुल कीमत की 40 प्रतिशत है । 13 सवारी वाले ट्रांसपोर्ट व्हीकल की वन टाइम पैनल्टी 20 लाख रूपये रखी गई है और इसमें प्राइवेट स्कूल के वाहन भी शामिल हैं । एक दिन के परमिट के लिए 20 हजार रूपये रखे गए हैं । इन ऊँचे रेट्स को देखकर बाहरी स्टेट्स से हमारे स्टेट में भला कौन आएगा और हमारे स्टेट से सब बाई–पास हो जाएंगे । इसी तरह से छोटे कैरिज का एक दिन का परमिट रेट 7.5 हजार रूपये है । इन एग्जोर्बिटैंस रेट्स को कम कीजिए ताकि लोगों का अट्रैक्शन हमारे स्टेट की तरफ बढ़े । ऐसा नहीं किया गया तो हमारे प्रदेश में बाहर की कोई भी गाड़ी नहीं आएगी । इसलिए इनको आप अमैंड करके कम कीजिए । (विघ्न) आप एक बार डिटेल देख लेना । यह टैक्स बहुत भारी पड़ेगा ।

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : अध्यक्ष जी, माननीय साथी श्री करण सिंह दलाल और श्री जगबीर सिंह मलिक दोनों सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं और ये काफी अनुभवी हैं । दलाल साहब और मैं हम दोनों 5 बार विधान सभा के सदस्य चुने जा चुके हैं । माननीय सदस्यों ने जो टैक्स बढ़ाने की बात कही है मैं इनको बताना चाहता हूं कि इसमें एक पैसा भी नहीं बढ़ाया गया है । पी.जी.टी. एक अलग बिल था । वर्तमान में निजी वाहनों पर टैक्स परिवहन विभाग के रैगुलेटरी विंग द्वारा लिया जाता है । पी. जी.टी. टैक्स निजी व्यावसायिक वाहनों पर पी.जी.टी. एक्ट, 1952 के तहत एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग द्वारा लगाया जाता है । पहले व्यावसायिक वाहन मालिकों को कर अदा करने के लिए दो अलग–अलग विभागों एक्साइज एंड टैक्सेशन और परिवहन विभाग में चक्कर काटने पड़ते थे । हम सिर्फ पी.जी.टी. को ट्रांसपोर्ट विभाग में कंवर्ट कर रहे हैं । इस तरह से वाहनों पर एक पैसे का भी टैक्स नहीं बढा है । वाहन मालिकों की सुविधा को देखते हुए इस टैक्स को परिवहन विभाग के रैगुलेटरी विंग द्वारा इक्ट्ठा किया जाएगा । परिवहन विभाग के रैगुलेटरी विंग द्वारा सभी प्रकार के वाहनों पर टैक्स लेने के कारण हमें दो फायदे होंगे । पहला, इससे वाहन मालिकों को सुविधा होगी और दूसरा विभाग को मैन–पॉवर और संसधनों में भी बचत होगी । इस अधिनियम में कृषि प्रयोग में आने वाली मशीनें जैसे ट्रैक्टर, ट्रैलर इत्यादि कृषि यंत्रों को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है ।

16:00 बजे

इसके अतिरिक्त इससे सरकार के खजाने पर अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ेगा । पी. जी.टी. के तहत पहले यदि अधिक टैक्स जमा हो जाता था तो परिवहन विभाग उसे रिफंड नहीं करता था । अब हमने इस अधिनियम में प्रावधान किया है कि अगर टैक्स एक्सैस जमा हो जाता है तो उसे रिफंड कर दिया जाएगा । मौजूदा व्यवस्था को देखते हुए दूसरे प्रदेशों से आने वाले व्यावसायिक वाहन मालिकों को टैक्स क्लैक्शन प्वायंट पर आजादी दी है कि वे चाहें तो अपना टैक्स कैश से जमा कराये अथवा ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं । इस तरह से न तो वाहन मालिकों को टैक्स जमा कराने में कोई दिक्कत होगी और न ही टैक्स को बढ़ाया गया है । हम वाहन मालिकों को सिर्फ सहूलियत दे रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि विधेयक पास किया जाए

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (सैलरी, अलाउंसिज एण्ड पेंशन ऑफ मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल, 2016

श्री अध्यक्षः अब संसदीय कार्य मंत्री हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संषोधन विधेयक, 2016 पस्तुत करेंगे और इस पर विचार करने के लिए प्रस्ताव भी पेष करेंगे ।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन विधेयक, 2016 प्रस्तुत करता हूं। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं –

कि हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंषन) संशोधन विधेयक संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंषन) संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

षिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास षर्मा): अध्यक्ष महोदय, मैं महान सदन को इस बिल के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं । इस बिल में जो पीछे प्रावधान थे उनमें हर मद में इस बार कुछ न कुछ बढ़ाया है । जो कम्पनसेट्री अलाउंस होता है उसको अगर बढ़ाना है तो उसके लिए रूल्ज में अमैंडमैंट करनी पड़ती है । इसलिए कम्पनसेट्री अलाउंस को इसमें नहीं बढ़ाया गया है । इसके लिए सदन ने पिछले सत्र में पांच सदस्यों की एक सर्वदलीय कमेटी बनाई थी, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के सदस्य श्री टेकचन्द, इन्डिपैंडेंट सदस्य श्री जयप्रकाष, इण्डियन नेषनल लोकदल के सदस्य श्री जाकिर हुसैन और कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री ललित नागर जी षामिल थे । उस कमेटी की सिफारिषों को सदन ने सर्वसम्मति से मान लिया था और उस कमेटी की सिफारिषों के आधार पर ही विधेयक हम सदन में लेकर आये हैं ।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान (बेरी): स्पीकर सर, इस बिल में एक लाईन और जोड़ दी जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि एक एम.एल.ए. प्रोटोकोल में चीफ सेक्रेटरी से ऊपर होता है । इसलिए चीफ सेक्रेटरी को जितनी सैलरी मिलती है वह चाहे दो लाख रूपये हो या अढ़ाई लाख रूपये हो उसमें सिर्फ एक रूपया और जोड़ दिया जाए because in protocol, an M.L.A. is upper than the Chief Secretary. अगर चीफ सेक्रेटरी से भी हम कम सैलरी ले रहे हैं तो यह ठीक नहीं है ।

श्री करण सिंह दलाल (पलवल): अध्यक्ष महोदय, आज सैषन का आखिरी दिन है । मैं आपके माध्यम से सदन के नेता को बताना चाहता हूं कि सैशन के दौरान एक एम.एल.ए. की गाड़ी तो विधान सभा परिसर से बाहर खड़ी की जाती है जबकि अधिकारियों की गाड़िया विधान सभा परिसर में खड़ी की जाती हैं । यह बात ठीक नहीं है । सभी एम.एल.एज. की गाड़िया विधान सभा परिसर में खड़ी होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, इसको दिखवा लेते हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

> कि हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्षः अब सदन बिल पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा ।

क्लॉजिज–2 से 9 तक

श्री अध्यक्षः प्रश्न है कि –

क्लॉजिज–2 से 9 तक विधेयक का पार्ट हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज–1

श्री अध्यक्षः प्रश्न है कि –

क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्षः प्रश्न है कि –

इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री अध्यक्षः प्रश्न है कि –

टाईटल विधेयक का टाईटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्षः अब संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पास किया जाए।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि विधेयक सर्वसम्मति से पास किया जाए ।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव पेश हुआ –

कि विधेयक पास किया जाए ।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि विधेयक सर्वसम्मति से पास किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(iii) दि हरियाणा डिवैल्पमैंट एण्ड रैगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज (सैकेंड अमैंडमैंट) बिल, 2016

श्री अध्यक्षः अब संसदीय कार्य मंत्री हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन(द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 प्रस्तुत करेंगे और इस पर विचार करने के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे ।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन(द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 प्रस्तुत करता हूं। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं –

कि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन(द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन(द्वितीय संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन(द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्षः अब सदन बिल पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा ।

क्लॉज–2

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि क्लॉज–2 विधेयक का पार्ट हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज–3

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि क्लॉज–3 विधेयक का पार्ट हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज–1

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्षः अब संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पास किया जाए।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि विधेयक पास किया जाए ।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव पेश हुआ –

कि विधेयक पास किया जाए ।

श्री करण सिंह दलाल (पलवल): अध्यक्ष महोदय, सरकार यह बिल लेकर आई है और कह रही है कि आज के हालात में ई.डी.सी. के इतना ज्यादा होने से दिक्कत है और बिल्डर्ज को भी दिक्कत है लेकिन यह प्रक्रिया इनकी है और इसके बारे में इनकी किसके साथ बातचीत हुई है इस बारे में तो ये ही जानते हैं । इस बिल की क्लाज ;पपद्ध में इन्होंने कहा है कि - "After clause (jjj) the following clause shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 18th February, 2016. . ." इस बिल को रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से लागू करने का मतलब है कि सरकार कुछ चहेते लोगों का फायदा करना चाहती है । यह जो सरकार ने लाइसैंस की इजाजत दी है कि ींसि वि जीम सपबमदेम बंद इम जतंदेमिततमक जव ंदल वजीमत संदकण इसमें हमारा सुझाव यह है कि सरकार यह समझ चुकी है कि रियल इस्टेट के हालात बदले हुए है । आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कालोनाइजेशन और लोगों को बसाने का काम किया जाता है, यदि उसी प्रकार यह सरकार काम करे तो सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शर्मा जी से कहना चाहूंगा कि इस बिल को रिट्रसोपैक्टिव इफैक्ट से लागू न किया जाए क्योंकि इससे शक होता है कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस बिल को लाया जा रहा है जोकि गलत है ।

श्री जगबीर सिंह मलिक (गोहाना): अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर मेरा भी ओब्जैक्शन है कि इसको 18 फरवरी से लागू न किया जाए बल्कि इसको आज से जब यह पास हो रहा है यानि प्रोसपैक्टिव इफैक्ट से लागू किया जाए । अध्यक्ष महोदय, किस माफिया ने यह बिल तैयार किया है इस बारे में एक्सप्लेन किया जाए और बताया जाए कि इसको प्रोसपैक्टिव इफैक्ट से क्यों नहीं लागू किया जा रहा है ।

वित मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक आया है इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है कि हमारी सरकार का मैंडेट है सुशासन और विकास तथा उसके माध्यम से पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना है । हमारे द्वारा लगातार कोशिश की गई कि जो पूरा रियल इस्टेट सैक्टर है इसका अध्ययन करके कैसे प्रशासनिक स्तर पर सरकार की पूरी प्रणाली में पारदर्शिता लाई जाए । हरियाणा का इकॉनोमी सैक्टर भी बहुत महत्वपूर्ण सैक्टर है और वह सैक्टर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कारणों के कारण क्राईसिज में है । जो माननीय साथी ने ई.डी.सी. का जिक्र किया है ये चार्जिज पिछले 22 महीने से ड्यू नहीं हैं । यह जो चेंज लाया जा रहा है यह 15 हजार करोड़ रुपये ई.डी.सी. के जो कांग्रेस के लोगों ने छोड़ दिये थे उनको रिकवर करने की एक्सरसाईज है । जिसमें हमारी सरकार आने के बाद पहले दिन से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम किसी के प्रति विद्वेष की भावना से कार्य नहीं करेंगे । नहीं तो कानून का तकाजा यह कहता था कि 2005 से लेकर जब से जो–जो ई.डी.सी. ड्यू बनता था वह ई.डी.सी. रिकवर करने के लिए तत्कालीन सरकार को सख्त कार्यवाही करनी चाहिए थी । कानून में इसको लेकर क्रीमिनल चार्जिज भी दर्ज करने का प्रावधान है । उन तमाम व्यवस्थाओं को इग्नोर करते हुए हमने यह पैसा रिकवर करने की एक्सरसाईज की है । यह पैसा यदि हरियाणा सरकार के खजाने में आता तो विकास के लिए यूज किया जा सकता था । उसी दृष्टि से आज यह विधेयक लेकर आये हैं । यह सोचा समझा निर्णय है । सरकार ने पूरी तरह से सोचकर इसको 18 फरवरी, 2016 से लागू करने का निर्णय किया है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि विधेयक पास किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(iv) यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ साईंसिज, करनाल बिल, 2016

श्री अध्यक्ष : अब स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल विधेयक 2016 प्रस्तुत करेंगे और इस पर विचार करने के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल विधेयक 2016 प्रस्तुत करता हूं । मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं–

कि स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

श्री हरविन्द्र कल्याण (घरौंडा) : अध्यक्ष महोदय, करनाल में जो मैडीकल यूनिवर्सिटी बनेगी यह मेरे पैतृक गांव कुटेल में स्थापित होगी । इस यूनिवर्सिटी के लिए मेरे गांव की पंचायत ने 178 एकड़ जमीन सरकार को दी है । यह मेडिकल यूनिवर्सिटी बनने से वहां उच्च स्तर की मेडिकल शिक्षा मिलेगी उसके साथ–साथ बहुत ही स्पैसलाईज्ड और एडवांस स्वास्थ्य सेवायें पूरे इलाके के साथ–साथ पूरे प्रदेश के लोगों को मिलेंगी । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से घरौंडा विधान सभा की जनता की तरफ से माननीय स्वास्थ्य मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं ।

श्रीमती गीता भुक्कल (झज्जर): अध्यक्ष महोदय, अभी स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल विधेयक पेश किया है मैं उसका समर्थन करती हूं। यह बहुत ही अच्छी बात है कि करनाल में जो कल्पना चावल मैडीकल कालेज था उसको यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है । इससे पहले केवल मात्र एक पण्डित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ साईंसिज , रोहतक में थी । जिस पर काफी ज्यादा बर्डन था और उस समय 4 मैडीकल कालेज पूरे प्रदेश में बनाये गये । आज प्रदेश में डॉक्टर्ज की बहुत ज्यादा शोर्टेज है जिसके कारण हैल्थ सर्विस चरमराई हुई हैं और लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है । कल जो आयुष यूनिवर्सिटी बनाई गई उससे स्वास्थ्य सेवाएं शायद काफी हद तक प्रदेश में ट्रैक पर आ जायेंगी। मेरा इसमें सुझाव यही है कि मेडिकल कॉलेज को यूनिवर्सिटी में कंवर्ट कर रहे हैं इसमें ट्रेनिंग, रिसर्च और डॉक्टर्ज आदि का सारा प्रावधान रहेगा। करनाल मेडिकल कॉलेज हमारे देश की बेटी जिसका दुनिया में नाम रहा है

उसके नाम पर है इसलिए इस यूनिवर्सिटी का नाम भी कल्पना चावला यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ साईंसिज रखा जाये । अगर ऐसा किया जाता है तो प्रदेश की बेटियों के नाम यह बड़े मान–सम्मान की बात होगी।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, गीता भुक्कल जी बहुत सकारात्मक सुझाव देती हैं । उन्होंने जो आयूष यूनिवर्सिटी बनाई थी कल उसको भी सराहा है । इसके लिए उन्होंने मुझे सदन के बाहर भी कहा कि बहुत अच्छा काम हमने किया है । इसको लेकर वे कुछ सुझाव भी देना चाहती थी जो उन्होंने अपने समय में हैदराबाद में मीटिंग की थी । मैं बहन जी को बताना चाहता हूं कि जो कल्पना चावला मैडीकल गवर्नमैंट कालेज, करनाल है वह वैसे की वैसे ही रहेगा। उसको हम यूनिवर्सिटी नहीं बना रहे । जहां तक यूनिवर्सिटी की बात है मैं पूरे सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी अलग से बन रही है। कल्पना चावला मैडीकल कालेज उससे एफिलियेटिड रहेगा। प्रदेश की जिस बेटी ने प्रदेश और पूरे देश का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया है उसके नाम से ही इस मैडीकल कालेज का नाम कल्पना चावला मैडीकल कालेज रहेगा। जो यूनिवर्सिटी हम अलग से बना रहे हैं उसका क्या नाम रखा जायेगा अभी उसके नाम के बारे में विचार नहीं किया गया है इसलिए अभी इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्षः अब सदन बिल पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा ।

सब–क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है कि –

सब–क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉजिज 2 से 44

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है कि –

क्लॉजिज 2 से 44 विधेयक का पार्ट हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

शिड्यूल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है कि –

शिड्यूल विधेयक का पार्ट हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सब–क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है कि –

सब–क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है कि –

इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है कि –

टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब स्वास्थ्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पास किया जाए।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि विधेयक पास किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ –

कि विधेयक पास किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि विधेयक पास किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(v) दि हरियाणा टैक्स ऑन लग्जरीज़ (अमैंडमैंट) बिल, 2016

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब आबकारी एवं कराधान मंत्री हरियाणा सुख–साधन कर (संशोधन) विधेयक, 2016 प्रस्तुत करेंगे और इस पर तुरंत विचार करने के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे ।

वित मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : स्पीकर सर, मैं हरियाणा सुख–साधन कर (संशोधन) विधेयक, 2016 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं –

कि हरियाणा सुख–साधन कर (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा सुख–साधन कर (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि हरियाणा सुख–साधन कर (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्षः अब सदन बिल पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा ।

क्लॉजिज 2 से 11

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है कि –

क्लॉजिज 2 से 11 विधेयक का पार्ट हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज–1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है कि –

क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है कि –

इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है कि –

टाईटल विधेयक का टाईटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब अबकारी एवं कराधान मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पास किया जाए।

वित मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि विधेयक पास किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ –

कि विधेयक पास किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि विधेयक पास किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू विधायक, संसदीय कार्य मंत्री और अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद देना।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, पिछले 4 दिनों से सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में आपने बहुत अहम भूमिका निभाई है । खास तौर से विपक्ष के काफी सदस्यों को बोलने के लिए आपने जो समय दिया है उसके लिए मैं अपने तथा अपने विधायक दल की तरफ से आपका धन्यवाद करूंगा तथा उम्मीद करूंगा कि आने वाले सत्र में भी इसी तरह से आपकी नजरें इनायत हम पर बनी रहेंगी । आपका बहुत–बहुत धन्यवाद ।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, आपने जिस शालीनता के साथ, जिस सद्भाव से, जिस मुस्तैदी से और जिस संजीदगी से सदन का संचालन किया है वह काबिले तारीफ है। इस बार आपने विषम परिस्थितियों में भी बहुत अच्छे ढंग से सदन को चलाया और सभी माननीय सदस्यों, चाहे कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, चाहे इंडियन नैशनल लोकदल के सदस्य थे या निर्दलीय सदस्य थे, सबको आपने समय और सम्मान दिया है । इसके लिए हम सभी आपका आभार प्रकट करते हैं, अभिनन्दन करते हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सदन की कार्यवाही के सुचारू रूप से संचालन में आप सभी के द्वारा दिये गये सहयोग के लिए मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं । इसके अतिरिक्त मैं प्रैस के प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी तथा हरियाणा विधान सभा के अधिकारियों/कर्मचारियों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने वर्तमान सत्र के संचालन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया । दर्शक दीर्घा में उपस्थित दर्शकगणों ने भी आराम से सदन की कार्यवाही को देखा और सुना है इसके लिए मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं । इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का आभार प्रकट करते हुये एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब यह सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाता है ।

(तत्पश्चात सदन अनिश्चितकाल के लिए *स्थगित हुआ।)

*16:27 बजे